



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

हर भारतीय का बैंक
THE BANKER TO EVERY INDIAN

**Soaring high...
towards new horizons**



**ऊंची उड़ान...
नए क्षितिज की ओर**

₹ 909492 Crs

Rupee Loans

↑ 20%

₹ 17916 Crs

Net Profit
(Consolidated)

↑ 16.8 %

₹ 14105 Crs

Net Profit
(Standalone)

↑ 20.5 %

Branches
(in India)

14816

NIM
(Domestic)

3.66%

वार्षिक रिपोर्ट

A N N U A L R E P O R T

2 0 1 2 - 2 0 1 3



**School Buses and Ambulances
for Community Service**



Water Purifiers to Schools



**Donation for Regional Boxing
Foundation (of Mary Kom), Manipur**



Fans to Schools



Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Finance Minister addressing a meeting of the Central Board on 9th February 2013 at Mumbai



Address by Dr. Subba Rao, Governor, RBI at the Golden Jubilee Celebrations of State Bank Staff College, Hyderabad



सूचना




भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 58वीं वार्षिक महासभा “वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम”, वाई.बी.चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013 को अपराह्न 03.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :-

“स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 तक का तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की स्टेट बैंक की कार्य-प्रणाली और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट और तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।”

कारपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई-400 021


(प्रतीप चौधरी)
अध्यक्ष

दिनांक : 30 अप्रैल 2013

महत्वपूर्ण सूचना

घोषित लाभांश : ₹41.50 प्रति शेयर
लाभांश भुगतान तिथि : 17.06.2013
बहीबंदी की अवधि : 30.05.2013 से 03.06.2013
रेकॉर्ड तिथि : 29.05.2013

NOTICE



STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

The 58th Annual General Meeting of shareholders of State Bank of India will be held at the “Y. B. Chavan Auditorium”, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai-400021 (Maharashtra) on Friday, the 21st June 2013 at 03.00 P.M. for transacting the following business:-

“to receive, discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank made up to the 31st day of March 2013, the report of the Central Board on the working and activities of the State Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor’s Report on the Balance Sheet and Accounts”.

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021


(PRATIP CHAUDHURI)
CHAIRMAN

Date: 30th April, 2013

IMPORTANT INFORMATION

Dividend Declared: ₹41.50 per share
Dividend Payment Date: 17.06.2013
Period of Book Closure: 30.05.2013 TO 03.06.2013
RECORD DATE : 29.05.2013



एसबीआई समूह संरचना, दिनांक 31.03.2013 को

SBI GROUP STRUCTURE AS ON 31.03.2013

एसबीआई परिवार वृक्ष/ SBI FAMILY TREE

एसबीआई/SBI

देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियाँ Domestic Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश% / Ownership figures in %	अनुषंगियाँ
75.07	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर State Bank of Bikaner & Jaipur
100	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad
92.33	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore
100	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala
75.01	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर State Bank of Travancore

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ Non Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश% / Ownership figures in %	अनुषंगियाँ
100	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. SBI Capital Markets Ltd. एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि. SBICAP Securities Ltd. एसबीआई कैप वेंचर्स लि. SBICAP Ventures Ltd. एसबीआईकेप (यूके) लि. SBICAP (UK) Ltd. एसबीआई कैप ट्रस्टीज कंपनी लि. SBICAP Trustees Co. Ltd. एसबीआई कैप (सिंगापुर लि.) SBICAP (Singapore Ltd.)
63.78	एसबीआई डीएफएचआई लि. SBI DFHI Ltd.
100	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. SBI Payment Services Pvt. Ltd.
100	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.
86.18	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. SBI Global Factors Ltd.
60	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
63	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. SBI Funds Management Pvt. Ltd. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. SBI Funds Mgt. (International) Pvt. Ltd.
60	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
74	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. SBI Life Insurance Company Ltd.
65	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd.
74	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. SBI General Insurance Company Ltd.



संयुक्त उद्यम Joint Ventures

स्वामित्व अंश% / Ownership figures in %	
49	सी-एज टेकनोलॉजीज लि. C-Edge Technologies Ltd.
40	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. GE Capital Business Process Mgt. Services Pvt. Ltd.
45	मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pte. Ltd. मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
45	एसबीआई मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. SBI Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pvt. Ltd.
45	एसबीआई मैकवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि. SBI Macquarie SBI Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
50	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. Oman India Joint Investment Fund-Mgt. Co Pvt. Ltd.
50	ओमान इंडिया ज्याइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. Oman India Joint Investment Fund-Trustee Co Pvt. Ltd.

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ Foreign Banking Subsidiaries

स्वामित्व अंश% / Ownership figures in %	
100	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) State Bank of India (California)
100	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) State Bank of India (Canada)
60	कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को Commercial Bank of India LLC, Moscow
93.40	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लि. SBI (Mauritius) Ltd.
76	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया PT Bank SBI Indonesia
55.28	नेपाल एसबीआई बैंक लि. Nepal SBI Bank Ltd.



विषय-सूची

रेटिंग्स	05
पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन	06
निष्पादन संकेतक, उल्लेखनीय तथ्य एवं ₹ अर्जित/खर्च	08
केंद्रीय निदेशक बोर्ड	10
बोर्ड की समितियाँ, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, स्थानीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य और बैंक के लेखा परीक्षक	12
अध्यक्ष की कलम से निदेशकों की रिपोर्ट	20
आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश	30
वित्तीय निष्पादन	34
I. मुख्य परिचालन	
I.1 ग्राहक सेवा	38
I.2 व्यवसाय समूह	
विश्व बाजार परिचालन	40
कारपोरेट बैंकिंग समूह	44
मध्य कारपोरेट समूह	48
राष्ट्रीय बैंकिंग समूह	52
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह	72
I.3 कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय	76
I.4 अनर्जक आस्ति प्रबंधन	80
II. सहायक एवं नियंत्रण परिचालन	
II.1 सूचना प्रौद्योगिकी	86
II.2 जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण	88
II.3 सतर्कता	96
II.4 मानव संसाधन	96
II.5 कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई	100
II.6 राजभाषा	102
II.7 कारपोरेट सामाजिक दायित्व	104
III. सहयोगी एवं अनुषंगियाँ	108
उत्तरदायित्व वक्तव्य, आभार	118
कारपोरेट अभिशासन	120
अनुलग्नक I से V	146
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	163
तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	
- भारतीय स्टेट बैंक	174
- स्टेट बैंक समूह (समेकित)	241
नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बेसल - II) (स्तंभ - III) (बाजार अनुशासन) प्रकटीकरण	297
प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची	

CONTENTS

Ratings	05
Financial Highlights for the last 10 Years	07
Performance Indicators, Highlights & ₹ Earned/Spent	08
Central Board of Directors	10
Committees of the Board, Members of the Local Boards, Members of the Central Management Committee and the Bank's Auditors	12
From the Chairman's Desk	21
Directors' Report	
Economic Backdrop and Banking Environment	31
Financial Performance	35
I. CORE OPERATIONS	
I.1 Customer Service	39
I.2 Business Group	
Global Markets Operations	41
Corporate Banking Group	45
Mid Corporate Group	49
National Banking Group	53
International Banking Group	73
I.3 Corporate Strategy and New Businesses	77
I.4 NPA Management	81
II. SUPPORT & CONTROL OPERATIONS	
II.1 Information Technology	87
II.2 Risk Management & Internal Controls	89
II.3 Vigilance	97
II.4 Human Resources	97
II.5 Strategic Training Unit	101
II.6 Official Language	103
II.7 Corporate Social Responsibility	105
III. ASSOCIATES & SUBSIDIARIES	109
Responsibility Statement, Acknowledgement	119
Corporate Governance	121
Annexures I to V	147
Business Responsibility Report	163
Balance Sheet, Profit & Loss Account & Report of the Auditors of	
- State Bank of India	174
- State Bank Group (Consolidated)	241
New Capital Adequacy Framework (Basel - II) (Pillar - III) (Market Discipline) Disclosures	297
Proxy Form, Attendance Slip	



रेटिंग्स / RATINGS

लिखत	रेटिंग 31.03.2013	रेटिंग एजेंसी	INSTRUMENT	RATINGS As on 31.03.2013	RATING AGENCY
बैंक रेटिंग	बीएए3/पी3/स्टेबल/डी+	मूडीज	BANK RATING	Baa3/P3/Stable/D+	Moody's
	बीबीबी-/-ए3/ निगेटिव	एसएण्डपी		BBB-/ A3/ Negative	S & P
	बीबीबी-/-एफ3/ निगेटिव	फिच		BBB-/ F3/ Negative	Fitch
लिखत रेटिंग नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल	INSTRUMENT RATING Innovative Perpetual Debt Instruments	'AAA/STABLE'	CRISIL
	'केयर एएए'	केयर		'CARE AAA'	CARE
उच्चतर टियर II गौण ऋण	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल	Upper Tier II Subordinated Debt	'AAA/STABLE'	CRISIL
	'केयर एएए'	केयर		'CARE AAA'	CARE
न्यूनतर टियर II गौण ऋण	'एएए/स्टेबल'	क्रिसिल	Lower Tier II Subordinated Debt	'AAA/STABLE'	CRISIL
	'केयर एएए'	केयर		'CARE AAA'	CARE
	एएए (स्टेबल)	आईसीआरए		AAA (Stable)	ICRA

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड

आईसीआरए : आईसीआरए लि.

क्रिसिल : क्रिसिल लि.

एसएण्डपी : स्टैंडर्ड एण्ड पूअर

CARE : Credit Analysis & Research Limited

ICRA : ICRA Ltd.

CRISIL : CRISIL Ltd.

S & P : Standard & Poor



पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
देयताएँ										
पूंजी (₹ करोड़)	526	526	526	526	631	635	635	635	671	684
आरक्षितियाँ (₹ करोड़)	19,705	23,546	27,118	30,772	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200
जमाराशियाँ (₹ करोड़)	3,18,619	3,67,048	3,80,046	4,35,521	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,739
उधारियाँ (₹ करोड़)	13,431	19,184	30,642	39,704	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183
अन्य (₹ करोड़)	55,534	49,579	55,538	60,042	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,455
कुल (₹ करोड़)	4,07,815	4,59,883	4,93,870	5,66,565	7,21,526	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,261
आस्तियाँ										
विनिधान (₹ करोड़)	1,85,676	1,97,098	1,62,534	1,49,149	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,927
अग्रिम (₹ करोड़)	1,57,934	2,02,374	2,61,642	3,37,337	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,616
अन्य आस्तियाँ (₹ करोड़)	64,205	60,411	69,694	80,079	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,718
कुल (₹ करोड़)	4,07,815	4,59,883	4,93,870	5,66,565	7,21,526	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,261
निवल ब्याज आय (₹ करोड़)	11,186	13,945	15,589	15,058	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,331
एनपीए के लिए प्रावधान (₹ करोड़)	3,703	1,204	148	1,429	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368
परिचालन परिणाम (₹ करोड़)	9,553	10,990	11,299	10,000	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082
कर - पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़)	4,971	6522	6,906	7,625	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951
निवल लाभ (₹ करोड़)	3,681	4,305	4,407	4,541	6729	9121	9,166	8,265	11,707	14,105
औसत आस्तियों से आय (%)	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.91
ईक्विटी से आय (%)	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94
आय की तुलना में व्यय (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60	45.23	48.51
प्रति कर्मचारी लाभ (₹'000)	177	207	217	237	373	474	446	385	531	645
प्रति शेयर आय (₹)	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06
प्रति शेयर लाभांश (₹)	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00	35.00	41.50
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)	605.85	654.80	968.50	994.45	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75
लाभांश भुगतान अनुपात % (₹)	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बेसल- I	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12	10.69	12.05	11.22
टियर I	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93	8.50	8.23
टियर II	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76	3.55	2.99
बेसल- II (₹ करोड़)						85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362
(%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14.25	13.39	11.98	13.86	12.92
टियर I (₹ करोड़)						56,257	64,177	63,901	82,125	94,947
(%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9.38	9.45	7.77	9.79	9.49
टियर II (₹ करोड़)						29,136	26,798	34,629	34,200	34,415
(%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.87	3.94	4.21	4.07	3.43
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.10
देश में स्थित शाखाओं की संख्या	9,039	9,102	9,177	9,231	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816
विदेश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	54	54	70	83	84	92	142	156	173	186



FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE LAST 10 YEARS


	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Liabilities										
Capital (₹ in crores)	526	526	526	526	631	635	635	635	671	684
Reserves & Surplus (₹ in crores)	19,705	23,546	27,118	30,772	48,401	57,313	65,314	64,351	83,280	98,200
Deposits (₹ in crores)	3,18,619	3,67,048	3,80,046	4,35,521	5,37,404	7,42,073	8,04,116	9,33,933	10,43,647	12,02,739
Borrowings (₹ in crores)	13,431	19,184	30,642	39,704	51,728	53,713	1,03,012	1,19,569	1,27,006	1,69,183
Other's (₹ in crores)	55,534	49,579	55,538	60,042	83,362	1,10,698	80,337	1,05,248	80,915	95,455
Total (₹ in crores)	4,07,815	4,59,883	4,93,870	5,66,565	7,21,526	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,261
Assets										
Investments (₹ in crores)	1,85,676	1,97,098	1,62,534	1,49,149	1,89,501	2,75,954	2,85,790	2,95,601	3,12,198	3,50,927
Advances (₹ in crores)	1,57,934	2,02,374	2,61,642	3,37,337	4,16,768	5,42,503	6,31,914	7,56,719	8,67,579	10,45,616
Other Assets (₹ in crores)	64,205	60,411	69,694	80,079	1,15,257	1,45,975	1,35,710	1,71,416	1,55,742	1,69,718
Total (₹ in crores)	4,07,815	4,59,883	4,93,870	5,66,565	7,21,526	9,64,432	10,53,414	12,23,736	13,35,519	15,66,261
Net Interest income (₹ in crores)	11,186	13,945	15,589	15,058	17,021	20,873	23,671	32,526	43,291	44,331
Provisions for NPA (₹ in crores)	3,703	1,204	148	1,429	2,001	2,475	5,148	8,792	11,546	11,368
Operating Result (₹ in crores)	9,553	10,990	11,299	10,000	13,108	17,915	18,321	25,336	31,574	31,082
Net Profit Before Taxes (₹ in crores)	4,971	6,522	6,906	7,625	10,439	14,181	13,926	14,954	18,483	19,951
Net Profit (₹ in crores)	3,681	4,305	4,407	4,541	6,729	9,121	9,166	8,265	11,707	14,105
Return on Average Assets (%)	0.94	0.99	0.89	0.84	1.01	1.04	0.88	0.71	0.88	0.91
Return on Equity (%)	18.19	18.10	15.47	14.24	17.82	15.07	14.04	12.84	14.36	15.94
Expenses to Income (%) (Operating Expenses to total Net Income)	49.18	47.83	58.70	54.18	49.03	46.62	52.59	47.60	45.23	48.51
Profit Per Employee (₹ in 000)	177	207	217	237	373	474	446	385	531	645
Earnings Per Share (₹)	69.94	81.79	83.73	86.10	126.62	143.77	144.37	130.16	184.31	210.06
Dividend Per Share (₹)	11.00	12.50	14.00	14.00	21.50	29.00	30.00	30.00	35.00	41.50
SBI Share (Price on NSE) (₹)	605.85	654.80	968.50	994.45	1,600.25	1,067.10	2,078.20	2,765.30	2,096.35	2,072.75
Dividend Payout Ratio% (₹)	15.72	15.28	16.72	16.22	20.18	20.19	20.78	23.05	20.06	20.12
Capital Adequacy Ratio (%)										
Basel- I (%)	13.53	12.45	11.88	12.34	13.54	12.97	12	10.69	12.05	11.22
Tier I	8.34	8.04	9.36	8.01	9.14	8.53	8.46	6.93	8.50	8.23
Tier II	5.19	4.41	2.52	4.33	4.40	4.44	3.54	3.76	3.55	2.99
Basel- II						85,393	90,975	98,530	1,16,325	1,29,362
(₹ in crores)										
(%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14.25	13.39	11.98	13.86	12.92
Tier I						56,257	64,177	63,901	82,125	94,947
(₹ in crores)										
(%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	9.38	9.45	7.77	9.79	9.49
Tier II						29,136	26,798	34,629	34,200	34,415
(₹ in crores)										
(%)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.87	3.94	4.21	4.07	3.43
Net NPA to Net Advances (%)	3.48	2.65	1.88	1.56	1.78	1.79	1.72	1.63	1.82	2.10
Number of Domestic Branches	9,039	9,102	9,177	9,231	10,186	11,448	12,496	13,542	14,097	14,816
Number of Foreign Branches/Offices	54	54	70	83	84	92	142	156	173	186




निष्पादन संकेतक

PERFORMANCE INDICATORS


पूंजी पर्याप्तता अनुपात %
Capital Adequacy Ratio %




जमा राशियाँ एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)
Deposits and Advances (₹ in crores)




आस्तियों से आय %
Return on Assets %




निवल अनर्जक आस्ति अनुपात %
Net NPA Ratio %



निवल ब्याज मार्जिन %
Net Interest Margin %




आय की तुलना में लागत अनुपात %
Cost to Income Ratio %






उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS


कुल आय (₹ करोड़)
Total Income (₹ crores)




निवल लाभ (₹ करोड़)
Net Profit (₹ crores)




प्रति शेयर ₹ आय
Earning ₹ per Share




प्रति शेयर बही मूल्य (₹)
Book Value Per Share (₹)



₹ अर्जित Earned / ₹ खर्च Spent



₹ खर्च Spent



- अग्रिमों/बिलों पर ब्याज एवं बट्टा
Interest & discount on Advances/Bills
- निवेशों पर ब्याज
Interest on Investments
- अन्य विविध ब्याज
Other Sundry Interests
- कमीशन, विनिमय एवं दलाली
Commission, Exchange & Brokerage
- निवेशों की बिक्री पर
On sale of Investments
- विनिमय लेन देन पर
On Exchange Transactions
- अनुषंगियों/सहयोगियों से लाभांश
Dividend from Subsidiaries/ Associates
- विविध आय
Miscellaneous Income
(प्रतिशत में) (in %)

- जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज
Interest Paid on Deposits
- उधारियों/बाण्डों और अन्यो पर प्रदत्त ब्याज
Interest paid on Borrowings/Bonds & Others
- परिचालन व्यय
Operating Expenses
- ग्रावधान एवं आकस्मिकताएं
Provisions & Contingencies
- कर
Tax
- आरक्षितियों को अंतरण
Transfer to Reserve
- लाभांश एवं लाभांश पर कर
Dividend & Tax on Dividend
(प्रतिशत में) (in %)

केंद्रीय निदेशक बोर्ड CENTRAL BOARD OF DIRECTORS



श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
Shri Pratip Chaudhuri
Chairman



श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर
प्रबंध निदेशक
Shri Hemant G. Contractor
Managing Director



श्री दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक
Shri Diwakar Gupta
Managing Director



श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक
Shri A. Krishna Kumar
Managing Director



श्री एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक
Shri S. Vishvanathan
Managing Director



श्री एस. वैकटाचलम
निदेशक
Shri S. Venkatachalam
Director



श्री डी. सुंदरम
निदेशक
Shri D. Sundaram
Director



श्री पार्थसारथी अय्यंगार
निदेशक
Shri Parthasarathy Iyengar
Director



श्री थॉमस मैथ्यू
निदेशक
Shri Thomas Mathew
Director



श्री ज्योति भूषण महापात्रा
निदेशक
Shri J. B. Mohapatra
Director



श्री एस. के. मुखर्जी
निदेशक
Shri S. K. Mukherjee
Director



डॉ. राजीव कुमार
निदेशक
Dr. Rajiv Kumar
Director



श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
निदेशक
Shri Deepak I. Amin
Director



श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक
Shri Harichandra Bahadur Singh
Director



श्री राजीव टकरु
निदेशक
Shri Rajiv Takru
Director



डॉ. ऊर्जित आर. पटेल
निदेशक
Dr. Urjit R. Patel
Director



केंद्रीय निदेशक बोर्ड (23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक

श्री हेमंत जी. कान्ठेक्टर

श्री दिवाकर गुप्ता

श्री ए. कृष्ण कुमार

श्री एस. विश्वनाथन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग)

के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक

श्री एस. वैकटाचलम

श्री डी. सुंदरम

श्री पार्थसारथी अय्यंगार

श्री थॉमस मैथ्यू

कार्यकाल : 3 वर्ष और फिर से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन

हेतु पात्र

अधिकतम कार्यकाल : लगातार 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गक)

के अंतर्गत निदेशक

श्री ज्योति भूषण महापात्रा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(गख)

के अंतर्गत निदेशक

श्री एस. के. मुखर्जी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के

अंतर्गत निदेशक

डॉ. राजीव कुमार

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

कार्यकाल : 3 वर्ष और पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन हेतु पात्र, परंतु

अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ङ) के अंतर्गत निदेशक

श्री राजीव टकरु

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च)

के अंतर्गत निदेशक

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

Central Board of Directors (As on 23rd May 2013)

Chairman

Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors

Shri Hemant G. Contractor

Shri Diwakar Gupta

Shri A. Krishna Kumar

Shri S. Vishvanathan

Directors elected under Section 19(c) of SBI Act

Shri S. Venkatachalam

Shri D. Sundaram

Shri Parthasarathy Iyengar

Shri Thomas Mathew

Term: 3 years and eligible for re-election for further period of 3 years

Maximum tenure: 6 years continuously

Director under Section 19(ca) of SBI Act

Shri Jyoti Bhushan Mohapatra

Director under Section 19(cb) of SBI Act

Shri S. K. Mukherjee

Directors under Section 19(d) of SBI Act

Dr. Rajiv Kumar

Shri Deepak Ishwarbhai Amin

Shri Harichandra Bahadur Singh

Term: 3 years and eligible for re-appointment / re-nomination, subject to a maximum tenure of 6 years

Director under Section 19(e) of SBI Act

Shri Rajiv Takru

Director under Section 19(f) of SBI Act

Dr. Urjit R. Patel



दिनांक 23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की समितियाँ

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

अध्यक्ष

श्री प्रतीप चौधरी

प्रबंध निदेशक

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

श्री दिवाकर गुप्ता

श्री ए. कृष्ण कुमार

श्री एस. विश्वनाथन

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) अर्थात् डॉ. ऊर्जित पटेल और भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी या बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित सभी या अन्य कोई निदेशक।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी)

श्री एस. वेंकटाचलम

निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री डी. सुंदरम

निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू

निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार

निदेशक - सदस्य

श्री राजीव टकरु

भारत सरकार के नामिती - सदस्य

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती - सदस्य

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

COMMITTEES OF THE BOARD AS ON 23RD MAY 2013

Executive Committee of the Central Board (ECCB)

Chairman

Shri Pratip Chaudhuri

Managing Directors

Shri Hemant G. Contractor

Shri Diwakar Gupta

Shri A. Krishna Kumar

Shri S. Vishvanathan

Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee), viz. Dr. Urjit R. Patel and all or any of the other Directors *who are normally residents* or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held.

Audit Committee of the Board (ACB)

Shri S. Venkatachalam

Director – Chairman of the Committee

Shri D. Sundaram

Director – Member

Shri Thomas Mathew

Director – Member

Dr. Rajiv Kumar

Director -Member

Shri Rajiv Takru

GOI Nominee – Member

Dr. Urjit R. Patel

RBI Nominee – Member

Shri Hemant G. Contractor

MD&GE(IB) - Member (Ex-Officio)

Shri A. Krishna Kumar

MD&GE(NB) – Member (Ex-Officio)



बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)-समिति के अध्यक्ष

श्री दिवाकर गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम

निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू

निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार

निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन

निदेशक - सदस्य

बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी)

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री थॉमस मैथ्यू

निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार

निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

निदेशक - सदस्य

श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. विश्वनाथन

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

Risk Management Committee of the Board (RMCB)

Shri Hemant G. Contractor

MD&GE(IB) - Member (Ex-Officio) - Chairman of the Committee

Shri Diwakar Gupta

MD&CFO-Member (Ex-Officio)

Shri S. Venkatachalam

Director – Member

Shri D. Sundaram

Director – Member

Shri Thomas Mathew

Director – Member

Dr. Rajiv Kumar

Director – Member

Shri Deepak I. Amin

Director – Member

Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGCB)

Shri S. Venkatachalam

Director– Chairman of the Committee

Shri Thomas Mathew

Director – Member

Dr. Rajiv Kumar

Director - Member

Shri Harichandra Bahadur Singh

Director - Member

Shri Hemant G. Contractor

MD&GE(IB) – Member (Ex-Officio)

Shri S. Vishvanathan

MD&GE(A&S) - Member (Ex-Officio)



बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री दिवाकर गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. विश्वनाथन

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार

निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू

निदेशक - सदस्य

डॉ. राजीव कुमार

निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन

निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

निदेशक - सदस्य

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री ए. कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन) - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. विश्वनाथन

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - सदस्य

श्री थॉमस मैथ्यू

निदेशक - सदस्य

श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

निदेशक - सदस्य

श्री ज्योति भूषण महापात्रा

निदेशक - सदस्य

श्री एस. के. मुखर्जी

निदेशक - सदस्य

Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (SCBMF)

Shri Diwakar Gupta

MD&CFO-Member (Ex-Officio) - Chairman of the Committee

Shri S.Vishvanathan

MD&GE(A&S) - Member (Ex-Officio)

Shri S. Venkatachalam

Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar

Director - Member

Shri Thomas Mathew

Director – Member

Dr. Rajiv Kumar

Director – Member

Shri Deepak I. Amin

Director – Member

Shri Harichandra Bahadur Singh

Director - Member

Customer Service Committee of the Board (CSCB)

Shri A. Krishna Kumar

MD&GE(NB) – Member (Ex-Officio) - Chairman of the Committee

Shri S. Vishvanathan

MD&GE(A&S) - Member (Ex-Officio)

Shri S. Venkatachalam

Director – Member

Shri Thomas Mathew

Director – Member

Shri Harichandra Bahadur Singh

Director – Member

Shri Jyoti Bhushan Mohapatra

Director - Member

Shri S. K. Mukherjee

Director - Member



बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

श्री डी. सुंदरम

निदेशक - समिति के अध्यक्ष

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - सदस्य

श्री पार्थसारथी अय्यंगार

निदेशक - सदस्य

श्री दीपक आई. अमिन

निदेशक - सदस्य

श्री दिवाकर गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य (पदेन)

श्री ए. कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य (पदेन)

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

श्री राजीव टकरु

भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती - सदस्य (पदेन)

श्री एस. वैकटाचलम

निदेशक - सदस्य

श्री डी. सुंदरम

निदेशक - सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्री प्रतीप चौधरी

अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य

श्री दिवाकर गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - सदस्य

श्री ए. कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) - सदस्य

श्री एस. विश्वनाथन

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (ए एण्ड एस) - सदस्य

श्री राजीव टकरु

भारत सरकार के नामिती - सदस्य (पदेन)

IT Strategy Committee of the Board (ITSC)

Shri D. Sundaram

Director - Chairman of the Committee

Shri S. Venkatachalam

Director – Member

Shri Parthasarathy Iyengar

Director – Member

Shri Deepak I. Amin

Director - Member

Shri Diwakar Gupta

MD&CFO - Member (Ex-Officio)

Shri A. Krishna Kumar

MD&GE(NB) – Member (Ex-Officio)

Remuneration Committee of the Board (RCB)

Shri Rajiv Takru

GOI Nominee – Member (Ex-Officio)

Dr. Urjit R. Patel

RBI Nominee – Member (Ex-Officio)

Shri S. Venkatachalam

Director – Member

Shri D. Sundaram

Director – Member

Board Committee to Monitor Recovery (BCMR)

Shri Pratip Chaudhuri

Chairman

Shri Hemant G. Contractor

MD&GE(IB) – Member

Shri Diwakar Gupta

MD&CFO - Member

Shri A. Krishna Kumar

MD&GE(NB) - Member

Shri S. Vishvanathan

MD&GE (A&S) - Member

Shri Rajiv Takru

GOI Nominee – Member (Ex-Officio)



स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) को छोड़कर, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित (23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

अहमदाबाद

श्री एस. ए. रमेश रंगन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बंगलूर

श्री अश्विनी मेहरा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल

श्री दिनेश के. खारा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री रमेश वरलियानी
श्री जी. पी. गुप्ता
श्री मनोहर बोथरा

भुवनेश्वर

श्री प्रवीण कुमार गुप्ता
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़

श्री एन. कृष्णमाचारी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री विनोद बिहारी शर्मा
श्रीमती रवीन्द्र कौर

चेन्नई

श्रीमती वर्षा पुरंदरे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री टी. आर. लोगनाथन

हैदराबाद

श्री राकेश शर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता

श्री सुनील श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ

श्री सुधीर दुबे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह *
श्री मदन मोहन शुक्ला

Members of Local Boards, other than Managing Director & Group Executive (National Banking) - Nominated by the Chairman in terms of Section 21(1) (a) of SBI Act, 1955 (As on 23rd May 2013)

Ahmedabad

Shri S. A. Ramesh Rangan
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bangalore

Shri Ashwini Mehra
Chief General Manager (Ex-Officio)

Bhopal

Shri Dinesh K. Khara
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Ramesh Warlyani
Shri G. P. Gupta
Shri Manohar Bothra

Bhubaneswar

Shri Praveen Kumar Gupta
Chief General Manager (Ex-Officio)

Chandigarh

Shri N. Krishnamachari
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Vinod Bihari Sharma
Smt. Ravinder Kaur

Chennai

Smt. Varsha Purandare
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri T. R. Loganathan

Hyderabad

Shri Rakesh Sharma
Chief General Manager (Ex-Officio)

Kolkata

Shri Sunil Srivastava
Chief General Manager (Ex-Officio)

Lucknow

Shri Sudhir Dubey
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Harichandra Bahadur Singh*
Shri Madan Mohan Shukla



मुंबई

डा. जे. एन. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री एस. वैकटाचलम *
श्री डी. सुंदरम *
श्री पार्थसारथी अय्यंगार *
श्री थॉमस मैथ्यू *
श्री एस. एम. लोढा

दिल्ली

श्री काजल घोष
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
डॉ. राजीव कुमार *
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन *

उत्तर पूर्वी

श्री रजनीश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री अशोक कुमार दास

पटना

श्री जीवनदास नारायण
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्री तनवीर अख्तर
श्री संजय मंडल

केरल

डॉ. एम. श्रीनाथ शास्त्री
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)
श्रीमती अल्फोन्सा जॉन
श्री सुधीर इब्राहिम
श्री फिलिप मैथ्यू

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21(1)(ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।

Mumbai

Dr. J. N. Misra
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri S. Venkatachalam*
Shri D. Sundaram*
Shri Parthasarathy Iyengar*
Shri Thomas Mathew*
Shri S. M. Lodha

Delhi

Shri Kajal Ghose
Chief General Manager (Ex-Officio)
Dr. Rajiv Kumar*
Shri Deepak Ishwarbhai Amin*

North Eastern

Shri Rajnish Kumar
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Ashok Kumar Das

Patna

Shri Jeevandas Narayan
Chief General Manager (Ex-Officio)
Shri Tanvir Akhtar
Shri Sanjay Mandal

Kerala

Dr. M. Sreenatha Sastry
Chief General Manager (Ex-Officio)
Smt. Alphonsa John
Shri Sudhir Abraham
Shir Philip Mathew

*Directors on the Central Board nominated on the Local Boards as per Section 21(1)(b) of SBI Act.



केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य
(23 मई 2013 की स्थिति के अनुसार)

श्री प्रतीप चौधरी

अध्यक्ष

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री दिवाकर गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री ए. कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

श्री एस. विश्वनाथन

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री श्यामल आचार्य

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक

(मध्य कारपोरेट)

श्री एस. बी. नायर

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

श्री आर. वैकटाचलम

उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

श्रीमती सौंदरा कुमार

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन)

श्री पी. प्रदीप कुमार

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (विश्व बाजार)

श्री आर. के. सराफ

उप प्रबंध निदेशक (कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय)

श्री बी. वी. चौबल

उप प्रबंध निदेशक एवं कारपोरेट विकास अधिकारी

श्री एस. के. मिश्रा

उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

श्री वी. मुरली

उप प्रबंध निदेशक (निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखापरीक्षा)

**Members of Central Management Committee
(As on 23rd May 2013)**

Shri Pratip Chaudhuri

Chairman

Shri Hemant G. Contractor

Managing Director & Group Executive
(International Banking)

Shri Diwakar Gupta

Managing Director & Chief Financial Officer

Shri A. Krishna Kumar

Managing Director & Group Executive
(National Banking)

Shri S. Vishvanathan

Managing Director & Group Executive
(Associates & Subsidiaries)

Shri Shyamal Acharya

Deputy Managing Director & Group Executive
(Mid Corporate)

Shri S. B. Nayar

Deputy Managing Director & Group Executive
(Corporate Banking)

Shri R. Venkatachalam

Deputy Managing Director & Chief Credit & Risk Officer

Smt. Soundara Kumar

Deputy Managing Director & Group Executive
(Stressed Assets Management)

Shri P. Pradeep Kumar

Deputy Managing Director & Group Executive
(Global Markets)

Shri R. K. Saraf

Deputy Managing Director
(Corporate Strategy & New Businesses)

Shri. B. V. Chaubal

Deputy Managing Director &
Corporate Development Officer

Shri S. K. Mishra

Deputy Managing Director &
Chief Information Officer

Shri. V. Murali

Deputy Managing Director
(Inspection & Management Audit)



बैंक के लेखा-परीक्षक

मेसर्स तोदी तुलसियान एण्ड कंपनी,
पटना, पटना मंडल

मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स,
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मंडल

मेसर्स सिंघी एण्ड कंपनी,
कोलकाता, उत्तर पूर्वी मंडल

मेसर्स एस. एन. नंदा एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, केरल मंडल

मेसर्स टी. आर. चड्ढा एण्ड कंपनी,
नई दिल्ली, मुंबई मंडल

मेसर्स एस. वैकटराम एण्ड कंपनी,
चेन्नई, चेन्नई मंडल

मेसर्स प्रकाश एण्ड संतोष,
कानपुर, भोपाल मंडल

मेसर्स के. बी. शर्मा एण्ड कंपनी,
जम्मू, चंडीगढ़ मंडल

मेसर्स ऐड एण्ड एसोसिएट्स,
कोलकाता, अहमदाबाद मंडल

मेसर्स वी. पी. आदित्य एण्ड कंपनी,
कानपुर, लखनऊ मंडल

मेसर्स एस. जयकिशन,
कोलकाता, बंगाल मंडल

मेसर्स धमीजा सुखीजा एण्ड कंपनी,
श्रीनगर, दिल्ली मंडल

मेसर्स श्रीराममूर्ति एण्ड कंपनी,
विशाखापटनम, हैदराबाद मंडल

मेसर्स वी. सुंदरराजन एण्ड कंपनी,
चेन्नई, बंगलूर मंडल

THE BANK'S AUDITORS

M/s Todi Tulsyan & Co.,
Patna, Patna Circle

M/s SCM Associates,
Bhubaneswar, Bhubaneswar Circle

M/s Singhi & Co.,
Kolkata, North Eastern Circle

M/s S. N. Nanda & Co.,
New Delhi, Kerala Circle

M/s T. R. Chadha & Co.,
New Delhi, Mumbai Circle

M/s S. Venkatram & Co.,
Chennai, Chennai Circle

M/s Prakash & Santosh,
Kanpur, Bhopal Circle

M/s K. B. Sharma & Co.,
Jammu, Chandigarh Circle

M/s Add & Associates,
Kolkata, Ahmedabad Circle

M/s V. P. Aditya & Co.,
Kanpur, Lucknow Circle

M/s S. Jaykishan,
Kolkata, Bengal Circle

M/s Dhamija Sukhija & Co.,
Srinagar, Delhi Circle

M/s Sriramamurthy & Co.,
Visakhapatnam, Hyderabad Circle

M/s V. Soundararajan & Co.,
Chennai, Bangalore Circle



अध्यक्ष की कलम से



प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक के वित्त वर्ष 2012-13 के निष्पादन का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। जिस प्रकार इस रिपोर्ट में ब्योरा प्रस्तुत किया गया है, आपके बैंक ने निरंतर विकास करते हुए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। हमें विश्वास है कि आपका बैंक आप सभी हितधारकों के सहयोग से आने वाले समय में निरंतर विकास और व्यवसाय की नई उपलब्धियों को हासिल करेगा।

समष्टि आर्थिक परिदृश्य :

वर्ष 2013 के लिए विश्व विकास परिदृश्य पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। इस वर्ष दीर्घावधि जोखिमों में कमी आई है। घरेलू क्षेत्र में, यद्यपि वित्त वर्ष-13 में संवृद्धि दर लगभग 5% तक सीमित रही, फिर भी भारत लगातार विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं वाला एक देश बना हुआ है। मुद्रास्फीति सहित चालू वित्तीय परिदृश्य अब संतोषजनक स्तर पर बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व बाजारों में वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से देशीय अर्थव्यवस्था की आयातित मुद्रास्फीति में कमी लाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक संवृद्धि में भी लगातार वृद्धि हो रही है। निर्यातों में अनुकूल वृद्धि होने, साथ ही पहले की तुलना में अधिक पूंजी आने से, चालू वर्ष में चालू खाता घाटे की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सकेगा।

एक चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक परिवेश की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में देशीय बैंकिंग प्रणाली ने लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका विश्वास हासिल करना जारी रखा है। यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की कुल जमा राशियों में प्रतिबिम्बित हुई है और वित्त वर्ष - 13 में इनकी जमा राशियों में 14.3% की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 12 में इनमें 13.5% की वृद्धि हुई थी। तथापि, निवेश मांग में कमी आने और कुल-मिलाकर नरम विकास गति के कारण ऋण संवृद्धि में तीव्र गिरावट आई और वित्त वर्ष - 13 में यह 14.1% तक रही जबकि वित्त वर्ष - 12 में यह 17.0% रही थी। तथापि, चलनिधि स्थिति सामान्य रही क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए पुनर्वित्त का प्रावधान कर दिया है। चूंकि ब्याज दरों में कमी करने की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी, बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन दबाव में आ गया।

गिरावट के कारण, अनेक क्षेत्रों पर काफी प्रभाव पड़ा है। इससे बैंकों द्वारा वित्तपोषित आस्तियों की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। 40 सूचीबद्ध बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों में एक वर्ष पूर्व के स्तर की तुलना में 43.1% तक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले सम्पूर्ण वर्ष के 50% से भी अधिक ऋणों का सीडीआर के अंतर्गत आस्तियों का पुनर्निर्धारण करने से, पुनर्संचित आस्ति बही ने भी ऊर्ध्वगामी वृद्धि दर्शाई है।

आपके बैंक का निष्पादन :

जमा-राशियां:

आपके बैंक की जमा-राशियों में 15.24% की वार्षिक संवृद्धि दर्ज हुई और ये राशियां ₹12,02,740 करोड़ तक पहुँच गई जबकि पिछले वर्ष ये राशियां ₹10,43,647 करोड़ रही थीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न केवल पिछले वर्ष की संवृद्धि की तुलना में बेहतर है, जो 11.75% रही थी, अपितु आपके बैंक ने उद्योग के वर्तमान रुझान के बावजूद यह संवृद्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त, यह संवृद्धि आपके बैंक की खुदरा जमा-राशियों और जमा संविभाग के समर्थन से हासिल हुई है, जो यह दर्शाती है कि बैंक ने उच्च लागत वाली बड़ी राशियों को प्राप्त करने में अपने आपको काफी हद तक दूर



From the Desk of the Chairman



Dear Stakeholders,

It is my privilege to present this preface to your Bank's Annual Report for the Financial Year 2012-13. As detailed in the report, your Bank continues to tread the path of sustained growth and maintain its flagship position in the banking space in India. We are confident that with the support of all our stakeholders your Bank will continue to prosper and achieve greater heights in the times to come.

Macro- Economic Scenario

Outlook for global growth for 2013 looks relatively better than the previous year, with reduced tail risks. On the domestic front, although growth contracted to around 5% in FY13, India continues to remain one of the fastest growing economies in the world. Outlook for the current fiscal with inflation now well within tolerance level, appears better than the previous year. Additionally, softening of global commodity prices should help reduce the imported inflation in domestic economy. Trends in industrial growth are encouraging. With exports turning positive, coupled with higher capital inflows, managing the current account deficit may be facilitated in the current year.

Against the above backdrop of a challenging macro-economic environment, the domestic banking system continued to enjoy the confidence of the banking public. This is reflected in the aggregate deposits of all scheduled commercial banks (ASCB) growing higher by 14.3% in FY13 against 13.5% growth in FY12. However, there was sharp deceleration in credit growth to 14.1% in FY 13 from 17.0% in FY12 due to a slow-down in investment demand and overall muted growth. Liquidity position was, however, normal as RBI provided refinance for exports. Since there was little head room to reduce the deposit rates, banks NIMs were under pressure.

Due to the downturn, many sectors were severely affected impacting the quality of assets financed by the banks. Gross NPAs of 40 listed banks went up by 43.1% from levels a year ago. Further the restructured assets book also showed an upward bias with recast assets under CDR around 50% more than the whole of last year.

Your Bank's performance

Deposits

The deposits of your Bank have risen to ₹12,02,740 crores with the annual growth at 15.24% over that of last year's level of ₹10,43,647 crores. What is noteworthy is that not only is this better than last year's growth, which was 11.75% but your Bank has achieved this against the trend prevailing in the industry. Furthermore, it has come on the back of retail deposits and the deposit profile of your Bank shows a significant move away from high cost



रखा है। ₹6,04,649 करोड़ की कुल सावधि जमा-राशियों में से, खुदरा सावधि जमा-राशियों का योगदान 78.27% रहा और ये राशियां ₹4,73,235 करोड़ रहीं। आपके बैंक की सुदृढ़ स्थिति लोगों के विश्वास और समाज के सभी वर्गों तक इसकी व्यापक पहुंच पर आधारित है। इस कारण ग्राहक अधिग्रहण संवृद्धि भी बढ़ रही है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि बचत बैंक के अंतर्गत आपके बैंक में 287 लाख नए खाते खोले गए और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18.62% की संवृद्धि दर्ज हुई और चालू खातों में, 2.20 लाख नए खातों के और जुड़ जाने से हम 8.43% की संवृद्धि हासिल कर सके।

बैंक ने 46.50% की दर से देश में निरंतर एक अच्छा कासा अनुपात बनाए रखा है जो सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अधिकांश निजी क्षेत्र के बैंकों से काफी अच्छा है जिसने 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निधियों की लागत को 6.46% के न्यूनतम स्तर तक बनाए रखने में मदद की है।

अग्रिम:

बैंक अग्रिमों के बारे में, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक ने ₹10,00,000 करोड़ के स्तर को पार कर लिया है और अब अग्रिमों की राशि ₹10,78,557 करोड़ तक पहुंच गई है। जमा-राशियों की तरह, अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज की गई 20.70% की संवृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दर्ज की गई संवृद्धि से बेहतर है। यह संवृद्धि मुख्य रूप से बड़े कारपोरेट ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों के कारण हुई है जिनके अग्रिमों की राशि ₹50,549 करोड़ रही। अग्रिमों में पिछले वर्ष हासिल की गई 15.23% (₹16,298 करोड़) की संवृद्धि की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान 40.28% की अभूतपूर्व संवृद्धि हासिल हुई है। मिड कारपोरेट ग्रुप ने भी ₹31,472 करोड़ का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और 18.15% की संवृद्धि हासिल की है जबकि पिछले वर्ष इसने 8.78% की संवृद्धि दर्ज की और ₹12,173 करोड़ का योगदान दिया था। तथापि, एसएमई खण्ड में ऋणों की मांग में कमी देखी गई और इसमें पिछले वर्ष की 17.41% की संवृद्धि की तुलना में 12.45% की वृद्धि ही दर्ज हुई। अग्रिमों की राशि ₹20,283 करोड़ रही जो बाजार परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित कर रही है। यह नोट किया जाए कि आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के प्रति सतर्क हो गया है और उसे वृद्धिशील वित्तीय सम्बद्धता का लगभग 80% बाह्य रेटिंगों पर आधारित अच्छी श्रेणी वाली आस्तियों में निवेश करना है। बेहतर रेटिंग प्राप्त कंपनियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आपके बैंक की एक सचेत कार्यनीति रही है। इससे, सीजीटीएसएमई और ईसीजीसी गारंटी सुरक्षा के साथ, और सभी खण्डों में उचित संवितरण से भी इस संविभाग को जोखिम रहित बनाने में मदद मिली है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके बैंक की खुदरा ऋणों की स्थिति अत्यधिक उत्साहवर्धक है। खुदरा खण्ड में अग्रिम संवृद्धि दर 14.95% और अग्रिमों की राशि ₹27,267 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष इसमें 10.85% की संवृद्धि दर्ज हुई थी। इस खण्ड में प्रमुख संचालक हमारे गृह ऋण और ऑटो ऋण रहे हैं जिनमें क्रमशः 16.28% (₹16,728 करोड़) और 35.47% (₹6,494 करोड़) संवृद्धि दर्ज हुई है। दोनों संविभागों में मानक आस्तियों का प्रतिशत काफी अच्छा है और केवल 1% के आसपास की आस्तियां हानिग्रस्त हो सकती हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी प्रतिस्पर्धी दरों के कारण, जिसने नए और अधिग्रहण प्रस्तावों को आकर्षित किया है, आपका बैंक बैंकिंग उद्योग में इन दोनों खण्डों में इस समय नम्बर 1 स्थिति में है।

कृषक समुदाय को ऋण वितरण के अंतर्गत, आपके बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹22,303 करोड़ के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम संवितरित किए हैं, इसमें 11.89 लाख नए किसानों को ऋण देना भी शामिल है और जो 25.85% की संवृद्धि को दर्शा रहा है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, बहियों में दर्शाए गए ₹1,08,584 करोड़ के कुल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में से, 30.77%, अर्थात् ₹33,409 करोड़ के अग्रिम स्वर्ण की संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर दिए गए हैं। ग्रामीण परिवारों को उनकी स्वर्ण आस्तियों के आधार पर ऋण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने में आपके बैंक को खुशी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके बैंक ने प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के 13.5% के निर्धारित एएनबीसी लक्ष्य से अधिक 14.24% हासिल कर लिया है। आपके बैंक ने किसानों तक अपनी पहुंच को सुदृढ़ किया है और संभाव्य केन्द्रों में खोली गई 21 कृषि वाणिज्यिक शाखाओं को अपने नेटवर्क में शामिल किया है जिससे उभरते हुए उच्च राशि के कृषि और कृषि संबद्ध एसएमई अग्रिमों के अवसरों को प्राप्त किया जा सके।

उपर्युक्त निष्पादन से बैंक जमा-राशियों के अपने बाजार अंश में सुधार कर सका और इसका बाजार अंश जमा-राशियों में पिछले वर्ष के 16.29% से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 16.46% और अग्रिमों में समान अवधि के 16.09% से बढ़कर 16.66% हो गया। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक का ऋण-जमा अनुपात 82.4 रहा जबकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 78 रहा है।

अन्य कार्यकलाप:

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने नेटवर्क में 719 शाखाओं को जोड़कर अपनी पहुंच में विस्तार किया है। ये शाखाएं 123 महानगरों में, 122 शहरी केन्द्रों में, 170 अर्ध-शहरी केन्द्रों और 304 ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 14,816 शाखाओं में से, 66% (9851 शाखाएं) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, आपके बैंक ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गठजोड़ के माध्यम से 38,480 व्यवसाय प्रतिनिधि ग्राहक सेवा केन्द्र खोले हैं। वित्त वर्ष 12-13 के दौरान बीसी चैनल के माध्यम से लेनदेनों की राशि में वित्त वर्ष 11-12 की तुलना में 2.4 गुना वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹13,033 करोड़ तक पहुंच गई है।



bulk deposits. Out of the total Term Deposits of ₹6,04,649 crores, retail TDs comprise 78.27% at ₹4,73,235 crores. Your Bank's strength lies in its wide reach covering all strata of society and the trust of the people. Due to this the customer acquisition growth is also encouraging. I am glad to state that under Savings Bank, 287 lac new accounts came to the books of your Bank representing 18.62% growth over last year and in Current Accounts we could clock a growth of 8.43% with new accounts accretion at 2.20 lacs.

The Bank continued to have good domestic CASA ratio at 46.50% which is better than all the major public sector banks and most private sector banks which helped in keeping the cost of funds low at 6.46% as at 31.03.2013.

Advances

On the advances front, I am happy to convey that your Bank has crossed the ₹10,00,000 crores level and now the advances stand ₹10,78,557 crores. Like the deposits, the growth of 20.70% over last year is better than the growth recorded by All Scheduled Commercial Banks. The growth has come mainly from a surge in advances to large corporates at ₹50,549 crores, which represents an unprecedented growth of 40.28% during this FY compared to 15.23% (₹16,298 crores) achieved last FY. Mid corporate segment too has made a significant contribution of ₹31,472 crores giving an 18.15% growth, as against ₹12,173 crores (8.78% growth) last year. SME segment has, however, seen a lower off-take of ₹20,383 crores with growth at 12.45% against 17.41% last year reflecting market conditions. It may be noted that your bank has been mindful of asset quality and nearly 80% of the incremental exposure is to investment grade assets based on external ratings. It was a conscious strategy of your Bank to provide competitive rates of interest to the better rated companies. This, along-with CGTSME and ECGC covers, as also fair distribution across verticals, has helped to de-risk the portfolio.

You will be glad to note that your Bank's retail story has been exceptionally encouraging. The retail segment growth has been to the tune of ₹27,267 crores giving a growth of 14.95% against last year's 10.85%. Major drivers in this segment have been our Home Loans and Auto loans which have registered a 16.28% (₹ 16,728 crores) and 35.47% growth (₹6,494 crores) respectively. Both the portfolios are quite healthy with impaired assets at just around 1% only. I am pleased to convey that because of our competitive rates, which has attracted new and take-over proposals, your Bank is currently ranked at number 1 in both these segments across the industry.

Under flow of credit to the farming community, your Bank has disbursed direct Agriculture loans of ₹22,303 crores during the year, representing a growth of 25.85% covering 11.89 lac new farmers. Out of the total direct agriculture advance of ₹1,08,584 crores standing in the books as at 31.03.2013, 30.77% i.e. ₹33,409 crores is collateralised by gold. Your Bank was happy to provide an opportunity to the rural households to leverage their gold assets. It was for the first time that your Bank exceeded the stipulated ANBC bench mark of 13.5% in direct agricultural advances by reaching 14.24% as at 31.03.13. Your Bank has strengthened its reach to the agriculturists and added to its network 21 Agriculture Commercial branches opened at potential centres to capture emerging high value agriculture and agriculture related SME opportunity.

The above performance enabled the Bank to record an improvement in its market share in deposits from 16.29% last year to 16.46% during current year and in advances from 16.09% to 16.66% in the corresponding period. The Bank's CD ratio as at 31.03.2013 stood at 82.4 compared to All Scheduled Commercial Banks 78.

Other activities

During the year, the Bank expanded its reach by adding 719 branches to its network comprising 123 in Metros, 122 in Urban, 170 in Semi-Urban and 304 in Rural areas. As at 31.03.13, out of total 14,816 branches, 66% (9851 branches) are in Rural and Semi-urban areas.

On the financial inclusion front, your Bank has rolled out 38,480 Business Correspondent Customer Service Points through alliances both at the national and regional level. Transactions volume through BC channel has grown 2.4 times during FY12-13 at ₹13,033 crores over FY 11-12.



31.03.2013 को 32,752 एटीएमों वाला स्टेट बैंक समूह विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। यह स्थिति और भी बेहतर होती थी परंतु वर्ष के दौरान एटीएम विस्तार पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए जिसने बैंक को समूह के 136 मिलियन डेबिट कार्डों वाले बड़े डेबिट कार्ड आधार में और अधिक वृद्धि करने से रोक दिया। इस कारण से, वर्ष के अंत में बैंक एक निवल निर्गमकर्ता रहा और वर्ष के दौरान उसे ₹66 करोड़ के परस्पर-परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

आपके बैंक ने रोकड़ (नकदी) जमा मशीनों (सीडीएम) की शुरुआत की है जिससे ग्राहकों को अपने एसबीआई एटीएम-सह-डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने खातों में नकद राशि जमा करने में आसानी होगी। 31.03.2013 तक लगाई गई सीडीएम मशीनों की संख्या 665 रही।

आपके बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्य-कलापों को निरंतर बल और सम्मान प्राप्त होता रहा है। सीएसआर के अंतर्गत बैंक समस्त भारत में चलाए गए अभियान के सामाजिक दृष्टि से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस वर्ष के उल्लेखनीय कार्यों में 42,000 स्कूलों में 43,161 वाटर प्यूरिफायरों की स्थापना करके स्वच्छ एवं शुद्ध पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस सुविधा से 84 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 14,000 स्कूलों में 1,40,000 फैन की आपूर्ति करके फैन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को भी जारी रखा गया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के इतिहास में पहली बार, सीएसआर व्यय राशि ₹100 करोड़ को भी पार कर गई है और इस वित्त वर्ष यह ₹123 करोड़ तक पहुंच गई।

लाभ और निवल ब्याज मार्जिन संबंधी मापदण्ड

यद्यपि पूरी बैंकिंग प्रणाली में परिवेश चुनौतियों का अनुभव किया गया, फिर भी आपके बैंक ने महान समुत्थान-शक्ति को प्रदर्शित किया और कार्यनीतिक एवं बाजार उन्मुख पहलों के कारण अधिकांश मानदण्डों के अंतर्गत एक सुदृढ़ निष्पादन को बना रखा है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक ने कुल मिलाकर ₹17,916 करोड़ के निवल लाभ के साथ निवल लाभ में 16.77% की संवृद्धि दर्ज की है। आपके बैंक ने अकेले भी पिछले वर्ष के ₹11,707 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में इस वर्ष 20.48% की वृद्धि हासिल करते हुए ₹14,105 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। इससे आपके बैंक का स्थान देश के 3 बड़े कारपोरेटों में शामिल हो गया है।

कुल ब्याज आय में 12.33% की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के ₹1,06,521 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹1,19,657 करोड़ हो गई। दिया गया कुल ब्याज भी 19.13% की संवृद्धि के साथ पहले से अधिक रहा। इस कारण निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹43,291 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष ₹44,331 करोड़ हो गई, जो व्यवसाय परिवेश को प्रतिबिम्बित कर रही है। गैर-ब्याज आय में भी इसी आधार पर 11.73% की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के ₹14,351 करोड़ से बढ़कर ₹16,035 करोड़ तक पहुंच गई। तथापि, यह स्थिति पूरी तरह से तुलनात्मक नहीं है क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की पेंशन निधि से प्राप्त आय को शामिल किया गया था जबकि इस वर्ष पेंशन निधि बैंक से बाहर है। इस संदर्भ में, हमारे राजकोषीय संविभाग का निष्पादन उल्लेखनीय रहा है और इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे पिछले वर्ष देशीय और विदेशी निवेशों (ईक्विटी, म्यूचुअल फंड और बाण्ड)की बिक्री से सम्पूर्ण बैंक स्तर पर हुए ₹920 करोड़ के नुकसान की स्थिति से बैंक को इस वित्त वर्ष में ₹1098 करोड़ के लाभ की स्थिति में ला दिया है। इस प्रक्रिया में, बैंक ने कम निष्पादन वाले निवेशों (स्टॉकों) की बिक्री करके इस संविभाग को एक अच्छी स्थिति में ला दिया है।

परिचालन व्ययों में 12.33% की वृद्धि हुई और ये पिछले वर्ष के ₹26,069 करोड़ की तुलना में ₹29,285 करोड़ के स्तर तक पहुंच गए। इसका मुख्य कारण शाखा परिवेश का क्षेत्र विस्तार एवं बेहतर साज सज्जा के कारण ऊपरी व्ययों में वृद्धि होना था, जिसका लाभ हमें आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे प्राप्त होगा। मुख्य रूप से मुद्रास्फीति में सभी तरह से वृद्धि होने के कारण अधिवर्षिता लाभों के लिए प्रावधान सहित स्टाफ लागतों में 8.29% की वृद्धि हुई और इनकी राशि बढ़कर ₹16,974 करोड़ से ₹18,381 करोड़ तक हो गई। तथापि, परिचालन व्यय के एक अनुपात के रूप में स्टाफ व्ययों में गिरावट आई है और ये पिछले वर्ष के 65.11% से घटकर 62.77% रह गए हैं।

सम्पूर्ण बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्गदर्शन के अनुसार और औसत औद्योगिक मानदंड से बेहतर है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और एनपीए स्थिति को देखते हुए, एनआईएम दबाव में रहा है। यद्यपि यह पिछले वित्त वर्ष में हासिल किए गए स्तर की तुलना में कम है, फिर भी 3.34% के स्तर पर आपका बैंक अपने समकक्ष बैंकों में सबसे अच्छी स्थिति में है। घरेलू स्तर पर एनआईएम 3.66% और विदेश स्थित कार्यालयों में यह 1.50% रहा है। यदि तरल म्यूचुअल फंडों के ब्याज को ध्यान में रखा जाता है, तो घरेलू एनआईएम बढ़कर 3.71% तक हो जाता है।

आस्ति गुणवत्ता

हासित आस्तियों के स्तर में एक ऊर्ध्वगामी वृद्धि हुई है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण है। हमने बकाया राशियों के एक अभूतपूर्व स्तर का अनुभव किया है। अर्थव्यवस्था में दबाव वाले क्षेत्रों, अर्थात् कागज, प्लास्टिक, लोहा एवं स्टील, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, परिवहन आदि क्षेत्रों के मिड कारपोरेट अग्रिमों में यह स्थिति खराब हुई है। 2.10% के निवल एनपीए स्तर के साथ इस समय सकल एनपीए 4.75% के स्तर पर रही हैं। एनपीए प्रबंधन की दिशा में वर्ष के दौरान, विशेष रूप से वित्त वर्ष-13 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए विशेष प्रयासों से अच्छा फायदा हुआ है जिससे आखिरी तिमाही में इन पर नियंत्रण किया जा सका। स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है और यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रही। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान एनपीए के लिए



State Bank group has one of the largest ATM networks in the world with 32,752 ATMs as on 31.03.13. The position would have been much better but for significant restrictions during the year on expanding ATM network which prevented the Bank from fully leveraging the group's large debit card base of 136 million debit cards. On account of this, the Bank ended the year as a net issuer and paid out inter-change fees of ₹66 crores during the year.

Your Bank has introduced Cash Deposit Machines to facilitate customers to deposit cash in their accounts by swiping their SBI ATM cum Debit card. As on 31.03.13, the number of CDMs installed was 665.

The Corporate Social Responsibility(CSR) activities of your Bank continue to gain momentum and earn accolades. The Bank's pan India campaigns under CSR provide support to a host of socially relevant schemes and this year's highlights included providing safe and clean drinking water facility through installation of 43,161 water purifiers to 42,000 schools benefitting 84 lac students. The programme of providing fans was also continued with supply of 1,40,000 fans to 14,000 schools. I am happy to convey that for the first time in the history of your Bank, the CSR spend has crossed the milestone of ₹ 100 crores touching ₹ 123 crores in this fiscal.

Profit and NIM parameters

Though the challenges of the environment were felt across the banking system, your Bank displayed great resilience and could sustain a sound performance under most parameters due to strategic and market oriented initiatives. I am happy to report that your Bank, on a consolidated basis, recorded a 16.77% growth in net profits standing at ₹17,916 crores. On a stand-alone basis also, your Bank recorded a Net Profit of ₹14,105 crores, up by 20.48% over ₹11,707 crores achieved last year. This places your Bank amongst the top 3 corporates in the country.

Total Interest income grew by 12.33% to a level of ₹1,19,657 crores up from ₹1,06,521 crores last year, total interest expenses were on a higher trajectory with a growth of 19.13%. Consequently, the Net Interest Income increased from ₹43,291 crores last year to ₹44,331 crores this year, reflecting the business environment. Non-interest income growth too was on similar lines gaining 11.73% and increased to a level of ₹16,035 crores from ₹14,351 crores last year. This position is, however, not strictly comparable as last year income from Pension Fund was included while this year the Pension Fund is outside the Bank. In this context, the performance of our Treasury portfolio has been outstanding and has made a significant contribution moving from a whole bank loss position of ₹920 crores on sale of domestic and foreign investments (Equity, MF and Bonds) last year to a profit of ₹1098 crores this financial. In the process the Bank has churned the portfolio to exit out of poor quality stock. Currently, Bank's investment policy envisages subscribing only to indexed stocks.

Operating expenses increased by 12.33% to a level of ₹29,285 crores against last year's ₹26,069 crores mainly on account of overhead expenses due to significant increase in the physical spread and up gradation of branch ambience, results from which will flow-in in the coming years. Staff costs, including provision for superannuation benefits, have increased from ₹16,974 crores to ₹18,381 crores an increase of 8.29% primarily due to all round increase in inflation. However, as a proportion of Operating expenses, staff expenses have declined to 62.77% from last year's 65.11%.

The Net Interest Margin (NIM) for whole bank is in line with the guidance and better than the average industry norm. Looking to the severe competition and NPA position, the NIM was under pressure. Though this is lower than that achieved last FY, at the level of 3.34% your Bank continues to rank high amongst peers. On the domestic book the NIM stands at 3.66% and for the foreign offices it is at 1.50%. If interest from liquid Mutual funds is considered, the domestic NIM improves to 3.71%.

Asset Quality

The level of impaired assets has shown an upward bias, symptomatic of the state of the economy, and we experienced an unprecedented level of delinquencies. The deterioration has occurred in the mid-corporate space in sectors under stress in the economy namely Paper and Plastics, Iron and Steel, Textiles, Engineering Goods, Transport, etc. Gross NPAs are currently at 4.75% with Net NPA level of 2.10%. Special efforts made during the course of the year, especially during Q4 FY13, in the direction of NPA management paid good dividends which enabled control,



₹11,368 करोड़ के प्रावधान के साथ अपेक्षित प्रावधान किए हैं। प्रावधान सुरक्षा अनुपात 66.58% रहा। कुल पुनर्संचित आस्तियों की राशि ₹43,111 करोड़ रही, जिसमें से मानक श्रेणी की आस्तियों की राशि ₹32,228 करोड़ और एनपीए श्रेणी की आस्तियों की राशि ₹10,883 करोड़ रही हैं।

यद्यपि एनपीए की संवृद्धि में बाहरी घटकों का काफी प्रभाव रहा था, फिर भी आपके बैंक ने सख्त ऋण अनुवीक्षण, ऋणियों के साथ गहन अनुवर्तन और चर्चा करके, वसूली के लिए विशेष दलों का गठन करके, मामले प्रति मामले और योग्यता के आधार पर पुनर्संरचना और पुनर्निर्धारण, सरफेसी का सहारा लेकर, खाता निगरानी केन्द्रों के माध्यम से साथ साथ निगरानी करके और शाखा आदि के स्तर पर इनके समाधान की कार्यनीति के माध्यम से इस प्रभाव को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। वस्तुतः वित्त वर्ष 2012-13 की आखिरी तिमाही में, सकल एनपीए के स्तर में काफी कमी आई है और वित्त वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में इनकी राशि ₹53,458 करोड़ (5.30%) थी, जो वित्त वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में घटकर ₹51,189 करोड़ (4.75%) रह गई। कुल-मिलाकर, ऐसे प्रयासों से एनपीए खातों में ₹10,119 करोड़ की आस्तियों का कोटि-उन्नयन हुआ और ₹4,766 करोड़ की नकद वसूली हुई। वर्ष के दौरान अपलिखित किए गए/वसूली अधीन अग्रिम वाले खातों में ₹1066 करोड़ की वसूली हुई। आने वाले समय में और वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकास दर बने रहने के कारण हम समय पर और सक्रिय उपायों के माध्यम से हानिकर आस्तियों का समाधान करने के अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे।

पूंजी संरचना

आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.92% रहा है जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक की 9% की अपेक्षा है। टियर-1 पूंजी 9.49% और टियर-2 पूंजी 3.43% है। यह सीएआर सुदृढ़ रहा और यह सुदृढ़ता निम्नलिखित तीन घटकों से आई है :

- क) सुदृढ़ आंतरिक आय उत्पत्ति और ₹10,890 करोड़ के लाभ का पुनर्निवेश;
- ख) सरकार द्वारा ₹3,004 करोड़ की पूंजी लगाना; और
- ग) पूंजी का इष्टतम उपयोग करने के सतत और नियमित आधार पर प्रयास करना।

इस तथ्य को देखते हुए कि टियर-2 पूंजी के लिए नियम काफी सख्त और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, आपके बैंक ने टियर-2 पूंजी को जुटाने के लिए ज्यादा विचार नहीं किया है।

आपके बैंक की बाजार मूल्यांकनों में स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इस समय वह शीर्ष 10 बाजार कैप कंपनियों में 8वें स्थान पर है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वह नंबर-1 स्थिति में है।

समेकित आधार पर बैंक निरंतर देश का सबसे बड़ा करदाता बना हुआ है। इसने वित्त वर्ष 12-13 के दौरान ₹7559 करोड़ का कर अदा किया है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसने ₹8,639 करोड़ का कर अदा किया था। विवेकीय और कारगर कर आयोजना उपायों से इस कर राशि में कमी आई है।

लाभांश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ₹41.50 प्रति शेयर (415%) लाभांश की घोषणा की है।

नए व्यावसायिक प्रयास

1. बैंक के सभी बचत बैंक खाता-धारकों के लिए निम्न लागत (₹100) वाली ₹4 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा बीमा ;
2. अंतरण लेनदेनों के लिए अंतर कोर प्रभारों को शून्य किया गया;
3. समय से पूर्व भुगतान करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को समाप्त कर दिया गया;
4. बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष रखने की आवश्यकता नहीं ;
5. एमएसएमई खण्ड के लिए एसएमई इंस्टा डिपॉजिट कार्ड, स्टेट बैंक व्यवसाय डेबिट कार्ड और स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड शुरू किए गए;
6. ऑन-लाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा की शुरुआत करना;
7. हमारे सभी ग्राहकों को मल्टीसिटी चेक बुक उपलब्ध कराई गई;

सहयोगी एवं अनुषंगियां

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक की सहयोगी एवं अनुषंगियों ने एक अच्छी संवृद्धि दर को हासिल करना जारी रखा है।

वर्ष के दौरान, 5 सहयोगी बैंकों ने कर-पश्चात ₹3678 करोड़ का अपना समेकित लाभ दर्शाया है। चालू वित्त वर्ष में उनका परिचालन लाभ बढ़कर ₹8,802 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष यह ₹8,214 करोड़ रहा था। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, ये सभी बैंक 3.13% के औसत एनआईएम और 11.85% के औसत सीएआर के साथ लाभप्रद एवं अच्छी पूंजीगत स्थिति में हैं।



significant improvement in the last quarter and prevented the position from getting out of hand. Your Bank has done the requisite provisioning with provision for NPAs during the year at ₹ 11,368 crores. The Provision Coverage ratio stands at 66.58%. The total restructured assets book stood at ₹ 43,111 crores of which ₹ 32,228 crores are in the standard category and ₹ 10,883 crores in the NPA category .

While external factors had a large bearing on the growth of NPAs, special efforts were made by your Bank to contain the impact through stringent loan screening, close follow-up and interaction with the borrowers, setting up of special teams for recovery, re-structuring and re-scheduling on a case to case basis and merits, recourse to SARFAESI, real time monitoring through account tracking centres and related ground level resolution strategies. In fact in the last quarter of the FY 2012-13, there was a significant contraction of Gross NPAs from ₹ 53,458 crores (5.30%) in Q3FY12-13 to ₹ 51,189 crores (4.75%) at the end of Q4FY12-13. Overall, the effort saw Upgradation of ₹ 10,119 crores and Cash Recovery of ₹ 4,766 crores in the NPA accounts. Recovery in Written Off/AUCA accounts was to the tune of ₹ 1066 crores during the year. In the times ahead and supported by the growth in the real economy, we are not going to allow any let up in our efforts at resolving the impaired assets through timely and proactive measures.

Capital structure

The Capital Adequacy Ratio of your Bank stands at 12.92%, against RBI stipulation of 9%, with Tier1 capital at 9.49% and Tier II at 3.43%. The CAR remains strong and the strength comes from the following three factors:

- a) Robust internal generation and plough back of profits of ₹10,890 crores;
- b) Capital infusion of ₹3004 crores by the Government; and
- c) Continuous and on-going efforts at optimizing capital

Looking to the fact that the rules for Tier II capital have become quite stiff and challenging, your Bank did not think it optimum to raise tier II capital.

Your Bank continues to enjoy very good market valuations and is currently ranked 8th amongst top 10 market cap companies and number 1 amongst Public Sector banks.

The Bank on a consolidated basis continues to be amongst the top tax payers of the country with tax payout during FY12-13 at ₹7,559 crores against ₹8,639 crores last FY, the reduction coming about on account of prudent and efficient tax planning measures.

Dividend

I am happy to announce that the Board of Directors of your Bank has declared a dividend of ₹41.50 per share (415%) for the year ended 31st March 2013.

New Business Drivers

1. Low cost (₹100) Personal Accident Cover of ₹4 lacs for all SB account holders of the Bank;
2. Inter core charges for transfer transactions made NIL;
3. Pre-payment penalties abolished;
4. No minimum balance requirement for SB accounts;
5. SME Insta Deposit Card for MSME segment, State Bank Business Debit Card and State Bank Virtual Card launched;
6. Introduction of on-line Savings Bank account opening facility;
7. Multi city cheque books provided to all our customers.

Associates and Subsidiaries

I am happy to convey that your Bank's Associates and Subsidiaries continue to achieve good growth traction.

During the year, the 5 Associate banks saw their consolidated PAT at ₹ 3,678 crores. Their Operating profit increased from ₹8,214 crores to ₹8,802 crores in current FY. All these banks are profitable and well capitalized with average NIM at 3.13% and CAR averaging 11.85% as at 31.03.13.



गैर-बैंकिंग अनुषंगियों में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने ₹622.20 करोड़ का कर-पश्चात लाभ, 11.87% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान नए व्यवसाय प्रीमियम में निजी बाजार के प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आयी है। एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. ने 17.92% की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की है और उसका कर-पश्चात लाभ ₹296 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है। एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेन्ट सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड, जो भारत में अकेली कार्ड जारी करने वाली कंपनी है, ने 258% की वर्ष-दर-वर्ष उत्कृष्ट संवृद्धि को दर्शाते हुए ₹136.30 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने खुदरा, एसएमई और कारपोरेट खण्डों में 7.28 लाख पालिसियां जारी की हैं और ₹771 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया है। प्रीमियम अर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 208% की वृद्धि दर्ज की है। एसबीआईडीएफएचआई ने अपने लाभ में ₹43.50 करोड़ से ₹80.29 करोड़ की वृद्धि करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 84% की उत्कृष्ट संवृद्धि दर्ज की है।

सम्मान और पुरस्कार

विभिन्न क्षेत्रों में आपके बैंक की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

- ❖ एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड-अवार्ड फॉर इनिशिएटिव्स
- ❖ नैशनल अवार्ड-2011-12 बेस्ट बैंक फॉर एक्सेलेंस इन दि फील्ड ऑफ खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज (पीएमईजीपी)
- ❖ विकास नेतृत्व श्रेणी के अंतर्गत एग्रीकल्चर टुडे से 'कृषि नेतृत्व अवार्ड-2012'।
- ❖ एसबीआई द्वारा प्रायोजित एपीजीवीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 'नॉसकॉम से देश में बेस्ट आईटी ड्रिवन इनोवेशन अवार्ड इन बैंकिंग' प्रदान किया गया है।
- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे देश में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में बैंक की सक्रिय भूमिका के लिए भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने "सर्टिफिकेट फॉर एक्सेलेंस" अवार्ड प्रदान किया।
- ❖ बैंक को सिंगापुर में सीएमओ एशिया द्वारा शुरू किया गया 'एशियास बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिस अवार्ड' प्रदान किया गया।
- ❖ बैंक को दुबई में 'एशियन सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2012' प्रदान किया गया।
- ❖ आईपीई बेस्ट सीएसआर अवार्ड-2012
- ❖ मोस्ट केयरिंग कंपनीज ऑफ इंडिया अवार्ड-2012
- ❖ स्टार ऑफ दि इंडस्ट्रीज अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बैंकिंग (पीएसयू)-2012
- ❖ निदेशक संस्थान द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस में 11 अक्टूबर 2012 को गोल्डन पिकॉक अवार्ड-2012
- ❖ गोल्डन पिकॉक नैशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2012

भावी रूपरेखा

अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ प्रतीत होता है। हम आने वाले समय को उत्साहवर्धक भविष्य के रूप में देख सकते हैं। चुनौतियां अभी भी हैं और एक गतिशील एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां आती रहेंगी। हमें विश्वास है कि सरकार द्वारा शुरू की गई संतुलित विकास पहलों पर नए सिरे से बल दिए जाने से और उचित मौद्रिक नीतियों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से, बैंकिंग उद्योग नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। आपके बैंक ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिवेश में अपनी समुत्थान-शक्ति का प्रदर्शन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी सुदृढ़ स्थिति और संसाधनों से और हमारे ग्राहकों द्वारा हममें व्यक्त विश्वास से, हम हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे तथा और अधिक सुदृढ़ होकर उभरेंगे।

मैं अपने प्रत्येक और सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्रयासों और प्रतिबद्धता के बिना आपका बैंक इतनी सुदृढ़ स्थिति में नहीं रहता जिस सुदृढ़ स्थिति में आज वह है।

मैं अपने सभी शेयरधारकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास किया है और जिन्होंने प्रगतिशील विकास के हमारे प्रयासों में अपना सहयोग दिया है।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

आपका अपना,

(प्रतीप चौधरी)



Of the non-banking subsidiaries, SBI Life Insurance Company Ltd. posted a PAT of ₹ 622.20 crores, a YOY growth of 11.87% and has emerged as the private market leader in new business premium for FY 12-13. SBI Capital Market Ltd. has registered a YOY growth of 17.92% in PAT reaching a level of ₹296 crores. SBI Cards and Payment Services (Pvt.) Ltd., the only stand-alone card issuing company in India, continues to excel with a PAT of ₹ 136.30 crores representing a YOY growth of 258%. SBI General Insurance Company Ltd. has issued 7.28 lac policies across Retail, SME and Corporate segments garnering premium of ₹ 771 crores, a rise of 208% over previous fiscal. SBI DFHI registered an excellent growth of 84% in their profit over that of last year improving from a level of ₹43.50 crores to ₹ 80.29 crores.

Honours and Awards

Your Bank's achievements in various fields have received national and international recognition as enumerated below:

- ❖ FE Best Banks Award-Award for Initiatives
- ❖ National Award- 2011-12 Best Bank for Excellence in the field of Khadi & Village Industries (PMEGP)
- ❖ "Agriculture Leadership Award 2012" from Agriculture Today under Development Leadership category.
- ❖ "Best IT driven Innovation Award in Banking" in the Country from NASSCOM was awarded to APGVB, RRB sponsored by SBI.
- ❖ Ministry of Rural Development, GOI, awarded "Certificate of Excellence" for Bank's proactive role in establishing Rural Self Employment Training Institutes across the country during the year 2011-12.
- ❖ Asia's Best CSR Practice Award instituted by CMO Asia has been awarded to the Bank in Singapore.
- ❖ 'Asian CSR Leadership Award 2012' has been conferred to the Bank in Dubai.
- ❖ IPE Best CSR Award – 2012.
- ❖ Most Caring Companies of India Award – 2012.
- ❖ Star of the Industry Award for excellence in Banking (PSU) – 2012.
- ❖ Golden Peacock Award 2012' in Corporate Governance by the Institute of Directors on 11th October 2012
- ❖ Golden Peacock National Training Award-2012.

The Road Ahead

The economy appears to have bottomed out and we can look forward with enthusiasm to exciting times ahead. Challenges remain and in a dynamic and growing economy new ones will surface but we are hopeful that with the fresh thrust to balanced growth initiatives by the Government and support from RBI with appropriate monetary policies, the banking industry shall achieve greater heights. Your Bank has demonstrated its resilience in the current challenging environment and I am confident that we have the strength and resources which, along with the trust our customers have reposed in us, will enable us to withstand any adversity and emerge stronger.

I would like to thank each and everyone of our employees without whose efforts and commitment your Bank would not have been in the strong position it is in.

I would also like to thank all our shareholders for their belief in us and their support in our endeavor towards progressive growth.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Pratip Chaudhuri)



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2013 में गिरावट के कम जोखिमों के साथ प्रवेश किया क्योंकि अमरीकी वित्त व्यवस्था में सुधार और यूरो क्षेत्र संकट के बढ़ने को टाला जा रहा है। गिरावट के जोखिम के कम होने से अब वैश्विक विकास दर में सुधार होने की संभावनाओं के अनुरूप विचार किया जा सकता है। आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.3% की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2012 में यह 3.2% रही थी। अमरीकी अर्थव्यवस्था में हाउसिंग सेक्टर गिरावट का केंद्र बिंदु रहा है जिसने अपने तुलन पत्र को सुधारने में खासी प्रगति की है। यूरो क्षेत्र में नीति निर्माताओं ने यूरो संकट के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके लिए उन्होंने परस्पर जुड़े एकसमान यूरो क्षेत्र ढांचे पर कार्य करने का रास्ता अपनाया है। इसके अलावा यूएस की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत हैं। यूरो क्षेत्र के लगातार वृद्धि की स्थिति में आने में कुछ समय लग सकता है। नए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2013 के दौरान 5.3% विकास दर रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2012 में यह 5.1% रही थी। कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिमों के उत्तरोत्तर कम होते जाने के परिवेश और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लगातार ढांचागत सुधारों का वर्ष 2013 में वैश्विक विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 13 में पूरे दशक की सबसे नीची 5% वृद्धि दर दर्ज होने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष 14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ने की संभावना है। इसके पीछे प्रमुख कारण औद्योगिक गतिविधियों में निरन्तर कमजोरी रही है। यह स्थिति घरेलू आपूर्ति में कमी से और बिगड़ गई है। (विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 12 के 2.7% के स्तर की तुलना में वित्त वर्ष 13 में 1% विस्तार हुआ। इसके अलावा सेवा क्षेत्र की धीमी रफ्तार भी एक कारण रही है जो कि बाहरी मांग में कमी की परिचायक है।

कृषि उत्पादन वर्षा में कमी एवं असमान वितरण के कारण वर्ष के दौरान प्रभावित हुआ। (कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 12 के 3.6% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में 1.9% विस्तार हुआ)। इस कारण खरीफ की बुआई भी

प्रभावित हुई। हालांकि सितम्बर 2012 से वर्षा में सुधार के कारण रबी फसल के लिए भी मृदा की नमी बनी रही। वित्त वर्ष 13 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में 1.5% की मामूली कमी दर्ज होने के संकेत हैं, जो पिछले वर्ष के 259.3 मिलियन टन की तुलना में 255.4 मिलियन टन रहने की संभावना है। मार्च 2013 के अंत में खाद्यान्नों का कुल भंडार 59.7 मिलियन टन था जो कि देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

अप्रैल 12 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 7.5% के स्तर से सितम्बर 12 तक 8% तक लगातार वृद्धि से अप्रैल 13 में यह घटकर 4.9% तक आ गई। यह 41 महीने के निम्न स्तर और भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर है। मुख्य मुद्रास्फीति भी अप्रैल 13 में 39 महीने के निम्न स्तर पर है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - ग्रामीण शहरी (सीपीआई-आरयू) अप्रैल 13 में गिरकर 9.4% रह गई। यह 13 महीनों में न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अन्य विभिन्न संकेतकों से इस बात को बल मिलता है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति को जितना बढ़ना था बढ़ चुकी। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से नीचे आती जा रही है जो ग्रामीण मांग के कुछ कम होने का भी संकेत है। इसके अलावा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के पूरे वित्त वर्ष के दौरान इसी तरह जारी रहने की संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमतों में थोड़े सुधार के कारण इनका स्तर काफी नीचे आता जा रहा है। इससे वित्त वर्ष 14 में मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावनाएँ और कम हो जाएंगी।

औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर वित्त वर्ष 13 के दौरान घटकर 1% रह गई जो वित्त वर्ष 12 में 2.9% थी। हालांकि मार्च 2013 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है पर पूंजीगत माल और खनन क्षेत्र में लगातार गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है।

भारत के वर्तमान चालू खाता घाटे का स्तर वित्त वर्ष 13 की तीसरी तिमाही में तेजी से जीडीपी के 6.7% के स्तर पर पहुंच गया। जहाँ तक चालू खाता घाटे के संबंध में चिंता का संबंध है हमारा मानना है कि विश्वस्तर पर पण्य वस्तुओं की कीमतों के नरम रहने से भारतीय रुपये और सरकार के निर्यात संवर्धन उपायों से व्यापार घाटे में कमी आएगी और बाद में मध्यावधि में चालू खाता घाटे में कमी आएगी।

फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय निर्यातों को देखें तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 13 के दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका को निर्यात बढ़ने के साथ निर्यातों के रुझान में परिवर्तन का पता चलता है जैसे कि हमारे कुल निर्यात का 65% इन्हीं देशों के साथ हुआ है। आयात क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण घटना है जैसे कि एशिया की आर्थिक विकास दर से विश्व के आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र रहे यूएस और यूके से दूर होते जा रहे हैं जिससे विश्व व्यापार में एशिया का महत्व बढ़ रहा है और दक्षिण-दक्षिण संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

यदि सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो भारत अभी भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा निवेशकों के लिए एक चहेता देश बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ऋण बाजारों में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है कलेंडर वर्ष 13 के दौरान (मई 17 तक) कुल मिलाकर \$3.1 बिलियन के निवेश आए। इसके अलावा, सरकारी और भारतीय रुपया मूल्य वर्ग वाले कारपोरेट ऋण पर प्रतिधारण कर घटाने के हालिया निर्णय से विदेशी संस्थागत ऋण आवक बढ़ी है। कुल मिलाकर

भारत की
आर्थिक विकास
दर में चालू
वित्त वर्ष 2014
में सुधार होने
की उम्मीद है।



DIRECTORS' REPORT

Management Discussion and Analysis

ECONOMIC BACKDROP AND BANKING ENVIRONMENT

Global Economy

The global economy has entered 2013 with reduced downside risks, as the US fiscal cliff and a flare up of the euro area crisis being averted. With downside risks receding, it is now worth considering the prospects for an improvement in global growth. As per the IMF forecast, global economy is forecast to grow by 3.3% in 2013 (vis-a-vis 3.2% in 2012). The housing sector in the US economy – the epicentre of the downturn – has made considerable progress in repairing its balance sheet. Policy makers in the euro zone area have reconfirmed their commitment to resolution of the euro crisis by working on a common euro area integration framework. Going forward, US economy is supposed to gain continued traction, even though a sustained pick-up in euro area may take a while to materialize. Growth in emerging market and developing economies is projected at 5.3% in 2013 (vis-a-vis 5.1% in 2012). On the whole, an environment of progressively lower global tail risks and continued structural reforms in various economies will favourably impact global growth outlook in 2013.

Indian Economy

India's economic growth touched 5% in FY13—a decadal low. This was mainly due to the protracted weakness

in industrial activity aggravated by domestic supply bottlenecks (manufacturing sector expanded at 1% in FY13 vis-a-vis 2.7% in FY12), and slowdown in the services sector reflecting weak external demand.

Agricultural production was impacted during the year reflecting deficiency and uneven distribution of rainfall (agricultural sector expanded at 1.9% in

FY13 vis-a-vis 3.6% in FY12). It dented Kharif sowing, however, recovery of rainfall from September 2012 onwards helped maintain soil moisture during the rabi season. The third advance estimates of crop production for FY13 indicate a marginal decline of 1.5% in overall food grain production to 255.4 million tonnes from 259.3 mt in the previous year. The current stock of foodgrains 59.7 million tonnes at end-March 2013 is sufficient to meet the requirement of the country.

Headline inflation after progressively rising from 7.5% in Apr'12 to over 8% till Sept'12, has now declined to 4.9% in April 13, a 41 month low and within the RBI comfort zone. Core inflation has also declined to 2.8% in Apr'13, a 39 month low. The CPI -Rural Urban (CPI-RU) has eased to 9.4% in Apr'13. This was the lowest CPI inflation in 13 months. Various other CPI indicators support the contention that consumer inflation may have peaked out. Interestingly, rural inflation is coming down at a faster rate than urban areas indicating some deceleration in rural demand as well. Moreover, the calibrated increase in diesel prices are not likely to continue over the entire fiscal, with the current under-recovery on diesel at lower levels. This will further reduce the prospects of an upturn in inflation over FY14.

The growth of industrial production decelerated to 1% during FY13 (vis-a-vis 2.9% in FY12). Even though, there has been a pick-up in industrial activity in March 2013, contraction in capital goods and mining sector continues to pose a downside risk.

India's current account deficit (CAD) touched a sharp 6.7% of GDP in the third quarter of FY13. The widening in CAD was in part attributed to a deceleration in India's exports (decline of 1.8% in FY13). With regards to the concerns regarding the widening current account deficit, we believe soft global commodity prices, reduced volatility in Indian rupee and Government's export promotion measures will facilitate a reduction in trade deficit and subsequently CAD over the medium term.

However, the good news is that a look at the direction of Indian exports, reveal a shifting trend with exports to Asia, Africa and Latin America during FY13 touching 65% of our total export basket. This is indeed a development with significant import as Asia's accelerating economic growth has been shifting the global economic and industrial centres of gravity away from the US and EU, raising the importance of Asia in world trade and boosting the prospects of South-South trade.

On the hindsight, India still remains one of the fastest growing economies in the world, and continues to be a favoured destination for investment. The foreign investment flows into the debt markets have increased



India's economic growth is expected to improve in the current financial year 2014.



पूँजी संविभाग की आवक वित्त वर्ष 13 के दौरान बढ़कर 27.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गयी जो वित्त वर्ष 12 के दौरान 16.8 बिलियन यूएस डॉलर थी। निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक वित्त वर्ष 13 में बढ़कर 22.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई जो वित्त वर्ष 12 में 21.8 बिलियन अमरीकी डॉलर थी।

बैंकिंग परिवेश

अर्थव्यवस्था में धीमेपन एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कारण वर्ष 2012-13 में बैंकों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। वित्त वर्ष 12 के 13.5% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की जमा वृद्धि बढ़कर 13.5% हो गई है जबकि ऋण के क्षेत्र में वृद्धि-दर वित्त वर्ष 12 के 17.0% की तुलना में वित्त वर्ष 13 में तेजी से गिरकर 14.1% के स्तर पर आ गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 13 की तीसरी तिमाही के अंत तक अपनी प्रमुख ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं। हालांकि चलनिधि पर दबाव को शिथिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरआर को 25 आधार अंकों की तीन किस्तों में 75 आधार अंक तक कम करके उसे 4.75% से घटाकर 4.0% के स्तर पर लाया गया है। एसएलआर में भी 100 आधार अंक की कमी करके उसे 23% तक लाया गया है। मौद्रिक प्रसार के रूप में सभी प्रमुख बैंकों के एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की जमा दरों को वित्त वर्ष 12 के 8.50% - 9.25% के स्तर से वित्त वर्ष 13 में 7.5% - 9.0% के स्तर पर लाया गया है। प्रमुख बैंकों की आधार दर इसी अवधि के दौरान 10.0% - 10.75% के स्तर से घटकर 9.70% - 10.25% तक नीचे आ गई है। वृद्धि दर में कमी के कारण कारपोरेट लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं एनपीए की प्रणाली से प्रचालित पहचान होने के कारण बैंकों की अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी हुई है।

वित्त वर्ष 14 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है जो न केवल वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करेगा अपितु इस कारण मध्यम अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने की भी संभावना है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अन्य नीतिगत उपायों में अन्यो के साथ-साथ (क) ग्राहकों को ₹सीटीएस-2010 ₹ मानक वाले चैक उपलब्ध कराना, (ख) कतिपय श्रेणी के अनर्जक अग्रिमों और पुनर्संचित अग्रिमों पर अधिक प्रावधान करना आवश्यक कर दिया गया है, (ग) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए संशोधित दिशानिर्देश और (घ) डेबिट और क्रेडिट कार्डों का अंतरराष्ट्रीय उपयोग शामिल है।

मई 2013 के दौरान घोषित मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर 25 आधार अंक कम कर दी है। विकास मुद्रास्फीति पक्षों के आधार पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 14 के दौरान आगे भी दरों में कटौती किए जाने की संभावना है। इससे बैंकों को व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होंगे एवं साथ ही कम मार्जिन पर व्यवसाय करने का जोखिम भी उठाना होगा।

एक मजबूत और परिष्कृत बैंकिंग प्रणाली निरंतर आर्थिक विकास की बुनियाद है जैसे कि बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच ऋण मध्यस्थन की प्रक्रिया की धुरी हैं। इसके अलावा, बैंक उपभोक्ताओं, लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यम, बड़ी कारपोरेट फर्मों और सरकारों को महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं जो अपना दैनिक व्यवसाय करने के लिए उन पर निर्भर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान खासी दृढ़ता का प्रदर्शन किया। यही दृढ़ता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रदर्शित की गई। इसमें बेसल III मानदंड भारत में बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रावधान और उच्चतर पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के साथ लागू किए गए।

भावी परिदृश्य

वित्त वर्ष 14 के दौरान आर्थिक गतिविधियों की गति में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार होने की ही उम्मीद है तथा वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसमें कुछ गति आने की संभावना है। मानसून के सामान्य रहने की स्थिति में कृषि विकास रुझान के अनुरूप रह सकता है।

औद्योगिक गतिविधियों के कुछ धीमी रहने के कारण वित्त वर्ष 14 के उत्तरार्ध में सुधार होने की अधिक संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कारण देश में विनिर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा फूँकने के लिए ढांचा तैयार कर दिया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को तेजी से लागू करने से और राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र के सृजन से न केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक पुख्ता बुनियाद रखा जा सकेगी बल्कि सेवा क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर मौद्रिक निभाव से औद्योगिक वृद्धि में भी मदद मिलेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट को देखते हुए, जैसे कि वर्तमान में दिखाई दे रही है, उपभोक्ता मांग में कुछ सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है।

परंतु बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अब भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। यह आवश्यक है कि हम सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्र सहभागिता को निरंतर बढ़ावा देते रहें। अगले दशक में निरंतर वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समावेश और नैरंतर्य नितांत आवश्यक होगा।

मुद्रास्फीति के बारे में हमारा मानना है कि मुद्रास्फीति के औसत स्तर का रुझान कम होने की ओर होगा और वित्त वर्ष 14 में



अगली पीढ़ी
बैंकिंग को
भारतीय बैंकों के
लिए लगातार
एक प्राथमिकता
बने रहना होगा।



in the recent months, with a cumulative flow of \$3.1 bn during the calendar year 2013 (till May'17). Moreover, the recent decision to reduce the withholding tax on Government and INR-denominated corporate debt has boosted the FII debt flows. On the whole, portfolio capital inflows increased to \$27.5 billion during FY13 (vis-a-vis \$16.8 bn in FY12). Net FDI inflows increased to \$22.9 bn in FY13 (vis-a-vis \$21.8 bn in FY12).

Banking Environment

The slowdown in the economy and monetary tightening has affected banks' business in 2012-13. Aggregate deposit growth of All Scheduled Commercial Banks (ASCB) grew higher by 14.3% in FY13 against 13.5% growth in FY12, while growth in credit decelerated sharply to 14.1% in FY13 from 17.0% in FY12.

RBI kept the key interest rates unchanged till the end of third quarter of FY13. However, to ease pressure on liquidity, RBI has cut CRR by 75 bps from 4.75% to 4.0% and slashed SLR by 100 bps to 23%. As a part of monetary transmission, deposit rate of major banks for more than one year maturity softened from 8.50-9.25% in FY'12 to 7.5-9.0% in FY'13, and base rate of major banks fell from 10.0-10.75% to 9.70-10.25% in the same period. Growth deceleration impinging on corporate profitability and move to system-driven identification of NPAs, non-performing assets of banks increased during the year.

In a new development, RBI is likely to issue new bank licenses during FY14, which apart from providing an impetus to financial inclusion, is expected to intensify competition in banking sector in medium term. Meanwhile, with the implementation of Basel III norms by March 2018, Indian banks will be required to raise significant capital from the market.

The other policy initiatives taken by RBI during the last fiscal, include among others (a) Banks to provide "CTS-2010" standard cheques to customers, (b) Enhanced provisioning requirement on certain categories of non-performing advances and restructured advances, (c) Revised guidelines for electronic payment transactions and (d) International use of debit and credit cards.

In the Monetary Policy announced in May 2013, RBI reduced the repo rate by 25 bps. Depending upon growth inflation dynamics, RBI is expected to cut rates further during FY14 to boost growth. It will provide business opportunity for banks and threat as well to do business with lower margins.

A strong and resilient banking system is the foundation for sustainable economic growth, as banks are at the centre of the credit intermediation process between savers and investors. Moreover, banks provide critical

services to consumers, small and medium-sized enterprises, large corporate firms and governments who rely on them to conduct their daily business. In this context, it is needless to mention that the Indian banking sector has demonstrated strong resilience during the global financial crisis. Such resilience has also been ably abetted by RBI through initiation of Basel III norms embedded with provisions and guidelines for higher capital adequacy norms to be adopted by the banks in India.

Outlook

During FY14, economic activity is expected to show a modest improvement over last year, with a pick-up likely in the second half of the year. Conditional upon a normal monsoon, agricultural growth could return to trend levels.

The outlook for industrial activity remains subdued, with a recovery more likely in the later part of FY14. In this context, the National Manufacturing Policy (NMP) sets the framework for revitalization of manufacturing sector of the country. Rapid implementation of the NMP and the creation of National Manufacturing & Investment Zones can be seedbeds not only for manufacturing, but also concomitant development of the service sector. Additionally, continued monetary accommodation by RBI will also support industrial growth. A declining inflation trend, as being witnessed currently will also help to prop up consumption demand to a certain extent as well.

Infrastructure however, remains an area for improvement. It is imperative that we continue to support a meaningful public-private partnership with inclusiveness and sustainability as essential prerequisites for sustained growth rates over the next decade.

On the inflation front, we believe average level of inflation will trend downwards and may be closer to RBI comfort level in FY14, based on the emerging trend of continued soft international commodity prices, and provided the rupee remain stable. Such a development will also reduce the worries on CAD during the course of FY14. Additionally, capital inflows to emerging economies,



Next generation banking is to be a priority for the Indian banks on a going forward basis.



भारतीय रिज़र्व बैंक संतोषजनक स्तर के निकट है। कमोडिटी की कीमतों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर नरम बने रहने को देखते हुए और रुपये में स्थिरता के कारण ऐसा हो पाएगा।

हमारा यह भी मानना है कि वित्तीय सुदृढ़ता एक प्राथमिकता बनी रहेगी जैसा कि सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार की योजना वर्ष 2016-17 तक वित्तीय घाटे को घटाकर 3% के स्तर पर लाने की है।

निर्यातकों के वित्तीय वर्ष 14 में भारी वृद्धि होने की संभावना नहीं है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में धीमा सुधार ही दिखाई देगा। हमारे विकास में आयात में नरमी अत्यंत आवश्यक है और हमें आने वाले समय में एक नई न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था का गतिविधि केंद्र दक्षिण की ओर होता जा रहा है। भारत में व्यापार, निवेश और वित्त के लिए अधिकाधिक दक्षिण की ओर देखना होगा।

कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 14 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 5.5% से 6% रहेगी। वर्तमान में नियामक मंजूरीयों के लिए प्रतीक्षारत परियोजनाओं के तेजी से समाधान होने से देश में निवेश को आवश्यक बल मिलेगा और वृद्धि की संभावनाएँ फिर से उत्पन्न होंगी।

अंततः, उभर रही एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवृद्धि के बीच मध्यम आय वर्ग के फंस जाने का डर तेजी से पनपता जा रहा है। अवधिगत आंकड़ों (आईएमएफ, 2013) से पता चलता है कि मजबूत आर्थिक संस्थाएँ, व्यवसाय अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र और व्यापार ढांचे से ऐसी वृद्धि बाधाओं की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों, व्यापार ढांचे के कारण वर्तमान में परसंसदीदा देश होने की ओर अग्रसर है और वर्तमान धीमेपन से भारत को भौतिक संसाधन आधारित वृद्धि के बजाए मानव संसाधन आधारित वृद्धि की दिशा में बढ़ने का सही अवसर प्रदान करेगा। मध्यावधि में भारत में मानवीय पूंजी सृजन के अवसर बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र के विस्तार के अनेक अवसर हैं बशर्ते हम कौशल उन्नयन के कार्यक्रमों में वृद्धि कर सकें।

यह भी उतना ही आवश्यक है कि सेवा क्षेत्र वर्तमान में भारत के जीडीपी में 60% से अधिक योगदान कर रहा है।

हकीकत यह है कि भारत की युवा जनसंख्या से अगली पीढ़ी के लिए बैंकिंग भारतीय बैंकों के लिए निरंतर एक प्राथमिकता रहेगी। भारतीय बैंक वस्तुतः सहायता प्राप्त और स्व सेवा दोनों माध्यमों की ओर सही सही बढ़ रहे हैं और इन्हें एक समृद्ध, एकीकृत और मजबूत बैंकिंग

अनुभव प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए, ग्रीन चैनल काउंटर बैंकों के लिए अपने ग्राहकों को पर्यावरण अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराना अनेक पहलों में से एक है। निरंतर नियामक परिवर्तनों के चलते भारतीय बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में नए नए बैंकिंग परिवर्तन लाने के और अधिक अवसर मिलेंगे।

वित्तीय निष्पादन

लाभ

वर्ष 2012-13 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹ 31,081.72 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 31,573.54 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 1.56% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 के लिए बैंक को ₹ 14,104.98 करोड़ का निवल लाभ हुआ जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 11,707.29 करोड़ रहा था। इस प्रकार इसमें 20.48% की वृद्धि दर्ज हुई।

यद्यपि निवल ब्याज आय में 2.40% की संवृद्धि हुई, अन्य आय में 11.73% की वृद्धि हुई। परिचालन व्ययों में 12.33% की वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन व्ययों में यह वृद्धि उच्चतर स्टाफ लागत और अन्य खर्चों के कारण हुई।

निवल ब्याज आय

बैंक की निवल ब्याज आय में 2.40% की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹ 44,331.30 करोड़ पर पहुंच गई जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 43,291.08 करोड़ रही थी। ऐसा अग्रियों और निवेश पोर्टफोलियो में उच्चतर वृद्धि के कारण हुआ था।

वर्ष के दौरान वैश्विक परिचालनों से सकल ब्याज आय ₹ 1,06,521.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,19,657 करोड़ पर पहुंच गई और इस प्रकार इसमें 12.33% की वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रियों में 21% की वृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि दर 14.1% से अधिक और जमाराशियों में 15% की वृद्धि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि-दर 14.3% से अधिक है।

अग्रियों की राशि अधिक रहने से भारत में अग्रियों पर ब्याज आय वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 85,782 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 77,309.15 करोड़ थी। भारत में अग्रियों पर औसत आय वर्ष 2011-12 के 11.05% से गिरकर वर्ष 2012-13 में 10.54% रह गई। विदेश स्थित कार्यालयों के अग्रियों पर ब्याज आय में 26.71% की वृद्धि हुई।

भारत में कोषीय परिचालनों में निविष्ट संसाधनों से आय में 13.82% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निविष्ट औसत संसाधनों की मात्रा में वृद्धि होना था। यह औसत आय जो वर्ष 2011-12 में 7.51% थी, वर्ष 2012-13 में बढ़कर 7.54% पर पहुंच गई।

वैश्विक परिचालनों पर दिया गया कुल ब्याज व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 63,230.37 करोड़ था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 75,325 करोड़ पर पहुंच गया। भारत में जमाराशियों पर दिए गए ब्याज में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में 20.88% की वृद्धि हुई, जबकि भारत में जमाराशियों के औसत स्तर में 14.23% की वृद्धि हुई थी। जमाराशियों की औसत लागत वर्ष 2011-12 के 5.95% स्तर से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 6.29% हो गई।



बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013 के लिए ₹ 41.50 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2012 के लिए ₹ 35 प्रति शेयर था।



including India are likely to remain buoyant in FY14 reflecting benign monetary conditions in developed economies.

We also believe that fiscal consolidation will remain a priority, with Government clearly making its intent clear several times. It may be noted that the Government plans to trim the fiscal deficit to 3% by 2016-17.

Exports are unlikely to post significant gains in FY14, as the global economy will witness only a gradual recovery. The import elasticity of our growth remains significant and going forward we would need to develop a new paradigm of a low-carbon economy. It is now becoming clear that the centre of gravity of the world economy is shifting to South and for trade, investment and finance India may have to look more and more to the South.

On the aggregate, we believe GDP to grow by about 5.5%-6% during FY14. Faster resolution of projects currently awaiting regulatory clearances may provide the much needed impetus to domestic investment and reinvigorate growth prospects.

Finally, amidst growth slowdown in emerging Asian economies, fears of a "middle-income trap" are now growing rapidly. Empirical evidences (IMF, 2013) suggest that sound economic institutions, favourable demographics and trade structures can all reduce the likelihood of such a growth trap. Though India is currently poised favourably on demographics and trade structures, the current slowdown may just provide the right occasion for India to move from physical resource intensive growth to human resource intensive growth. Over the medium term, India's opportunity for accelerated development lies in human capital formation. There are huge opportunities for expansion of service sector provided we can accelerate

our programs for skill formation. This is all the more important given that services sector currently contributes to more than 60% of India's GDP.

The fact that India has a young population also implies that Indian banks are moving towards a right mix of assisted and self-serviced channels to provide a rich, unified and consistent banking experience.

 The Bank has declared Dividend of ₹ 41.50 per share for FY 2013 as against ₹ 35 per share for FY 2012.

For example, Green Channel Counters are the latest innovation in the series for banks to serve its customers in an eco friendly atmosphere. With continued regulatory changes, Indian banks will have more of opportunities in the area of financial inclusion, rural banking and mobile banking in their quest for a new banking paradigm.

Financial Performance

Profit

The Operating Profit of the Bank for 2012-13 stood at ₹ 31,081.72 crores as compared to ₹ 31,573.54 crores in 2011-12 registering a marginal decline of 1.56%. The Bank has posted a Net Profit of ₹ 14,104.98 crores for 2012-13 as compared to ₹ 11,707.29 crores in 2011-12 registering a growth of 20.48%.

While Net Interest Income recorded a growth of 2.40%, the Other Income increased by 11.73%, Operating Expenses increased by 12.33% attributable to higher staff cost and other expenses.

Net Interest Income

The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 2.40% from ₹ 43,291.08 crores in 2011-12 to ₹ 44,331.30 crores in 2012-13. This was due to higher growth in the advances and investment portfolios.

The gross interest income from global operations correspondingly rose from ₹ 1,06,521.45 crores to ₹ 1,19,657.10 crores during the year registering a growth of 12.33%.

Interest income on advances in India registered an increase from ₹ 77,309.15 crores in 2011-12 to ₹ 85,782.26 crores in 2012-13 due to higher volumes. The average yield on advances in India has declined from 11.05% in 2011-12 to 10.54% in 2012-13. Interest income on advances at foreign offices has grown by 26.17%.

Income from resources deployed in treasury operations in India increased by 13.82% mainly due to higher average resources deployed. The average yield, which was 7.51% in 2011-12, has increased to 7.54% in 2012-13.

Total interest expenses of global operations increased from ₹ 63,230.37 crores in 2011-12 to ₹ 75,325.80 crores in 2012-13. Interest expenses on deposits in India during 2012-13 recorded an increase of 20.88% compared to the previous year, whereas the average level of deposits in India grew by 14.3%. The average cost of deposits has consequently increased from 5.95% in 2011-12 to 6.29% in 2012-13.

**गैर-ब्याज आय**

वर्ष 2012-13 में गैर-ब्याज आय की राशि ₹16,034.84 करोड़ रही, जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹14,351.45 करोड़ रही थी। इस प्रकार इसमें 11.73% की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगी बैंकों/अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में लाभांश के रूप में ₹715.51 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹767.35 करोड़) की आय प्राप्त की।

परिचालन व्यय

स्टाफ लागत में 8.29% की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2011-12 के स्तर ₹16,974.04 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹18,380 करोड़ हो गई। अन्य परिचालन व्ययों में 19.89% की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण भाड़े, करों और बिजली, डाक खर्च, तार व टेलीफोन, बीमा तथा विविध व्ययों में वृद्धि होना था।

परिचालन व्यय, जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं, में 12.33% की वृद्धि हुई।

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

वर्ष 2012-13 में किए गए प्रावधानों की मुख्य राशियाँ निम्नानुसार रहीं:

- निवेशों पर मूल्यहास के संबंध में ₹961.29 करोड़ का प्रावधान किया गया (जबकि वर्ष 2011-12 में निवेशों पर मूल्यहास के संबंध में ₹663.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें “परिपक्वता तक रखे गए” श्रेणी पर प्रीमियम के परिशोधन को शामिल नहीं किया गया।
- ₹5,953.88 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर, कर प्रावधान के लिए ₹107.97 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹6,320.09 करोड़ के आस्थगित कर रिवर्सल को छोड़कर ₹455.93 करोड़ था)।
- ₹11,367.79 करोड़ (राइट बैंक को छोड़कर) अनर्जक आस्तियों के लिए (वर्ष 2011-12 में ₹11,545.85 करोड़ था)।
- मानक आस्तियों के लिए ₹749.61 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹978.81 करोड़)। वर्तमान वर्ष के प्रावधान सहित मानक आस्तियों पर किए गए कुल प्रावधान की राशि ₹5289.58 करोड़ थी।

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष

- ₹4,417.86 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹3,516.98 करोड़) की राशि सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।
- ₹19.17 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹14.38 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई।
- ₹6,453.26 करोड़ (वर्ष 2011-12 में ₹5,536.50 करोड़) की राशि अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित की गई।

तालिका 1 : प्रमुख निष्पादन संकेतक

संकेतक	एसबीआईएसबीआई समूह		एसबीआई समूह	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
औसत आस्तियों पर आय (%)	0.88	0.91	0.89	0.89
इक्विटी पर आय (%)	16.05	15.94	16.49	15.97
आय की तुलना में (%) (कुल निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	45.23	48.51	53.51	56.35
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	1214.78	1394.79	1540.64	1769.19
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-I)	12.05	11.22	11.84	11.07
श्रेणी I	8.50	8.23	8.30	8.10
श्रेणी II	3.55	2.99	3.54	2.97
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	13.86	12.92	13.68	12.82
श्रेणी I	9.79	9.49	9.65	9.46
श्रेणी II	4.07	3.43	4.03	3.36
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.82	2.10	1.81	2.07

आस्तियाँ

बैंक की आस्तियों में 17.28% की वृद्धि हुई और ये मार्च 2013 के अंत में बढ़कर ₹3,35,519.23 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 2012 के अंत में ये ₹15,66,261.04 करोड़ थीं। इस अवधि के दौरान, ऋण संविभाग में 20.52% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹8,67,578.89 करोड़ से बढ़कर ₹10,45,616.55 करोड़ हो गई। मार्च 2013 के अंत में निवेशों में 12.41% की वृद्धि हुई और इनकी राशि ₹3,12,197.61 करोड़ से बढ़कर ₹3,50,927.27 करोड़ हो गई। अधिकांश निवेश घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया।

देयताएँ

बैंक की कुल देयताएँ (पूँजी एवं आरक्षितियों को छोड़कर) 17.24% वृद्धि के साथ 31 मार्च 2012 के स्तर ₹12,51,568.03 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹14,67,377.36 करोड़ हो गई। देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया जमा राशियों और उधार राशियों में वृद्धि होने के कारण हुई। 31 मार्च 2013 को वैश्विक जमा राशियाँ ₹12,02,739.57 करोड़ थीं जबकि 31 मार्च 2012 को ये ₹10,43,647.36 करोड़ थीं। इस प्रकार 31 मार्च 2012 के स्तर की तुलना में 15.24% की वृद्धि



Non-Interest Income

Non-interest income stood at ₹ 16,034.84 crores in 2012-13 as against ₹ 14,351.45 crores in 2011-12 registering an increase of 11.73%.

During the year, the Bank received an income of ₹ 715.51 crores (₹ 767.35 crores in the previous year) by way of dividends from Associate Banks/ subsidiaries and joint ventures in India and abroad.

Operating Expenses

There was an increase of 8.29% in the Staff Cost from ₹ 16,974.04 crores in 2011-12 to ₹ 18,380.90 crores in 2012-13. Other Operating Expenses registered an increase of 19.89% mainly due to increase in expenses on rent, taxes and lighting, advertisement & publicity, law charges, postage, telegrams & telephones, insurance and miscellaneous expenditure.

Operating Expenses, comprising both staff cost and other operating expenses, have registered an increase of 12.33% over the previous year.

Provisions and Contingencies

Major amounts of provisions made in 2012-13 were as under:

- ₹ 961.29 crores write back from provisions for depreciation on investments, excluding amortization of premium on 'Held to Maturity' category (as against ₹ 663.70 crores provided towards depreciation on investments in 2011-12).
- ₹ 5,953.88 crores towards Provision for Tax, excluding deferred tax creation of ₹ 107.97 crores (as against ₹ 6,320.09 crores in 2011-12 excluding deferred tax reversal of ₹ 455.93 crores).
- ₹ 11,367.79 crores (net of write-back) for non-performing assets (as against ₹ 11,545.85 crores in 2011-12).
- ₹ 749.61 crores towards Standard Assets (as against ₹ 978.81 crores in 2011-12). Including the current year's provision, the total provision held on Standard Assets amounts to ₹ 5,289.58 crores.

Reserves and Surplus

- An amount of ₹ 4,417.86 crores (as against ₹ 3,516.98 crores in 2011-12) was transferred to Statutory Reserves.
- An amount of ₹ 19.17 crores (as against ₹ 14.38 crores in 2011-12) was transferred to Capital Reserve Fund.
- An amount of ₹ 6,453.26 crores (as against ₹ 5,536.50 crores in 2011-12) was transferred to Other Reserve Funds.

Table 1: Key Performance Indicators

Indicators	SBI		SBI Group	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
Return on Average Assets (%)	0.88	0.91	0.89	0.89
Return on Equity (%)	16.05	15.94	16.49	15.97
Expenses to Income (%) (Operating Expenses to Total Net Income)	45.23	48.51	53.51	56.35
Book Value per share (₹)	1214.78	1394.79	1540.64	1769.19
Basic Earnings Per Share (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
Diluted Earnings Per Share (₹)	184.31	210.06	241.55	266.82
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	12.05	11.22	11.84	11.07
Tier I	8.50	8.23	8.30	8.10
Tier II	3.55	2.99	3.54	2.97
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	13.86	12.92	13.68	12.82
Tier I	9.79	9.49	9.65	9.46
Tier II	4.07	3.43	4.03	3.36
Net NPAs to Net Advances (%)	1.82	2.10	1.81	2.07

Assets

The total assets of the Bank increased by 17.28% from ₹ 13,35,519.23 crores at the end of March 2012 to ₹ 15,66,261.04 crores as at the end of March 2013. During the period, the loan portfolio increased by 20.52% from ₹ 8,67,578.89 crores to ₹ 10,45,616.55 crores. Investments increased by 12.41% from ₹ 3,12,197.61 crores to ₹ 3,50,927.27 crores as at the end of March 2013. A major portion of the investment was in the domestic market in government securities.

Liabilities

The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 17.24% from ₹ 12,51,568.03 crores on 31st March 2012 to ₹ 14,67,377.36 crores on 31st March 2013. The increase in liabilities was mainly contributed by increase in deposits and borrowings. The Global deposits stood at ₹ 12,02,739.57 crores as on 31st March 2013 against ₹ 10,43,647.36 crores as on



परिलक्षित हुई। उधार-राशियों में 33.21% की वृद्धि हुई और ये 31 मार्च 2012 के अंत के स्तर ₹1,27,005.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 के अंत में ₹1,69,182.71 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्यतया भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधारियों और भारत के बाहर उधारियों और पुनर्वित्त के कारण हुई।

मुख्य परिचालन

I. 1. ग्राहक सेवा

हमारे विजन कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बैंक की व्यवसाय कार्यान्वयन नीतियों एवं परिचालनों में ग्राहक ही सर्वोपरि है। बैंक में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए बैंक के अंदर एक व्यापक तंत्र मौजूद है। इसके अंतर्गत शीर्ष स्तर से शाखा इकाइयों तक में यह देखा जाता है। इसके तहत लगातार वर्तमान सेवाओं की समीक्षा की जाती है और सुधार सुझाए जाते हैं। इन समितियों द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण और उन पर की गई कार्रवाई, सभी मंडलों में ग्राहक शिकायतों के समेकित आकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है। यह सभी की जानकारी प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैंक में एक सुपरिभाषित और सुप्रलेखित शिकायत निवारण नीति लागू है जिसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है :

- अलग से एक ग्राहक देखभाल कक्ष
- बैंक की वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का पुनर्विन्यास किया गया है और इसे बैंक के लिए एकल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और समाधान प्रणाली के रूप में शुरू किया गया है। ग्राहक विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन माध्यमों में शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराना, बैंक के संपर्क केंद्र टोल फ्री नंबर 1800 425 3800/1800 11 2211 पर काल करना, बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन, 8008 202020 नंबर पर एएमएस 'UNHAPPY' संदेश भेजना आदि भी शामिल है। सभी शिकायतें सीएमएस के माध्यम से दर्ज कराई जाती हैं और इनके

दर्ज कराए जाने के तुरंत बाद एक यूनीक नंबर के साथ पावती दे दी जाती है। बैंक ने अपने लिए अनिवार्य कर लिया है कि ग्राहकों की अधिकांश शिकायतों का अधिकतम 3 सप्ताह की अवधि में निकारण कर दिया जाए जबकि बीसीएसबीआई कोड द्वारा 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। बैंक ग्राहकों की सभी एटीएम संबंधी शिकायतों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 7 दिन की सीमा में समाधान हो जाए।

अनेक ग्राहक
हितैषी नए प्रयास
आपके बैंक द्वारा
वर्ष 2012-13
के दौरान
शुरू किए गए।

• बैंक ग्राहक सेवा में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। बैंक ने ग्राहक सेवा में किसी दोष की संभावना जो बहुत कम रहती है के लिए ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने के लिए की बोर्ड अनुमोदित क्षतिपूर्ति नीति लागू की है। इस नीति में सुनिश्चित किया जाता है कि व्यथित ग्राहक को उसके द्वारा मांग किए जाने के बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाए।

• दामोदरन समिति की 70% से अधिक सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

• शाखाओं, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों, स्थानीय प्रधान कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों और कॉरपोरेट केंद्र में समुचित तंत्र स्थापित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उपभोक्ता फोरम आदि से प्राप्त अनुरोधों और अपीलों पर कार्रवाई करते हैं।

ग्राहक अनुकूल पहल

वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश / उपभोग / निवल निर्यातों, बाधित खाद्य उत्पादन, उच्च मुद्रास्फीति, संकटग्रस्त उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र-वस्त्र, रसायन, लोहा और स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, दूरसंचार जैसे प्रमुख प्रयास बैंक द्वारा किए गए हैं जिसे निवेश और विकास बढ़ सेके अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, आवास, नियातों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा हों और ग्राहकों की परेशानियां/कष्ट कम हो सकें और ग्राहक संतुष्टि का स्तर ऊंचा हो सके।

➤ मूल्यन संबंधी राहतें

❖ ब्याज की दरें

वर्ष के दौरान दो बार बेस दर में कमी की गई है एक बार 20/09/2012 को यह 10% से घटा कर 9.75% कर दी गई एवं दूसरी बार 4/2/2013 को यह कम करके 9.70% कर दी गई है अब जो कि सभी बैंकों में सबसे कम है तथा इसे निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इससे सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं को राहत मिल सके।

- ❖ बैंक द्वारा निर्यातकों (इसीजीसी फीस) और एमएसई यूनियों द्वारा देय फीस दोनों के लिए गारंटी फीस ग्रहण की गई जिससे ₹ 1 करोड़ संपार्श्विक मुक्त वित्त ऋण पर गारंटी कवर दिया जा सके।





31st March 2012, representing an increase of 15.24% over the level on 31st March 2012. The borrowings increased by 33.21% from ₹ 1,27,005.57 crores at the end of March 2012 to ₹ 1,69,182.71 crores as at the end of March 2013 mainly attributable to borrowings from RBI in India and borrowings & refinance outside India.

I CORE OPERATIONS

I. 1. Customer Service

Our vision statement unambiguously spells out the centrality of the customer in the Bank's business strategies and operations. A multi-tiered structure of committees constantly review existing services and suggest improvements. Important issues raised by these Committees and action taken thereon, as well as analysis of the consolidated data for customer grievances for all Circles are placed before the Customer Service Committee of the Board every quarter, to identify common systemic and policy issues that require rectification.

The Bank has a well defined and documented Grievance Redressal Policy which provides for:

- A dedicated Customer Care Cell
- Bank's Web based Complaint Management System (CMS) has been redesigned and launched as a single online Grievance Lodging and Redressing System for the Bank. Customers can lodge their complaints through various channels including written complaint at branch, by calling at the toll free number of Bank's Contact Centre 1800 425 3800 / 1800 11 22 11, online through Bank's website www.sbi.co.in, sending SMS message 'UNHAPPY' to number 8008 202020 etc. All complaints are lodged through CMS and are acknowledged with a unique ticket number immediately on lodging. Bank has mandated and has been able to redress a majority

of the customer grievances within a maximum period of three weeks of receipt, as against the time limit of 30 days prescribed in the BCSBI Code. All ATM related complaints of Bank customers are redressed within the RBI-prescribed 7 days.



- While the Bank strives to achieve the highest standards in customer service, it has also put in place a Board approved Compensation Policy to compensate the customer financially in the unlikely event of any slippage in services extended. The Policy ensures that the aggrieved customer is compensated without having to ask for it.

- Over 70% of the recommendations of the Damodaran Committee have already been implemented.

- Suitable structure has been put in place at the Branches, Regional Business Offices, Local Head Offices, Administrative offices and at the Corporate Centre of the Bank for handling requests and appeals under the RTI Act 2005, Consumer Forums, etc.

Customer Friendly Initiatives

During 2012-2013, in the backdrop of slowing investment/consumption/net exports, constrained food production, high inflation, distress in several industry and infrastructure sectors-textile, chemicals, iron and steel, food processing, construction, telecom-major initiatives were taken by your Bank towards catalyzing investment & growth, to facilitate the flow of credit to critical sectors of the economy including agriculture, infrastructure, micro, small & medium enterprises, housing, exports, and with a view to reducing customer distress/pain points & raising levels of customer satisfaction. These initiatives include:

- **Pricing concessions**
- ❖ **Interest rates** Base rate was twice reduced during the year from 10% to 9.75% as on 20/9/2012, and then again to 9.70% as on 4/2/2013, the lowest amongst all banks and so pegged, to bring relief to all borrowers, particularly SME units, home loan borrowers, who continued to enjoy the lowest home loan interest rates, and commercial real estate accounts, which were aligned with the prevailing retail housing loans in terms of interest rates.
- ❖ Guarantee fees were absorbed by the Bank, both for exporters (ECGC fees) and fees payable by MSE units to CGTMSE for guarantee cover on collateral free loans upto ₹ 1 crore.

Several Customer friendly initiatives were introduced by your Bank during the year 2012-13.

**➤ प्रक्रिया परिवर्तन**

- ❖ विभिन्न व्यवसाय समूहों में संबंध प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। कारपोरेटों के लिए खाता प्रबंधन टीमों, उच्च मालियत वाले ग्राहकों के लिए प्रीमियर बैंकिंग सेवाएं, एसएमई (एमई एवं एसई) के लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स की तैनाती की गई।
- ❖ प्रक्रिया कक्षों की पुनर्संरचना की गई और इनकी संख्या में भी वृद्धि की गई (आरएसीपीसी/एसएमईसीसी की स्थापना की गई)। ऋण-प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ❖ शाखाएं खोलकर ग्राहक संपर्क स्थलों का विस्तार किया गया। दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहक सेवा केंद्रों, व्यवसाय प्रतिनिधि बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई।
- ❖ सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं में क्लस्टर मॉडल की शुरुआत की गई जिससे अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके।
- ❖ अलाभकारी आस्ति खातों की निगरानी के लिए सभी प्रक्रिया केंद्रों में एक अलग कक्ष की स्थापना की गई।

➤ उत्पादों में नए परिवर्तन

- ❖ हर ग्राहक द्वारा आमतौर पर सबसे पहले बचत बैंक खाता खोला जाता है। इस खाते को आधार बनाकर ही ग्राहक द्वारा बैंक से भविष्य में अन्य सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। बचत बैंक उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:
 - बचत खातों में न्यूनतम शेष की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।
 - औसत तिमाही जमा शेष राशि न रखने पर जुर्माना लगाना बंद कर दिया गया।
 - कोर बैंकिंग में एक खाते से दूसरे खाते में राशि ट्रांसफर करने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नकदी जमा करने के न्यूनतम शुल्क को ₹25 से घटाकर ₹10 कर दिया गया है।

पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नकदी जमा करने के न्यूनतम शुल्क को ₹25 से घटाकर ₹10 कर दिया गया है।

- सभी बचत बैंक खातेदारों के लिए नगण्य दर पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रारंभ की गई है।

- एक नई पहल की गई और हमारे सभी ग्राहकों को सीटीएस-2010 आधारित मल्टी सिटी चेक बुक उपलब्ध कराई गई है।

स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से सुरक्षित ई-कॉमर्स ऑनलाइन लेनदेन किया जा सकता है।

- ❖ 6 माह की अवधि के लिए लागू सावधि जमा राशियों के लिए शुरू की गई अनफिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को एक वर्ष तक की सावधि जमा राशियों के लिए भी लागू कर दी गई।
- ❖ एक नई ट्रेक्टर ऋण योजना प्रारंभ की गई जिसमें पात्रता, मार्जिन, प्रतिभूति, ब्याज एवं अग्रिम शुल्क संबंधी छूट प्रदान की गई है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक संशोधित केसीसी योजना भी लागू की गई है। ₹1 लाख से ऊपर के सभी कृषि ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के मानदंडों में छूट प्रदान की गई है।
- ❖ व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एसबीआई ऋण योजना शुरू की गई। विदेश में पढ़ाई करने के लिए ऋण राशि बढ़ाकर ₹ 30 लाख कर दी गई।

➤ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना

- ❖ सीएमपी केन्द्र के माध्यम से एनपीसीआई आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करने वाला भारतीय स्टेट बैंक देश का पहला बैंक बन गया है। इस प्रणाली में आधार नंबर के आधार पर एलपीजी सब्सिडी का अंतरण किया जाता है।
- ❖ ऑन लाइन बचत बैंक आवेदन एवं ई-आरडी, टीडीआर/एसटीडीआर खातों की सुविधा प्रारंभ की गई जिसका हमें ग्राहकों से काफी उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। एटीएमों के माध्यम से टीडीआर/एसटीडीआर जारी करना शुरू किया गया।
- ❖ चालू खाता/ओडी/कॅश क्रेडिट विवरण, आवास ऋण ब्याज प्रमाणपत्र, जमा खाता प्रमाणपत्र, की केंद्रीकृत प्रिंटिंग जिससे ग्राहक सुविधा बढ़ सके। वर्ष के दौरान शुरू की गई यह सेवा ग्राहकों के लिए सुविधाप्रद सिद्ध हुई है।
- ❖ लक्ष्य समूहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान एक नई श्रृंखला के प्लास्टिक कार्ड जारी करने शुरू किए गए हैं। कारपोरेट ग्राहकों के लिए प्राइड एवं प्रीमियम नाम से दो प्रकार के स्टेट बैंक बिजनेस डेबिट कार्ड शुरू किए गए हैं। तीव्र गति से नकदी जमा करने में व्यापारियों एवं सेवा प्रदायकर्ताओं के लिए इंस्टा डिपोजिट कार्ड। सभी रिटेल ग्राहकों के लिए स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड।
- ❖ स्टेट बैंक मॉबी केश ईजी ए मॉबाइल वेलेट वर्ष के दौरान शुरू किए गये।
- ❖ कर्मचारी भविष्य निधि की उगाही के लिए ई-चालान जो शाखाओं और कारपोरेट इंटरनेट के द्वारा जारी किए जाते हैं, वर्ष के दौरान शुरू किए गए।

1.2 व्यवसाय समूह**क. वैश्विक बाजार परिचालन**

वैश्विक बाजार इकाई प्रमुख रूप से बैंक की तरलता, संपूर्ण विदेशी मुद्रा लेनदेनों एवं उनकी लेखा पुस्तकों में निवेश संविभाग का प्रबंध करती है जो कि बैंक के तुलन पत्रक के एक तिहाई राशि के लगभग होते हैं तथा इनके अलावा भी संविभाग प्रबंध एवं विदेशी मुद्रा उत्पादों जैसी अनेकों महत्वपूर्ण सेवाओं का प्रबंध करती है।



➤ **Process innovations**

- ❖ Relationship management platform was strengthened across business verticals-Accounts Management teams for corporates, premier banking services for high networth customers, relationship managers for SMEs (ME&SE)
- ❖ The number of processing cells(RACPCs/ SMECCs), supported by loan origination software, were increased and revamped, for quicker processing of loans
- ❖ Touch-points with customers were expanded, through opening of branches and increasing Customer Service Points, BC outlets in remote areas
- ❖ Cluster models were introduced at all currency chest branches for efficient cash management at semi-urban/rural areas
- ❖ A dedicated wing was created in all processing cells to monitor NPA accounts

➤ **Product changes**

- ❖ We have a great CASA franchise and savings bank accounts form the bulwark. The savings bank account is normally the first on-board facility availed by a customer and the referral point for all future services from the Bank. To preserve and enhance the value of our savings bank offering, your Bank introduced the following initiatives during the year :

- Minimum balance in savings account was done away with.
- The penalty on non-maintenance of Average Quarterly Balance stands withdrawn.
- The inter-core transfer transactions have been

made free, and cash deposit minimum charges were reduced from ₹ 25 to ₹ 10.

- Introduction of Personal Accident Insurance Policy for all savings bank account holders at a nominal rate received tremendous response.

- Proactively, providing CTS-2010 compliant multi-city cheque-books benefited all our customers

- ❖ Unfixed Deposits scheme applicable to term deposits of 6 months was extended to term deposits upto one year.
- ❖ A new tractor loan scheme with relaxations in eligibility, margin, security, interest & upfront fee was launched. Also a revised KCC scheme was rolled out for the benefit of farmers. Relaxed collateral security norms for all agri loans upto ₹1 lac was introduced.

- ❖ SBI loan scheme for Vocational Education & Training was launched while loan amount for studies abroad was raised to ₹ 30 lacs

➤ **Technology upgrades**

- ❖ SBI through CMP Centre was the first Bank to use NPCI Aadhar Payment Bridge System (APBS) for transferring LPG subsidy based on Aadhar Number.

- ❖ The Bank launched an Online Savings Bank Application facility and e-RD,TDR/STDR accounts which evoked enthusiastic response from the customers. Issuance of TDR/STDR through ATMs have been operationalised.

- ❖ Centralised printing and mailing of current account/OD/Cash credit statements, housing loan interest certificates, deposit accounts' certificates to enhance customer convenience, were initiated during the year

- ❖ The Bank issued a series of new plastic cards for the convenience of their target groups, e.g State Bank Business debit card for corporate customers in two variants-Pride & Premium, Insta Deposit cards enabling traders & service providers to quickly deposit cash, State Bank Virtual Card for retail customers

- ❖ State Bank MobiCash Easy, a mobile wallet, was introduced during the year

- ❖ E-challan cum return for collection of Employees Provident fund, through branches and corporate internet, commenced during the year.


I.2. BUSINESS GROUPS

A. GLOBAL MARKETS OPERATIONS


Global Markets Unit manages the Bank's rupee liquidity, compliance with reserve requirements and investment portfolio of the Bank besides offering a wide range of foreign exchange and hedging products to the customers. It also offers portfolio management services to large retirement funds. It constantly endeavors to keep liquidity at the optimum level while maximizing the returns.



State Bank
Virtual Card
enables secured
e-commerce
on-line
transactions,
through Internet
Banking facility.




वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षिता अनुपात को 0.75% और सांविधिक चलनिधि अनुपात 1% घटा दिया। इससे बैंक को अल्प अवधि मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र में निवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। बैंक ने सीडी में ₹75,000 करोड़ और सीपी में औसत स्प्रेड 65 से 75 आधार बिंदु पर निवेश किया। यह दर कोष बिलों पर लागू दरों से होने वाली लाभ से अधिक होने के कारण अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित कर पाई।



सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रति फल वर्ष के दौरान कम हुआ जो रिपो दरों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 आधार बिंदुओं की कमी किए जाने और मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण संभव हुआ। 10 वर्ष वाले केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में प्रति फल अप्रैल 2012 के स्तर से कम होकर 8.63% से 31 मार्च 2013 को 7.99% पर आ जाने के कारण रहा। प्रतिफल में इस कमी से बैंक के एस एल आर पोर्टफोलियो के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हुए। हमने पोर्ट फोलियो के सक्रिय प्रबंधन से ₹200 करोड़ का व्यवसाय जुटाया। सरकारी


बैंक को
“देश में सर्वोत्कृष्ट
विदेशी विनिमय सेवा
प्रदाता”
एशियामनी सर्वेक्षण
2012 में घोषित
किया गया।

प्रतिभूतियों में प्रतिफल में 64 आधार बिंदुओं की कमी के बाद बावजूद एस एल आर पोर्टफोलियो पर प्रति लाभ 5000 आधार बिंदु मामूली सा कम रहा क्योंकि पोर्टफोलियो का पुनः समतुलन किया गया था।




चूंकि प्रतिफलों में कमी का दौर चल रहा था इसलिए बैंक ने निर्णय लिया कि पोर्टफोलियों की अवधि को बढ़ा दिया जाए। बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों की ₹35,000 करोड़ की दीर्घ दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद की। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक की कुल राशि के उच्च प्रतिफल वाले कॉर्पोरेट बांडों में भी निवेश किया। विश्व बाजार प्रबंधन के तहत सकल निधि राशि 31 मार्च 2013 को ₹ 4 लाख करोड़ पर बंद हुए थे।


इस वर्ष इक्विटी की स्थिति में सुधार हुआ जो अमरीका की बेहतर आर्थिक स्थिति, यूरोजोन में कम दबाव, भारत सरकार के सुधारोन्मुख उपायों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती किए जाने के कारण संभव हुआ। बैंक ने अनेक कार्यनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में निवेश किया। विश्वबाजार में निफ्टी स्टॉकों में स्वत्वधारी खरीद फरोख्त में वृद्धि हुई। बैंक ने नकदी प्रबंधन और अधिक प्रतिलाभों के लिए म्यूच्युल फंड स्कीमों का भी उपयोग किया। बैंक ने इक्विटी और म्यूच्युल फंडों से लगभग ₹600 करोड़ का लाभ कमाया।



बैंक प्रायवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल निधियों निवेशों के क्षेत्र में निरंतर अवसर खोजता रहा। वर्ष के दौरान विभिन्न वेंचर कैपिटल फंडों में ₹100 करोड़ का निवेश किया। बैंक ने वर्ष 2013 के दौरान प्रायवेट इक्विटी निवेशों में से आंशिक राशि निकाल ली जिस कारण 45.25% से अधिक आयआरआर पर ₹50 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया। अनुकूल मूल्य और बाजार स्थितियों के कारण बैंक ने अन्य कार्यनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निवेशों में से भी राशि निकाली जिस कारण ₹65 करोड़ का लाभ हुआ। बैंक ने प्राथमिक बजार और भारत सरकार के




During the year the Reserve Bank of India reduced Cash Reserve Ratio by 0.75% and Statutory Liquidity Ratio by 1%. The Bank therefore had ample liquidity during the year. This offered the Bank opportunities to invest in short term money market instruments like Commercial Papers (CPs) and Certificate of Deposits (CDs). Bank invested over ₹ 75,000 Crores in CDs and CPs at an average spread of 65 to 75 basis points (BPs) over applicable yield on Treasury Bills, thereby earning additional interest income.



The Bank was adjudged the “Best Overall Domestic Provider of FX Services” in the Asiamoney Polls 2012


The yield on Government securities declined during the year responding to the Repo rate cuts of 100 BPs by the RBI and moderation in inflation. Yield on the benchmark 10 year Central Government securities declined from 8.63% in April 2012 to 7.99% by 31st March 2013. This reduction in yield offered opportunities for churning the SLR portfolio of the Bank.

We booked more than ₹ 200 Crores from active management of the portfolio. Despite a fall of 64 BPs in yield on Government Securities, the return on SLR portfolio was only marginally lower by 5 basis points, because of dynamic rebalancing of the portfolio.



As the yields were in a declining trend, the Bank decided to increase duration of the portfolio. The Bank purchased long dated Securities of over ₹ 35,000 Crores of Central and State Governments. The Bank also invested in high yielding corporate bonds aggregating to more than ₹ 10,000 Crores during the year. The gross corpus of funds under the management of Global Markets was close to ₹ 4 lac Crores as on 31st March 2013.

Equities witnessed a turnaround this year led by improved economic situation in the USA, reduced stress in Eurozone, pro-reform measures of the Indian Government as well as rate cuts by the RBI. While the Bank remains invested in multiple strategic positions, Global Markets increased proprietary trading in Nifty stocks. The Bank also used Mutual fund schemes for liquidity management and higher returns. The Bank made a profit of about ₹ 600 Crores from Equity and Mutual Funds.



The Bank continued to explore opportunities in the area of private equity and venture capital fund investments. During the year, investments of ₹ 100 Crores were made in different venture capital funds. Bank also partially exited from one of the private equity investments during FY13 resulting in a profit in excess



विनिवेशन कार्यक्रम में लगभग ₹1,300 करोड़ का निवेश करके ऑफर फॉर सेल माध्यम से सहभागिता की।

वैश्विक बाजार अपने ग्राहकों को उनके मुद्रा प्रवाहों एवं बचाव जोखिमों के प्रबंध के लिए ऑप्शनों, स्वैप, वायदा एवं सरीफा सेवाओं के माध्यम से सभी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा समाधान सेवाएं प्रदान करता है। पूरे देश भर में अपनी उपस्थिति के कारण हमारा बैंक शाखाओं एवं डीलिंग रूम के माध्यम से एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें उसके ग्राहकों के बीच निर्बंध रूप से मुद्रा के प्रवाह की प्रक्रिया होती है। अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने का हमारा यह एक सतत प्रयास है। इस कार्य के लिए हमारे ट्रेजरी विपणन कार्यालय अपने ग्राहकों को बाजारों के संबंध में इनपुट प्रदान करके एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का सुझाव देकर इस कार्य से जोड़ने के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। बैंक ने विदेशी मुद्रा, हेजिंग, स्वर्ण और स्वत्वधारी खरीद फरोख्त में ग्राहकों से प्राप्त राशियों से ₹1600 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की। इस प्रकार इसमें 18% की वृद्धि दर्ज हुई। वैश्विक बाजार बैंक के एफसीएनआर (बी) राशियों का भी प्रबंध करता है और विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए वित्त पोषण हेतु निधियां और एफसीएनआर (बी) ऋण भी उपलब्ध कराता है।

हमारे बैंक को प्रतिष्ठित एशियामनी सर्वेक्षण 2012 में 'फॉरेक्स सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ समग्र घरेलू प्रदायकर्ता' चुना गया है। हमारे बैंक को "बेस्ट फॉर फॉरेक्स आप्शन" एवं "बेस्ट फोर फॉरेक्स प्रॉडक्ट एंड सर्विसेज" श्रेणियों में नंबर एक श्रेणी प्रदान की गई है तथा इसी चुनाव में "बेस्ट फॉर फॉरेक्स रिसर्च एंड मार्केटकवरेज" श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनसे हमें अपने सम्मानित ग्राहकों को सतत आधार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रोत्साहन मिलता है।

हम देश भर में सेवानिवृत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की निधियों में संविभाग प्रबंध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा संविभाग सेवाएं अनुभाग ने निरन्तर आधार पर निजी सेवा क्षेत्र के अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए ईपीएफओं निधियों के लिए लाभ अर्जितकिया है तथा जिसकी प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ (एयूएम) ₹ 2,38,000 करोड़ से अधिक है। पिछले वर्ष ईपीएफओ क्षेत्र में हमें सर्वोत्कृष्ट फंड प्रबंधक का खिताब मिला है।

ख. कारपोरेट बैंकिंग समूह

बैंक के कारपोरेट बैंकिंग समूह की तीन कार्यनीतिक व्यवसाय इकाईयाँ है यथा कारपोरेट लेखा समूह, लेनदेन बैंकिंग इकाई एवं परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू।

ख.1. कारपोरेट लेखा समूह (कैग)

कारपोरेट लेखा समूह बैंक के बड़े ऋण पोर्टफोलियो की देख रेख करने के लिए एक विशेष कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई है। इस कार्यनीतिक व्यवसाय इकाई के 6 क्षेत्रीय केंद्रीय यथा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में महाप्रबंधकों के नेतृत्व में कार्यरत कार्यालय हैं। यह व्यवसाय मॉडल रिलेशनशिप प्रबंध संकल्पना के इर्दगिर्द कार्य करता है तथा प्रत्येक कारपोरेट ग्राहक को एक रिलेशनशिप प्रबंधक के

साथ कार्यसंबंध किया गया है जो प्रति कार्यात्मक ग्राहक सेवा दल का नेतृत्व करता है। रिलेशनशिप कार्यनीति को ग्राहकों को एकीकृत एवं व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें एक निश्चित समय सीमा में व्यवसाय कायाकल्प सहित उद्दिष्ट उत्पाद प्रदायगी शामिल है। इस कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक को सर्वोच्च कारपोरेटों के लिए सबसे पसंदीदा सेवा प्रदायकर्ता बनाना एवं अपनी लाभप्रदता की हिस्सेदारी में और अधिक वृद्धि करना एवं निवेश की गई पूंजी से आय में सुधार करना शामिल है। सीएजी में रिलेशनशिप प्रबंधन के पीछे एक सतत लेखा आयोजना कार्य की भावना है जिसकी वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा सक्रियता से समीक्षा की जाती है।



दामोदर घाटी निगम को ₹2437 करोड़ के ऋण वितरण के लिए करार

तालिका 2 : कैग का व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

सुविधा	मार्च-12	मार्च-13	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
निधि आधारित (बकाया)	125286	175831	40%
गैर निधि आधारित (राशि)	337486	409477	21%

कैग की निधि आधारित बकाया राशियाँ बैंक के कुल ऋणों का 16% है बैंक के देशीय विदेशी मुद्रा व्यवसाय मुद्रा के लगभग 59% की देख रेख करता है। वर्ष के दौरान कैग ने एस्सार ऑइल, एचडीएफसी, हिंडलको इंडस्ट्रीज, एस्सार स्टील, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन, डीवीसी, जेएसडब्ल्यू, एनर्जी आदी ग्राहकों के अनेक उच्च मूल्य वाले सौदों की देखरेख की।

रुपये के मूल्यहास परिवेश में कैग के अनेक ग्राहकों ने विदेशी मुद्रा में ऋण लेना पसंद किया। इस प्रकार कैग ग्राहकों जैसे सरकारी क्षेत्र के बड़े तेल उपक्रमों और टाटा, रिलायंस, एस्सार, अदानी, जेएसडब्ल्यू आदि समूह से बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जुटाया अधिग्रहण निधियों के अत्यंत प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में भी कैग ने हॉटन इंटरनेशनल आयएनसी द्वारा हिंदुजा के अधिग्रहण



of ₹ 50 Crores at an IRR of more than 45.25%. Due to favorable valuations and market conditions, Bank also exited from another strategic investment resulting in a profit of ₹ 65 Crores. The Bank also participated in the primary market and disinvestment programme of the Government of India through Offer For Sale (OFS) route by investing about ₹ 1,300 Crores.

Global Markets provides foreign exchange solutions to the customers in all currencies for managing their currency flows and hedging risks through options, swaps, forwards and bullion services. Given the large presence across the country, the Bank provides a world class technology platform to seamlessly process currency flows between its customers through branches and the dealing room. This is part of our continuous endeavour to provide enhanced services to our customers. The Treasury Marketing outfits complement this by engaging with customers to provide them with inputs about markets and suggest products to suit their requirements. The Bank earned income of over ₹ 1600 Crores from covering the customer flows in foreign exchange, hedging, gold, and proprietary trading, registering an increase of 18%. Global Markets also manages FCNR(B) corpus of the Bank and provides funds for Export Finance in Foreign Currency and FCNR(B) loans.

The Bank was also ranked number one in the “Best for FX options” and “Best for FX Products and Services” categories and number two in the “Best for FX Research & Market Coverage” category in the same poll. These help us to consistently improve our service to our esteemed customers.

The Bank provides portfolio management services to an array of retirement funds in the country consistently giving better returns. The Portfolio Management Services section, with an AUM of over ₹ 2,38,000 Crores, has consistently outperformed private sector peers in generating returns for the EPFO funds. Last year, the bank was adjudged the best fund manager for EPFO.

B. CORPORATE BANKING GROUP

The Bank's Corporate Banking Group consists of three Strategic Business Units viz. Corporate Accounts Group, Transaction Banking Unit and Project Finance & Leasing SBU.

B.1. Corporate Accounts Group (CAG)

CAG is the dedicated SBU for handling the large credit portfolio of the Bank. The SBU has Offices in

6 regional centers viz. Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Hyderabad and Ahmedabad headed by General Managers. The business model of CAG is centered around the Relationship Management concept and each client is mapped to a Relationship Manager who spear-heads a cross-functional Client Service Team. The Relationship strategy is anchored on delivering integrated and comprehensive solutions to the clients, including structured products, within a strict Turn-Around-Time. The principal objective of the strategy is to make SBI the first choice of the top corporates thereby deepening the wallet-share and improving the Return on Capital Employed. A sustained Account Planning exercise with rigorous review by senior management sets the pace for the Relationship Management in CAG.



Coastal Gujarat Power of Tata Group, Mundra, (Guj)

Table 2: Business Performance of CAG (₹ in cr)

Facility	Mar-12	Mar-13	YoY Growth
Fund Based (O/s)	125286	175831	40%
Non Fund Based (Vol)	337486	409477	21%

While the Fund Based outstandings of CAG constitute 16% of total credit portfolio of the Bank, CAG also handles about 59% of the domestic forex business of the Bank. During the year, CAG handled several high value deals for clients such as Essar Oil, HDFC, Hindalco Industries, Essar Steel, Power Grid Corporation, DVC, JSW Energy etc.

In an environment of depreciating Rupee, several CAG clients prefer to borrow in foreign currency. Significant International business is thus originated from CAG clients like PSU Oil Majors and groups such as Tata, Reliance, Essar, Adani, JSW, etc. In the highly



और एक्सॉन मोबिलिस ग्लोबल बीओपीपी व्यवसाय द्वारा बीसी जिंदल ग्रुप के अधिग्रहण सौदों के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।



एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, भटिंडा, पंजाब

कैग की आस्ति गुणवत्ता नियंत्रित बनी रही। कुल अग्रिमों में सकल एनपीए 0.57% पर रहे। कैग पोर्टफोलियो का लगभग निवेश श्रेणी में आता है। बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 40% आस्तियों को उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई।

कैग की मजबूत वृद्धि को देखते हुए बड़े केंद्रों पर और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। शुरू में कार्यालय मुंबई और दिल्ली में खोले जाएंगे। कैग के सभी कार्यालयों का नेतृत्व महाप्रबंधकों द्वारा समूह के बढ़ते कारोबार को देखते हुए किया जा रहा है। इससे कैग के उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ वरिष्ठ स्तर पर बातचीत में सुविधा होगी। ऋण वितरण के कार्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मुख्य परिचालन अधिकारी के पद को सभी कैग इकाइयों में बढ़ाकर उप महाप्रबंधक का कर दिया गया है।

ख.2 लेनदेन बैंकिंग इकाई

लेनदेन बैंकिंग इकाई के द्वारा नकदी प्रबंधन उत्पादों, व्यापार वित्त एवं सप्लाय चैन (डीलर /वैंडर) वित्तपोषण पर निगरानी का कार्य करती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसने अपने कार्यकलापों में विस्तार किया है।

❖ बैंक में नकदी प्रबंधन (सीएमपी) सेवाओं का कार्य 722 केंद्रों पर 1219 प्राधिकृत शाखाओं के द्वारा किया जाता है। सामान्य चेक एवं नकदी संग्रहण के अलावा इसके माध्यम से नकदी/चेक पिकअप एवं सर्वजनिक निर्गमनों के लिए घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य सीएमपी के द्वारा किया जाता है। लाभांश वारंट, मल्टीसिटी चेक, आईपीओ और ई-पेमेंट इत्यादि भुगतान सेवाएं सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। सीएमपी ने

राज्य सरकार की भुगतान प्रणालियों को बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत कर दिया है। वह राज्य सरकारों को उनके महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ई - गर्वनेंस परियोजना (एनईजीपी) को केन्द्रिकृत भुगतान समाधान सुविधा प्रदान करा रहा है। एसबीआई पहला बैंक था जिसने आधार नंबरों पर एलपीजी सब्सिडी अंतरित करने के लिए एनपीसीआई आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का उपयोग किया।

❖ ई-ट्रेड एसबीआई एक वेब आधारित पॉर्टल है जो ग्राहकों को विश्व के किसी भी हिस्से से ऑन लाइन आधार पर साख पत्रों, बैंक गारंटियों को दर्ज करने एवं बिल संग्रहण / परक्रामण अपेक्षाओं की पूर्ति की सुविधा प्रदान करके ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा एवं व्यापार वित्त सेवाओं के लिए आसान एक्सेज प्रदान कर रहा है। इस सेवा का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है तथा 31.03.2013 को ई-ट्रेड के अंतर्गत 1326 कारपोरेट रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे तथा ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रति माह 11000 से अधिक लेनदेन हो रहे थे।

❖ ई-वीपीएस (इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फायनेंसिंग स्कीम) एवं ई-डीएफएस (इलेक्ट्रॉनिक डीलर फायनेंसिंग स्कीम) एक पूर्णतया यांत्रिकृत एवं सुरक्षित उत्पाद हैं जो कि कारपोरेटों के कार्यशील पंजी चक्र के प्रभावी प्रबंध के लिए एवं व्यवसाय साझेदारों की सतत संवृद्धि एवं लाभप्रदता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

❖ वित्तीय संस्था व्यवसाय इकाई (एफआईबीयू) एक प्रकार की विशेषीकृत सर्व केन्द्रित इकाई है जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं से भावी व्यवसाय अवसरों को भुनाना है तथा यह अपने अधीन 15 बीमा कंपनियों, 26 म्यूचअल फंड कंपनियों, 45 एनबीएफसी एवं 15 बैंकों को ला चुकी है।

❖ परियोजना वित्त एवं लीजिंग एसबीयू (पीएफएसबीयू) संरचनात्मक क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निधियों के प्रबंध का कार्य करता है जैसे ऊर्जा, टेलिकॉम, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट एवं अन्य शहरी संरचनात्मक परियोजनाओं के अलावा धातु, सीमेंट आदि क्षेत्रों में अन्य गैर-संरचनात्मक परियोजनाओं का कार्य भी किया जाता है। जिसके लिए कुछ न्यूनतम प्रारंभिक परियोजना लागत लगती है।

तालिका 3 : पीएफएसबीयू का व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13
परियोजना लागत	109293	166299
परियोजना ऋण	84858	88033
संस्वीकृत राशि	24976	24119
समूहन राशि	18160	33454

31 मार्च 2013 को परियोजना वित्त एसबीयू के साथ कार्यान्वयन के अधीन संरचनात्मक परियोजनाओं के संविभाग में कुल 52,836 मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं का समावेश है जिसमें 1720 मैगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं भी शामिल हैं। टेलिकॉम परियोजनाओं में 303 मिलियन अभिदाताओं को प्रदान की जाएंगी। 5386 किमी की दोहरी लेन, चार लेन एवं छह लेन वाली सड़कों की परियोजनाएं चल रही हैं;

बैंक की अग्रिमों में वृद्धि मुख्यतया कारपोरेट ऋणों के कारण हुई जो वर्ष 2012-13 के दौरान 40% से अधिक बढ़े।



competitive area of Acquisition Funding also, CAG has registered a strong presence through deals such as Hinduja's acquisition of Houton International Inc, USA and B C Jindal group's acquisition of Exxon Mobil's global BOPP business.



Simhadri Power Project of NTPC, Visakhapatnam district (A.P.)

The Asset quality of CAG remained well under control with the Gross NPAs at 0.57% of total advances. About 87% of CAG's portfolio is investment grade with 40% carrying the highest rating from the External Credit Rating Agencies.

In the backdrop of the robust growth of CAG, it is proposed to open additional Offices in major centres beginning with Mumbai and Delhi. All CAG Offices are now headed by General Managers in line with the rising business profile of the Group and to facilitate interaction at senior level with due regard to the high profile of the CAG clients. Keeping in view the critical importance of the delivery platform, the incumbency of the Chief Operating Officer has also been upgraded to the level of Dy. General Manager in all CAG units.

B.2. Transaction Banking Unit (TBU)

TBU oversees Cash Management Products, Trade Finance and Supply Chain (Dealer / Vendor) Finance and has expanded its activity during the last three years.

❖ **Cash Management Product (CMP)** collection services in the Bank are now offered through 1219 authorized branches located at 722 Centres. Besides usual cheque and cash collections, Doorstep Banking for

The Bank's growth in advances is mainly attributable to loans to Corporates, which grew by over 40% during 2012-13.

cash / cheque pickup and collections for Public Issues (IPO/Bonds), are being handled by CMP. Payment services comprising Dividend Warrants, Multi City Cheques, IOIs and e-payment are extended through all branches. CMP Centre has integrated the State Government Payments Systems with the Core Banking Solution of the Bank providing Centralized Payment Solutions to the State Governments in their ambitious National e-Governance Project (NeGP). SBI was the first Bank to use NPCI Aadhar Payment Bridge System (APBS) for transferring LPG subsidy based on Aadhar Numbers.

❖ **e-Trade SBI**, a web-based portal, to enhance customer comfort and provide easy access to trade finance services, by enabling customers to lodge Letters of Credit, Bank Guarantees and Bills Collection/negotiation requirements online from any corner of the world has been well received, with 1326 Corporates registered under e-Trade SBI as on 31.03.2013 and more than 11000 transactions per month through e-Trade platform.

❖ **e-VFS (Electronic Vendor Financing Scheme) & e-DFS (Electronic Dealer Financing Scheme)** are fully automated and secured products, designed to ensure efficient management of working capital cycle of the corporates and sustained growth and profitability of business partners.

❖ **Financial Institutions Business Unit (FIBU)**, a dedicated vertical created for capturing potential business opportunities from financial institutions, has been able to bring on board 15 Insurance Companies, 26 Mutual Fund Companies, 45 NBFCs and 15 Banks.

B.3. Project Finance & Leasing SBU (PFSBU)

PFSBU deals with the approval and arrangement of funds for large projects in infrastructure sectors like power, telecom, roads, ports, airports, other urban infrastructure as also other non-infrastructure projects in sectors like metals, cement etc., with certain threshold on minimum project cost.

Table 3 : Business Performance of PFSBU (₹ in cr.)

	2011-12	2012-13
Project Cost	109293	166299
Project Debt	84858	88033
Sanctioned Amount	24976	24119
Syndication Amount	18160	33454



40 एमटीपीए के बहुउद्देश्य कारगो एवं 1.2 मिलियन टीईयू की कटेनर क्षमता को संभालने वाले नए बंदरगाह, हैदराबाद में मेट्रो परियोजना के अलावा स्टील, सीमेंट, शहरी संरचना, सीआर ई आदि के क्षेत्र में भी कई प्रकार की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान कुल (खाद्य एवं खादेतर) ₹12,884 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15,410 करोड़) का संवितरण इन परियोजनाओं को किया गया है।

तालिका 4 : --2012-13 के दौरान बड़े सौदे:

परियोजना	विवरण
टाटा स्टील ओडीसा	6 मिलियन टीपीए क्षमता वाला एकीकृत स्टील संयंत्र
ओएनजीसी पेट्रो-एडीशंस	एथिलिन का 1100 केटीपीए और 400 केटीपीए प्रॉपीलीन का ग्रीन फील्ड पेट्रो रसायन संयंत्र
जिंदल पॉवर	1200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पॉवर संयंत्र की स्थापना
वीडियोकॉन	सावधि ऋण पुनर्वित्त और मोजाबिक ऑयल ऑपरेशन के लिए एसबीएलसी। इस सौदे को बिजनेस वर्ल्ड मैगना वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संरचित सौदे का पुरस्कार।



आधुनिकतम प्रौद्योगिकी आधारित कपड़ा बुननेवाली इकाई - आलोक इंडस्ट्रीज, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली - वित्तप्रदाता मध्य कारपोरेट समूह

बैंक ने 21 प्रख्यात परामर्शदाताओं का एक पैनल गठित किया है। ये सरकारी क्षेत्र के अग्रणी उपक्रमों के पूर्व सीईओ/निदेशक रह चुके हैं और इन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस विशेषज्ञ पैनल के गठन से विद्युत, तेल शोधन, धातु, उर्वरक, दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का मूल्यांकन करने में पीएफएसबीयू की क्षमता और बढ़ जाएगी।

ग. मिड कारपोरेट समूह

मध्य कारपोरेट समूह (एमसीजी) की 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अपने 13 कार्यालय अहमदाबाद, बंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नई, (2), हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई (2), नई दिल्ली (2) और पुणे में तथा 60 शाखाएँ हैं। वर्ष के दौरान इसके अग्रिम ₹1,70,442 करोड़ से बढ़कर ₹2,04,853 करोड़ पर पहुंच गए।

व्यवसाय की संख्या और मात्रा दोनों में विस्तार और वृद्धि को देखते हुए मध्य कारपोरेट समूह, कारपोरेट केंद्र में अक्टूबर 2012 में एक अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) पदस्थ किए गए। दो सीजीएम के बीच कार्य विभाजन भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों का और दूसरे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की देखरेख करते हैं। ये उप प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक की एमसीआरओ/एमसीजी शाखाओं की बढ़ी हुई संख्या और व्यवसाय के बढ़ते विविधीकरण के अनुरूप उनकी सहायता कर रहे हैं। इसी तरह, एक अतिरिक्त महाप्रबंधक वर्ष 2012-13 के दौरान दिल्ली, मुंबई और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ किए गए और इन्हें एमसीजी शाखाओं का स्पष्ट आवंटन और उससे जुड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इन केंद्रों में महाप्रबंधकों की संख्या को दुगुना करने से ग्राहकों वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंच पहले की तुलना में बढ़ी है और ऋण वितरण भी बेहतर हुआ है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाला नया व्यवसाय जुटाने पर भी और अधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है। वर्ष के दौरान 16 मध्य कारपोरेट शाखाओं में सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के पद को बढ़ाकर उप महाप्रबंधक (डीजीएम) का कर दिया गया है। इन शाखाओं का नेतृत्व अब एजीएम के स्थान पर डीजीएम द्वारा किया जा रहा है जिससे ग्राहकों को अपनी ऋण संबंधी और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं का और कारगर समाधान मिल पाएगा।

लेखा प्रबंधन टीम (एएमटी) मॉडल को सभी शाखाओं (214 एएमटी) में कार्यान्वित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक टीम में पहले की अपेक्षा कम खाते हैं तथा यह टीम बेहतर ऋण सुपुर्दगी एवं वैयक्तिक खातों पर पूर्ण व्यवसाय केन्द्रित पर अपना काम करता है। एएमटी व्यवस्था के अंतर्गत में संस्वीकृति पूर्व एवं संस्वीकृति उत्तर औपचारिकताएं एक ही टीम के द्वारा पूर्ण की

मध्य कारपोरेट समूह के निधि आधारित व्यवसाय में 18% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।



As on 31.03.2013, the portfolio of infrastructure projects under implementation with PFSBU involves Power projects with aggregate capacity of 52,862 MW; Telecom Projects serving 303 million subscribers; Road projects covering 5,386 kms; new Ports to handle 40 MTPA multi-purpose cargo and 1.2 million TEU of container capacity; Metro project in Hyderabad besides a host of projects in steel, cement, Urban Infra, CRE etc. During the year, a total (FB + NFB) of ₹12,884 crores (₹15,410 crores in FY 12) were disbursed to these projects.

Table 4: Major deals during 2012-13:

Project	Details
Tata Steel Odisha	Integrated Steel Plant of 6 mio TPA capacity.
ONGC Petro-additions	Greenfield Petro-Chemical Plant of 1100 KTPA of ethylene and 400 KTPA of propylene.
Jindal Power	Setting up Thermal Power Plant of 1200 MW capacity.
Videocon Industries	Term loan refinance and SBLC for Mozambique Oil operations. The deal won the Business World Magna best structured deal of the year award.



Thermal Power Plant of Neyveli Lignite Corporation, Neyveli, Tamilnadu

The Bank has constituted a panel of 21 eminent Consultants who are former CEOs/ Directors of leading PSUs with domain expertise in various important sectors. The expert panel has significantly enhanced the capability of PFSBU in evaluating the techno-economic feasibility of projects in critical sectors like Power, Oil Refining, Metals, Fertilizers, Telecom etc.

C. MID CORPORATE GROUP

Mid Corporate Group (MCG), through its 13 regional offices at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai (2), Hyderabad, Indore, Kolkata, Mumbai (2), New Delhi (2) and Pune, has 60 branches as on 31.03.2013. During the year, the advances grew from ₹1,70,442 crores to ₹2,04,853 crores.



On the successful conclusion of sanction process of ₹2,650 crores Corporate Loan Facility to Rastriya Ispat Nigam Ltd (RINL), our Chairman along with Shri A.P. Chaudhary, Chairman, RINL keenly observing a model of the steel plant.

Looking to the expansion and growth in business, both in number and volumes, an additional Chief General Manager (CGM) was posted in October 2012 at the Mid Corporate Group, Corporate Centre. The distribution of work between the 2 CGMs is based on geographical lines, with one looking after Northern and Southern regions and the other Eastern and Western regions - assisting the DMD & Group Executive in handling the increased number of MCROs/MCG branches and the growing complexities of business. Similarly, an additional General Manager has been posted at Delhi, Mumbai and Chennai Regional Offices during 2012-13, with clear allocation of MCG branches and attendant responsibilities. The doubling of General Managers at these centres has provided customers with greater

The fund-based business of Mid Corporate Group recorded an impressive growth of 18%.



जाती हैं। इस टीम में रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट और सर्विस आफिसर होते हैं जो ग्राहकों की अपेक्षाओं पर समुचित रूप से विचार करने और उससे जुड़े जोखिमों का सही सही आकलन करने में सहायता करते हैं।



आरतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक

आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों की ओर छोटे कदम एसबीआई आवर्ती जमा



- ☑ सुरक्षित
- ☑ विश्वसनीय
- ☑ उच्च आय
- ☑ स्रोत पर कर की कटौती नहीं

एमसीजी द्वारा अनेक महासम्मेलन आयोजित किए गए। इनमें प्रमुख कार्याधिकारियों के साथ परामर्शन सत्र किए गए जिससे वे व्यवसाय के रुझानों के समझकर उनका सही सही विश्लेषण कर सकें। ये महासम्मेलनों में शीर्ष कार्यपालकों और और शाखा स्तरीय परिचालन अधिकारियों के

बीच खुला और विस्तृत विचार-विमर्श होने से व्यवसाय संवर्धन और आस्ति प्रबंधन के लिए योजना तैयार करने में अत्यंत उपयोगी रहे।

शीर्ष श्रेणी प्राप्त ग्राहकों के लिए और अधिक आकर्षक कीमत निर्धारण और शर्तें अच्छी गुणवत्ता वाली आस्तियों के लिए सुनियोजित प्रयास करने से निवेश श्रेणी से ऊपर वाली आस्तियों का कुल प्रतिशत मार्च 2012 के 64.26% से बढ़कर मार्च 2013 में 68.31% पर पहुंच गया।

समूह ने विदेश में आस्ति/कंपनी अधिग्रहण में भारतीय कंपनियों की मदद की और विस्तार योजनाओं में सहायता प्रदान की। इनमें विदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों (एलओसी समर्थित) को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के माध्यम से बाहरी ऋणों के रूप में सहायता करना भी शामिल है। विगत वर्षों में समूह ने भारतीय कंपनियों द्वारा यूएसए, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में इस प्रकार के कई अधिग्रहणों में मदद की है।

इसके साथ साथ कमजोर/तनावग्रस्त खातों के प्रवर्तकों से निकट से जुड़कर बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए। इससे एमसीजी की अनर्जक आस्तियाँ दिसंबर 2012 के स्तर ₹19,777 करोड़ से घटकर मार्च 2013 में ₹18,443 करोड़ रह गईं। कुल अग्रिमों में एनपीए के प्रतिशत को न केवल नियंत्रित किया गया अपितु वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही में इसमें जबरदस्त कमी लाई गई।

मध्य कारपोरेट अर्थव्यवस्था में धीमेपन के काफी प्रभावित हुए हैं जिससे आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। मूल्यांकन/संस्वीकृति, अनुवर्तन और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त किया गया। सीडीआर और गैर-सीडीआर दोनों प्रकार के पुनर्संरचना वाले मामलों की हाल ही में संख्या बढ़ने को देखते हुए समूह में कारपोरेट केंद्र के स्तर पर महाप्रबंधक (पुनर्संरचना) का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है। इन परिवर्धनों से डीएमडी को ग्राहक संबंध बढ़ाने में वरिष्ठ अधिकारियों की और अधिक सहायता मिल सकेगी।



access to senior officials, and has also resulted in improved credit delivery - with greater thrust on attracting good quality new business. During the year, the incumbency of 16 Mid Corporate branches was upgraded from Assistant General Manager (AGM) to Deputy General Manager (DGM). With these branches now being headed by DGMs, instead of AGMs earlier, the customers would have more effective resolution of their credit and other related problems.

Account Management Team (AMT) Model, with manageable number of accounts in each team, has been implemented at all branches (214 AMTs), for better credit delivery and focused attention to individual accounts. In the AMT set-up, both pre and post-sanction formalities are handled by the same team - consisting of Relationship Manager, Credit Analyst and Service Officer, which helps in having a holistic view of the requirements of customers as also the underlying risks.

The MCG held several conclaves, essentially as brainstorming sessions with the key functionaries to understand and analyse the trends of business. The frank and detailed exchange of views between the top executives and the operating officials on the ground, in these conclaves, were extremely useful in planning business growth and asset management.

As a result of a concerted drive for selecting good quality assets by making pricing and other terms more

attractive for top rated customers, the total percentage of assets above investment grade grew from 64.26% as on March 2012 to 68.31% as on March 2013.

The Group also assisted companies in India to acquire assets / companies overseas and provides support for such expansion plans, including by way of external loans to overseas subsidiaries/JVs (backed by LoCs) through the International Banking Group. Over the years, the Group has helped many such acquisitions by Indian companies in USA, Europe, Australia, Africa, etc.

Simultaneously, a conscious attempt was made to improve the asset quality through intense engagement with promoters of weak/stressed accounts. Consequently, the Non Performing Assets (NPAs) of MCG declined from ₹19,777 crores as on December 2012 to ₹18,443 crores as on March 2013, and NPAs as a percentage of total advances were not only contained but also significantly brought down in the last quarter of 2012-13.

The Mid Corporates have been more severely affected by the down-turn in economy - leading to deterioration in asset quality. The processes of appraisal/sanction, follow-up and supervision were, therefore, significantly beefed up. An additional position of General Manager (Restructuring) has also been created in the Group at Corporate Centre, in view of the recent increase in restructuring cases - both CDR and non-CDR. With these additions, the DMD has greater support from senior officials to look after customer relationships.



घ. राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

तालिका 5: एनबीजी व्यवसाय निष्पादन (₹ करोड़ में)

स्थिति	31.3.2011	31.03.2012	31.03.2013	वायटीडी वृद्धि	
	स्तर	स्तर	स्तर	समग्र	(%)
खंड जमा-राशियाँ	7,91,836	9,12,848*	10,48,136	1,35,288	14.82
खंड अग्रिम	3,75,037	4,29,509*	4,96,394	66,885	15.57

(*इन आंकड़ों में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एमसीजी को अंतरित किए गए खातों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं)

व्यवसाय राशि, शाखा नेटवर्क, और मानव संसाधनों के अनुसार, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह बैंक का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। इस समूह में पांच कार्यनीतिक इकाइयाँ हैं, जिनमें ग्रामीण बैंकिंग (आरबीयू), वैयक्तिक बैंकिंग (पीबीबीयू), स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आरई-एचएंडएचडी), लघु एवं मध्यम उद्यम, (एसएमईबीयू) और सरकारी व्यवसाय इकाई (जीबीयू) शामिल हैं। 31 मार्च 2013 को बैंक के कुल व्यवसाय में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह का हिस्सा कुल देशीय जमा-राशियों में 95.05% और कुल देशीय अग्रिमों में 56.70% रहा।

31 मार्च 2013 को राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में कुल 14,816 देशीय शाखाओं में से 14,733 शाखाएं शामिल थीं जो 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के द्वारा नियंत्रित होती हैं।

हमारी शाखाओं में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, हमने अपनी सभी शाखाओं को वातानुकूलित बनाया है और शाखाओं के परिवेश में सुधार किया है। बड़ी संख्या में सहायकों की भर्ती करने से, शाखा विस्तार कार्यक्रम में भी तेजी आई है, और वर्ष के दौरान हमारी शाखाओं की संख्या में 719 शाखाओं की और वृद्धि हुई है। नई शाखाओं को बहुत अच्छे परिवेश, एयर-कंडिशनिंग, डिजिटल डिस्पले सुविधाओं और पर्याप्त स्टाफ संख्या के साथ नई शाखाएं खोली गईं।

तालिका 6: शाखा विस्तार

स्थिति	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
31.03.12	5382	3995	2502	2218	14097
वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शामिल शाखाएं	304	170	122	123	719
31.03.13	5686	4165	2624	2341	14816

परिचालन कार्य-क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमने 2 और नेटवर्कों, 7 और प्रशासनिक कार्यालयों और 81 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों की शुरुआत की है।

एटीएम नेटवर्क: भारतीय स्टेट बैंक के पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसमें वर्ष के दौरान हमने और अधिक विस्तार किया है जिससे ग्राहकों को बेहतर एटीएम सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हमने एटीएमों का अपटाइम भी बढ़ाया है।

तालिका 7: एटीएम नेटवर्क

स्थिति	एटीएमों की संख्या	एटीएम उपलब्धता समय	एटीएमों पर लेन देन की संख्या (लाख में)
31.03.12	22141	95.15%	23811
31.03.13	27175	96.42%	29324

ग्राहक संतुष्टि में और अधिक बढ़ाने और एक साथ आने वाले अवकाश दिनों के दौरान उनकी तकलीफों को कम से कम करने के लिए, हम अपनी ओर से विस्तारित बैंकिंग काम-काज का समय/अतिरिक्त कार्य दिवस प्रस्तावित करते रहे हैं।

घ.1 ग्रामीण व्यवसाय इकाई

❖ वित्तीय समावेशन

- बैंक ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन के माध्यम से 38,480 बीसी ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है।
- भारतीय स्टेट बैंक अपने व्यवसाय संपर्कों (बीसी) के माध्यम से विभिन्न तकनीकी आधारित उत्पाद उपलब्ध करा रहा है जैसे बचत बैंक, आवर्ती जमा, एसटीडीआर, धन-प्रेषण एवं एसबी-ओडी सुविधाएं।
- बैंक ने सरलीकृत केवाईसी के साथ 2.03 करोड़ लघु खाते खोले हैं।
- बैंक ने 12,931 एफआई गांवों (जनसंख्या 2000) एवं 7,600 वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) गांवों (जनसंख्या <2000) को इसमें शामिल किया है।
- वित्तीय वर्ष 12-13 के दौरान बीसी माध्यमों के अंतर्गत लेनदेनों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है जिसमें ₹13,033 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना सफलतापूर्वक प्रारंभ की गई है। 121 डीबीटी प्रायोगिक परियोजनाओं में से 28 डीबीटी के साथ भारतीय स्टेट बैंक के पास बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रायोजक बैंक के रूप में ₹8.77 करोड़ के 1.31 लाख लेनदेनों का कार्य पूर्ण किया है जो कि उसके द्वारा प्राप्तकर्ता बैंक के रूप में ₹7.08 करोड़ के 0.41 लाख लेनदेनों के अतिरिक्त है।
- 43 प्रायोगिक जिलों में आधार के साथ 99% परिवारों को जोड़ा गया है जिसमें कुल 9.85 लाख खाते खोले गए हैं।
- शहरी वित्तीय समावेशन-शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों, विक्रेताओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 5,629 बीसी केन्द्र खोले गए हैं जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान ₹6,962 करोड़ के 157 धन-प्रेषण संबंधी लेनदेन किए गए हैं।



D. NATIONAL BANKING GROUP

Table 5 : NBG Business Performance (₹ In cr.)

As on	31.3.2011	31.03.2012	31.03.2013	YTD GROWTH	
	Level	Level	Level	Absolute	(%)
Segmental Deposits	7,91,836	9,12,848*	10,48,136	1,35,288	14.82
Segmental Advances (non-food)	3,75,037	4,29,509*	4,96,394	66,885	15.57

(* This figure is excluding accounts transferred to MCG during FY 2012-13)

In terms of Business volumes, Branch Network, and Human Resources, the National Banking Group (NBG) is the largest Business Vertical of the Bank. The Group has five strategic Business Units, comprising of Rural Banking (RBU), Personal Banking (PBBU), Real Estate Habitat & Housing Development (RE, H & HD), Small & Medium Enterprises (SMEBU), and Government Business (GBU). National Banking Group's share in the total business of the Bank as on 31st March 2013 is 95.05% in total domestic Deposits, and 56.70% in total domestic Advances.

National Banking group, as on 31st March 2013, comprised of 14,733 branches out of 14,816 total domestic branches, which are controlled by 14 Local Head Offices.

With a view to enhance customer experiences at our branches, we have air-conditioned all our branches, and improved ambience of our branches. With the recruitment of a large number of Assistants, Branch expansion programme also got an impetus, and during the year we increased our Branch count by 719.

Table 6: Branch Expansion

As on	Rural	Semi-Urban	Urban	Metro	Total
31.03.12	5382	3995	2502	2218	14097
Branches added during FY 2012-13	304	170	122	123	719
31.03.13	5686	4165	2624	2341	14816



*Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Minister of Finance
Inaugurating 101 Branches of the Bank spread over
21 States on 9th Feb 2013*

New branches were opened with very good ambience, air-conditioning, digital display facilities and with adequate staffing.

To improve operational efficiencies, we have added 2 more Networks, 7 more Administrative Offices and 81 Regional Business Offices during the FY 2012-13.

ATM Network: State Bank of India has the largest ATM network in the country, which we have expanded further during the year, to provide better ATM facilities to the customers. We have also improved upon uptime of ATMs.

Table 7: ATM Network

As on	No. of ATMs	ATM Availability uptime	No. of transactions at ATMs (in lacs)
31.03.12	22141	95.15%	23811
31.03.13	27175	96.42%	29324

To further improve upon customer satisfaction and to minimize their hardship during bunched holidays, we have been suo-moto offering increased working hours/ additional working days.

D.1 RURAL BUSINESS UNIT

❖ FINANCIAL INCLUSION:

- Bank has set up 38,480 BC Customer Service Points, through alliances both at national and regional level.
- SBI is offering various technological-enabled products, through Business Correspondents (BC) channel, such as, Savings Bank, RD, STDR, remittances & OD facilities.
- Opened 2.03 crores small accounts with simplified KYC.
- Bank has covered 12,931 FI villages (population >2000) and 7,600 FIP villages (population <2000).
- Transactions volume through BC Channel has grown 2.4 times during FY12-13 at ₹13,033 crores over FY 11-12.
- Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme successfully rolled out. SBI has Lead responsibility in 28 out of 121 DBT pilot districts. SBI has successfully completed 1.31 lac transactions amounting to ₹ 8.77 crores as Sponsoring Bank, in addition to handling 0.41 lac transactions amounting to ₹ 7.08 crores as Receiving Bank.
- Around 99% households covered & 9.85 lac accounts linked with Aadhaar in 43 pilot districts.
- Under Urban Financial Inclusion, 5,629 BC outlets have been set up in Urban/Metro centres to cater to the requirements of migrant labourers, vendors, etc. 157 lac remittance transactions for ₹ 6,962 crores were registered during FY 13.



• ₹5,600 करोड़ के ऋण आबंटन के साथ 5.45 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किए गए हैं। एसएचजी में हमारी बाजार हिस्सेदारी 23% की है।

वित्तीय समावेशन के लिए बहुविध आईटी सुविधा वाले चैनलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• कियोस्क बैंकिंग - बैंक की अपनी प्रौद्योगिकी पहलों को 31 राज्यों और 479 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इन पहलों में 20,178 सीएसपी पर आधारित बायो-मैट्रिक वैधता के साथ इंटरनेट की सुविधावाले पीसी (कियोस्क) परिचालित किए गए जिनके माध्यम से 83 लाख ग्राहकों का पंजीकरण किया गया।

• एसबीआईआईटीआई कार्ड - वित्त वर्ष-13 के दौरान लगभग 14 लाख ग्राहकों का पंजीकरण किया गया है (76 लाख से अधिक संचयी ग्राहक)।

• मोबाइल ग्रामीण बैंकिंग - मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बैंक की अपनी प्रौद्योगिकी शुरू की गई। यह प्रौद्योगिकी सबसे कम कीमत वाले प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट पर भी कार्य करती है।

• सेल फोन मैसेजिंग चैनल - यह लागत प्रभावी मॉडल है, जो कम कीमत वाला साधारण मोबाइल फोन पर कार्य कर रहा है और पिन/हस्ताक्षर आधारित सुरक्षा के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे 12 राज्यों के 50 जिलों में स्थित 2,025 ग्राहक सेवा केन्द्रों में कार्यान्वित किया गया है।

तालिका 8 : कृषि अग्रियों का व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	
	31.03.2012	31.03.2013
ऋण वितरित किसानों की संख्या	99,80,156	1,11,69,524
कृषि प्राथमिकता अग्रिम	1,07,256	1,24,834
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	86,281	1,08,584
प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम (एएनबीसी का %) बेंचमार्क 13.5%	12.99%	14.24%

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम ₹1,00,000 करोड़ से अधिक हो गए, केवल बैंक ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। 1,11,00,000 से अधिक किसानों को शामिल करते हुए और एएनबीसी के 13.5% के निर्दिष्ट लक्ष्य को पार करते हुए, बैंक ने वित्त वर्ष 13 के दौरान कृषि खंड के अग्रियों के अंतर्गत ₹21,408 करोड़ (25%) के व्यवसाय के साथ अब तक की सर्वाधिक संवृद्धि हासिल की है।

• बैंक ने सबसे अधिक 111 आरएसईटीआई संस्थान खोले हैं जिससे ग्रामीण युवा स्व-रोजगार शुरू कर सकें।



वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2013 "कियोस्क बैंकिंग मॉडल के लिए भारतीय स्टेट बैंक को सर्वोत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र" वर्ष 2012 के दौरान भारत में शीर्ष 50 परियोजनाओं में सर्वोत्कृष्ट - श्री आशीष कुमार राय, मुख्य महाप्रबंधक (ग्रा. व्य.) 5 जनवरी 2013 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए

❖ कृषि को ऋण प्रवाह

वित्त वर्ष-13 में बैंक ने भारत सरकार के ₹60,000 करोड़ के लक्ष्य के सामनेकुल ₹63,936 करोड़ के कृषि ऋण संवितरण किए हैं और वर्ष के दौरान 11.89 लाख नए किसानों को कृषि ऋण प्रदान किए गए।



एसबीआई-बीसी केंद्र, रायपुर (मध्य प्रदेश)

❖ नए उत्पादों की शुरूआत:

• संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की वृद्धि के साथ 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाने वाली अल्पकालीन ऋण सीमा, जो फसल कटाई के बाद दी जाती है, धरेलू/उपभोग आवश्यकता के लिए ऋण, कृषि आस्तियों का रखरखाव, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीआईईएस), आस्ति बीमा और निवेश ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, ऋण खाते का परिचालन स्टेट बैंक किसान कार्डों का प्रयोग करके बहुविध आपूर्ति चैनलों (बिक्री केन्द्रों और एटीएमों) के माध्यम से किया जाता है।



किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को "सर्वोत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र" डॉ. वी. ईश्वरन (जीएम, एबीयू) बैंक की ओर से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

• पात्रता, मार्जिन, प्रतिभूति मानदंडों में रियायत देने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और अदायगी के लिए ईएमआई की सुविधा के साथ नई ट्रेक्टर ऋण योजना का कार्यान्वयन किया गया जिससे उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकें।

• कृषि व्यवसाय संवृद्धि को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए।

तिमाही आधार प्रतियोगिताओं के साथ कृषि स्वर्ण ऋणों के लिए स्वर्ण धारा अभियान जारी रखे गए और ₹14,345 करोड़ का व्यवसाय उत्पन्न किया गया।



- 5.45 lac SHGs were credit linked with credit deployment of ₹ 5,600 crores. Our market share in SHGs is 23%.

Multiple IT enabled channels for Financial Inclusion include:

- Kiosk Banking – The Bank’s own technology initiative, operated at internet enabled PC (Kiosk) with bio-metric validation at 20,178 CSPs, covering 83 lac customer enrolments, has been rolled out in 31 states and 479 districts.
- SBI Tiny Card – About 14 lac customers have been enrolled during FY13 (cumulative more than 76 lac customers).
- Mobile Rural Banking – Bank’s own technology on mobile platform introduced. This technology works on even very inexpensive mobile handsets.
- Cell Phone Messaging Channel-This cost effective model, working on low-cost simple mobile phones and well secured through PIN / signature based security has been rolled out in 12 states across 50 districts and covered 2,025 CSP outlets.


Table 8: Business Performance of Agri-Advances

₹ in cr.

Particulars	Level	
	31.03.2012	31.03.2013
Number of farmers covered	99,80,156	1,11,69,524
Agri Priority Advances	1,07,256	1,24,834
Direct Agri Advances	86,281	1,08,584
Direct Agriculture Advances (%of ANBC) Benchmark 13.5%	12.99%	14.24%

Direct Agri Advances crossed ₹ 1,00,000 crores, the only Bank to have crossed this landmark, covering more than 1,11,00,000 farmers and surpassed the Benchmark of 13.5% of ANBC. The Bank has also achieved an all time high growth of ₹ 21,408 cr under Agri segmental advances during FY’13. YOY growth works out to 25%.

- Bank has opened the largest number- 111 RSETIs for empowering rural youth to take up self-employment.



❖ **Credit Flow to Agriculture**

The Bank has disbursed loans aggregating ₹63,936 crores in FY’13 surpassing the annual GOI target of ₹60,000 crores and 11.89 lakh new farmers were brought into the bank’s fold during the year.



Combined harvester financed by Edathua ADB (Kerala Circle)

❖ **New Products launched:**

- The revised Kisan Credit Card scheme provides for comprehensive short term credit limit, assessed for 5 years with 10% step up every year, with inbuilt post harvest/household/consumption requirement, maintenance expenses of farm assets, Crop Insurance, Personal Accidental Insurance Scheme (PAIS), asset insurance and investment credit. In addition, loan account is operated through multi-delivery channels (PoS and ATMs)using the State Bank Kisan Cards.



- The new Tractor Loan Scheme was rolled out to cater to emerging needs with relaxations in eligibility norms, margin, security, coupled with competitive interest rates and EMI mode of repayment.

- **Special campaigns** were launched to accelerate agri-business growth:

‘Swarna Dhara Campaigns’ for agri-gold loans was continued, with quarterly competitions and garnered ₹ 14,345 crores business.



बाजार अंश को फिर से प्राप्त करने के लिए दिनांक 1 सितंबर 2012 से ट्रेक्टर कार्निवाल योजना की शुरुआत की गई और ₹328 करोड़ (8083 ट्रेक्टर ऋण) की व्यवसाय संवृद्धि हासिल की गई।

• संवृद्धि बढ़ाने वाले घटक:

• कारपोरेट और भागीदारी गठजोड़ :व्यवसाय बढ़ाने के लिए बैंक ने 14 नए कारपोरेट गठबंधन किए हैं – जैसे पैप्सीको (केसीसी), रेलीज इंडिया (केसीसी), आईटीसीएल (केसीसी) एवं नेशनल ब्लक हैंडलिंग कारपोरेशन (वेयरहाउसिंग रिसीट फाइनेंसिंग)।

• विशेष ब्याज रियायतें : बागवानी, लघु सिंचाई, बीज बुआई, वेयरहाउसिंग, ग्रामीण गोदाम, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गीपालन, कृषि निविष्टियों के डीलरों, कृषि यंत्रीकरण आदि जैसी उच्च राशि वाले कृषि कार्यकलापों में ऋण संवृद्धि बढ़ाने के लिए 1.5% से 3.5% तक विशेष ब्याज दरें रियायतें दी गई हैं।

• कृषि व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ₹1 लाख तक के सभी कृषि ऋणों के लिए और वसूली गठजोड़ व्यवस्था वाले ₹3.00 लाख वाले ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति मानदंडों में छूट दी गई है।

• किसानों को सहयोग:

• “बॉन्डिंग विद फारमर” योजना को “एसबीआई का अपना गाँव योजना” के अंतर्गत शामिल 209 गाँवों तक बढ़ाया गया है तथा कृषि समुदाय के साथ संबंधों को पोषित करने के लिए 373 किसान क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। इसे मिलाकर 10,648 ऐसे किसान क्लबों की संख्या 10,648 तक हो गई है।

❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

तालिका 9: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विहंगावलोकन

वितरण	स्तर	
	31.03.2012	31.03.2013
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सं.	18	15
शामिल राज्य	16	15
शामिल जिले	129	138
शाखाएँ	3180	3380
जमा राशियाँ (₹ करोड़ में)	29491	33379
अग्रिम (₹ करोड़ में)	17833	20681
सी डी अनुपात	60.47	61.95
कर पश्चात् लाभ (₹ करोड़ में)	320	386

31.03.2013 को, भारतीय स्टेट बैंक के पास 15 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 15 राज्यों के 138 जिलों में परिचालन कर रही हैं और इनकी 3380 शाखाओं का एक नेटवर्क है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात् शारदा ग्रामीण बैंक, रिवासिद्धी ग्रामीण बैंक, नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऋषिकुल्य ग्रामीण

बैंक, जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं, का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय कर दिया गया है तथा इस बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात् पर्वतीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय कर दिया गया है। बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर परिचालन कर रही हैं और एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम संबद्ध केसीसी जैसी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं में बेहतर प्रौद्योगिकी को काम में ले रहे हैं। वित्तीय समावेशन के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना आकार और व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

❖ ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

तालिका 10: आरएसईटीआई का निष्पादन (₹ करोड़ में)

वितरण	31.03.2012	31.03.2013
आरसेटी की संख्या	106	111
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में	19	24
प्रशिक्षित व्यक्ति	1,11,049	1,43,190
रोजगार प्राप्त व्यक्ति	45,285	56,630

आरएसईटीआई संस्थान निःशुल्क, श्रेष्ठ और व्यापक अल्पकालीन आवासीय स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करता है जिनमें भोजन एवं आवास की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है और ये कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार किए गए हैं। 31.03.2013 को बैंक ने पूरे देश में 111 आरएसईटीआई संस्थान स्थापित किए हैं। एसबीआई-आरएसईटीआई संस्थान ने कुल-मिलाकर 5371 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं, 1,43,190 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 56,630 प्रशिक्षुओं को स्व-रोजगार/वेतन नियोजन के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया है।



हमारी “साइबर ट्रेजरी” पहल के तहत पटना में वाणिज्यिक वाहनों के ऑनलाइन कर - भुगतान की शुरुआत

❖ अन्य उल्लेखनीय तथ्य

• अल्पसंख्यकों के कल्याण और सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों (पीएसएल) के 15% के सामने बैंक ने 31.03.2013 को कुल पीएसएल के 16.77% का स्तर हासिल कर लिया है।



'Tractor Carnival' launched from 1st Sep' 12 to regain the market share, resulted in a business growth of ₹ 328 crores (8083 tractor loans).

• **Growth enablers:**

- Corporate and Partnership Tie-ups: Bank has entered into 14 new corporate tie-ups for driving growth, major being PepsiCo (KCC), Rallis India (KCC), ITC Ltd (KCC) and National Bulk Handling Corporation (Warehousing receipt financing).
- Special interest concessions: Special interest concessions ranging from 1.5% to 3.5% were extended to promote loan growth in high value agriculture activities like horticulture, minor irrigation, seed processing, warehousing, rural godowns, fishery, dairy, poultry, dealers in agri inputs, farm machinery etc.
- Relaxed collateral security norms upto ₹1.00 lac for all agri loans and ₹3.00 lac for loans with recovery tie up arrangements have been leveraged to improve quality Agri-Business.

• **Bonding with Farmers:**

During the year 209 new villages were adopted under "SBI Ka Apna Gaon Scheme" for overall development taking the total to 1,272. 373 new Farmer Clubs were formed for fostering continued relationship with the farming community taking the total to 10,648.

❖ **Regional Rural Banks:**

Table 9: Overview of Regional Rural Banks

Particulars	Level as on	
	31.03.2012	31.03.2013
No. of RRBs	18	15
States covered	16	15
Districts covered	129	138
Branches	3180	3380
Deposits (₹ in crores)	29491	33379
Advances (₹ in crores)	17833	20681
CD Ratio	60.47	61.95
Profit after tax (₹ in crores)	320	386

As on 31.03.2013, SBI has 15 sponsored RRBs, which operate in 138 districts of 15 states and have a network of 3380 branches. During FY2012-13, four RRBs viz., Sharda Gramin Bank, Rewa Sidhi Gramin Bank, Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank & Rushikulya Gramin Bank, sponsored by other Commercial Banks,

have amalgamated with SBI sponsored RRBs and three RRBs sponsored by the Bank viz; Parvatiya Gramin Bank, Samastipur Kshetriya Gramin Bank & Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank have amalgamated with RRBs, sponsored by other Banks. All the RRBs are operating on Core Banking platform and are leveraging technology in electronic banking services such as NEFT, RTGS, ATM linked KCC and ATM, to provide better customer service. The RRBs are endeavouring to increase the size and business volumes by implementing financial inclusion.

❖ **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)**

Table 10: Performance of RSETIs (₹ in cr.)

Particulars	31.03.2012	31.03.2013
Number of RSETIs	106	111
States/ UT covered	19	24
Persons trained	1,11,049	1,43,190
Persons settled	45,285	56,630

RSETIs offer free, unique and intensive short term residential self employment training programmes with free food and accommodation, designed specially to empower rural youth. Bank has set up 111 RSETIs as on 31.03.2013 across the country. The SBI- RSETIs in aggregate conducted 5371 training programmes, trained 1,43,190 candidates and 56,630 trainees are settled under self employment/wage employment.



Dr. Veerendra Heggade, President, National Advisory Council, RSETIs addressing participants

❖ **Other Highlights**

- Under Prime Minister's Programme for the welfare of Minorities and implementation of Sachar Committee recommendations, against GOI stipulated target of 15% of the total priority sector lending (PSL) to Minority Communities, the Bank has achieved a level of 16.77% of the total PSL as on 31.03.2013.



• भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 31.03.2013 तक 169 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय जागरूकता का विकास करना, बचत का महत्व बताना और बैंक के साथ बचत करने के लाभ बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाएं और बैंकों से ऋण लेने के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

• 31.03.2013 को बैंक ने कमजोर वर्गों के लिए ₹77,019 करोड़ की राशि के अग्रिम प्रदान किए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10% के निर्दिष्ट लक्ष्य के सामने एएनबीसी का 10.14% है।



• बैंक ने अल्प-संख्यक समुदाय जिलों (एमसीडी) में कम बैंकिंग सुविधा/बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में 172 नई शाखाएं खोली है जिससे 31.03.2013 को ऐसी शाखाओं की कुल संख्या 3,438 तक हो गई है।

घ. 2 वैयक्तिक बैंकिंग व्यवसाय इकाई

तालिका 11 : पीबीबीयू का देशीय व्यवसाय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	वाइटीडी संवृद्धि (%)
जमा-राशियां	5,99,313	6,94,033	15.80
अग्रिम (खुदरा इसमें आवास ऋण राशि शामिल नहीं है)	79,688	90,227	13.23
कासा	2,82,047	3,29,699	16.89



31 मार्च 2013 को देशीय जमा-राशियां ₹94,720 करोड़ तक बढ़ी और इनमें 15.8% की संवृद्धि हुई है तथा अग्रिमों में ₹10,214 करोड़ की वृद्धि हुई और इनमें 13.23% की संवृद्धि हुई है। 31.03.2013 को कासा जमा में 16.89% की वृद्धि हुई है और कासा अनुपात 47.5% हो गया है।

तालिका 12 : बचत बैंक खातों में संवृद्धि

	31.03.2012	31.03.2013
नए बचत बैंक ग्राहकों की संख्या	227 लाख	286.60 लाख

अन्य उल्लेखनीय तथ्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

• सभी शाखाओं में वेस्टर्न युनियन मनी ट्रांसफर लेनदेन की सुविधा प्रस्तावित की जा रही है और 31 मार्च 2013 तक इसने अन्य आय में ₹8.11 करोड़ का योगदान दिया। वर्ष के दौरान बैंक ने मनी ग्राम लेनदेन भी शुरू किए हैं।

• भारत सरकार की एक पहल नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए हमारे बैंक को पॉइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) के रूप में नामित किया गया है और सभी मंडलों में हमारी 3,879 शाखाओं को नई पेंशन योजना के अंतर्गत व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत किया गया है। हमारे बैंक ने एक नया कारपोरेट मॉडल भी विकसित किया है और इसमें 8 कारपोरेटों को पंजीकृत किया है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल है। एनपीएसलाईट जो कि एनपीएस का ही एक स्वरूप है के अंतर्गत पंजीकरणों को बढ़ावा देने के लिए बैंक को एक संग्राहक के रूप में भी पंजीकृत किया गया है।

• सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमारा बैंक एएसबीए (ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन) के लिए स्व-प्रमाणित संघीय सहायता समूह का सदस्य है जो देश में हमारी सभी शाखाओं के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही है।

• दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु एसबीआई ने ध्वनी मार्गदर्शित व्यवहार करने हेतु, देश भर में 3000 एटीएम लगाए गए हैं। ये एटीएम सभी बैंकों के दृष्टिबाधित ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं।



- 169 Financial Literacy Centres (FLCs) were set up with the main objective of creating financial awareness, importance of savings, and advantage of savings with banks, other facilities provided by banks and benefits of borrowing from Banks

- The Bank has extended advances to the tune of ₹ 77,019 crores as on 31.03.2013 to the weaker sections, which is 10.14% of ANBC against the Benchmark of 10% set by Reserve Bank of India.



- The Bank has opened 172 new branches in under-banked/unbanked areas in Minority Community Districts (MCDs) taking the total number of such branches to 3,438 as on 31.03.2013.

D. 2 Personal Banking Business Unit

Table 11: Domestic Business performance of PBBU

(₹ in cr)


Particulars	31.03.2012	31.03.2013	YTD Growth (%)
Deposits	5,99,313	6,94,033	15.80
Advances (Retail excluding Housing Loans)	79,688	90,227	13.23
CASA	2,82,047	3,29,699	16.89



Domestic Deposits have grown by ₹ 94,720 crores with a growth of 15.8% and Advances by ₹ 10,539 crores with a growth rate of 13.23% as on 31 March 2013. CASA Deposit has grown by 16.89% and CASA Ratio as on 31.03.2013 is 47.5%.

Table 12: Growth in Savings Bank Accounts

	31.03.2012	31.03.2013
No. of New Savings Bank Accounts opened	227 lacs	286.60 lacs



Waiver of Minimum Balance Charges

Other highlights include:

- Western Union transactions are being offered at all the branches and have contributed ₹ 8.11 crores to other income up to 31st March, 2013. During the year the Bank also commenced Money Gram transactions.

- Our Bank has been designated as the point of Presence (POP) for conducting business under the New Pension System (NPS), an initiative of the Government of India, and 3879 branches across all Circles have been registered for conducting business under the New Pension System. Our Bank has also developed a Corporate Model and has registered 08 Corporates including State Bank of India. Bank is also registered as an Aggregator for promotion of registrations under NPS Lite which is a variant of NPS.

- Our Bank is Self-Certified Syndicate Member for ASBA (Application Supported by Blocked Amount), as per SEBI guidelines, which is being offered through all our branches in India.

- SBI has enabled 3000 ATMs across the country for Visually Challenged Persons to carry out ATM transaction through voice guidance. These ATMs can be accessed by visually challenged customers of all banks.



❖ अनिवासी भारतीय सेवाएं :

• वर्ष 2012-13 के दौरान एनआरआई जमा-राशियों में ₹13,922 करोड़ (22%) की वृद्धि हुई है और 31.03.2013 को ₹77,185 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरआई अग्रिमों में ₹442 करोड़ (25%) की वृद्धि हुई है तथा 31.03.2013 को ये ₹2240 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। वर्ष के दौरान एसबीआई एमएफ और एसबीआई लाइफ की योजनाओं में अनिवासी भारतीयों ने लगभग ₹696 करोड़ का निवेश किया है।

• एसबीआई प्रवासी भारतीय दिवस का प्रमुख प्रायोजक है जो विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया और वर्ष के दौरान इसे 7 से 9 जनवरी 2013 तक कोच्चि (केरल) में आयोजित किया गया।

• पसंदीदा एनआरआई बैंक का दर्जा हासिल करने के लिए, चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने भारत में 16 नई एनआरआई शाखाओं की शुरुआत की है जिसके बाद हमारी एनआरआई शाखाओं की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। एनआरआई ग्राहकों की सेवा करने के लिए इन शाखाओं में उत्कृष्ट परिवेश के साथ-साथ समर्पित अधिकारी दल भी रखे गए हैं।

• भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर 2012 से चार अतिरिक्त मुद्राओं (करेंसियों), अर्थात् स्वीसफ्रैंक (सीएचएफ), न्यूजीलैंडडॉलर (एनजेडडी), स्वेडिशक्रोना (एसईके) और डेनिशक्रोने (डीकेके) में एफसीएनआर (बी) जमा-राशियां प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

तालिका 13 : कारपोरेट एवं संस्थात्मक गठजोड़ :

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संवृद्धि	
			सम्पूर्ण	%
रक्षा वेतन पेकेज और अर्ध-सैनिक वेतन पेकेज खाते	19,21,107	22,27,930	3,06,823	15.97
अन्य वेतन पेकेज खाते	42,54,397	48,51,168	5,96,771	14.03
कुल वेतन पेकेज खातों की संख्या	61,75,504	70,79,098	9,03,594	14.63
कासा (रुपए करोड़ में)	16,221	21,262	5,041	31.08

इन विभिन्न वेतन पेकेजों के परिणामस्वरूप हमारा कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 70.79 लाख हो गया है, अर्थात् 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान 9.03 लाख नए खातों की संवृद्धि। इसी अवधि के दौरान इन खातों में कासा खातों की राशियां ₹16,221 करोड़ से बढ़कर ₹21,262 करोड़ हो गई है। ₹5,041 करोड़ की वृद्धिशील कासा बैंक की वृद्धिशील वैयक्तिक बैंकिंग कासा का 11.58% है।

❖ ऑटो ऋण

एसबीआई ऑटो ऋण ने वर्ष के दौरान कार ऋण वित्तपोषण के खुदरा बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा। यात्री कार बाजार में लगभग मंद संवृद्धि के बावजूद भी वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के ऑटो ऋण संविभाग में 35.48% की वृद्धि हुई। मार्च 2013 को एससीबी के बीच बैंक 22.25% के बाजार अंश के साथ ऑटो ऋण में एक स्पष्ट बाजार प्रमुख के रूप में उभर कर सामने आया है।

इस समय बैंक कार के “ऑन रोड मूल्य”, सर्वाधिक 7 वर्षों की अदायगी अवधि, समय-पूर्व भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं, कोई अग्रिम ईएमआई नहीं और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर कार ऋण प्रस्तावित कर रहा है। ऋण प्रदान करती है। वर्ष के दौरान कार और टू-व्हीलर दोनों का एक साथ वित्तीयन करने के लिए (संयुक्त सीमा तक) बैंक ने एक नया उत्पाद “एसबीआई कॉम्बो लोन स्कीम” प्रारंभ की है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसबीआई ने प्रमुख कार निर्माताओं, जैसे मारुति, ह्यूंडाई, टाटा मोटर्स, फॉर्ड, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टॉयटा एवं मासिडीज के साथ संयुक्त संवर्धनात्मक कार्यक्रमों को शुरू किए हैं।

❖ शिक्षा ऋण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसबीआई शिक्षा ऋण में 9.43% की वृद्धि हुई। मार्च 2013 को एसबीआई के पास कुल ₹13,751 करोड़ की वित्तीय संबद्धता है।

मार्च 2013 को एससीबी के बीच 24.9% के बाजार अंश के साथ एसबीआई शिक्षा ऋण में बाजार प्रमुख है।

सबसे कम ब्याज दर 11% वार्षिक*

आप एडमिशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

चुनिंदा प्रमुख भारतीय संस्थानों के लिए एसबीआई स्कोलर ऋण योजना*

- ✓ सबसे कम अदायगी
- ✓ हमारी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें
- ✓ कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं
- ✓ प्रदत्त ब्याज पर सह-ऋणियों (माता-पिता/पति-पत्नी) के लिए आय कर में छूट
- ✓ ₹ 30 लाख तक ऋण
- ✓ शीघ्र मंजूरी

जल्दी कीजिए!! अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें

हमारी वेबसाइट: www.sbi.co.in को देखें, टोल फ्री नम्बर 1800-425-38-00 या 1800-11-22-11 पर कॉल करें.



❖ NRI Services:

•During the year 2012-13, NRI Deposits have grown by ₹ 13,922 crores (22%) and reached a level of ₹ 77,185 crores as on 31.03.2013. Advances to NRIs recorded a growth of ₹ 442 crores (25%) during the financial year 2012-13, the level reached being ₹ 2,240 crores as on 31.03.2013. NRIs have invested in the schemes of SBIMF and SBI Life to the tune of ₹ 696 crores during the year.

•SBI was the principal sponsor of Pravasi Bharatiya Divas, a flagship event for NRI Diaspora from all over the world, organized by the Ministry of Overseas Indian Affairs, which was held in Kochi (Kerala) from 7th- 9th January 2013.

•To achieve the status of the preferred NRI Bank, we have opened 16 new NRI Branches in India during the current financial year, taking the number of NRI branches to 69. These branches have an excellent ambience along with dedicated team of officials to serve NRI customers.

•SBI has started offering FCNR (B) deposits in 4 additional currencies viz. Swiss Franc (CHF), New Zealand Dollar (NZD), Swedish Krona (SEK) and Danish Krone (DKK) since September 2012.

Table 13: Corporate & Institutional Tie-Ups:

Particulars	31.03.2012	31.03.2013	Growth during FY 2012-13	
			Absolute	%
Defence Salary Package and Para Military Salary Package accounts	19,21,107	22,27,930	3,06,823	15.97
Other Salary Package Accounts	42,54,397	48,51,168	5,96,771	14.03
Total No of Salary Package Accounts	61,75,504	70,79,098	9,03,594	14.63
CASA (in ₹ crores)	16,221	21,262	5,041	31.08

The various Salary packages together have resulted in taking the total salary account Customer base to 70.79 lacs, i.e. a growth of 9.03 lac new accounts during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. CASA in these accounts has gone up from ₹ 16,221 crores to ₹ 21,262 crores during this period. The incremental CASA of ₹ 5,041 crores represents 11.58 % of the incremental Personal Banking CASA of the Bank.

❖ Auto Loans

SBI Auto Loans maintains its retail market leadership in car loan financing. The Auto Loan portfolio has grown by 35.48% during FY 2012-13 in spite of near flat growth of passenger car market. The Bank has emerged as a clear market leader in Auto Loans with a market share of 22.25% amongst ASCB as on Mar'2013.



Car Loan Advertisement

The Bank is currently offering car finance on “On Road Price” of the car, with the longest repayment period of 7 years, no pre-payment penalty, no advance EMI and at competitive interest rates. A new product “SBI Combo Loan Scheme” has been launched during the year for financing a car and a two-wheeler together (combined limit).

SBI has taken up various joint promotional activities with major car manufacturers like Maruti, Hyundai, Tata Motors, Ford, Mahindra & Mahindra, Toyota, and Mercedes during the financial year 2012-13.

❖ Education Loans

SBI Education Loans has grown by 9.43% during FY 2012-13. SBI has a total exposure of ₹ 13,751 crores as on Mar 2013.



एसबीआई शिक्षा ऋणों में बाजार का प्रमुख खिलाड़ी - मार्च 2013 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 24.97% अंश।

जुलाई 2012 में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एसबीआई ऋण योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत ₹1 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं।

विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को भी ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख तक कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम के अंतर्गत 114 संस्थाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के अधीन अधिकतम ऋण राशि को भी बढ़ाकर ₹30 लाख तक कर दिया गया है।

❖ वैयक्तिक ऋण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वैयक्तिक ऋण संविभाग, जो कि वैयक्तिक बैंकिंग खंड में दूसरा सबसे बड़ा संविभाग है, में ₹2860 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण, संपत्तियों के आधार पर ऋण, स्वर्ण ऋण आदि शामिल होते हैं। इनमें से, एक्सप्रेस क्रेडिट और सावधि जमाओं के आधार पर ऋण जैसे दो प्रमुख उत्पाद हैं जिनमें वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹1002 करोड़ और ₹1217 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें सबसे उल्लेखनीय संवृद्धि स्वर्ण ऋण संविभाग की रही है जो कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹480 करोड़ (96.94%) तक बढ़ा है। “जमाराशियों के आधार पर ऋण” योजना के अंतर्गत हमारे बाजार अंश को और अधिक बढ़ाने के लिए, हमने अपनी ब्याज दर को सावधि जमा (टीडी) की ब्याज दर से 0.75% से अधिक के स्थान पर घटाकर 0.50% अधिक तक दिया है जो संपूर्ण इस उद्योग में सबसे कम है।

ऋण उत्पादों की सुपुर्दगी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाती है। ऋण राशि, भौगोलिक फैलाव और उत्पाद केन्द्र के आधार पर पूरे देश में खुदरा आस्ति केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र (आरएसीपीसी) खोले गए हैं जिससे सभी खुदरा ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे। इससे ग्राहक को आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और ऋण उद्गम साफ्टवेयर (एलओएस) की सहायता से जो इस समय ऋण संबंधी जोखिमों की निगरानी करता है, भविष्य में ग्राहक अपने ऋण आवेदन स्थिति का ऑनलाइन पता लगा सकेंगे। 31.03.2013 को, 60 आरएसीपीसी 70 खुदरा आस्ति और लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋण केन्द्र (आएएसएमईसीसी) थे।

एनपीए कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये :

- सभी पी खंड ऋणों के उद्देश्य परख मुल्यांकन हेतु संख्या संबंधी मॉडलों के आधार पर रिस्क स्कोरिंग मॉडल विकसित कि गए हैं। हाल ही में ऑटो लोन स्कोरिंग कड़ा किया गया है और व्यक्तियों की निवल आय पर और अधिक बल दिया जा रहा है। (उदाहरण के लिए ऑटो लोन हेतु न्यूनतम आय माप दंड ₹1लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख वार्षिक कर दिया गया है)
- लोन ऑरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (एलओएस) का प्रयोग (आयएसीपी में 100% उपयोग) और इसे रिस्क स्कोरिंग मॉडल और सिबिल से जोड़ा गया है जिससे अनेक प्रक्रिया संबंधी जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- शिक्षा ऋणों में एनपीए बढ़ने को देखते हुए छात्रों और सहऋणियों/ गारंटीकर्ता का पैन कार्ड सभी शिक्षा ऋणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान शिक्षा ऋणों के लिए पैन कार्ड नंबर लेने की एक बारगी प्रक्रिया की योजना बनाई गई है। सभी परिचालन इकाइयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे ऋणों, सहऋणियों और गारंटीकर्ता को शिक्षा ऋणों में चूक के मामलों में नोटिस भेजे।
- सरफेसी के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करना, योग्य मामलों में कार्रवाई भी जल्द करना।
- उन कंपनियों के कर्मचारियों को कोई और ऋण (शिक्षा ऋणों को छोड़कर) मंजूर न करने के अनुदेश दिए गए हैं जिन कंपनियों खाते एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गये हैं।

घ.3 स्थावर संपदा, निवास एवं आवास विकास (आईआरएचएण्डएचडी) :

भारतीय स्टेट बैंक लगातार बैंकिंग क्षेत्र में ‘सबसे पसंदीदा आवास ऋण प्रदाता’ बना हुआ है जिसका आवास ऋण संविभाग बैंकिंग क्षेत्र में सबसे विशाल है। इसकी संपूर्ण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अनुमानित हिस्सेदारी 26% है।

तालिका 14 : आवास ऋणों में निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च, 2012	मार्च, 2013
स्तर	1,02,739	1,19,467
वायटीडी वृद्धि	12,826	16,728
वायटीडी वृद्धि (%)	14.41	16.30

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अपने आवास ऋण संविभाग को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं :-



SBI is the market leader in Education Loans with a market share of 24.97% amongst ASCB as on March 2013.

SBI Loan Scheme for Vocational Education and Training was launched in July 2012 and loans upto ₹ 1 lac are given under this scheme.

Maximum Loan Amount for Studies Abroad has also been increased to ₹ 30 lac from the previous limit of ₹ 20 lac.

In order to provide financial assistance to more students opting for higher education,

the SBI Scholar Loan scheme has been extended to 114 institutes. The maximum loan amount under this scheme has also been enhanced to ₹ 30 lac.

❖ Personal Loans

The Personal Loans Portfolio, which is the second largest in the Personal Banking Segment, has grown by ₹ 2,860 crores during FY 2012-13. It includes Loan against Securities, Loans against Properties, Gold Loan, etc. Of these, Xpress Credit and Loan against Time Deposits are two major products and have grown by ₹ 1,002 crores and ₹ 1,217 crores during FY 2012-13 respectively. The most notable growth has been in Gold Loan portfolio of ₹ 480 crores (96.94%) during FY 2012-13. In order to further increase our market share in the 'Loan against Deposit' Scheme, we have reduced our rate of interest from 0.75% above the TD rate to 0.50% above the TD Rate, which is one of the lowest in the industry.

The Delivery Systems for loan products have been under constant focus. Retail Assets Centralized Processing Centres (RACPCs) have been opened up across the country, based on the volume, geographical spread and product focus to ensure uniformity in processing of all Retail loan proposals. This ensures smooth delivery to the customer and with the support of Loan Originating Software (LOS) that currently takes care of Credit-related risks, will enable customers, in future, the facility to track their application online. As on 31.03.2013, there were 60 RACPCs and 70 Retail Assets and Small & Medium Enterprises City Credit Centres (RASMECCs).

Some of the steps taken to reduce NPAs are:

- Risk Scoring Models have been developed for all P-Segment Loans on the basis of statistical models for objective assessment. Recently, the Auto Loan scoring model has been made tighter and more emphasis is now being given to Net Income of an individual. (For eg: The minimum income criterion for Auto Loans has been raised from ₹ 1 lac to ₹ 2.5 lac p.a.).
- Loan Origination Software (LOS) usage (100% usage at RACPCs), and its integration with the Risk Scoring Model (RSM) and CIBIL check to take care of many process related risks.
- In view of the rising NPAs in Education Loans, PAN card of the student and co-borrower/guarantor has been made mandatory for all Education Loans. For existing Education Loans, a one-time exercise is planned to obtain the PAN card numbers. Instructions have been issued to all operating units to send Notices to borrower, co-borrowers and guarantors in case of default in Education Loans.
- Immediate action under SARFAESI, including seizure of cars for eligible cases.
- Instructions are in place for granting no further Retail Loans (except Education Loans) to the employees of those companies whose accounts are classified as NPAs.

D.3 Real Estate, Habitat & Housing Development (RE, H&HD)

State Bank of India, the 'Most Preferred Home Loan Provider' with the largest Home Loan portfolio in the Banking Sector and market share of over 26% amongst All Scheduled Commercial Banks (ASCBs) :

Table 14: Performance in Home Loans (₹ in cr.)

Particulars	March, 2012	March, 2013
Levels	1,02,739	1,19,467
YTD Growth	12,826	16,728
YTD Growth (%)	14.41	16.30

During FY 2012-13, several initiatives were taken by the Bank to give an additional thrust to its Home Loan portfolio. Some of the important initiatives in this regard are as under:-



- एनआरआई आवास ऋण योजना के अंतर्गत 'अधिकतम मचुकौती अवधि' को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है ताकि इसे घरेलू आवास ऋण योजना के अधीन 'अधिकतम चुकौती अवधि' के स्तर पर लाया जा सके तथा इस प्रकार से इसे अधिक सरल बनाया जा सके।
- आवास इंटरियर/फर्निशिंग के अधिकतम वित्तीयन स्तर को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मद को परियोजना लागत के 10% तक सीमित किया गया है एवं ऋण की अधिकतम राशि मूल्य पर ऋण (लोन टू वेल्यू) निर्धारित अनुपात के अधीन रहेगी।

बेहतरीन ऑफर

भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक

गृह ऋण

@ 9.95%* प्रति वर्ष

न्यूनतम ईएमआई/लाख **₹ 874**

शीघ्र मंजूरी

समय से पूर्व भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं

अधिग्रहण करना आसान

खुशियों के दिन फिर आए!

ऋण की अवधि (वर्ष)	ईएमआई ₹/लाख/माह में	
	₹ 30 लाख तक @ 9.95% प्र.व.	₹ 30 लाख से अधिक @ 10.10% प्र.व.
30	874	885
25	905	916
20	962	972
15	1,072	1,081

जल्दी करें !!! नजदीकी शाखा से संपर्क कीजिए.

*ब्याज की दरें बैंक की आधार दर से सम्बद्ध. शर्तें लागू.
अधिक जानकारी के लिए www.sbi.co.in पर लॉग ऑन करें या 1800 425 3800 (टोल फ्री)
1800 11 22 11 (टोल फ्री एमटीएनएल/वीएसएनएल)/080 26599990 पर कॉल करें या ई-मेल करें: customercare.home loans@sbi.co.in

- आधार दर पर स्प्रेड को कम करके आवास ऋण ब्याज दरों को 7 अगस्त 2012 से कम किया गया है। आगे पुनः आधार दरों में कमी की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हमारे आवास ऋणों पर अंततः 4 फरवरी 2013 से प्रभावी ब्याज की दर 30 लाख तक के ऋणों के लिए 9.95% वार्षिक एवं 30 लाख से अधिक ऋणों के लिए 10.10% वार्षिक आ गई है जिससे ये दरें बाजार में अत्यंतप्रतिस्पर्धी एवं सबसे कम हैं।

- वाणिज्यिक रियलईस्टेट (सीआरई) आवास ऋणों के अधीन ब्याज दरों पर 0.25% वार्षिक प्रीमियमसमाप्त कर दिया गया है जिससे कि इसे सामान्य आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के स्तर पर ला दिया गया है।
- कम हुई ब्याज दरों का लाभ अपेक्षकृतउच्चब्याज दर वाले हमारे वर्तमान आवास ऋण के ग्राहकों को पहुंचाने की दृष्टि से उन्हें चालू कम ब्याज दरों पर आने का विकल्प उनकी बकायों पर 0.56%शुल्क के भुगतान पर दिया गया है जो कि 21 सितंबर 2012 से प्रभावी है।
- 1 सितंबर 2012 से एक विशेष आवास ऋण अधिग्रहण अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत किसी भी ऋण राशि के आवास ऋण अधिग्रहणों पर प्रति खाता 1000/- रुपए का नियत प्रसंस्करणशुल्क लगाया गया है। इसके अलावा त्र्यौहारों के मौसम में नए आवास ऋण व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए 31 दिसंबर 2012 तक विशेष आवास ऋण अभियान के अंतर्गत प्रभावी प्रसंस्करणशुल्क में 50% की रियायत दी गई है। इन दोनों अभियानों को 31 मार्च 2013 तक आगे बढ़ाया गया है। उपर्युक्त के कारण हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हमारे आवास ऋण उत्पादों का समग्र मूल्यन के क्षेत्र में हमें प्रतिस्पर्धी लाभ मिल रहा है।

- हमारे आवास ऋण ग्राहकों को एसबीआईलाइफइंश्योरेंसकं. लि. की ओर से ऋण रक्षा/स्मार्टशील्ड/सरल शील्ड के माध्यम से सावधि बीमा (ऋण सुरक्षा) कवर (वैकल्पिक) उपलब्धकराया जा रहा है। उक्तपॉलिसियों के प्रीमियम के भुगतान के लिए भी बैंक अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है जो कि आवास ऋणों के अधीन योजना पर लागू का ही विस्तार

घ.4 एसएमई व्यवसाय इसाई (एसएमईबीयू)

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसएमई व्यवसाय इकाई के अग्रिमों में वर्षानुवर्ष 12.45% की वृद्धि दर्ज की गई। एसएमई व्यवसाय इकाई के 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अग्रिमों के आंकड़े निम्नानुसार हैं

तालिका 15 : एसएमई में व्यवसाय निष्पादन (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2013	संवृद्धि (वृद्धि%)
अग्रिम	1,63,745	1,84,128	20,383 (12.45%)
खातों की संख्या (लाखों में)	12.84	12.97	0.13

❖ रिलेशनशिप बैंकिंग :

सिंगल विंडो प्रक्रिया के तहत बैंक एसएमई उद्यमियों को रिलेशनशिप बैंकिंग उपलब्ध करा रहा है। रिलेशनशिप मैनेजर (मध्यम उद्यम) की संख्या 31.03.2013 को बढ़ाकर 566 कर दी गई और उन्हें देश भर में मध्यम उद्यम इकाइयों की ₹1.00 करोड़ और अधिक की



- The 'Maximum Repayment Period' permissible under NRI Home Loans Scheme has been increased from 25 years to 30 Years to align the same with the 'Maximum Repayment Period' under domestic Home Loans Scheme, imparting it with greater flexibility.
- The ceiling on financing Home Interiors/Furnishings, as part of the project cost, has been revised upwards from ₹3 lac to ₹6 lac subject to the amount expended towards Home Interiors/Furnishings being restricted to 10% of the Project Cost and the Maximum Loan Amount adhering to the stipulated Loan to Value (LTV) Ratio.

- The premium of 0.25% p.a. applicable on Interest Rates under Commercial Real Estate (CRE) Home Loans has been waived to align the same with the prevailing Interest Rates on normal Home Loans.
- With a view to extend the benefit of lower rates of interest (both Fixed and Floating Interest) to our existing Home Loan customers paying relatively higher interest rates, an option to switch-over their loans to the current lower interest rates was made available on payment of a fee of 0.56% of the outstanding w.e.f. 21stSeptember, 2012.
- A Special Takeover Campaign was launched from 1stSeptember, 2012, assuring prospective customers, of a fixed Processing Fee of ₹ 1000/- on Home Loan Takeovers, irrespective of the loan amount. The Campaign was extended till 31stMarch, 2013 and provided our Bank with a competitive edge in the overall pricing of our Home Loan products.
- Term Assurance (Loan Protection) Cover (optional) is available to our Home Loan customers from SBI Life Insurance Company Ltd through RiNnRaksha /Smart Shield/Saral Shield. The Bank provides additional loan for payment of the premium of the above policies on the same terms as those applicable to the underlying Home Loans.

State Bank of India
THE BANKER TO EVERY INDIAN

HOME LOANS
@ 9.95%* p.a.

Lowest EMI/Lac

₹ 874

Quick Sanction

No Pre-payment Penalty

Easy Takeover



HAPPY DAYS ARE BACK AGAIN!

Period of Loan (Years)	EMI in ₹/lac/month	
	Upto ₹ 30 lacs @ 9.95% p. a.	Above ₹ 30 lacs @ 10.10% p. a.
30	874	885
25	905	916
20	962	972
15	1,072	1,081

HURRY !!! CONTACT NEAREST BRANCH

*Interest rates linked to Bank's Base Rate conditions apply

For details: log on to : www.sbi.co.in or call 1800 425 3800 (Toll free)
1800 11 22 11 (Toll free MTNL/BSNL) / 080 26599990 or e-mail to : customercare.home loans@sbi.co.in

EMI HUA KAM, GHOMNE CHALE HUM !!!

- Home Loan Interest Rates were reduced substantially w.e.f. 7thAugust, 2012 by reducing the spread over the Base Rate. With subsequent downward revisions in the Base Rate itself, the effective Interest Rate on Home Loans ultimately stood reduced to 9.95% p.a. for loans upto ₹30 lac and 10.10% p.a. for Home Loans above ₹30 lac as on 4thFebruary, 2013 rendering them very competitive and the lowest in the market.

D.4 SME BUSINESS UNIT (SMEBU)



Shri A. Krishna Kumar, MD & GE (NB) felicitating an SME customer in a customers' meet at New Delhi

During the financial year 2012-13, the advances under SME Business Unit has registered year on year growth of 12.45%. The advances figures of SME Business Unit as on 31.03.2013 are as under.

ऋण सीमाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया है। रिलेशनशिप बैंकिंग के अंतर्गत अग्रिम पोर्टफोलियो 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार ₹1,03,619 करोड़ है। ₹10 लाख से ₹1.00 करोड़ के बीच की ऋण सीमाओं वाली इकाइयों के लिए रिलेशनशिप प्रबंधकों (लघु उद्यम) के सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए पदस्थ किया गया है।

❖ एसएमई क्रेडिट सिटी सेंटर्स (एसएमईसीसीसी) :

एसएमईसीसीसी की शुरुआत वर्ष 2004-05 के दौरान बीपीआर पहल के रूप में केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया केंद्रों के तौर पर ₹1 करोड़ की ऋण सीमा तक के एसएमई ऋणों की संस्वीकृति करने के लिए की गई थी। वर्तमान में देश भर में 78 एसएमईसीसीसी और 58 एसएमईसीसी कार्यरत हैं। देश में एसएमई क्षेत्र में बैंक की स्थिति को मजबूत करने के लिए एसएमईसीसी की संरचना और प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित परामर्शदाता समूह के सहयोग से एक बड़ी प्रक्रिया शुरू की गई है। नई प्रक्रिया सितंबर 2013 से लागू हो जाएगी।

एसएमई उद्यमियों को विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए 400 शाखाओं को, जिनके पास अपने कारोबार के बड़े हिस्से के रूप में एसएमई अग्रिम हैं, “एसएमई शाखा” नाम दिया जा रहा है। इससे इन शाखाओं की एकसमान नाम से पहचान बनेगी और इन शाखाओं को एसएमई ऋण वितरण के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

- ❖ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सीजीटीएमएसई के तहत ऋण प्रवाह: बैंक सीजीटीएमएसई की गारंटी के तहत एमएसई क्षेत्र को ₹1.00 करोड़ तक संपाश्विक मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों को राहत देने के लिए बैंक ने सीजीटीएमएसई को देय गारंटी प्रभार ग्रहण करने का निर्णय लिया है। सीजीटीएमएसई की गारंटी योजना के तहत बकाया निम्नानुसार है:

तालिका 16: सीजीटीएमएसई में निष्पादन (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
बकाया कुल (एसएमई अग्रिम में %)	3,716 (2.27)	7,236 (3.92)	3,520 (94.7)
ग्राहकों की सं. (लाख में)	1.13	1.72	0.59 (52.2)

❖ प्रोजेक्ट अपटेक:

बैंक एसएमई कलस्टरों को सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करता है ताकि इन एसएमई कलस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा इनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि एवं लागत में कमी लाकर इन कलस्टरों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। शुरुआत के बाद 28 कलस्टरों में अब तक 1600 इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं। वर्तमान में तीन परियोजनाएँ इसके अंतर्गत कार्यरत हैं - स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेब्रिकेशन एवं बॉयलर काम्पोनेन्ट (त्रिची) फेब्रिकेशन इंजीनियरिंग (जमशेदपुर एवं नागपुर)।

❖ उद्घमिता विकास कार्यक्रम:

उद्घमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) को सतत आधार पर आयोजित करने के लिए बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर ईडीपी संस्थानों के सहयोग से एक योजना तैयार की है। शुरुआत के तौर पर वर्ष के दौरान चार केन्द्रों को आईडीपी के आयोजन के लिए चुना गया है यथा अहमदाबाद (ईडीआई के सहयोग से), हैदराबाद (एनआई-एमएसएमई), नई दिल्ली (एनआईईएसबीयूडी के सहयोग से) एवं भुवनेश्वर (एसबीआई-आरएसईटीआई झारसगुडा के सहयोग से)। ईडीपी के लिए मुख्य रूप से इंजीनियरिंग /प्रबंधन कालेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों एवं शिक्षित युवकों को ही लक्ष्य समूह बनाया जाता है। इसमें कुल 120 सहभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान सभी मंडलों में ईडीपी कार्यक्रमों को लगातार आधार पर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

❖ विशेषीकृत एसएमई शाखाएँ:

**Table 15: Business Performance in SME** (₹ in Cr.)

Particulars	31.03.2012	31.03.2013	Growth (% increase)
Advances	1,63,745	1,84,128	20,383 (12.45)
No of accounts (in lakhs)	12.84	12.97	0.13

❖ Relationship Banking :

Under single window approach, the Bank is offering Relationship Banking to SME Entrepreneurs. The strength of Relationship Managers (Medium Enterprises) was augmented to 566 as on 31.03.2013 and mapped to ME units with credit limits ₹1.00 crores and above across the country. The advances portfolio under Relationship banking as on 31.03.2013 is ₹ 1,03,619 crores. For units having credit limits between ₹ 10.00 lacs to ₹ 1.00 crores, Relationship Managers (SE) have been posted to improve credit flow to Micro and Small Enterprises.

❖ SME Credit City Centres (SMECCC):

SMECCCs, rolled out during 2004-05 as a part of BPR initiative, are centralized loan processing centres for sanction of SME loans upto credit limit of ₹ 1 crore. At present 78 SMECCCs and 58 RASMECCs across the country are functional. To further revamp the structure and process of SMECCCs to enable consolidation of the Bank's position in the SME universe in the country a major exercise has been initiated in association with renowned consulting group. The revamped process will be in place by September 2013.

**NO THIRD PARTY GUARANTEE?
A LOAN UPTO ₹1 Crore?**



NO PROBLEM.

**SBI SME COLLATERAL-FREE LOANS WITH
CGTMSE GUARANTEE COVERAGE.**

What's more, the guarantee fee is paid by the bank!

*Campaign for promotion of collateral free
loans upto ₹ 1 Cr. Under CGTMSE guarantee coverage*

❖ Specialized SME Branches :

To provide specialized services to SME Entrepreneurs, 400 branches having predominant share of SME advances in their portfolio are being branded as **"SME BRANCH"** to define the identity of these branches with a common nomenclature and to develop these branches as centres of excellence for SME loan delivery.

❖ Credit Flow to Micro and Small Enterprises under CGTMSE:

Bank is extending collateral free lending up to ₹1.00 crores to MSE sector under guarantee of CGTMSE. Additionally, to provide relief to these units Bank has decided to absorb the guarantee charges payable to CGTMSE. The outstanding under the guarantee scheme of CGTMSE is as under:

Table 16: Performance in CGTMSE (₹ in cr.)

Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2013	Growth (% Increase)
Outstandings (% to total SME advances)	3,716 (2.27)	7,236 (3.92)	3,520 (94.7)
No of customers (in lakhs)	1.13	1.72	0.59 (52.2)

❖ Project Uptech:

Bank is providing consultancy support to SMEs for catalyzing Technology Upgradation in SME clusters with the objective of making the clusters more competitive through increase in productivity and quality and reduction in costs. Since inception of the initiative 1600 units have benefitted in 28 clusters. Presently, three projects, Steel Structural Fabrication & Boiler Component (Trichy), Fabrication Engineering (Jamshedpur and Nagpur) are going on.

❖ Entrepreneurship Development programme :

Bank has formulated a scheme for conduct of EDPs on an ongoing basis, in association with reputed national level EDP training institutes. To begin with, 4 centres were identified for conduct of EDPs on pilot basis during the year, viz. Ahmedabad (in association with EDI), Hyderabad (in association with NI-MSME), New Delhi (in association with

**सप्लाई चैन वित्तपोषण**

अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एसबीआई कारपोरेट जगत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए उनके सप्लाई चैन भागीदारों को वित्तपोषण कर रहा है। इस दिशा में एसबीआई ने निम्नलिखित विशेषताओं वाले चैनल फाइनेंसिंग उत्पाद शुरू किए हैं :

- ▶ वेब आधारित प्लेटफार्म को एक कारपोरेट उद्यम संसाधन आयोजना साफ्टवेयर से पूर्णतया जोड़ दिया है
- ▶ पैसे का साथ साथ ऑनलाइन अंतरण
- ▶ निधियों का स्वचालित समाधान
- ▶ आवश्यकता अनुकूल एमआईएस
- ▶ केंद्रीकृत परेशानी मुक्त प्रक्रिया

चैनल वित्तपोषण के अंतर्गत पेश किए गए सभी उत्पाद कार्यशील पूंजी चक्र का कारगर प्रबंधन और निरंतर वृद्धि तथा व्यवसाय भागीदारों की लाभ प्रदता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। समस्त सप्लाई चैन का इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखा गया है जो पूर्णतया स्वचालित, सुरक्षित और सुदृढ़ है चैनल वित्त पोषण के तहत पेश किए गए उत्पाद हैं - इलेक्ट्रॉनिक डीलर फायनेंसिंग स्कीम (ईडीएफएस) और इलेक्ट्रॉनिक वेंडर फायनेंस स्कीम (ईवीएफएस)। सप्लाई वित्तपोषण के अंतर्गत बैंक ने 65 बड़े उद्योगों के साथ गठ जोड़ किया है। इन उद्योगों में ऑटो, ऑयल, स्टील, पॉवर, फर्टीलायझर, एफएमसीजी और टेक्सटाईल जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल है।

तालिका 17: सप्लाई चैन वित्तपोषण में निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
बकाया	2,190	4,781	2,591 (118.3)
ग्राहकों की संख्या	813	1766	953 (117.2)

नकदी जमा प्रबंधन:

किसी भी समय ग्राहकों को उनके चाले खातों / सीसी खातों/ बचत खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों की शुरुआत का कदम काफी सफल रहा है। मार्च 2013 को बैंक ने 700 ऐसी मशीनों की स्थापना की है। इंस्टा जमा कार्ड की मदद से व्यापारी ,सेवा प्रदायकर्ता जैसे एसएमई ग्राहक अब बिना लाइन में खड़े हुए भी त्वरित आधार पर नकदी का प्रेषण कर पा रहे हैं। अधिकांश मशीनों को 24x7 उपयोग में लाया जा सकता है। 31 मार्च 2013 को बैंक ने एसएमई ग्राहकों को 1,66,477 कार्ड जारी किए हैं जो कि इन सुविधाओं की बढ़ती लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता का द्योतक है। ग्राहकों के घर जाकर उनके

खातों में जमा करने के लिए नकदी संग्रहण की योजना 31 मार्च 2103 को 484 एसएमई ग्राहकों को प्रदान की जा रही है जबकि 31 मार्च 2012 को यह केवल 88 ग्राहकों को प्रदान की जा रही थी। इस सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2013 में 2,246.75 करोड़ रु की सकल उगाही ग्राहकों के लिए की गई है जबकि 2012 के 153.20 करोड़ रु की उगाही ग्राहकों के लिए की गई थी।

तालिका 18: नकदी संग्रहण सुविधा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2013 को	संवृद्धि (% वृद्धि)
सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों की संख्या	88	484	396 (450)
नगदी संग्रहण राशि	153.20	2,246.75	2,093.55 (1348)

घ.5 : सरकारी बैंकिंग इकाई**तालिका 19: सरकारी व्यवसाय में निष्पादन**

वर्ष	टर्नओवर (रुपए करोड़ में)	कमीशन (रुपए करोड़ में)	बाजार अंश (%)
2011-12	2536900	2008.23	58.50
2012-13	2862053	1778.20	58.12

क्या आपने अपना नामांकन भरा है?

दावों के शीघ्र निपटान के लिए इसे अवश्य भरिए.

जमा/विनिर्गत खातों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, खाताधारकों को राहत दी जाती है कि इन सुविधा को अवश्य अवश्य तबकि आवश्यक परिस्थितियों में वित्तिक जवाबदाहारीताओं द्वारा किए जाने वाले दावों को सहाजता से निपटारा जा सके।

- केवल एक नामित व्यक्ति के पद में नामांकन किया जा सकता है।
- संतुलन जमा खातों पर भी नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
- संतुलन खातों के पत्राचार में, सभी जवाबदाहारीताओं की मजूरी होने के बाद ही, नामित व्यक्ति का अधिकार उपलब्ध होता है।
- दावों में विरोध है कि अगर उन्होंने अभी तक नामित व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं कराया है तो अपनी नकदीकी राशियों में पत्राचार का रिश्ता अवरुद्ध करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने अधिकार से संपर्क करें।
 सर्वोपयोगी सेवा से संपर्क | www.sbi.co.in | ईमेल: contactcentre@sbi.co.in | कॉल से रजिस्टर नंबर 1800-11-22-1111

हर भारतीय का बैंक



NIESBUD) and Bhubaneswar (in association with SBI-RSETI, Jharsuguda). The target groups for the EDPs were mainly final year students of engineering / management colleges and educated youth. The total number of participants was 120. It is proposed to have EDP programmes on regular basis in all the Circles across the country during FY 2013-14.

❖ Supply Chain Finance:

Leveraging its state-of-art technology, SBI is focusing on further strengthening its relationship with the Corporate World by financing their Supply Chain partners. Towards this SBI introduced Channel Financing Products with the following features:

- ▶ Web based platform, fully integrated worth Corporate Enterprise Resource Planning Software
- ▶ Real time online transfer of funds
- ▶ Automated settlement of funds
- ▶ Customized MIS
- ▶ Centralized hassle free processing

All the product offerings under Channel finance are designed to ensure efficient management of working capital cycle and sustained growth and profitability of business partners and the entire Supply chain is taken care under the scheme, which is fully automated, secured and robust. The products offered under channel financing are **Electronic Dealer Financing Scheme (e-DFS)** and **Electronic Vendor Finance scheme (e-VFS)**. Under Supply Chain Finance bank has tied up with 65 Industry majors with across all Industry Verticals like Auto, Oil, steel, Power, fertilizer, FMCG and Textile.

Table 17: Performance in Supply Chain Finance

(₹ in cr.)

Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2013	Growth (% Increase)
Outstandings	2,190	4,781	2,591 (118.3)
No of customers	813	1766	953 (117.2)

❖ Cash Management

The Bank has introduced cash deposit machines to facilitate deposit of cash into their account by customers themselves by swiping their SBI ATM cum Debit card. To enable SME customers also to deposit

cash into their CA/CC account through CDMs, State Bank SME Insta Deposit Card was launched during the year. With Insta Deposit Card, SME customers like traders & service providers are able to quickly deposit their cash into their accounts without waiting in the queue. As on March 31, 2013, the Bank had issued 1,66,477 insta deposit cards to SME customers, showing the growing popularity of the facility. The number of CDMs installed was 665. Similarly, the cash pickup facility of collecting cash at customers doorsteps was introduced for SME customers in August 2011. Marketing campaigns were launched during the year to popularize the scheme among SME customers. The growth in usage of this facility has been as under:

Table18: Cash Pick up Facility

(₹ in cr.)

Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2013	Growth (% Increase)
No of customers availing the facility	88	484	396 (450)
Amount of cash pick-up	153.20	2,246.75	2,093.55 (1348)

D.5 GOVERNMENT BANKING UNIT



"e-Baat" an initiative of RBI was organized by the Bank to encourage Pensioners to use Internet Banking/ ATMs

Table 19: Performance in Government Business

Year	Turnover (in cr.)	Commission (in cr.)	Market Share (%)
2011-12	2536900	2008.23	58.50
2012-13	2862053	1778.20	58.12



- यद्यपि बैंक ने सरकारी व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है परन्तु एजेन्सी कमीशन में थोड़ी सी कमी आई है जो कि 1 जुलाई 2012 से भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा दरों में कमी किए जाने के कारण है। एजेन्सी कमीशन के प्रतिकूल प्रभाव को सरकारी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए उपयुक्त विभिन्न उत्पादों के विपणन के द्वारा कुछ कम किया गया है।
- बैंक ने कुछ अन्य राज्य सरकारों और करों को सायबर ट्रेजरी की परिधि में लाया है तथा लोक भविष्य निधि खाते और पेंशन खाते खोलने के कार्य पर विशेष बल दिया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने एवं प्रक्रियाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सरकारी व्यवसाय के संचालन के कार्य में आमूल-चूल परिवर्तन कर रही हैं।
- नई पेंशन योजना 2.83 लाख नए खाते खोले गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन पेंशन खातों की संख्या 34.74 लाख हो गई है जिनका रखरखाव हम देश भर में स्थित 14 केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण प्रकोष्ठों के माध्यम से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पेंशन संबंधित विवरण पेंशनरों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा, पेंशनर चाहें तो अपनी शिकायतें ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट पर भेज सकते हैं या फिर हमारे संपर्क केन्द्र से फोन पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में आयोजित विभिन्न पेंशनर मीट के अलावा भोपाल में “ई- बात” कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से पेंशनरों को इंटरनेट बैंकिंग एवं ग्राहकों के द्वारा आसानी से उपयोग में लाए जा सकने वाले उत्पादों को सीखने एवं उनके लाभों को जानने में सहायता मिली है।
- हमारा बैंक विभिन्न विभागों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों की ओर से निर्बाध रूप से शुल्क के संग्रहण के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इन प्रयासों के कारण एजेन्सी कमीशन दरों में हुए

संशोधन के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में हमें आने वाले वर्षों में सहायता होगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उत्पाद से हमें ₹41 करोड़ की आय हुई है।

- हमारा बैंक केन्द्र सरकार के मिशन “साक्षर भारत” में सक्रियता से सहभाग कर रहे हैं तथा इसके अंतर्गत हमने 1,23,343 खाते खोले हैं जो देश भर में 22 राज्यों की ग्राम पंचायतों को निधियों के वितरण का कार्य कर रहे हैं। बैंक ने लाल किला, नई दिल्ली एवं लखनऊ (उत्तर प्रदेश की राजधानी) में “साक्षर भारत” के आयोजनों को भी प्रायोजित किया है।
- भारतीय स्टेट बैंक विदेश मंत्रालय के लिए एक मात्र बैंक है जो देश भर में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों से पासपोर्ट शुल्क के संग्रहण का कार्य कर रहा है।
- हमारा बैंक केन्द्र सरकार की ई-भुगतान गेटवे (जीईपीजी) जैसी केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के साथ जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। जीईपीजी पोर्टल के साथ एकीकृत होने से बैंक देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/वेन्डरों को इलेक्ट्रिक भुगतान करने में सक्षम हो गया है।
- “रेल शक्ति”, “ई-ऑक्शन” एवं “इंप्रेस्ट काड” जैसे उत्पादों का रेल प्राधिकारियों से अच्छा प्रतिसाद मिला है तथा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस दिशा में और गति आने की संभावना है।
- हमारे बैंक को आरटीआई शुल्क के ऑनलाइन संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है जो कि एजेन्सी कमीशन के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त करने में सहायता करेगा।



**भारतीय स्टेट बैंक
58% बाजार अंश
के साथ सरकारी
व्यवसाय में बाजार
प्रमुख है।**



- While the Bank retained its leadership in Government Business, there was a minor dip in Agency Commission due to downward revision in rates by RBI with effect from 1st July, 2012. The adverse impact on Agency Commission was contained by marketing of various products, customized to suit the requirements of the Government.
- The Bank brought more State Governments and taxes under the ambit of Cyber Treasury and paid special attention to opening Public Provident Fund Accounts and Pension Accounts.
- E- Governance Projects of Central and State Governments which are bringing a paradigm shift in the way Government business is conducted are being leveraged for customers convenience bringing about more efficiencies of processes.
- 2.83 Lakhs new Pension Accounts were opened, bringing the tally to 34.74 Lakhs Pension Accounts being serviced efficiently through 14 Centralized Pension Processing Cells set up in various parts of the country. Pension details are being sent to the pensioners on their mobile numbers. Besides this, pensioners can lodge their complaints online, on our website, or seek clarifications at our contact Centre.
- The Bank is ushering in the era of hassle free fee collection on behalf of various Departments, Union Ministries and state Governments. An income of ₹ 41 crores was generated from this product during the current financial year.
- The Bank is actively participating in the “SAAKSHAR BHARAT” Mission of the Union Government and has

opened 1,23,343 accounts for dispensation of funds upto Gram Panchayat level in 22 states across the country. The Bank has also sponsored the SAAKSHAR BHARAT celebrations at Red Fort, Delhi and Lucknow, the Capital city of Uttar Pradesh.

- State Bank of India is the exclusive Banker to the Ministry of External Affairs (MEA) and is collecting the Passport Fees from Passport Sewa Kendra (PSK) in the country.
- Bank is proud to be associated with Central Government Projects like Government e-Payment Gateway (GePG). By integrating with GePG portal, the Bank is now enabled to make electronic payments to employees/ vendors of Central Government across the country.
- Products like “Rail Shakti”, “E-Auction” and “Imprest Cards” have been very well received by Railway Authorities and are expected to gain momentum during FY 13-14.
- The Bank has since been authorized to collect RTI fee online which will be helpful in generating substantial revenue as Agency Commission.



SBI is the market leader in Government business with 58% market share.



ड. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

विदेश स्थित कार्यालयों का परिचालन

विदेशी शाखाओं की आस्तियों के स्तर में मार्च 12 के 35.826 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में मार्च 13 में यह स्तर 42.246 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है जो कि 18% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 13 के दौरान हमारा निवल ग्राहक ऋण 17% बढ़ा है जो कि 26.681 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 31.148 बिलियन यूएस डॉलर पर आ गया है। इसका निवल लाभ 7% बढ़कर 435.64 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है।

तालिका 20: विदेशी कार्यालयों में व्यवसाय निष्पादन

(मि. अमरीकी डालर में)

	मार्च-12	मार्च-13	वाइं ओ वाइं वृद्धि	वाइं ओ वाइं वृद्धि %
निवल आस्ति	35826.46	42146.10	6319.65	17.64
निवल ग्राहक ऋण	26681.23	31148.53	4467.31	16.74
निवल लाभ	395.63	435.62	39.99	10.11

विदेशों में विस्तार



रिटेल शाखा, बहरीन

31मार्च 2012 के 173 की तुलना में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 13 को बढ़कर 186 हो गई है जो कि 34 देशों में फेले हुए हैं। इन कार्यालयों में 52 शाखाएं, 7 प्रतिनिधि कार्यालय एवं, छह विदेशी बैंकिंग अनुषंगियों के 107 कार्यालय एवं 20 अन्य कार्यालय शामिल हैं।

तालिका 21: विदेशी कार्यालयों का ब्योरा

	वि.व. -12	वर्ष के दौरान खोले गए नए कार्यालय	वि.व. -13
शाखा/एसओ/अन्य कार्यालय	58	10	68
अनुषंगी/संयुक्त उद्यम (6)			
कार्यालय	103	4	107
प्रतिनिधि कार्यालय*	8	-1	7
सहयोगी/प्रबंधित/एक्सचेंज कं./निवेश	4	0	4
योग	173	13	186

*तियांजिन प्रतिनिधि कार्यालय को पूर्ण कार्यरत शाखा में उन्नत किया गया

संसाधन प्रबंधन

अस्थिर बाजार स्थितियों के बाद भी बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों ने तरलता का संतोषजनक स्तर को बनाए रखा है। अप्रैल 2012 में बैंक ने 6 माह की अवधि के लिए रिवर्स एन्कोइरी के माध्यम से 50 मिलियन यूएस डॉलर की उगाही की थी। जुलाई 2012 में बैंक ने 1.25 बिलियन यूएस डॉलर के बांड निर्गमन को सफलता पूर्वक मूल्यन किया था जो कि 1 अगस्त 2012 को परिपक्व होने वाली 1.14 बिलियन डॉलर के बांडों के लिए 1.25 बिलियन डॉलर के बांडों की उगाही की गई है। इस राजकोषीय वर्ष के दौरान 540 मिलियन यूएस डॉलर के विभिन्न द्विपक्षीय ऋणों की उगाही की गई है।

धन प्रेषण

वित्त वर्ष 12 के 61,457 करोड़ ₹ की तुलना में वित्त वर्ष 13 के दौरान आवक धन प्रेषण 69,812 करोड़ ₹ हो गया है जो कि 14% अधिक है। बैंक का 27 विनिमय कंपनियों एवं मध्य पूर्व में पाँच बैंकों के साथ गठबंधन व्यवस्था है जो एसबीआई के माध्यम से धन प्रेषणों को भेजने का कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान “ एसबीआई एक्सप्रेस रेमिट - कनाडा” नाम से एक नया धन प्रेषण उत्पाद प्रारंभ किया गया है जो कि केवल कनाडियन डॉलरों के धन प्रेषण के लिए है। एसबीआई के इंटरनेट ग्राहकों के लिए ‘Remxout’ नाम से एक बाहरी धन प्रेषण उत्पाद जारी किया गया है।



E INTERNATIONAL BANKING GROUP

Operation of Foreign Offices

The asset level of foreign branches rose by 18%, from USD 35.826 bn in March 2012 to USD 42.146 bn in March 2013. During FY'13, net customer credit grew by 17% from USD 26.681 bn to USD 31.148 bn, customer deposits grew by 11%, from USD 12.075 bn to USD 13.374 bn. Net profit rose by 10% to USD 435.64 mn.

Table 20: Business Performance of Foreign Offices

(IN USD MIO)

	Mar-12	Mar-13	YOY Growth	YOY increase in %
Net Assets	35826.46	42146.10	6319.65	17.64
Net Customer Credit	26681.23	31148.53	4467.31	16.74
Net profit	395.63	435.62	39.99	10.11

Overseas Expansion



Inauguration of Duesseldorf Branch, Germany. Among the dignitaries were Indian Ambassador to Germany, H.E Mr. Taranjit S Sandhu and Chairman, Mr Pratip Chaudhuri

The number of foreign offices increased from 173 as on 31st March 2012 to 186 as on 31st March 2013 spread across 34 countries. The offices comprised of 51 branches, 7 Representative Offices, 107 offices of the six foreign banking subsidiaries and 21 other offices.

Table 21: Break –Up of Foreign Offices

	FY-12	New Offices opened during the year	FY-13
Branches/SO/Other Offices	58	10	68
Subsidiaries/JV (6)			
Offices	103	4	107
Rep Offices*	8	-1	7
Associates/ Managed Exchange Cos/Investments	4	0	4
Total	173	13	186

*Tianjin Representative office was Upgraded to full fledged Branch

Resource Management

Bank's Foreign Offices maintained comfortable liquidity position during the fiscal, despite volatile market conditions. In July 2012, Bank successfully priced a USD 1.25 Bn Bond issue, 144A/ Reg S transaction maturing in August 2017. Bank received overwhelming response across investor classes for the Bond, despite very difficult market conditions. Bilateral loans of different maturities worth USD 540 Mn were also raised during the fiscal. At Singapore, where the Bank has 7 branches and 24 ATMS, including ATMs at Changi Airport terminals 1, 2 & 3, retail deposits saw a 21% growth year-on-year. Our UK operations also scaled up its retail presence to achieve a retail deposit growth of 41% in the fiscal.


Remittance

Inward remittances grew from ₹ 61,457 crores in FY'12 to ₹ 69,812 crores in FY'13, clocking a growth of 14%. The Bank had a tie-up with 27 exchange companies and five banks in Middle-East countries for routing remittances through SBI. During the year, new remittance product 'SBI Express Remit-Canada' was launched exclusively for Canadian Dollar remittances. An Outward remittance product 'RemXout' was launched for SBI Internet Banking customers.



भारतीय स्टेट बैंक- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

186 कार्यालयों का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क
34 देशों में शाखाएं






STATE BANK OF INDIA - INTERNATIONAL BANKING GROUP

International banking network of **186 Offices**

Branches in **34 Countries**





इ 2 देशीय परिचालन

मर्चेन्ट बैंकिंग

बैंक ने एशिया प्रशांत में (जापान को छोड़कर एवे आस्ट्रेलिया को मिलाकर) समूह ऋणों के लिए मेन्डेटेड लिड अर्रेन्जर एंड बुक रनर की अपनी स्थिति को लगातार छह वर्ष, वित्त वर्ष 13 में भी बनाए रखा है। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कारपोरेटों / उनकी विदेश स्थित अनुषंगियों के लिए कुल 17 उच्च राशि के समूह विदेशी मुद्रा ऋणों की व्यवस्था में सहभाग किया है जिसमें कुल 6.44 बिलियन यूएस डॉलर की कुल राशियाँ शामिल हैं तथा जिसमें इसका सहभाग 2.75 बिलियन यूएस डॉलर का है।

तालिका 22: सामूहिक ऋण सौदे

	सौदों की सं.	राशि (बि. अमरीकी डालर में)
वि.व -12	14	4.76
वि.व -13	17	6.29

उपर्युक्त के अलावा भारतीय कारपोरेटों को द्विपक्षीय आधार पर कुल 3.68 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण प्रदान किए हैं। इसने अलावा द्वितीयक बाजार के माध्यम से 229.04 मिलियन यूएस डॉलर के कुल 10 ऋणों का अधिग्रहण भी किया है।

वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा सावधि ऋणों के सौदों से बैंक ने 89.88 मिलियन यूएस डॉलर की आय भी अर्जित की है।

ग्लॉबल लिंक सेवाएं (जीएलएस)

ग्लॉबल लिंक सेवाएं (जीएलएस) एक प्रकार की विशेषीकृत इकाई है जो निर्यात बिल उगाहियों, चेक उगाहियों एवं ऑन लाइन आवक धन प्रेषण लेनदेनों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण की व्यवस्था करती है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जीएलएस ने (अपनी देशीय शाखाओं की ओर से) 104,262 निर्यात बिलों एवं 74,566 विदेशी मुद्रा चेक उगाही का कार्य किया है जिनका कुल मूल्य 15.27 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसके अलावा उसने 7,047,064 ऑनलाइन आवक धन प्रेषणों का संचालन किया है जिसका कुल मूल्य 6.45 बिलियन यूएस डॉलर है तथा इसमें विश्व की 39 मुद्राओं में लेनदेन हुआ है।

संपर्की संबंध

बैंक ने विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए 429 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग करार बनाए हैं। ये संपर्की बैंक 118 देशों में स्थित हैं। बैंक के पास वित्तीय संदेशों का स्विफ्ट के माध्यम से शीघ्र धन प्रेषण करने के लिए 1,765 रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्लीकेशन (आएमए) व्यवस्थाएं की हैं।



माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा द्वारा तियांजिन शाखा, चीन का उद्घाटन

देश जोखिम एवं बैंक ऋण जोखिम

बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप देश जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। इस नीति के अंतर्गत देश, बैंक, उत्पाद एवं प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सीमाओं के न्यूनीकरण के कारगर जोखिम प्रबंधन मॉडल निर्धारित किए गए हैं। देशवार एवं बैंकवार ऋण जोखिम सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिमों के स्वरूप में उतार चढ़ाव के अनुरूप ऋण जोखिम की उच्चतम सीमाओं एवं वर्गीकरणों को घटाया - बढ़ाया जाता है। बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवधिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

1.3. कारपोरेट कार्यनीति एवं नव व्यवसाय

उभरते व्यवसाय क्षेत्रों (जिसमें तकनीकी आधारित उत्पाद भी शामिल हैं) का विकास एवं जारी करने का कार्य उप प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में कार्यरत एक विशेषीकृत विभाग द्वारा किया जाता है। इन प्रमुख प्रयासों में हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

डेबिट कार्ड:

वित्त वर्ष 2012 -13 के दौरान स्टेट बैंक समूह के डेबिट कार्ड के माध्यम से खर्च 15,000 करोड़ रु का हुआ है जो कि संपूर्ण उद्योग स्तर पर डेबिट कार्ड व्यवसाय का 20% है। हमारा बैंक द्वारा विक्रय केन्द्रों / ई-कॉमर्स के लिए डेबिट कार्ड उपयोग के प्रोत्साहन के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। 16 अक्टूबर 2012 से 15 नवम्बर 2012 के दौरान त्यौहार के मौसम में "क्रैकर ऑफ दी ऑफर" नाम से एक प्रोत्साहन अभियान चलाया था जिसमें बैंक ने अपनी अनुषंगी एसबीआई कार्ड के साथ बहुत से मर्चेन्ट बैंकों के साथ गठबंधन किया था और स्टेट बैंक डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के उपयोगों के लिए उनकी दुकानों / वेबसाइटों पर आकर्षक ऑफर प्रदान किए थे। डेबिट कार्ड एक्टिवेशन में वृद्धि केरने के लिए बैंक



E-2. Domestic Operations

Merchant Banking

The Bank retained its premier position as Mandated Lead Arranger and Book Runner for syndicated loans in Asia Pacific (excluding Japan but including Australia) for the sixth consecutive calendar year, in FY'13.

During FY-13, Bank acted as the Mandated Lead Arranger in 17 deals aggregating USD 6.442 Bn for several leading Indian corporates like IOCL, REC, NPCL, MRPL, Reliance Industries and Vedanta Resources Plc.

Table 22: Syndicated Loan Deals

	No of Deals	Amount (in USD bn)
FY-12	14	4.76
FY-13	17	6.29

Apart from this, foreign currency term loans aggregating USD 3.68 bn were extended to Indian corporates on a bilateral basis. Further, 10 loans amounting to USD 229.04 mn were acquired through secondary market.

Fee income of USD 89.88 mn was earned from foreign currency term loans concluded during the year through syndication / bilateral deals.

Global Link Services (GLS)

Global Link Services (GLS), a specialized outfit, caters to centralized processing of Export Bills collection, Cheque collection and online inward remittance transactions.

During the financial year 2012-13, GLS (on behalf of domestic branches) handled 104,262 export bills and 74,566 foreign currency cheque collections aggregating USD 15.27 bn. In addition, it handled 7,047,064 online inward remittance transactions amounting to USD 6.45 bn received from all over the world in 39 currencies

Correspondent Relations

The Bank maintains correspondent banking arrangement with 429 reputed International Banks to extend seamless services to varied clients. These



Inauguration of the first ATM of the Bank in Bangladesh by MD & GE (IB), Mr. Hemant G. Contractor

correspondent Banks are located in 118 countries. The Bank also has 1,765 Relationship Management Application (RMA) arrangements with SWIFT, facilitating speedier flow of financial messages.

Country Risk and Bank Exposures

The Bank has in place a Country Risk Management Policy in tune with RBI guidelines. The policy outlines robust risk management model with prescriptions for Country, Bank, Product and Counter party exposure limits. Both Country-wise and Bank-wise exposure limits are monitored and reviewed on a regular basis. The exposure ceilings and classifications are moderated in line with the dynamics of their risk profiles. Periodical corrective steps are initiated to safeguard the Bank's interests.

I.3. CORPORATE STRATEGY AND NEW BUSINESSES

Emerging business areas, including tech-based products, are developed and launched by a dedicated department headed by a Dy. Managing Director. Progress on some of their key initiatives is detailed hereunder:

➤ Debit Cards:

Debit Card spends of State Bank Group crossed ₹15,000 crores for FY 2012-13 which constitutes over 20% of total Debit Card spends in the industry. The Bank has been actively promoting Debit Card usage at Point of Sale/for e-Commerce. For the festive season from 16-Oct-2012 to 15-Nov-2012, the Bank ran a promotional Campaign called "Cracker of an Offer" where the Bank along with its subsidiary, SBI Card, tied up with a number of merchant partners to offer attractive



ने अपने डेबिट कार्ड धारकों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन ऑफर चलाया है जो कि उद्योग जगत की विभिन्न वाणिज्यिक श्रेणियों के जानेमाने ब्रांडों एवं एसबीआई कार्ड के समन्वय से हुआ है।



**31 मार्च 2013 को
स्टेट बैंक समूह
136 मिलियन डेबिट
कार्डों के साथ देश
का सबसे
बड़ा बैंक है जिसकी
बाजार की हिस्सेदारी
40% है।**

स्टेट बैंक 1 जुलाई 2012 के दिन अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए दो रूपान्तरणों में “प्राइड” एवं “प्रमियत” नाम से दो कार्ड जारी किए हैं। 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान 86000 बिजनेस कार्ड जारी किए गए हैं। यह उत्पाद शीघ्र ही सहयोगी बैंकों के सहयोग से जारी किया जा रहा है।

➤ प्रीपेड कार्ड :

इस श्रेणी में बैंक की कार्डों की श्रृंखला में कई लोकप्रिय प्रीपेड कार्ड शामिल हैं जैसे गिफ्ट कार्ड, सामान्य उद्देश्य प्रीपेड कार्ड जैसे ई-वैलेट कार्ड एवं विदेश यात्रा कार्ड जो कि ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

➤ विदेश यात्रा कार्ड :

विदेश यात्रा (फॉरेन ट्रेवल कार्ड) एक चिप आधारित ईएमवी अनुपालन कार्ड है जो कि आठ मुद्राओं में उपलब्ध है - यूएस डॉलर (यूएसडी), ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी), यूरो, कनाडियन डॉलर (सीएडी), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (एयूडी), जापानी येन (जेपीवाई), साऊदी रियाल (एसएआर) एवं सिंगापुरी डॉलर (एसजीडी), यह कार्ड विदेश यात्रियों को सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करता है। एसबीएफटीसी का कारपोरेट रूपान्तर भी जारी किया गया है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विक्रय 66.92 मिलियन डॉलर के लगभग रहा है।

➤ ई-जेट - पे कार्ड :

ई-जेट कार्ड को (कारपोरेट निकायों को वेतन भुगतान के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विक्रय 931.92 करोड़ रुपए का रहा है। भारतीय रेल एवं भारत में फेडरेशन ऑफ फ्रेंट फारवर्डर्स असोसिएशन (एफएफएफआई) के लिए सह-ब्रांड का प्रीपेड कार्ड वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किया गया है।

➤ गिफ्ट कार्ड :

अपने प्रियजनों को “चुनने की आजादी” देने वाला यह गिफ्ट कार्ड ग्राहकों का पसंदीदा कार्ड रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इसके द्वारा 77.44 करोड़ भारतीय रुपए की बिक्रियाँ हुई हैं। स्टेट बैंक अचिवर कार्ड मार्च 2013 के दौरान जारी किया गया है जो कि एक कारपोरेट प्रोत्साहन कार्ड है जिसे कि बार-बार भरा जा सकता है तथा जो प्रोत्साहनों/पुरस्कारों के संवितरण के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाता है।

➤ ग्रीन चैनल काउन्टर (जीसीसी) :

“ग्रीन चैनल काउन्टर” सुविधा 7052 शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। जीसीसी में औसतन प्रतिदिन 100,000 से अधिक लेनदेन संचालित किए जाते हैं।

➤ स्वयं सहायता कियोस्क (एसएसके) :

31.03.2013 को 965 शाखाओं में एसएसके स्थापित किए गए हैं। औसतन प्रतिदिन एसएसके पर 30,000 हजार से अधिक लेनदेन होते हैं।

➤ ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी) :

जीआरसी 02.01.2012 को प्रारंभ किया गया जिसके द्वारा हमारी शाखाओं के बड़ी संख्या में नॉन - होम नकदी जमा लेनदेनों को कार्य किया जाता है। ग्रीन चैनल काउन्टर या नकदी जमा मशीन पर कार्डधारक अपने कार्ड को स्वाइप करके, उस लाभार्थी को धन प्रेषण कर सकता है जिसका खाता नम्बर कार्ड में शामिल कर दिया गया है। एक बार लेनदेन पूर्ण हो जाने पर प्रेषक एवं लाभार्थी दोनों को अपने मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त हो जाता है। बैंक ने 6,23,623 कार्ड जारी किए थे जिससे 31.03.2013 को 8,08,830 नकदी जमा लेनदेन होते हैं।

मोबाइल बैंकिंग एवं वैलेट :

वर्तमान में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 65% की है तथा लेनदेन मूल्य के आधार पर यह 36% से अधिक है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस सेवा के माध्यम से 1933 करोड़ रुपए के वित्तीय लेनदेन किए गए हैं जिससे 4.67 करोड़ रुपए की आय हुई है। फरवरी 2012 को पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार एवं लेनदेनों की संख्या के अनुसार एसबीआई इस बाजार में सबसे आगे है। इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी हैं। बैंक ने “स्टेट बैंक मॉबी कैश” के ब्रांड नाम से एक पूर्णतया केवाईसी मोबाइल वैलेट कार्ड की शुरुआत की है। इसी का एक रूपांतरण “स्टेट बैंक मॉबी कैश ईजी” नाम से एक वैलेट जारी किया गया है जिसके लिए केवाईसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, 31 दिसंबर 2012 को मुंबई, दिल्ली एवं चंडीगढ़ में जारी किया गया है तथा अब तक इसमें 14,500 वैलेट जारी किए गए हैं।



discounts for State Bank Debit and Credit Card usage at their outlets/websites. With a view to increasing Debit Card activation, the Bank also ran special promotional offers for its Debit Cardholders with leading merchants of different merchant categories in the industry in co-ordination with SBI Card.



State Bank Group continues to lead Debit Card issuance in the country with over 136 million Debit Cards as on 31-Mar-2013 with over 40% market share.

The Bank launched "State Bank Business Debit Card" for its corporate customers in two variants "Pride" and "Premium" on the occasion of Bank's Day 2012. Till 31-March-2013, more than 86,000 Business Debit Cards have been issued. This product is being launched in Associate Banks shortly.

➤ **Prepaid Cards:**

Bank's range of products include popular Rupee Prepaid Cards like Gift Card, General Purpose Prepaid Card like eZ-Pay Card and Foreign Travel Card catering to various payment needs of the customers.

➤ **Foreign Travel Card:**

Foreign Travel Card, now a CHIP based EMV Compliant Card, is available in eight currencies, US Dollar (USD), Great Britain Pound (GBP), Euro, Canadian Dollar (CAD), Australian Dollar (AUD), Japanese Yen (JPY), Saudi Riyal (SAR) and Singapore Dollar (SGD), providing safety, security and convenience to overseas travellers. Corporate variants of SBFTC have been introduced to cater to the needs of Corporates. Sales for FY 2012-13 were to the tune of to USD 66.92 million.

➤ **eZ-Pay Cards**

eZ-Pay Cards are aligned with most of the social schemes of State and Central Governments in addition to salary payments by Corporate entities, thus reaching millions of households. Sales for FY 2012-13 were to the tune of to INR 931.92 crores. Co-branded Prepaid Cards for various Zones of Indian Railways and Federation of Freight Forwarders' Association in Indian (FFFAI) were rolled out during FY 2012-13.

➤ **Gift Cards**

Gift Cards remain the preferred option to customers to gift the 'freedom of choice' to their loved ones. Customers can create Gift Cards online. Sales registered during FY 2012-13 was INR 77.44 crores. State Bank Achiever Card, a re-loadable corporate incentive Card with a validity of 10 years for disbursement of incentives/awards was rolled out during March-2013.

➤ **Green Channel Counter (GCC)**

The 'Green Channel Counter' facility is made available in 7052 branches. On an average, the daily transactions routed through GCC are more than 1,00,000.

➤ **Self Service Kiosk (SSK)**

As on 31.03.2013, SSKs have been installed in 965 branches. On an average, SSKs are recording more than 30,000 transactions on a daily basis.

➤ **Green Remit Card (GRC)**

GRC, a remittance card, was introduced on 02.01.2012 mainly to take care of the large number of non-home cash deposit transactions at our branches. A cardholder can swipe the card at Green Channel Counter or in Cash Deposit Machines and remit money to the beneficiary whose account number is mapped to the card. Once the transaction is complete, both the remitter and beneficiary get confirmation through SMS on their mobile phone. The Bank has issued 6,23,623 cards resulting into 8,08,830 cash deposit transactions as on 31.03.2013.

➤ **Mobile Banking & Wallet**

Presently, the Bank has a market share of around 65% in the transaction volume and over 36% in the transaction value. During the FY, financial transactions to the tune of ₹1933 Crores were done through the service resulting in a total income of ₹4.67 crores. As on February 2013 SBI is the market leader in terms of registered user base and number of transactions. Efforts are in place to maintain the leadership position in this space.

The Bank has launched a full KYC mobile wallet under the brand name "State Bank MobiCash". A variant of the same "State Bank MobiCash Easy", a wallet which does not require completion of KYC formalities was launched in Mumbai, Delhi and Chandigarh on the 31st December, 2012. So far, around 14,500 wallets have been issued.

**मर्चेन्ट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी) :**

देश में एक विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारे 136 मिलियन कार्डों को पीओएस में एकटीवेट करने के लिए, बाजार में हमारी उपस्थिति बढ़ाने एवं बाजार में उपलब्ध उच्च संभावनाओं को भुनाने के लिए बैंक द्वारा मर्चेन्ट अधिग्रहण व्यवसाय किया जा रहा है। अपनी 70000 टर्मिनलों के साथ बैंक पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता है। बैंक ने कई प्रमुख व्यवसायकर्ताओं के साथ कारपोरेट गठबंधन किए हैं जिसमें सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान एवं अस्पताल शामिल हैं।

प्राइवेट ईक्विटी :

ऑस्ट्रेलिया के मेक्वायर ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम करके बैंक ने 2009 में प्राइवेट ईक्विटी व्यवसाय की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 1.2 बिलियन डॉलर की निधियाँ उगाही गई है जो कि भारत पर केंद्रित सबसे बड़ा प्राइवेट ईक्विटी फंड है। इस फंड ने एयरपोर्ट, टेलिकॉम, सड़क, अक्षय ऊर्जा एवं ताप ऊर्जा के क्षेत्रों में 8 निवेश किए हैं। इस फंड ने अनुबद्ध पूंजी में से 90% का निवेश किया है।

**बैंक द्वारा एक
प्राथमिक गैर
बाध्यकारी समझौता
ज्ञापन रूसी राष्ट्र धन
संपदा निधि - रूसी
प्रत्यक्ष निवेश निधि
पर हस्ताक्षर**

सलतनत ऑफ ओमान के साथ संयुक्त उपक्रम, जिसे ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड कहा गया है, के अंतर्गत 100 मिलियन यूएस डॉलर के फंड ने 202 करोड़ के तीन निवेश रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंडस्ट्रीयल एक्सप्लॉजिव के क्षेत्र में किए हैं। इसके साथ ही फंड ने अपनी अनुबद्धता पूंजी का 40% निवेश कर लिया है।

बैंक ने रशियन सॉवरेन वेल्थ फंड - रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के साथ अबाध्य करार किया है जिसके अनुसार द्विपक्षीय सहायोग परियोजनाओं, द्विपक्षीय व्यापार संबंधी परियोजनाओं या कंपनियों, निजीकरण या वैश्विकरण के अवसरों, विशेष रूप से भारत - रूस से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करने/निवेश में सहायता देने के लिए 2 बिलियन यूएस डॉलर निजी ईक्विटी फंड स्थापित किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सफल कंपनियों के सहायोग से इस प्रकार के और फंडों की स्थापना करने के लिए बैंक विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की तलाश में है।

1.4. अनर्जक आस्ति प्रबंधन**ऋण नीति एवं प्रक्रिया**

इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में अनर्जक आस्तियों में तेजी से वृद्धि देखी गई जो चौथी तिमाही में थमी। एनपीए का अन्य उच्च सृजन मुख्यतया आर्थिक वृद्धि में कुल मिलाकर धीमापन होने और व्यक्तिगत आर्थिक कारण हो सकते हैं। इससे हमारी ऋण नीति और प्रणालियों का इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके:

1. अन्य बैंकों की तुलना में उच्चतर एनपीए के कारणों का विश्लेषण करना और उनका समाधान करना,
2. बेहतर अर्जक व्यवसाय खंडों में हमारे अपेक्षाकृत कम हिस्से के कारण ढूँढना।

बैंक की ऋण नीति और कार्यविधि समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित है जिसमें सभी व्यवसाय समूहों/खंडों जैसे सीएफओ, आईबीजी, एनबीजी, एमसीजी, कैग और ट्रेजरी के शीर्ष कार्यपालक भी शामिल हैं। सीपीपीसी फोरम को सक्रिय किया गया है और वर्ष के दौरान इसकी 17 बैठकें आयोजित की गईं और 72 नीतिगत परिवर्तन अनुमोदित किए गए।

कारपोरेट केंद्र में :

- क) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)
- ख) कारपोरेट केंद्र ऋण समिति (सीसीसीसी)
- ग) थोक बैंकिंग ऋण समिति (डब्ल्यूबीसीसी-1)
अंतरराष्ट्रीय प्रभाग ऋण समिति (आईडीसीसी)
- घ) थोक बैंकिंग ऋण समिति (डब्ल्यूबीसीसी-2)
अंतरराष्ट्रीय प्रभाग ऋण समिति (आईडीसीसी-2)

स्थानीय प्रधान कार्यालय/मध्य कारपोरेट समूह में :

- क) मंडल ऋण समिति (सीसीसी-1)/
मध्यकारपोरेट ऋण समिति (एमसीसीसी)
- ख) मंडल ऋण समिति (सीसीसी-2)
- ग) आंचलिक ऋण समिति (जेडसीसी)/
एसएमई ऋण समिति (शाखा स्तरीय ऋण समिति एमसीजी में)
- घ) क्षेत्रीय ऋण समिति (आरसीसी)

निचले स्तरों पर ऋण संस्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय ऋण समिति (आरसीसी) सृजित की गई है जिसे ₹5 करोड़ की निधि आधारित और कारपोरेटों के लिए ₹2.5 करोड़ के निधि आधारित विवेकाधिकार दिए गए हैं।



➤ Merchant Acquiring Business (MAB)

In order to create a comprehensive electronic infrastructure in the country, activate our more than 136 million debit cards on POS terminals, increase visibility and to tap the huge potential available in the market, Merchant Acquiring business is being conducted by the bank. With around 70000 terminals in the market, Bank is already the largest player amongst the Public Sector Banks and 4th largest Acquirer in India. Bank has already entered into Corporate tie-ups with many prominent players including top educational institutions and hospitals.

➤ Private Equity



The Bank signed a preliminary non-binding MoU with Russian Sovereign Wealth Fund- Russian Direct Investment Fund (RDIF)

The Bank's foray into the Private Equity space began in 2009 with a Joint Venture with the Macquarie Group of Australia. The Fund raised US \$ 1.2 billion, making it one of the largest India focussed Private Equity Funds. The Fund has made 8 investments in sectors such as Airports, Telecom, Roads, Renewable and Thermal Energy. The

Fund made investments to the extent of 90% of the Capital Committed.

The Joint Venture with State General Reserve Fund of the Sultanate of Oman, named the Oman India Joint Investment Fund, a US \$ 100 million Fund has made three investments of ₹202 crores, in sectors such as defense electronics and industrial explosives. With this, the Fund has made investments to the extent of 40% of the Capital Committed.

The Bank signed a preliminary non-binding MoU with Russian Sovereign Wealth Fund- Russian Direct Investment Fund (RDIF) for setting up US \$ 2 billion Private Equity Fund to invest / facilitate investments into bilateral co-operation projects, bilateral trade related projects or companies, privatization or globalization opportunities, projects particularly with India-Russia context.

I.4. NPA MANAGEMENT

Credit Policy and Procedures

This year was characterized by sharp increase in non-performing assets in the first three quarters of the year, which abated only in the fourth quarter. While a major reason for such high NPA generation could be the overall slowdown in economic growth and other macro economic factors, it has also brought to attention the need for arranging our credit policy and practices to achieve the following objectives:

- To analyse and address the reasons for relatively higher NPAs in comparison to the other banks,
- Reasons for our relatively low share in better performing business segments.

The Credit Policy and Procedure Committee of the Bank, headed by Chairman, comprises of all heads of business groups/verticals like CFO, IBG, NBG, MCG, CAG and also Treasury. The forum of CPPC was activated and 17 meetings were held during the year and 72 policy changes were approved.

Details of the Credit Committees' Structure are as below:

At Corporate Centre:

- Executive Committee of Central Board (ECCB)
- Corporate Centre Credit Committee (CCCC)
- Whole Banking Credit Committee (WBCC-I)
International Division Credit Committee (IDCC)
- Whole Banking Credit Committee (WBCC-II)
International Division Credit Committee (IDCC-II)

At Local Head Office/Mid Corporate Group

- Circle Credit Committee (CCC-I)/
Mid Corporate Credit Committee(MCCC)
- Circle Credit Committee (CCC-II)
- Zonal Credit Committee (ZCC)/
SME Credit Committee (Branch level Credit Committee in MCG)
- Regional Credit Committee (RCC)

In order to downstream the credit sanction process, a Regional Credit Committee (RCC) at each Regional Office was created with discretionary powers of ₹5 crores fund based and ₹2.5 crores non-fund based for Corporates.



एसएमजी में एक नई ऋण समिति भी गठित की गई है।

उपर्युक्त संरचना से व्यवसाय के अवसरों का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सकेगा और इसके साथ-साथ पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी भी रखी जा सकेगी। उपर्युक्त सभी समितियों की समय समय पर और नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं जब कभी भी पर्याप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना होता है। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया बेहतर जोखिम आकलन और बेहतर निर्णय लेने में कारगर पाई गई है।

विश्लेषण से पता चला है कि बैंक में गैर निधि आधारित व्यवसाय में कीमत-लागत अंतर निधि आधारित व्यवसाय की तुलना में पूंजीगत लागत को समायोजित करने के बाद काफी कम पाया गया है। तदनुसार बैंक ने समस्त गैर निधि आधारित व्यवसाय के कीमत निर्धारण को बाहरी क्रेडिट रेटिंगों से जोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही इन एक्सपोजरों के लिए प्रतिभूति संरक्षा में भी सुधार किया गया है। इसके साथ साथ शीर्ष रेटिंग प्राप्त कंपनियों जैसे एएए, एए, ए रेटिंग वाली कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे इन ऋणों की संख्या बढ़े। वित्त वर्ष का पहला उत्तरार्ध शिथिल था। इन कार्यानीतियों के परिणाम दूसरे उत्तरार्ध में दिखाई दिए और पिछली तिमाही की तुलना में अग्रिमों में ₹46,491 करोड़ की अच्छी खासी वृद्धि हुई और इनमें 80% से अधिक कंपनियां निवेश श्रेणी ली थीं।

बैंक ने कारपोरेटों के लिए अपनी नीति को भी परिष्कृत किया है जो बैंक को अपने उच्च लागत वाले अपने ऋणों को अन्य बैंकों के साथ पुनर्वित्तपोषित करना अनुमत करती है। कारपोरेट ऋण में दोहरा लाभ रहता है एक तो यह कारपोरेट की दीर्घावधि कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध रहता है और दूसरा इसमें न्यूनतम अचल आस्ति कवरेज अनुपात 1.25 की जरूरत होती है। यह ग्राहकों में बहुत लोकप्रिय हुई है। उसी तरह समय समय पर कीमत निर्धारण और अन्य विभिन्न ऋणों जैसे आवास ऋण आदि की शर्तों को अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों में ऊंची वृद्धि करने के अनुरूप बनाया गया है।

प्रतिष्ठित कंपनियों के डीलरों के वित्तपोषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म ई-डीएफएस को मजबूत बनाया गया है और कीमत निर्धारण को भी आकर्षक बनाया गया है जिससे ई-डीएफएस पोर्टफोलियों में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

बैंक ने सभी निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए 100% ईसीजीसी कवर की नीति को भी जारी रखा है और इसका प्रीमियम बैंक द्वारा वहन किया गया। वर्ष के दौरान ईसीजीसी ने वैश्विक धीमेपन और अनेक विदेशी खरीदारों के द्वारा चूक को समझते हुए पैकिंग और पोस्ट शिपमेंट ऋणों के नियमों को कड़ा बनाया है। तदनुसार बैंक की ऋण नीति में यह व्यवस्था की गई है

कि पैकिंग ऋण तभी संस्वीकृत किया जा सकता है जब विदेशी खरीदारों के बारे में हालिया तारीख की संतोषजनक क्रेडिट रिपोर्टें उपलब्ध होंगी और ईसीजीसी द्वारा बनाई गई खरीदार विशेष अनुमोदन सूची से इनका सत्यापन हो जाएगा।

इसी तरह कार ऋणों के लिए क्रेडिट स्कारिंग माडल में संशोधन किया गया है जिससे इसे क्रेडिट मानकों में कोई बड़े विचलन किए बिना और कारगर बनाया जा सके। इसके अलावा अग्रिमों के अधिग्रहण के लिए कम से कम एसबी6 की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग और बाहरी रेटिंग के मामले में कम से कम बीबीबी रेटिंग आवश्यक कर दी गई है।

बाहरी रेटिंग : बैंक आस्तियों पर पूंजी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर आवंटित करनी होती है। वतमान विनियमों के अनुसार ₹5 करोड़ और उससे अधिक के सभी अग्रिम खातों के लिए क्रेडिट रेटिंग आवश्यक/ अनिवार्य है। 55,130 पात्र खातों में से 31,702 खातों की रेटिंग हो चुकी है। हम शेष पात्र खातों को आवश्यक बाहरी रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

सभी कार्यशाल पूंजी अग्रिमों के लिए कीमत निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कीमत निर्धारण को बाहरी रेटिंग से जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है :

तालिका 23: ऋणों की कीमत निर्धारण

बाहरी रेटिंग	कार्यशील पूंजी मांग ऋण	कैश क्रेडिट
एएए/एए	आधार दर	आधार दर + 25 आधार बिंदु
ए	आधार दर + 25 आधार बिंदु	आधार दर + 50 आधार बिंदु
बीबीबी	आधार दर + 0.65 आधार बिंदु	आधार दर + 0.90 आधार बिंदु

ऋण कीमत निर्धारण निष्पक्ष होने से संस्वीकृति का समय अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग कीमत निर्धारण का निर्णय लेने में नहीं लगता। इसी तरह अन्य व्यवसाय क्षेत्रों जैसे आवास ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण आदि का कीमत निर्धारण भी निष्पक्ष और सभी श्रेणियों के लिए एकसमान है।

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह



तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, लुधियाना



SAMG has also put in place a new Credit Committee.

The above structure has the benefit of being able to respond to the business opportunities in a quick manner and at the same time having adequate control and oversight. All the above Committees have periodic and regular meetings whenever there were enough proposals to be considered. The collective decision making process has been found to be effective in better risk assessment and quality decision making.

The analysis revealed the spreads in non-fund business in the Bank are much lower compared to the fund based even after adjusting for cost of capital. Accordingly, the Bank has decided to link the pricing for all non-fund based business to External Credit Ratings and also improve the security cover for these exposures. Simultaneously, the pricing for top rated companies' viz. AAA, AA, A was made more aggressive in order to get higher share. The first half of the financial year was slack. The results of these strategies were noticeable in the second half and there was a robust growth of ₹46,491 crores in advances from the last quarter and more than 80% of this came from companies rated investment grade.

The Bank has also fine tuned its policy for Corporates, which allows the Bank to refinance their high cost loans with other Banks. Corporate loan has twin advantage as it is extended for long term working capital requirements of the corporate and requires only a minimum Fixed Assets Coverage Ratio (FACR) of 1.25. It has proved to be quite popular with our constituents. Similarly, from time to time, the pricing and terms of various other loans like Home Loans, etc. have been adjusted to generate high growth with good quality.

The product of electronic platform for financing to dealers of reputed companies e-DFS was made strong and pricing was also made very attractive, which has led to phenomenal growth in the portfolio of e-DFS.

The Bank also continued with its policy of 100% ECGC cover for all export oriented units and premium thereof was borne by the Bank. During the year ECGC based on their understanding of global slowdown and default by several overseas buyers, made the rules stricter for packing and post shipment credit. Accordingly, Bank's credit policy also envisages that packing credit can be sanctioned only when there are satisfactory credit

reports available on the overseas buyers on a recent date and verification of Buyers Specific Approval list maintained by ECGC.

Similarly, credit scoring model for car loans was modified to make it more effective without significantly diluting credit standards. Further, the minimum threshold credit rating for takeover of advance has also been enhanced to SB6 and with External Rating of minimum BBB.

External rating: The Bank has to allocate capital on assets depending on the basis of credit rating. As per current regulations, credit rating is necessary / mandatory for all accounts of advances of ₹5 crores and above. Out of 55,130 eligible accounts, 31,702 have already been rated. We are continuing our endeavours to encourage the remaining eligible accounts to obtain the required external credit rating.

In order to impart transparency and impartiality to the pricing process for all working capital advances, the pricing has been linked to external rating and the current matrix is:

Table 23: Pricing of Loans

External Rating	WC DL	Cash Credit
AAA / AA	Base Rate	Base Rate + 25 bps
A	Base Rate + 25 bps	Base Rate + 50 bps
BBB	Base Rate + 0.65 bps	Base Rate + 0.90 bps

With the pricing for loans being non-discriminatory, executive time is not required to be given for deciding on pricing for individual companies. Similarly, in other business areas like Home Loans, Education Loans, Car Loans, etc. the pricing was made non-discriminatory and uniform for similar categories.

STRESSED ASSETS MANAGEMENT GROUP



Stressed Assets Management Branch, Ernakulam



वर्ष 2008 के वैश्विक संकट को देखते हुए भारतीय अर्थ व्यवस्था के समक्ष मुद्दों को देखते हुए एसबीआई सहित भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता दबाव में है। ऋण श्रेणी परिवर्तन निरंतर जारी है और एनपीए का समाधान आज बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी किए हुए है।

इस विषय के समाधान के लिए हमने 2004 में तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह गठित किया था। एसएएमजी का नेतृत्व एक उप प्रबंध निदेशक करते हैं और उनकी सहायता के लिए 2 मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। एसएएमजी की स्थापना उच्च राशि वाले एनपीए को कारगर समाधान करने के लिए एक अलग और एक विशेषीकृत खंड के रूप में की गई है जो अन्य कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयों द्वारा इस समूह को भेजे जाते हैं।

आज, एसएएमजी की देश भर में 15 शाखाएँ हैं जिनमें से 2 वर्ष के दौरान, एक एर्नाकुलम में और दूसरी मुंबई में, खोली गई हैं। बैंक को तीन अन्य केंद्रों पर शाखाएँ खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक कोयंबतुर में खोलने के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इन शाखाओं में ऐसे पदाधिकारी पदस्थ किए गए हैं जिन्हें तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में विशेषज्ञता प्राप्त है और उनकी सहायता के लिए विधि अधिकारी भी रहते हैं।

आज की तारीख में बैंक के एनपीए और एयूसीए का 24.35% और 58.14% एसएएमजी के अंतर्गत है। हालांकि एसएएमजी को मुख्यतया कारपोरेट खंड के एनपीए के समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ साथ तनावग्रस्त आस्ति वसूली कक्ष (सार्क) की स्थापना राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के भीतर रिटेल एनपीए के समाधान के लिए की गई है। एसएआरबी/एसएआरसी के वसूली प्रयासों में सहायता करने के लिए देश भर में हमारी 14,816 शाखाओं में निचले स्तर पर परिचालन स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त अकाउंट ट्रैकिंग और मानीटरिंग (एटीएम) केंद्रों पर सभी मंडलों में रिटेल खंड में एसएएम और एनपीए खाते वाले ऋणियों से संपर्क करने के लिए परिचालित हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि, व्यवसाय सुलभकर्ता और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी कृषि एनपीए की वसूली के लिए तैनात किया गया है।

एसएएमजी तनावग्रस्त आस्तियों के लिए अन्य निम्नलिखित उपायों के साथ साथ अनेक प्रकार की कार्यनितियों को भी कार्यान्वित करता है,

- मानक आस्तियों और एनपीए दोनों की पुनर्संरचना या तो सीडीआर तंत्र या एक द्वितीय व्यवस्था के माध्यम से की जा रही है।
- सरफेसी माध्यम का उपयोग करके आस्तियों की नीलामी के द्वारा वसूली।
- कार्यनीतिक निवेशकों का चयन करना और तनावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए उनके साथ तालमेल करना

- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की बिक्री करना
- ऋणियों के साथ एकबारगी समाधान करना
- बैंक को बंधक रखी गई संपत्तियों के अधिग्रहण का कब्जा लेने के लिए समाधान एजेंटों का उपयोग करना और उनकी नीलामी के लिए व्यवस्था करना
- ई-ऑक्शन प्लेटफार्म का उपयोग करके यथासंभव अनेक भावी बोली लगाने वालों तक पहुंचना
- कुछ मामलों में ऋण आस्ति अदला-बदली पर विचार किया गया
- जांचकर्ता एजेंसियों का उपयोग करके प्रवर्तकों और गारंटीदाताओं की भारमुक्त आस्तियों का पता लगाना और इन संपत्तियों के निर्णय के पूर्व कुर्की लेना
- कंपनियों और प्रवर्तकों को इरादतन चूककर्ताओं का पता लगाना और सिबिल जैसी ऋण सूचना कंपनियों की वेबसाइटों पर उनके नाम प्रदर्शित करना। ये नाम भारतीय रिज़र्व बैंक को भी रिपोर्ट किए जाते हैं।
- समाचार पत्रों में चूककर्ताओं के फोटो, जहां आवश्यक हो, प्रकाशित कराना।

एसएएमजी द्वारा फोकस और विशेष ध्यान दिए जाने और कार्रवाई के जाने के कारण वर्ष के दौरान बड़ी राशि वाले एनपीए में भारी वसूली हो पाई है। इसके अतिरिक्त एसएएमजी के प्रयासों से इस वर्ष देय राशियों की वसूली हो पाई। इनमें से कुछ तो एक दशक से भी पुरानी थी।

एसएएमजी और अन्य वसूली इकाइयों में पदस्थ पदाधिकारियों की निपुणताओं को निरंतर बेहतर और परिष्कृत किया जाता है।

- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एसएएमजी की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं
- इस क्षेत्र के गणमान्य विशेषज्ञों द्वारा अतिथि वक्तव्यों की व्यवस्था की जाती है (उदाहरणार्थ एक अनुभव प्राप्त बैंकर और “प्रेक्टिकल अप्रोच टू रिक्वरी मैनेजमेंट इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सिव्युरिटाएजेशन एक्ट” पुस्तक के लेखक श्री आर. सी. कोहली द्वारा अनेक अवसरों पर हमारे पदाधिकारियों को संबोधित किया गया।
- नियमित महासम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिनमें इस विषय से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है। अलग अलग खातों का समीक्षा भी की जाती है और इन खातों में शीर्ष वसूलियों के लिए कार्यनितियाँ बनाई



In the wake of the Global crisis of 2008 and the headwinds before the Indian economy today, asset quality of Indian Banks, including SBI, has been under pressure. Slippages have continued unabated and resolution of NPAs today poses a major challenge to Banks.

With a view to address this issue, we have, during 2004, set up the Stressed Assets Management Group (SAMG). SAMG is headed by a Deputy Managing Director supported by a team of 2 Chief General Managers and other senior officials. SAMG has been set up as a dedicated and specialised vertical to efficiently resolve high value NPAs which are transferred to the Group by other Strategic Business Units.

Today, SAMG has 15 branches across the country of which 2, one at Ernakulam and another at Mumbai (second branch) were opened during the year. The Bank also holds licenses for opening branches in three other Centres. Arrangements are on hand to open one of these in Coimbatore. The branches are staffed with officials with expertise in resolution of stressed assets, duly supported by Law officers.

As on date, 24.35% and 58.14% of the Bank's NPAs and AUCA reside within SAMG. While SAMG is primarily responsible for resolution of NPAs in the Corporate segment, Stressed Assets Recovery Branches (SARBs) and Stressed Assets Recovery Cells (SARCs) have been set up within the National Banking Group to tackle retail NPAs. The recovery efforts of SARBs/SARCs are supplemented by efforts put in by ground level operating staff at our 14,816 branches across the country. Besides, Account Tracking & Monitoring (AT@M) Centres have been operationalised in all Circles to contact SMAs and NPAs in the retail segment. Business Correspondents, Business Facilitators and Self Help Group are also involved in recovery of Agricultural NPAs.

SAMG employs multi-pronged strategies to resolve stressed assets including, inter alia,

- Restructuring of both Standard assets and NPAs, either through the CDR mechanism or through a bilateral arrangement
- Recovery through auction of assets using the SARFAESI route
- Filing suits in Debt Recovery Tribunals and other Courts for recovery of our dues

- Identifying strategic investors and engaging with them for takeover of stressed assets
- Sale of NPAs to Asset Reconstruction Companies
- Entering into One Time Settlements with borrowers
- Using Resolution Agents to take possession of properties mortgaged to the Bank and arranging for their auction
- Using the e-auction platform to reach out to as many prospective bidders as possible
- Debt Asset swaps have been considered in some cases
- Engaging investigation agencies to trace out unencumbered assets of promoters and guarantors and obtaining Attachment Before Judgements over these properties
- Identifying Companies and promoters as Wilful Defaulters and arranging for display of their names on the websites of Credit Information Companies such as CIBIL. These names are also reported to the Reserve Bank of India.
- Publishing photographs of defaulters in newspapers where warranted.

The focussed and specialised attention that SAMG has been able to bring to the task has resulted in substantial recoveries in high value NPAs during the year. Besides, the concerted efforts of SAMG have resulted in recoveries of dues to the Bank this year, some of which are decades old.

The skills of officials posted in SAMG and other recovery units are constantly upgraded and honed by:

- Regular training programmes tailor made to the requirements of SAMG organized by the Bank's Apex Training Institutes
- Arranging for Guest Lectures by acknowledged experts in the field (For e.g. Shri R. C. Kohli, an experienced banker and author of "Practical Approach to Recovery Management in Banks and Financial Institutions and Securitisation Act" has addressed our officials on several occasions)
- Regular conclaves are held where matters of topical relevance are discussed. Individual accounts are also reviewed and strategies decided to expedite



जाती हैं। परिचालन पदाधिकारियों से इस विषय में निरंतर जानकारी प्राप्त की जाती है कि कैसे समूह इसका परिचालनों में अधिकाधिक उपयोग कर सकता है।

- बैंक की शीर्ष प्रबंधन, अध्यक्ष सहित सभी बड़ी राशि वाले खातों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और इन एनपीए के समाधान के उपाय सुझाते हैं।

बैंक द्वारा एसएएमजी के भीतर ऋण संबंधी शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए जैसे ओटीएस अनुमोदन, जल्द संपत्तियों आदि की नीलामी के लिए रिजर्व कीमतें निर्धारित करना, आदि। हाल ही तक ऐसे सभी मामलों जिनमें संस्वीकृतियों/अनुमोदनों की अपेक्षा होती है, अन्य व्यवसाय समूहों की ऋण समितियों के माध्यम से भेजे जाते हैं। एक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन ऋण समिति अब गठित की जा रही है जिसका उद्देश्य एसएएमजी के प्रस्तावों पर संस्वीकृति या अनुमोदन करना ही है। यह विशेष ऋण समिति एसएएमजी के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऋण संबंधी निर्णय तत्काल लिए जाते हैं और तुरंत परिचालन पदाधिकारियों को सूचित कर दिए जाते हैं जिससे शीघ्र वसूलियाँ हो पाती हैं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एख स्कीम घोषित की गई है जिसमें 5 वर्ष पहले बट्टे खाते डाली गई राशियों की वसूली में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को सामान्य प्रोत्साहन राशिका भी भुगतान किया जाता है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और बैंक बट्टे खाते डाले गए ₹1000 करोड़ से अधिक राशि की वर्ष के दौरान वसूली कर पाया।

कठिन और चुनौतीपूर्ण परिवेश में हमने बीते वर्ष में देखा है कि एसएएमजी और एमएएमबी/एसएआरबी/एसएआरसी के संकल्पबद्ध और विषय केंद्रित प्रयासों से एनपीए वृद्धि को थामने में मदद मिली है। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही के दौरान यह खास तौर पर देखने को मिला। इस दौरान निवल एनपीए का प्रतिशत वर्ष के दौरान के चरम स्तर 5.30% और 2.59% से घटकर क्रमशः 4.75% और 2.10% के स्तर पर आ गया। वस्तुतः चौथी तिमाही में भी सकल एनपीए में कुल मिलाकर ₹2,269 करोड़ की कमी दिखाई दी। अधिक ब्योरा नीचे दिया गया है :

तालिका 24: एनपीए का विश्लेषित ब्योरा

सकल एनपीए	वित्त वर्ष 11-12	वित्त वर्ष 13 की तृतीय तिमाही	वित्त वर्ष 12-13
सकल एनपीए	39,676	53,458	51,189
सकल एनपीए%	4.44	5.30	4.75
निवल एनपीए %	1.82	2.59	2.10
मानक श्रेणी से नई गिरावट	24,712	26,126	31,993
नकदी वसूलियाँ/ग्रेड बढ़ना	9,618	9,167	14,885
बट्टे खाते डालना	744	3,176	5,594
बट्टे खाते डाले गए ऋणों में वसूली	962	673	1,066

वित्त वर्ष 13-14 के दौरान भी आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। एसएएमजी और बैंक की अन्य वसूली इकाइयाँ भविष्य की इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

II सहायक एवं नियंत्रण परिचालन

II.1. सूचना प्रौद्योगिकी

➤ कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट

सीबीएस प्रणाली को एक दिन में 250 मिलियन से अधिक लेनदेनों, एक बिलियन खातों को सहायता प्रदान करने और प्रति सैकड़ 17,000 से अधिक लेनदेनों की प्रविष्टि करने की क्षमता स्थापित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

इस प्रणाली को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए वर्ष के दौरान सीबीएस में अनेक नई विशेषताओं को जोड़ा गया है। रुपये प्लेटफार्म पर दो नए एटीएम कार्ड शुरू किए गए हैं। बचत बैंक, चालू खाता और कैश क्रेडिट खाते के पीडीएफ प्रारूप में पासवर्ड संरक्षित खाता विवरण अब ग्राहकों के ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं। एटीएम के माध्यम से टीडीआर/एसटीडीआर जारी करने, 16 अंकों वाले सेन्सस कोड को ऑनलाइन से प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली को सीबीएस में तैयार किया गया है। प्रामाणिक पद्धति के एक द्वितीय घटक के रूप में सभी सीबीएस प्रयोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने वाली कार्य-प्रणाली को शाखाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जोखिमों की प्रणाली-गत एवं कार्यक्षम जोखिम पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और न्यूनतम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन अभ्यास नियमित रूप से संचालित किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रथम व्यापक समन्वित व्यवसाय निरंतरता अभ्यास (आईबीसीई) का परीक्षण दिनांक 8 एवं 9 दिसंबर 2012 को और दूसरा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2013 को किया गया।

➤ एटीएम

भारतीय स्टेट बैंक ने 11.00 करोड़ से भी अधिक कार्ड जारी किए हैं जिनमें से लगभग 8.54 करोड़ कार्डों के माध्यम से एटीएमों के नियमित रूप से लेनदेन हो रहे हैं। स्टेट बैंक समूह का एटीएम परिचालन दो स्विचों से संचालित होते हैं। बेस24 स्विच की क्षमता में हाल ही में वृद्धि की गई है और अब यह लगभग 50,000 एटीएमों का कार्य संभाल सकता है। ब्राउन लेबल एटीएमों के माध्यम से एटीएमफुटप्रिन्ट का व्यापक रूप से विस्तार किया गया है जिसे वित्त मंत्रालय के मार्ग-दर्शन में पूर्णतः आउटसोर्सड पहल के रूप



recoveries in these accounts. Feedback from operating functionaries is regularly elicited on how the Group can further optimize operations.

- Top Management of the Bank, including the Chairman, regularly review all high value accounts and suggest ways and means to resolve these NPAs.

The Bank took an important initiative during the year to facilitate expeditious credit decisions, such as approving OTSs, fixing reserve prices for auction of seized properties, etc., within SAMG. Till recently, all matters requiring sanctions/approvals were routed through Credit Committees of other Business Groups. A Stressed Assets Management Credit Committee (SAMCC) has now been set up with the sole objective of considering proposals of SAMG for sanction or approval. This dedicated Credit Committee is a valuable resource for SAMG as credit decisions are taken immediately and communicated at once to operating functionaries resulting in swifter recoveries. During the year, the Bank had also announced a scheme where nominal incentives were paid to officials instrumental in recovering amounts written off over 5 years ago, which yielded significant results and the Bank was able to recover more than ₹ 1000 crores during this year from written off accounts.

Notwithstanding the harsh and challenging environment we have seen in the year gone by, the determined and focussed efforts of the SAMG and SAMBs/SARBs/SARCs has contributed to a deceleration in NPA accretion. This was particularly evident during Q4 of 2012-13 when Gross and Net NPA percentages were brought down to 4.75% and 2.10% respectively from the peak levels of 5.30% and 2.59% witnessed during the year. In fact, Q4 also saw a reduction in gross NPAs by ₹2, 269 crores in absolute terms. More details are furnished below:

Table 24: Break –up of NPA (₹ In cr.)

NPA	FY 11-12	Q3 FY13	FY 12-13
Gross NPAs	39,676	53,458	51,189
Gross NPA%	4.44	5.30	4.75
Net NPA%	1.82	2.59	2.10
Fresh Slippages	24,712	26,126	31,993
Cash Recoveries/ Upgradations	9,618	9,167	14,885
Write Offs	744	3,176	5,594
Recoveries in Written Off Accounts	962	673	1,066

While asset quality is expected to be under pressure during FY 13-14 also, the SAMG and other recovery outfits of the Bank are fully geared up to meet the challenges of the future.

II SUPPORT & CONTROL OPERATIONS

II.1. INFORMATION TECHNOLOGY

➤ CORE BANKING PROJECT

The CBS environment is benchmarked to establish the capability to support one billion accounts, over 250 million transactions in a day, and delivering a throughput of over 17,000 transactions per second.

Several new features were rolled out in CBS during the year for making the system more user-friendly. Two new ATM cards on 'RUPAY' platform. Password protected statements in PDF format of Savings Bank, Current Account, Cash Credit accounts are now being sent to the e-mail addresses of customers. Functionalities for issuance of TDR/ STDR through ATM, online capture of 16-digit Census Code have been developed in CBS. Biometric authentication as a second-factor authentication method is being implemented in branches for all CBS users.

The process for the systematic and proactive risk identification, assessment, measurement, monitoring and mitigation of various risks in the IT vertical has been initiated. Disaster Recovery Drills are conducted regularly as part of the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS). The first comprehensive Integrated Business Continuity Exercise (IBCE) during the current financial year was tested on 8th & 9th December 2012 and the second on 17th & 18th February 2013.

➤ ATM

SBI has issued more than 11.00 crores Cards out of which around 8.54 crores Cards are transacting regularly on the ATMs. The State Bank Group's ATM operations run from two Switches. The BASE24 Switch has recently been upgraded and it can now handle close to 50,000 ATMs. The ATM footprint is being enlarged substantially through Brown Label ATMs which are being rolled out as totally outsourced initiative under the guidance

में कार्यान्वित जा रहा है। विभिन्न प्रकार के एटीएम लगाए गए और विभिन्न प्रकार के कार्ड जारी किए गए। 581 नई नकदी जमा करने वाली मशीनें लगाई गई हैं जिससे ग्राहकों को नकदी जमा करने में सुविधा हो सके।

➤ इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग सेवा बैंक की वेबसाइट <https://www.onlinesbi.com> के माध्यम से उपलब्ध है। बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सोल्यूशन खुदरा एवं कारपोरेट दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक उत्पाद है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख नई विशेषताओं को इसमें जोड़ा गया है:

पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग:

इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन आदि करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का मोबाइल फोन वर्जन (<https://m.onlinesbi.com>), यूएसडालर, यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पौण्ड में विदेशी जावक-धन-प्रेषण, ऑनलाइन बचत बैंक खाता आवेदन, ऑनलाइन शापिंग के लिए वर्चुअल ई-कार्ड, आईपीओ (ऋण) एसबीए

भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास दिनांक 31.03.2013 को 32752 एटीएमों का एक विशाल नेटवर्क है जो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।

सुविधा, प्रोफाइल पासवर्ड के लिए मल्टी-लिंगुवल्ड मेज आधारित की-बोर्ड, जम्मू एण्ड कश्मीर ग्राहकों के लिए वाइसओटीपी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग

रक्षा आईआरसीटीसी - अर्ध-सैनिक बलों द्वारा टिकट बुक करने के लिए, सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस) सुविधा, कारपोरेट ग्राहकों द्वारा ईपीएफ भुगतान, कारपोरेट ग्राहकों द्वारा लॉगइन करने के लिए हार्डवेयर टोकन के माध्यम से द्वितीय घटक प्रमाणीकरण, कारपोरेट के लिए मर्चेन्ट पूर्व-अनुमोदित लेनदेन, विदेशी मुद्रा ऋण आवेदन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

➤ आईटी-विदेश स्थित कार्यालय

25 देशों में स्थित बैंक के 145 विदेश स्थित कार्यालय फिनेकलसूड ऑफ अप्लिकेशन का उपयोग करते हैं जिसमें फिनेकल कोर, फिनेकल ट्रेजरी और फिनेकल इंटरनेट बैंकिंग अप्लिकेशन शामिल हैं। विदेशी केन्द्रों में 134 एटीएम और 2 कियोस्क लगाए गए हैं और 7.63 डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 1.43 लाख उपयोगकर्ताओं ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण किया है।

➤ एन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस विभाग

जोखिम प्रबंधन, ग्राहक विश्लेषण, आस्ति एवं देयता प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित डाटा मार्टों की रूपरेखा की गई है।

कार्यपालाकै द्वारा निर्णय लेने के लिए उपयोग में लाने हेतु डैशबोर्ड विकसित करके लगाए गए हैं। कैम्पेन मैनेजमेंट टूल कार्यान्वित किया गया है और विभिन्न खण्डों के अंतर्गत ग्राहक लक्ष्य वाली विभिन्न व्यवसाय इकाइयों द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से कैम्पेन शुरू किए गए हैं। बेहतर निगरानी के लिए कारपोरेट लेखा समूह, मिड कारपोरेट ग्रुप और लघु एवं मध्यम उद्यम खातों के लिए “कस्टमर वन व्यू” विकसित किया गया है। व्यवसाय विकास, नियंत्रण, निष्पादन और लाभप्रदता के क्षेत्रों में आंकड़ा खनन एवं विश्लेषण निष्पादित किए जा रहे हैं।

➤ नेटवर्किंग


बैंक ने एक सुरक्षित, मजबूत वैन संरचना वाले नेटवर्क का कार्यान्वयन किया है जो लीज लाइनों, वीसैट और सीडीएमए टेक्नालॉजी के माध्यम से स्टेट बैंक समूह की सभी शाखाओं/ कार्यालयों तथा एटीएमों को जोड़े हुए है। यद्यपि कनेक्टिविटी के लिए प्राइमरी लिंक हेतु लीज लाइनें प्राप्त की गई हैं, फिर भी बैंक-अप के रूप में आईएसडीएन लाइनें वीसैट उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक सभी स्थानों पर लीज लाइनों की क्षमता को 32 के बीपीएस से बढ़ाकर 64 के बीपीएस कर दिया गया है। बैंक सभी स्थानों पर लीज लाइनों की क्षमता को 64 के बीपीएस से बढ़ाकर 128 के बीपीएस तक करने की प्रक्रिया में है।

11.2. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

➤ भारतीय स्टेट बैंक में जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में कार्यरत जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है:

तालिका 25: बैंक में जोखिम प्रबंधन तंत्र



कर्तव्यों का विभाजन और जोखिम मापन, निगरानी एवं गतिविधियों के नियंत्रण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र जोखिम नियंत्रण संरचना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप कार्यरत है। यह संरचना परिचालन स्तर पर व्यवसाय इकाइयों को अधिकार देने की संकल्पना पर आधारित है जिसमें प्रौद्योगिकी को प्रमुख प्रचालक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ताकि उद्गम के स्थान पर ही जोखिम की पहचान एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था की जा सके।



of Ministry of Finance. A wide variety of ATMs and various types of cards have been deployed. 581 new Cash Deposit Machines have been installed to facilitate customers to deposit the cash.

➤ **INTERNET BANKING**

Internet Banking service is available through the Bank's website "https://www.onlinesbi.com". The Bank's internet banking solution is a comprehensive

product for both retail and corporate users. The following major new features have been added during current financial year 2012-13:

Personal Internet Banking:

IPO(Debt) ASBA facility, Multi-lingual image based keyboard for profile password, Voice OTP for J&K customers for doing Internet Banking transactions etc.



State Bank of India along with its Associate Banks has one of the largest ATM networks in the world with 32752 ATMs, as on 31.03.2013.

Corporate Internet Banking:

Raksha IRCTC – Ticket Booking by Paramilitary Forces, Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS) facility , EPF payments by Corporate customers, Second Factor authentication through Hardware token for login by corporate customers, Merchant pre-approved transactions for corporate, Foreign Currency Loan Application

➤ **IT - FOREIGN OFFICES**

145 Foreign Offices of the Bank in 25 countries use the Finacle suite of applications that include Finacle Core, Finacle Treasury and Finacle Internet Banking Applications. 134 ATMs and 2 Kiosks have been installed at Foreign Centres and 7.63 lakh Debit Cards have been issued. Around 1.43 lakh users have been registered for Internet Banking.

➤ **ENTERPRISE DATA WAREHOUSE DEPARTMENT**

Data Marts relating to the various areas like Risk Management, Customer Analytics, Assets and Liability Management etc. have been designed. Dashboards have been developed and

deployed for use by the executives for decision making. Campaign Management Tool has been implemented and campaigns through emails/SMS have been launched by the various Business Units targeting customers under various segments. "Customer One view" (COV) has been developed for Corporate Account Group, Mid Corporate Group and Small and Medium Enterprise Accounts for better monitoring. Data Mining and Analytics are being performed in the areas of business development, Control, Performance and Profitability.

➤ **NETWORKING**


The Bank has implemented a secured, robust WAN architecture network connecting branches/offices and ATMs of State Bank Group through leased lines, VSATs and CDMA technology. While leased lines and VSATs have been procured for primary links for connectivity, ISDN lines or VSATs have been provided as backup. The bandwidth of primary VSATs has been upgraded from 32 Kbps to 64 Kbps at all locations. The Bank is in the process of upgrading leased lines at all locations with bandwidth of 64 Kbps to 128 Kbps.

II.2. RISK MANAGEMENT & INTERNAL CONTROLS

➤ **Risk Management Structure in SBI:**

The Risk Governance structure in place in the Bank is as under:

Table 25: Risk Governance structure in the Bank



An independent Risk Governance Structure, in line with international best practices, has been put in place, in the context of separation of duties and ensuring independence of Risk Measurement, Monitoring and Control functions. This framework visualizes empowerment of Business Units at the operating level, with technology being the key driver, enabling identification and management of risk at the place of origination.



जोखिम नियंत्रण संरचना की परिकल्पना के अनुरूप विभिन्न जोखिमोंके लिए समेकित जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, समूह जोखिम और उद्यम जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ बेसल कार्यान्वयन और सूचना सुरक्षा विभाग को मुख्यमहाप्रबन्धक (जोखिम प्रबंधन) के अंतर्गत रखा गया है जिसे उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

❖ ऋण जोखिम प्रबंधन :

- बैंक द्वारा ऋण मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण की सक्षम पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न निवेश खंडों में ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करती है। बैंक की आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन प्रमाणीकरण संरचना पर आधारित है।

- विभाग ने वित्त वर्ष 2012-2013 में 36 उद्योगों को चिह्नित किया गया, जिनमेंदूरसंचार, ऊर्जा, कोयला, उड्डयन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, कपड़ा क्षेत्र, लौह एवं इस्पात शामिल हैं, और उचित निर्णय लेने के लिए इन सूचनाओंको परिचालन कर्मचारियों को प्रेषित किया। बैंक बोर्ड के निर्देशानुसार कंपनियों/समूहों का विशिष्ट अध्ययन किया गया।

- बैंक ने ऋण जोखिम के लिए आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) लागू करने हेतु आशय-पत्र का आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेज दिया है। इसी उद्देश्य से, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा नई नीतियों एवं ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रबंधन तंत्र को स्वीकृत किया गया है। आईआरबीके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन तंत्र को और भी मजबूत किया गया है।

- चूक की संभावना के आकलन (पीडी), हानिप्रद चूक (एलजीडी) और चूक के समय ऋण जोखिम (ईएडी) के आकलन के लिए मॉडलविकसित किए गए हैं।

- बैंक नियमित रूप से अपने ऋण निवेश सूचियों का तनाव परीक्षण एवं तनावस्थितियों का नियमित रूप से उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार और समष्टि आर्थिक बदलावों के अनुरूप अद्यतन करता है।

- विभिन्न जोखिम नीतियों, उद्योग दिशा-निर्देशों एवं निवेश मानकोंके पुनर्विचार के लिए वर्ष के दौरान ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) की पाँच बैठक और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी बी) की छह बैठक की गई।

❖ बाज़ार जोखिम प्रबंधन

- बाज़ार जोखिम बैंक को होने वाली वह संभावित हानि है जो विनिमय दर, ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य आदि जैसी बाजार परिस्थितियों में होने वाले बदलाव के कारण इसके व्यवसाय संविभागमूल्यों में परिवर्तन आने

से हो सकती है। बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान और जोखिम मापन, नियंत्रणउपायों, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल होती है।

- विदेशी विनिमय व्यापार, डेरीवेटिव, ब्याज दर, प्रतिभूति, ईक्विटी, और म्यूचुअल फंड की जोखिम के लिए बैंक के पास बोर्ड स्वीकृत नीतियां हैं। बाज़ार जोखिम को विभिन्न जोखिम परिसीमा द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो संबंधित नीतियों में वर्णित है, जैसे नेट ओवर नाइट ओपेन पोसिशन, आशोधित अवधि, स्टॉपलॉस मैनेजमेंट, एक्शन ट्रिगर प्रबंधन, कटलॉस ट्रिगर, केन्द्रीकरण और ऋण सीमा आदि।

- वर्तमान समय में बाजार जोखिम पूंजी का परिकलन मानकीकृत आकलन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। बैंक ने बेसल-1। के अंतर्गत बाजार जोखिम के निर्धारण हेतु उन्नत दृष्टिकोण, अर्थात् आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना आशय-पत्र प्रस्तुत किया है। आंतरिक मॉडल बैंक के व्यवसाय संविभाग की निगरानी करने हेतु जोखिम आधारित मूल्य निर्धारित प्रणाली के साथ-साथ तिमाही अंतराल पर व्यवसाय संविभाग का तनाव परीक्षण भी आयोजित किया जाता है। इस समय बैंक द्वारा समानांतर रूप से मानकीकृत आकलन प्रणाली एवं आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का संचालन किया जा रहा है।

- बैंक में बाजार जोखिम की निगरानी एवं समीक्षा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है जो तिमाही अंतराल पर कम से कम एक बार बैठक करती है।

❖ परिचालन जोखिम प्रबंधन :

- परिचालन जोखिम हानि वह जोखिम है जो अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, जनसमूह एवं प्रणालियों या बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रणालियों एवं नियंत्रण पद्धतियों की निरंतर समीक्षा करना, संपूर्ण बैंक में परिचालन जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जोखिम दायित्व का निर्धारण करना, व्यवसाय कार्यनीति में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों को शामिल करना और नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करना है, जो बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के प्रमुख घटक हैं।

- विकसित आकलन दृष्टिकोण अपनाने हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा और परिचालन जोखिम निर्धारण दृष्टिकोण के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियां, मैनुअल और रूपरेखा से संबंधित प्रलेख लागू किए गए हैं।



As envisaged in the Risk Governance Structure, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Group Risk and Enterprise Risk Management Departments along with Basel Implementation and Information Security Departments are placed under Chief General Manager (Risk Management) under the control of Deputy Managing Director and Chief Credit & Risk Officer to ensure Integrated Risk Management for various Risks

❖ **Credit Risk Management:**

- The Bank has strong credit appraisal and risk assessment practices in place. The Bank uses various internal Credit Risk Assessment Models for assessing credit risk under different exposure segments. Internal ratings of the bank are subject to comprehensive rating validation framework.
- The department tracked 36 industries during FY 2012-13 including sectors such as Telecom, Power, Coal, Aviation, NBFC, Textile Sector, Iron and Steel and disseminated the same to operating staff for informed decision making. Specific studies on Companies/Groups as directed by the Bank's Board were also conducted.
- The Bank has filed Letter of Intent with RBI for migration to Internal Ratings Based (IRB) Approach for Credit Risk. For this purpose, new policies and governance structure related to credit risk management have been approved by the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The governance structure has also been made more robust for effective implementation of the IRB.
- Models for estimation of Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) have been developed.
- Bank regularly conducts stress test on its Credit portfolio and Stress Scenarios are regularly updated in line with Industry best practices and changes in Macro economic variables.
- Five meetings of Credit Risk management Committee (CRMC) and six meetings of Risk Management committee of Board (RMCB) were conducted during the year to review various risk policies, industry guidance and exposure norms.

❖ **Market Risk Management:**

- Market Risk is the possibility of loss a Bank may suffer on account of changes in values of its trading portfolio due to change in market variables such as

exchange rates, interest rates, equity price, etc. The Market Risk management process at the Bank consists of identification, and measurement of risks, control measures, monitoring and reporting systems.

- The Bank has Board approved policies pertaining to the said risks for Trading in Foreign Exchange, Derivatives, Interest Rate Securities, Equities and Mutual Fund. Market risks are controlled through various risk limits such as Net Overnight Open Position, Modified Duration, Stop Loss, Management Action Trigger, Cut Loss Trigger, Concentration & Exposure Limits etc mentioned in the respective policies.
 - Presently, market risk capital is computed under Standardized Measurement Method (SMM). The Bank has decided to migrate to advanced approaches under Basel-II for market risk i.e. Internal Models Approach (IMA) and submitted its Letter of Intent to the Reserve Bank of India. The IMA is a Value at Risk (VaR) based tool for monitoring of Bank's trading portfolio. The VaR methodology is supplemented by conducting stress testing of the trading portfolio at quarterly intervals. The Bank is currently conducting parallel run of SMM and IMA methodologies.
 - The Market Risk at the Bank is monitored and reviewed by the Market Risk Management Committee (MRMC) and the Risk Management Committee of the Board (RMCB) which meet at least once at quarterly intervals.
- #### ❖ **Operational Risk Management:**
- Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
 - The main objectives of the Bank's Operational Risk Management are to continuously review systems and control mechanisms, create awareness of operational risk throughout the Bank, assign risk ownership, align risk management activities with business strategy and ensure compliance with regulatory requirements, which are the key elements of the Operational Risk Management Policy of the Bank.
 - Important policies, manuals and framework documents in line with RBI guidelines on Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Measurement System (ORMS) for migration to Advanced Measurement Approach (AMA) are in place.



- बैंक ने विकसित निर्धारण दृष्टिकोण अपनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को पहले ही अपना आशय-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
 - बैंक-स्तरीय परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) जो एक कार्यपालक समिति है, तिमाही अंतराल पर बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है और बैंक में परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नियंत्रण/उपाय संस्तुत करती है। सभी 14 मंडलों, व्यवसाय एवं सहायक समूहों (एनबीजी, आई, सीबीजी, एमसीजी, जीएमयू तथा आईटी) में भी जोखिम प्रबंधन समितियां निर्धारित की गई हैं।
 - चालू वर्ष के दौरान आवधिक निगरानी करने और उच्च राशि वाली धोखाधड़ियों (एक करोड़ रुपए और उससे अधिक) को नियंत्रित करने तथा साथ ही उसमें कमीलाने के लिए उच्च राशि वाली धोखाधड़ियों संबंधी कार्यपालक समिति (सीईएचवीएफ) का गठन किया गया है जिसके प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होंगे।
 - अन्य कार्यपालक स्तरीय समितियां, अर्थात् संपूर्ण उत्पाद समिति (ओपीसी) एवं आउटसोर्सिंग जांच समिति (ओवीसी) भी गठित की गई है।
- ❖ **समूह जोखिम प्रबंधन :**
- समूह जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह इकाइयों में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को लागू करना है।
 - समूह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (समूह आईसीएएपी) अल्पतनावग्रस्त परिस्थितियों सहित पूंजी मूल्यांकन हेतु संगत जोखिमों और अल्पीकरण उपायों का मूल्यांकन करती है। समूह कंपनियों की आईसीएएपी प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए तथा समूह आईसीएएपी नीति निर्धारित की गई है।
 - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, संकेंद्रीकरण जोखिम, चलनिधि जोखिम और संक्रामक जोखिम हेतु जोखिम आधारित मानदंडों का एक तिमाही विश्लेषण बोर्ड की समूह जोखिम प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किया जाता है।
 - बड़े ऋणियों से संबंधित जोखिम और पूंजी बाजार जोखिम के लिए जोखिम सीमाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार लागू किया गया है। इसी प्रकार, अप्रतिभूत जोखिम, स्थावर संपदा और अंतः समूह ऋण जोखिमों को बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।
 - समूह जोखिम प्रबंधन की देखभाल करने एवं विश्व-स्तरीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए बैंक ने हाल ही में समूह जोखिम प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की है।

❖ बेसल कार्यान्वयन :

- बेसल - III पूंजी विनियमों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2013 से लागू किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक ने उपयुक्त प्रक्रिया लागू की है।
- बेसल - III दिशा-निर्देशों को पहले लागू करने वाले देशों में भारत एक देश है जबकि यूएसए और ईयू ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

❖ उद्यम जोखिम प्रबंधन :

- चलनिधि जोखिम, ब्याजदर जोखिम, ऋण संकेंद्रीकरण जोखिम जैसे स्तंभ-I एवं स्तंभ-II जोखिमों के अलावा पूंजी पर्याप्तता एवं सामान्य व तनावग्रस्त परिस्थितियों के अंतर्गत संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणाली की मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की गई है।
- व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यों को युक्तिपरक कार्यों में रूपांतरित करने के लिए बैंक द्वारा प्रारंभ की गई जोखिम प्रबंधन परियोजना के एक भाग के रूप में, बैंक ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) रूपरेखा शुरू की है।
- आर्थिक पूंजी एवं जोखिम विनियोजित पूंजीगत प्रतिफल (आरएआरओसी) सहित जोखिम प्रवृत्ति, जोखिम समूहन और जोखिम आधारित निष्पादन प्रणाली जैसी सर्वोत्तम विश्व-स्तरीय प्रक्रियाओं को भी हाल ही में प्रारंभ की गई ईआरएम परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

❖ सूचना सुरक्षा :

- बैंक ने एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति कार्यान्वित की है जो सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप है। इन नीतियों की आवधिक समीक्षा की जाती है और जिसे उद्धृवी चुनौतियों का सामना करने के लिए यथोचित रूप से सुदृढ़ बनाया गया है।
- सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्टाफ को और अधिक जागरूक बनाने के लिए नियमित सुरक्षा अभ्यास एवं कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्लोबल आईटी केंद्र, बेलपुर में व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) को कार्यान्वित किया गया है। इस क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया में भी बैंक अग्रणी रहा है।

➤ आंतरिक नियंत्रण

बैंक में अंतर्निर्मित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। बैंक अपने निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक लेखा-परीक्षा करता है। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) आई एंड एम ए विभाग की कार्य-प्रणाली पर निगरानी एवं नियंत्रण रखती है। निरीक्षण प्रणाली को आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य के माध्यम से जोखिम की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण



- The Bank has already submitted its Letter of Intent (LOI) to RBI for migration to Advanced Measurement Approach (AMA).
- The Bank-level Operational Risk Management Committee (ORMC), an executive committee, reviews the operational risk profile of the Bank at quarterly intervals and recommends suitable controls/mitigations for managing operational risk in the Bank. The Risk Management Committees at all the 14 Circles, Business and Support Groups (NBG, IBG, CBG, MCG, GMU & IT) are also in place.
- Committee of Executives on High Value Frauds (CEHVF), headed by the Chairman, has been set up during the current year to periodically monitor and control high value frauds (Rs.1 crores & above) and also for mitigation of the same.
- Other executive level Committees viz. Overall Product Committee (OPC) and Outsourcing Vetting Committee (OVC) are also in place.

❖ **Group Risk Management:**

- Group Risk Management aims to put in place standardised risk management processes in Group entities
- The Group Internal Capital Adequacy Assessment Process (Group ICAAP) assesses relevant risks and mitigation measures for capital assessment, including under stressed conditions. A Group ICAAP Policy to ensure uniformity in ICAAP exercises of Group entities is in place.
- A quarterly analysis of risk-based parameters for Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Concentration Risk, Liquidity Risk and Contagion Risk is presented to Group Risk Management Committee/Risk Management Committee of the Board.
- Exposure limits for Large Borrower Exposure and Capital Market Exposure as per RBI have been adopted for the Group. Also, limits for Unsecured Exposures, Real Estate and Intra-Group Exposures have been set by the Bank.
- In order to overhaul the Group Risk Management and adopt global best practices, the Bank has embarked upon a Group Risk Management Project recently.

❖ **Basel Implementation:**

- RBI Guidelines on Basel III Capital Regulations have been implemented from April 1, 2013. Bank has put in place appropriate mechanism to comply with these guidelines.
- India is one of the first few countries to implement the Basel-III guidelines while USA and EU Block, are not yet on board.

❖ **Enterprise Risk Management:**

- For assessment of Pillar 1 risks and Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Credit Concentration Risk, as well as adequacy of Capital and overall Risk Management practices under normal and stressed conditions, the Bank has comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in place.
- As part of the Risk Management Project being undertaken by the Bank to transform its role into a Strategic function aligned with Business Objectives, Bank has initiated Enterprise Risk Management (ERM) framework.
- Global best practices like Risk Appetite, Risk Aggregation and Risk based Performance Management System including Economic Capital and Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) will also be covered within the ERM project recently taken up.

❖ **Information Security:**

- Bank has implemented a robust IT policy and Information System Security policy which are in line with the international best practices. These policies are reviewed periodically and suitably strengthened in order to address emerging threats.
- Regular security drills and employee awareness programs are conducted to ensure security and increase awareness among staff. Business Continuity Management Systems (BCMS) has been implemented at Global IT centre, Belapur. Bank is also among the forerunners in the process of implementing the new RBI guidelines for the Banking Sector in this area.

➤ **Internal Controls**

The Bank has in-built internal control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Management Audit Department. Audit Committee

भूमिका रहती है जिसे कारपोरेट अधिशासन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में एक माना गया है। बैंक मुख्यतया दो स्तरीय लेखा-परीक्षाएं करता है- जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरएफआई) और प्रबंधन लेखा-परीक्षा जिसकी परिधि में आंतरिक लेखा-परीक्षा की विभिन्न अपेक्षाएं आती हैं। बैंक की सभी लेखा इकाइयां*, उदाहरणार्थ शाखाएं, बिजनेस प्रोसेस रीड्जीनियरिंग (बीपीआर) इकाइयां, कारपोरेट केंद्र के प्रमुख विभाग जैसे विदेशी लेखा कार्यालय, राजकोषीय परिचालन, केंद्रीय लेखा कार्यालय आदि की जोखिम केंद्रित लेखा-परीक्षा (आरएफआई) की जाती है। निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा विभाग के प्रमुख उप प्रबंध निदेशक (आई एण्ड एम ए) होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का रिपोर्ट करते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग ऋण लेखा-परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (केंद्रीयकृत आईटी संस्थापनाएं एवं शाखाएं), होम आफिस लेखा-परीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा) और खर्च लेखा-परीक्षा (प्रशासनिक कार्यालयों में) संचालित करता है तथा संगामी लेखा-परीक्षा (घरेलू एवं विदेश स्थित कार्यालय) और मंडल लेखा-परीक्षा की नीति एवं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है। शाखाओं में अनुपालन संबंधी लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

❖ जोखिम केंद्रीकृत आंतरिक लेखा-परीक्षा

आईएण्डएमए विभाग आरएफआई के माध्यम से लेखा-परीक्षा की हुई इकाइयों के संपूर्ण कार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा करती है जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए सहायक है। व्यवसाय प्रोफाइल और जोखिम वित्तीय संबद्धता के आधार पर सभी देशीय शाखाओं को तीन समूहों (समूह I, II, एवं III) में अलग-अलग किया गया है। व्यवसाय प्रोफाइल और जोखिम वित्तीय संबद्धता के आधार पर सभी देशीय शाखाओं को तीन समूहों (समूह I, II, एवं III) में अलग-अलग किया गया है। यद्यपि समूह- I वाली शाखाओं की लेखा-परीक्षा का प्रबंधन केंद्रीय लेखा-परीक्षा इकाई (सीएयू) द्वारा किया जाता है, जबकि समूह-II समूह-III की शाखाओं तथा व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों की लेखा-परीक्षा तेरह आंचलिक निरीक्षण कार्यालयों द्वारा संचालित की जाती है जिनमें प्रत्ये कार्यालयों में महाप्रबंधक प्रमुख अधिकारी होते हैं। दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान जोखिम केंद्रीकृत आंतरिक लेखा-परीक्षा के अंतर्गत 8895 देशीय शाखाओं/बीपीआर इकाइयों की लेखा-परीक्षा की गई।

❖ प्रबंधन लेखा-परीक्षा

आरएफआई (लेखा-परीक्षा) की शुरुआत होने से, प्रबंधन लेखा-परीक्षा को पुनराभिमुख किया गया है जिससे बैंक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों में जोखिम प्रबंधन

की प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संपूर्ण प्रबंधन लेखा-परीक्षा में कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं/मंडल स्थानी प्रधान कार्यालयों/शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाओं, बैंक द्वारा प्रयोजित सहयोगी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा करना शामिल होता है।

❖ ऋण लेखा-परीक्षा

ऋण लेखा-परीक्षा का उद्देश्य प्रति वर्ष ₹10 करोड़ और उससे अधिक की वित्तीय संबद्धता वाले अलग-अलग बड़े वाणिज्यिक ऋणों की महत्वपूर्ण ढंग से जांच करते हुए बैंक के वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना है। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली इकाई में ऋण (अग्रिम) संविभाग की गुणवत्ता के बारे में चेतावनी संकेतों के रूप में व्यवसाय इकाई के लिए प्रतिसूचना भी उपलब्ध कराती है और सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देती है। ऋण लेखा-परीक्षा में ₹5 करोड़ से अधिक के सभी अलग-अलग अग्रिमों की संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति संवर्धन/नवीकरण के 6 महीने के अंदर संस्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा (ऋण समीक्षा कार्य पद्धति) भी की जाती है। दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान 7329 खातों को ऋण लेखा-परीक्षा ऑन-साइट के अध्यक्षीन रखा गया है।

❖ सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा

शाखा की आरएफआई लेखा परीक्षा के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए सभी शाखाओं को सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षा के अध्यक्षीन रखा जा रहा है। केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षा योग्यता प्राप्त अधिकारियों के एक दल के द्वारा की जाती है। दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान, 13 केंद्रीकृत आईटी संस्थापनाओं की आईएस लेखा-परीक्षाएं पूर्ण की गईं।

❖ विदेश स्थित कार्यालयों की लेखा-परीक्षा

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान, 49 शाखाओं में होम आफिस लेखा-परीक्षा, 11 प्रतिनिधियों कार्यालयों/कॉन्ट्रि हेड आफिसों में और 4 अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में प्रबंधन लेखा-परीक्षा की गई।

❖ संगामी लेखा-परीक्षा

संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली सुदृढ़ आंतरिक लेखा कार्यों, प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना करने और सतत आधार पर परिचालनों की निगरानी संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक के अग्रिमों और अन्य जोखिम वित्तीय संबद्धता को शामिल किया जा सके। आई एण्ड एम ए विभाग शाखाओं और बीपीआर इकाइयों में संगामी लेखा-परीक्षा के संचालन हेतु प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और प्रारूप निर्धारित करता है।



of the Board (ACB) exercises supervision and control over the functioning of the I&MA department. The inspection system plays an important and critical role in identification, control and management of risks through the internal audit function which is regarded as one of the most important components of Corporate Governance. The Bank carries out mainly two streams of audits – Risk Focused Internal Audit (RFIA) and Management Audit covering different facets of Internal Audit requirement. All accounting units of the Bank* are subjected to RFIA. Management Audit covers administrative offices and examines policies and procedures besides quality of execution thereof.

Besides the above, the department conducts Credit Audit, Information Systems Audit (Centralised IT Establishments & Branches), Home Office Audit (audit of foreign offices) and Expenditure Audit (at administrative offices) and oversee policy and implementation of Concurrent Audit (domestic & foreign offices) and Circle Audit. To verify the level of rectification of irregularities by branches, audit of compliance at select branches is also undertaken. During the period 01.04.2012 to 31.03.2013 - 8895 domestic branches / BPR entities were audited under Risk Focussed Internal Audit.

❖ **Risk Focussed Internal Audit:**

I&MA Dept undertakes a critical review of the entire working of auditee units through RFIA an adjunct to risk based supervision as per RBI directives. All domestic branches have been segregated into three groups (Group I, II & III) on the basis of business profile and risk exposures. While audit of Group I branches is administrated by Central Audit Unit (CAU), audit of branches in Group II & III category and Business Process Re-engineering (BPR) entities are conducted by thirteen Zonal Inspection Offices, each of which is headed by a General Manager. During the period 01.04.2012 to 31.03.2013 - 8895 domestic branches / BPR entities were audited under Risk Focused Internal Audit.

❖ **Management Audit:**

With the introduction of RFIA, Management Audit has been reoriented to focus on the effectiveness

of risk management in the processes and the procedures followed in the Bank. Management Audit universe comprises of Corporate Centre establishments / Circle Local Head Offices / Apex Training Institutions, Associate Banks and Regional Rural Banks sponsored by the Bank (RRB).

❖ **Credit Audit:**

Credit Audit aims at achieving continuous improvement in the quality of Commercial Credit portfolio of the Bank through critically examining individual large commercial loans with exposures of ₹ 10 Crs and above annually. Credit Audit System also provides feedback to the business unit by way of warning signals about the quality of advance portfolio in the unit and suggests remedial measures. Credit Audit also carries out a review (Loan Review Mechanism) of all the pre-sanction and sanction process of all individual advances above ₹ 5 Crs within 6 months of sanction / enhancement / renewal. During the period 01.04.2012 to 31.03.2013 - 7329 accounts have been subjected to Credit Audit on-site.

❖ **Information System Audit:**

All the Branches are being subjected to Information System (IS) Audit to assess the IT related risks as part of RFIA of the branch. IS Audit of centralized IT establishments is carried out by a team qualified officials. During the period from 01.04.2012 to 31.03.2013, IS audits of 13 centralised IT establishments were completed.

❖ **Foreign Offices Audit:**

During the period from 01.04.2012 to 31.03.2013, Home Office Audit was carried at 49 branches, Management Audit at 11 Representative offices / Country Head Offices & 4 Subsidiaries / Joint Ventures.

❖ **Concurrent Audit System :**

Concurrent Audit System is essentially a control process integral to the establishment of sound internal accounting functions effective controls and overseeing of operations on continuous basis. Concurrent Audit System is reviewed on an on-going basis as per the RBI directives so as to cover Bank's Advances and other risk exposures as prescribed by RBI. I&MA department prescribes the processes, guidelines and formats for the conduct of concurrent audit at branches and BPR entities.



❖ मंडल लेखा-परीक्षा

मंडल लेखा-परीक्षा जो एक प्रत्यायोजित लेखा-परीक्षा है जिसमें निम्न जोखिम वाले क्षेत्र शामिल होते हैं और यह दो आरएफआईए के बीच संचालित की जाती है। इससे लेखा-परीक्षा की हुई इकाई के लिए आरएफआईए के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना बेहतर हो जाता है।

II.3. सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन का मुख्य कार्य न केवल गंभीर उल्लंघनों के लिए समुचित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करके नियमों एवं विनियमनों के गैर-अनुपालन की जांच करना है अपितु प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए निवारक सतर्कता के विभिन्न उपायों को तैयार करके उनका कार्यान्वयन करना भी है जिससे उच्च प्रभावकारित सुनिश्चित हो और कम से कम अनियमितता रहे। सतर्कता की अवधारणा एक अन्वेषण प्रक्रिया के रूप में और दंडात्मक कार्रवाई के निष्पादन के लिए अधिसमय विकसित हुई है। इसका लक्ष्य कारपोरेट विकास के लिए सतर्कता है। इसका बल अब दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारक और पूर्वोपायी सतर्कता पर है जिसमें सभी संबंधितों की सक्रिय सहभागिता हो।

इस परिप्रेक्ष्य में, दो महत्वपूर्ण विषयों का विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है यथा (1) निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) बैठकें जो शाखाओं और बीपीआर इकाइयों पर आयोजित होती है, (2) बिसल ब्लोअरस्कीम/पाबिसी बैठकों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी निवारक सतर्कता पर अपनी विचार व्यक्त कर सकता है, अपने कार्यस्थल की विशेष आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न उपाय सुझाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकता है तथा अपने पद के कार्यों में सावधानी और सजगता सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। “बिसल ब्लोअर स्कीम” में स्टाफ सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकर्मियों व वरिष्ठों के भी नियमविरुद्ध और अनैतिक आचरण, यदि कोई हों, की जानकारी संबंधित प्राधिकारियों को दें।

वर्ष 2012-2013 के दौरान निपटान किए गए सतर्कता मामलों की संख्या 1508 रही जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान इनकी संख्या 1117 रही थी।

धोखाधड़ी रोकना एवं निगरानी रखना

• वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को संवेदनशील रिपोर्टें प्रस्तुत करने की दृष्टि से लेनदेनों की निगरानी करना। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• संपूर्ण बैंक में उचित जागरूकता बनाए रखने और आम लोगों के बीच के वाई सी मुद्दों की उचित समझ पैदा करने के लिए भी बैंक प्रति वर्ष 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन एवं धोखाधड़ी निवारण दिवस के रूप में मना रहा है।

• धोखाधड़ियां रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं।

II.4. मानव संसाधन

मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि बैंकिंग उद्योग की जनव्यापी प्रकृति है।

तालिका 26 : स्टाफ संख्या

	अधिकारी	अवार्ड स्टाफ	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
31.3.2012 की स्थिति के अनुसार	80,404	95,715	39,362	2,15,481
घटाएँ: सेवानिवृत्तियाँ/पलायन	3,059	4,107	2,412	9,578
जोड़ें/घटाएँ (-) लिपिकीय स्टाफ से अधिकारी श्रेणी में पदोन्नति के कारण	2,604 (+)	2,604 (-)	--	--
जोड़ें: नई वृद्धि	847	20,682	864	22,393
31.3.2013 की स्थिति के अनुसार	80,796	1,09,686	37,814	2,28,296

शाखा नेटवर्क के विस्तार का पूरा लाभ लेने और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में, बैंक ने 20,682 नए सहायक शामिल किए हैं। 30 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन किया। नए सहायकों में से अनेक श्रेष्ठ अकादमिक योग्यता अर्थात् कंप्यूटर इंजीनियरी, एमबीए आदि की व्यावसायिक योग्यता रखने वाले भी हैं। औसत आयु पहले से कम रही है और भर्ती हुए युवा अपने साथ कार्य के प्रति नया दृष्टिकोण लेकर आए हैं। हम नए भर्ती हुए इन युवाओं का स्वागत करते हैं और हमारा मानना है कि वे बैंक के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेंगे।



एसबीआईआईसीएम में अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण सत्र



❖ Circle Audit:

Circle Audit which is a delegated audit covers low risk areas and is conducted between two RFIA's. This enables auditee unit to be better prepared better for the RFIA.

II.3. VIGILANCE

The essential function of Vigilance Administration in the Bank is not only to check against non-compliance of rules & regulations by initiating suitable disciplinary action for serious transgressions, but also to devise and implement various measures of preventive vigilance by reviewing the systems & processes to ensure a higher effectiveness and the least vulnerability. The concept of Vigilance as an investigative process and an exercise for punitive action has over time evolved to that of "Vigilance for Corporate Growth", the emphasis getting shifted from punitive vigilance to "Preventive and Proactive Vigilance" through an active participation of all concerned.

(i) Preventive Vigilance Committee (PVC) Meetings being held at the branches and the BPR outfits and (ii) Under Whistle Blower Scheme*, our staff members are expected to advise appropriate authorities about irregular and unethical practices, if any, being indulged in by colleagues and even seniors.

The number of vigilance cases brought to conclusion during the year 2012-13 is 1508, as compared to 1117 during 2011-12.

Fraud Prevention & Monitoring

- Monitoring of transactions is done with a view to submit critical reports to Financial Intelligence Unit – India, as mandated vide Prevention of Money laundering Act, 2002.
- Bank is observing 1st August every year as "KYC Compliance and Fraud Prevention Day" to maintain appropriate awareness across the Bank as also to create proper understanding of KYC issues among the members of Public.
- Bank has taken several measures with a view to strengthening internal control mechanism to prevent frauds.

II.4. HUMAN RESOURCES

Human Resources are a very important part because of the people intensive nature of the banking industry.

Table 26: Staff Strength

	Officers	Assistants	Subordinate staff	Total
As on 31.3.2012	80,404	95,715	39,362	2,15,481
Less:				
Retirements / Attrition	3,059	4,107	2,412	9,578
Add / Less (-) due to promotion of clerical staff to officers grade	2,604 (+)	2,604 (-)	--	--
Add:				
New Addition	847	20,682	864	22,393
As on 31.3.2013	80,796	1,09,686	37,814	2,28,296

In order to take full advantage of the expansion of the branch network and also to mitigate staff shortage, particularly at our rural and semi-urban branches, the Bank added 20,682 new Assistants. More than 30 lakhs candidates appeared for the test and the Bank chose the best and the brightest candidates. Many of the new assistants are holding good academic qualification including professional qualifications of computer engineering, MBA, etc. Apart from lowering the average age, the young recruits have brought a fresh attitude to the work. We welcome the new entrants and believe that they will ensure a strong future for the Bank.

State Bank of India
The Nation's Largest Bank

A career opportunity with India's largest Bank

RECRUITMENT OF 1500 PROBATIONARY OFFICERS

State Bank of India, the largest Bank of the country with international presence having more than 14,000 branches in India and 178 overseas branches, with business of more than ₹ 2,00,000 Cr. and assets worth over ₹ 1,00,000 Cr. invites to recruit Probationary Officers.

The Bank gives great opportunity to open the nation through part to part in development oriented banking activities as also for working in other commercial activities in the financial sector like Forex, Treasury, Credit etc. It also gives an unmatched opportunity to experience the rich diversity of India through postings in various offices and branches/locations.

The Bank provides excellent terms of employment and career growth with the opportunity for the candidate to reach the top echelons of management.

The Bank seeks energetic and dynamic graduates of age between 21 and 30 years as on 01.08.2013 to join as Probationary Officers (Age relaxation and reservation as per Government Rules).

In addition to attractive salary, compensation includes privileges such as furnished accommodation in HRA, Concessory Allowance, Medical Benefit, LTC/HTC, Leave of concessional rates etc. Total compensation varies depending upon the place of posting and is about ₹ 48,000/- per month at Mumbai.

On-line Registration : 30.01.2013 to 28.02.2013
 On-line Payment of fees : 30.01.2013 to 28.02.2013
 On-line Payment of fees : 01.02.2013 to 28.02.2013
 Date of Written Examination : 28.04.2013

Detailed advertisement may be viewed in the Employment News / Register Semester issue dated 6-15 February, 2013 or subsequent issue.

For details of application procedure and registration refer to the Bank's website: www.sbi.co.in or www.sbiachievedindia.com





बैंक ने 1500 प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती के लिए भी विज्ञापन दिया और अब तक के सर्वाधिक 17 लाख उम्मीदवारों ने इनके लिए आवेदन किया। इससे पता चलता है कि बैंक आज युवाओं और देश भर के शिक्षित जनसंख्या का पंसदीदा नियोक्ता है।

कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना:

अधिकारी और लिपिकीय संवर्ग में नई पीढ़ी के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर भर्ती करने से शाखाओं में ग्राहक संवाद और सेवा में स्टाफ के दृष्टिकोण में दूरगामी परिवर्तन आया है और इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाने में भी मदद मिली है जिस कारण बैंक का व्यवसाय और लाभप्रदता बढ़ी है। इस कारण प्रति कर्मचारी व्यवसाय और प्रति कर्मचारी लाभ में भी वर्ष के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

तालिका 27 : स्टाफ उत्पादकता



वर्ष के दौरान सहायक श्रेणी में नए कर्मचारियों की वृद्धि जनवरी-मार्च 2013 की तिमाही में हुई और इन कर्मचारियों को अब बैंक में प्रारंभिक प्रशिक्षण देकर पूर्ण मान कार्य में संलग्न किया गया है और ये व्यवसाय में और वृद्धि करने के लिए तैयार हैं।

कार्य-संस्कृति में सुधार: प्रबंधन ने कुछ अधिकारी वर्गों द्वारा परेशान करने के लिए आंदोलन चलाने के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की है। स्टेट बैंक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सर्वोत्तम शर्तों पर रखे गए हैं। यह अचंभे में डालने वाली बात है कि कुछ अधिकारी वर्ग अन्य

बैंकों के विपरीत भारतीय स्टेट बैंक में आंदोलन चलाने का मार्ग चुनते हैं। इसलिए हमारे विचार से भारतीय स्टेट बैंक में इस प्रकार के विध्वंसकारी आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है जब सारे मुद्दों में उद्योग स्तर पर निर्णय लिया जाना है। उपर्युक्त प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक परिसरों में आंदोलन रुक गए हैं।

अधिकारी संघों/कर्मचारी महासंघों के साथ समय-समय पर परामर्शी बैठकें आयोजित की गईं। इसके साथ-साथ विभिन्न कर्मचारी वर्गों की शिकायतों को समझने और उनका निवारण करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ के साथ सक्रिय संवाद स्थापित किया गया। ये परामर्श कारपोरेट केंद्र और मंडल दोनों स्तरों पर किए गए।

तालिका 28 : रोजगार में आरक्षण

वर्गकुल	कुल	अनुसूचित जाति	अनसूचित जनजाति	निःशक्त जन
अधिकारी	80,796	13,824 (17.11%)	5,215 (6.45%)	485 (0.60%)
सहायक	1,09,686	18,226 (16.62%)	8,745 (7.97%)	1,724 (1.57%)
अधीनस्थ	37,814	11,500 (30.41%)	2,804 (7.42%)	193 (0.51%)
कुल	2,28,296	43,550 (19.08%)	16,764 (7.34%)	2,402 (1.05%)

बैंक अनू और अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराता है। आरक्षण नीति से संबंधित मुद्दों के निपटान और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के कारगर निवारण के लिए बैंक के सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के साथ-साथ कारपोरेट केंद्र, मुंबई में भी संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।



चेन्नई में वॉलीबॉल मुकाबला





The Bank also advertised for recruitment of 1500 Probationary Officers and an unprecedented 17 lakhs candidates applied for the same. This only shows that the Bank is now the employer of choice of the young and educated population of the country.

Improvement in employee productivity:

The large-scale recruitment of Gen-next employees in the officers as well as in the assistant grade have not only brought a far reaching attitudinal change among staff in their customer interface and services across the branches, it has also become a catalyst in enhancing / improving the productivity and efficiency of the employees, thereby resulting in increasing growth in business and profitability for the Bank. Consequently, both business per employee and also profit per employee went up significantly during the year.

Table 27: Staff Productivity



The addition of new manpower in the Assistant category during the year happened only in January-March 2013 quarter and these employees are now inducted for full scale work in the bank after initial training and are ready to contribute towards further growth in business.

Improvement in work culture: The Management initiated administrative action against frivolous agitations by certain categories of officers. State Bank officers are on the best terms and conditions among all the banks in the public sector. It is ironic that still some categories of officers chose to conduct agitation only in SBI to the exclusion of other banks. The Bank is a caring and considerate employer. Therefore, in our view, there is no case for disruptive agitation exclusively in SBI, when issues are to be decided at the industry level. Consequent upon the above administrative action, the demonstrations within the Bank premises have stopped.

Periodic consultative meetings were held with the Officers Associations / Staff Unions and the SC-ST Staff Welfare Association as part of the constructive dialogue for understanding and addressing grievances of various categories of employees. These consultations are done both at Corporate Centre as also at Circles.

Table 28: Reservation in employment

Category	Total	SC	ST	PWD
Officers	80,796	13,824 (17.11%)	5,215 (6.45%)	485 (0.60%)
Assistants	1,09,686	18,226 (16.62%)	8,745 (7.97%)	1,724 (1.57%)
Sub-staff	37,814	11,500 (30.41%)	2,804 (7.42%)	193 (0.51%)
Total	2,28,296	43,550 (19.08%)	16,764 (7.34%)	2,402 (1.05%)

Bank provides reservation to SC, ST, & Persons with disabilities (PWDs) as per GOI directives. In order to deal with issues relating to reservation policy and effectively redress the grievances of the SC/ST employees, Liaison Officers have been designated at all Local Head Offices of the Bank as also at the Corporate Centre at Mumbai.



Basketball Match in progress at Hyderabad

**अन्य नए प्रयास**

अनेक परिलब्धियाँ जैसे लीज आवास, मोबाइल फोनों का प्रावधान, समूह बीमा आदि वर्ष के दौरान सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस कारण भी कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरित हुए हैं।

वर्ष के दौरान हॉकी, वॉलीबाल और बास्केटबॉल के अंतर-मंडल मुकाबलों का भोपाल, चेन्नई और हैदराबाद में क्रमशः सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें सभी 14 मंडलों के कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही।

11.5. कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू)

बैंक के प्रशिक्षण तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाएं (एटीआई): स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज - हैदराबाद, स्टेट बैंक अकादमी - गुडगांव, स्टेट बैंक फाउंडेशन इंस्टीट्यूट (चेतना), स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान - हैदराबाद, स्टेट बैंक सूचना एवं संचार प्रबंध संस्थान - हैदराबाद

स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र : देश भर में 19 राज्यों में 47 ज्ञानार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, बैंक ने कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन में प्रमुख इंस्टीट्यूशनल एरिया में वेस्ट बंगाल हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से ₹58 करोड़ की लागत वाली 10 एकड़ जमीन ली है। यह जमीन कोलकाता एयरपोर्ट के समीप स्थित है। आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित इस

पूर्णरूपेण आवासीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने में मदद मिलेगी क्योंकि वर्तमान में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सहभागियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लंबी यात्रा तय करके पहुंचना पड़ता है।

प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए और बैंक पदाधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन जैसे विलयों, विदेश में अधिग्रहणों की नई-नई और बेहतर तकनीकों से अवगत कराने और वित्तीय विवरणों का गहराई से विश्लेषण

के लिए तैयार करने में बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों के साथ-साथ अपने वरिष्ठ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की मदद ली है जो ऋण व्यवसाय में संलग्न पदाधिकारियों एवं संकाय सदस्यों को नवीनतम जानकारियों और तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। आकांक्षा यही है कि प्रशिक्षण संस्थानों में हमारे संकाय इन कार्यक्रमों के अनुरूप अपने को उत्तरोत्तर तैयार करते रहें और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांलित करते रहें।

विदेश में प्रशिक्षण : उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विशेषकर कार्यनीतिक प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, जो बैंक के अपने प्रशिक्षण तंत्र में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, की आवश्यकता को समझते हुए बैंक ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों को भारत और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में अल्पकालिक कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया।

तालिका 29: वरिष्ठ कार्यपालक विदेश प्रशिक्षण

	विदेश में प्रशिक्षण	भारत में प्रशिक्षण
प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक	18	--
मुख्य महाप्रबंधक	37	--
महाप्रबंधक	29	62
उप महाप्रबंधक	9	228
कुल	93	290

वस्तुतः वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार उस प्रशिक्षण और उस यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट का चयन करने का अवसर दिया गया जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। पदाधिकारियों को जन संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उनमें हार्वर्ड, स्टेनफोर्ड, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे नाम शामिल हैं। बैंक की नीति यह रही है कि प्रत्येक वर्ग का हर एक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य सहभागिता करे। 1.76 लाख कर्मचारियों को वर्ष के दौरान संस्थागत प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 90% अधिकारी और 60% कर्मचारी प्रशिक्षित हुए।

अनेक लेख हमारे अनुसंधान अधिकारियों/संकाय सदस्यों द्वारा आंतरिक और बाहरी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे बैंकॉन कम्पेन्डियम, इंडियन बैंकर, फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नल आदि में प्रकाशित हुए।

हमारा प्रयास है कि बैंक में ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से स्व-ज्ञानार्जन की एक संस्कृति विकसित की जाए। इस पोर्टल में वर्तमान में 280 पाठ शामिल किए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम रहे हैं और 7000 से अधिक



एसबीआई को गोल्डन पीकाक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2012



Other Initiatives

Several perquisites like leased accommodation, provision of mobile phones, Group Insurance etc. were significantly improved for all categories of staff during the year, which besides, being a great motivational factor in improving the employee productivity, were indicative of a healthy employer-employee relationship.

During the year, Inter-Circle Tournaments were also successfully arranged in the field of Hockey, Volleyball and Basketball at Bhopal, Chennai and Hyderabad respectively with the active participation by the employees representing all the 14 Circles.

II.5. Strategic Training Unit (STU)

The Bank's training apparatus comprises of the following:

Apex Training Institutions (ATI): State Bank Staff College - Hyderabad, State Bank Academy – Gurgaon, State Bank Foundation Institute (Chetana) – Indore, State Bank Institute of Rural Development – Hyderabad, State Bank Institute of Information and Communication Management – Hyderabad

State Bank Learning Centres: 47 Learning Centres spread across 19 states of the country.

Further, the Bank has acquired 10 acres of land in the prime institutional area at Rajarhat New Town, Kolkata from WBHIDCO (West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation Limited) at a cost of ₹ 58 crores. The land is located close to the Kolkata Airport. Efforts are under way to construct a state of the art full scale residential apex training

institute. This would help correct regional imbalances as participants from eastern and north eastern region would not have to travel long distance for undergoing training.



SBI received the Golden Peacock National Training Award, 2012

In order to raise the standards of training and also to familiarize the Bank officials in the new and sophisticated techniques of financial management like mergers, acquisitions overseas and also in-depth analysis of financial statements, the Bank has taken the help of outside experts, who along with our senior retired officials, are conducting advanced training courses for officials handling credit and faculty members, for imparting sophisticated learning. The aspiration is that our faculty at the training institute should progressively be able to customize these programs and conduct the in-house training.

Training Overseas:

Recognising the need for more advanced training and particularly in areas of strategic management, which may not be completely provided by the Bank's in-house training apparatus, the Bank deputed its senior executives for training in short duration Executive Development Programmes to reputed institutes both in India and overseas.

Table 29: Senior Executives Trained Overseas

	Overseas training	Training Institutes in India
MDs / DMDs	18	--
CGMs	37	--
GMs	29	62
DGMs	9	228
Total	93	290

In fact, the senior officials were given an opportunity of selecting both the training as also the university / institute they wanted to attend. The Institutions/ universities where officials were deputed include reputed names like Harvard, Stanford, Wharpon School of Management Studies, Indian Institute of Management etc. The Policy of the Bank is that every single employee in every grade must attend at least one training programme every year. 1.76 lakhs employees have been given institutional training during the year, covering 90% of the Officers and 60% of the Assistants.

Several articles have been published by our Research officers/faculty members in internal and reputed external journals such as Bancon compendium, Indian Banker, Financial Planning Journal etc.

Our efforts to inculcate a self learning culture in the Bank through an e-Learning portal which has over 280



कर्मचारी इसका उपयोग कर रहे हैं जबकि 94% ने पंजीकरण कराया है। स्टेट बैंक प्रशिक्षण प्रबंध व्यवस्था, एक व्यापक डाटाबेस सिस्टम स्थापित है जिसमें किसी भी शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान/स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केंद्र के प्रशिक्षण कलेंडरों, कार्यक्रम समय-सारणियों, व्यक्तिगत प्रशिक्षण अनुभव, प्रशिक्षणार्थी की प्रतिक्रिया को देखने और ऑनलाइन स्व-नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। नॉल्लिज हेल्पलाइन की स्थापना की गई है जिसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

II.6. राजभाषा

बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों के कंप्यूटरों पर मानक एनकोडिंग यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए।

वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार अब बैंक में स्टाफ सदस्यों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना

आसान हो गया है। स्टाफ सदस्यों को अपना दैनिक काम-काज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रयोजनमूलक हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बैंक की कारपोरेट और इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइटों के द्विभाषीकरण का कार्य प्रगति पर है। बैंक में एचआरएमएस पोर्टल पर स्टाफ सदस्यों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं व कार्यविधि मैनुअलों को भी द्विभाषी, अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध करा दिया गया है जिससे सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों के लिए एचआरएमएस का प्रयोग करना और अधिक आसान हो गया है। सर्विस डेस्क के द्वारा हिंदी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में ही दिए जा रहे हैं। इसी तरह, बैंक के कॉल सेंटर्स द्वारा अब हिंदी में सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष बैंक के एटीएमों पर हिंदी में हिटों की संख्या 66674049 रही जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 52063356 थी, इस प्रकार इनमें 28.04% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो वैकल्पिक चैनलों में हिंदी के प्रयोग के प्रति हमारे ग्राहकों की बढ़ती रूचि को दर्शाती है।



lessons currently, has yielded good results and more than 70000 employees are using the portal while 94% have registered. State Bank Training Management System (SBTMS), a comprehensive database system in place, enables viewing of training calendars of any ATI/SBLC, programme timetable, individual training history, trainee feedback and self nomination on line. Knowledge Helpline, has been established to answer, knowledge related queries.

II.6. OFFICIAL LANGUAGE

Various efforts were made during the year for improving and increasing Official Language implementation at various levels in the Bank. After providing for the facility to work in Hindi on the Core Banking Solution (CBS), Standard Encoding Unicode facility was uploaded on all the computers of branches and offices of the Bank. Training on the usage of Hindi in Unicode has been given to majority of staff members during the year and thus the usage of Hindi on computers

has now become much easier for staff members in the Bank. For encouraging the staff members to use Hindi in their day to day work, various Functional Hindi Training Programmes were also conducted for officers and employees during the period under review.

The work of bilingualisation of the Bank's corporate and internet banking websites is in progress. Different information and procedural manuals in HRMS related to staff members have been provided in bilingual, i.e. in Hindi and English and thus the use of HRMS has become much easier for all the employees especially for the subordinate staff members. The service desk queries asked in Hindi are being replied in Hindi only. Similarly, now information at the Call Centers of the Bank is being provided in Hindi. This year the total number of ATM hits in Hindi was 66674049 as compared to 52063356 hits last year, thus recording an impressive increase of 28.04% which shows the rising interest of our customers in the usage of Hindi in alternative channels



II.7. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

- बैंक कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए अपने निवल लाभ का 1% अलग रखता है और प्रयास यह रहता है कि इसका पूर्ण उपयोग हो।
- बैंक की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों के लिए दान देना शामिल है:
 - प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री राहत कोषों में प्राकृतिक और अन्य विपदाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दान।
 - ऐसे संगठनों को अंशदान जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट प्राप्त है। यह दान अधिकांशतः उपकरणों और वाहनों के लिए किया गया।
 - पड़ोस के स्कूलों को पंखों और वाटर प्योरिफायर्स का वितरण।



महाराष्ट्र (सूखा पीड़ित राहत) - ₹2 करोड़

हमें प्रसन्नता है कि वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए निवल लाभ का 1% दान करने के लक्ष्य, जो बैंक द्वारा इसके पहले पूरा करना दूर की बात प्रतीत हो रही थी, न केवल उसे पूरा किया गया बल्कि उसे पार भी कर लिया गया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर पिछले वर्षों का खर्च निम्नानुसार रहा :

(₹करोड़ में)

	2012	2013
निवल लाभ का 1%	82	117
सीएसआर खर्च	71	123

3. अन्य प्रमुख कार्यक्रम:

गर्मियों के मौसम में कक्षाओं में पंखों के बिना विद्यार्थियों को अनेक असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसे देखते

हुए बैंक ने 14,000 स्कूलों को 1,40,00 पंखे दान किए। प्रयास यही रहा कि बैंक की प्रत्येक शाखा अपने पड़ोस के एक स्कूल में यह दान कार्यक्रम चलाए। प्रयास यह रहा कि हर शाखा साधारण परिवारों के छात्रों वाले अपने पड़ोस के एक स्कूल को अपनाकर उसमें 10 पंखे और 1 वाटरप्यूरिफायर लगाए। इस कार्यनीति के कारण इन गति विधियों से व्यापक रूप से जुड़ पाया। देश के हर एक क्षेत्र जिसमें एसबीआई की शाखा है उसके पड़ोस के स्कूल पंखों और वाटरप्यूरिफायर के दान से लाभान्वित हुए।



सिक्किम (बाढ़ राहत) - ₹1 करोड़

वर्ष के दौरान दान में दिए गए अनेक पंखों और वाटर प्योरिफायर्स का ब्योरा निम्नानुसार है :

	पंखों की संख्या	वाटर प्योरिफायर्स की संख्या
2012-13	1,40,000	43,161



गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, सालंगटेम माँकोचुंग, नागालैंड को पंखों का दान



II.7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility:

1. The Bank keeps aside 1% of its net profit for corporate social responsibility and the endeavour is to have full achievement of the same.
2. The Bank CSR policy involves donation under the following major categories:
 - i) National donations to Prime Minister's and Chief Minister's Relief Funds for natural and other calamities,
 - ii) Contribution to organizations having exemption under 80G of the Income Tax Act largely for equipment and vehicles,
 - iii) Distribution of fans and water purifiers to neighbourhood schools.



Assam (floods) - ₹ 2 crores

During the year we are happy that the target of donating 1% of the net profits to CSR, which has eluded the Bank earlier, was not only fully achieved but was surpassed.

Table30: CSR spend (₹ in cr.)

	2012	2013
1% of net profit	82	117
CSR Spent	71	123

3. Other Flagship programmes:

Looking to the deep inconvenience and discomfort students faced in hot summer in classrooms without the fans, the Bank donated 1,40,000 fans to 14,000 schools. The methodology was that every branch of the Bank adopted a school in its neighbourhood


attended by students from modest background and installed 10 fans and one water purifier. This strategy gave wide reach to the activity and every single region of the country having SBI branch had schools in the vicinity benefitting from donation of fans and a water purifier.



Rajasthan (floods) - ₹ 2 crores

Table31: Donation of fans and water purifiers

	No. of Fans	No. of Water Purifiers
2012-13	1,40,000	43,161



Donation of water purifier to Jai Kisan School, Manjhatali Gumla, Jharkhand



गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, मुगली, कर्नाटक को सोलर लैम्प का दान

बैंक समाज की आस्तियों से बड़ी मात्रा में समाज के सभी वर्गों के हित के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। इन कदमों से समाज में अच्छी साख बन पाई और हमारे अनेक शाखा प्रबंधकों को पड़ोस के स्कूलों में वार्षिक समारोहों में अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। हमसे बैंक और

समाज के परस्पर जुड़ने में एक रचनात्मक प्रयास मानते हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे युवा नागरिकों के जीवन सुखद और स्वस्थ हों।

गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और रोगियों तथा डॉक्टरों के परिवहन के लिए बैंक ने 113 एम्ब्यूलेंस और मेडिकल वैन दान करके ऐसे गैर महानगरीय क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराई है जिनमें इनका उपलब्ध होना चुनौती पूर्ण है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायता करने के लिए बैंक ने 51 स्कूल बसें/ वैन वितरित की।

बैंक सहायता प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं - अरविंद आय हॉस्पिटल, चेन्नई, टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता, एन. स्वाइं मेमोरियल ट्रस्ट, हैदराबाद, शंकर नेत्रालय, चेन्नई, सेंट जेवियर कालेज, मुंबई आदि

पर्यावरण प्रेमी पहल :

बैंक ने अनेक स्थानों पर सोलर लैम्प लगाने के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह सहायता विशेषकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई, जो विद्युत-आपूर्ति पर निर्भर नहीं हैं।



*Donation of school bus to
N.C. Chaturvedi school for deaf, Lucknow*

The Bank prefers to support largely with community assets as the benefits of those are shared by all. These steps have created tremendous goodwill in the community and many of our branch managers have been invited to preside over the annual functions

of neighbourhood schools. We consider this to be a constructive bond between the Bank and the community. We are happy to make the lives of our young citizens comfortable and healthier.

To help in delivering quality healthcare and transportation of patients and doctors which is a challenge especially in non metro areas, Bank has donated 313 ambulances and medical vans. To help children especially the physically handicapped children, Bank has distributed 51 school buses/vans.

Some of the notable beneficiaries of Bank's support have been the following institutions like Aravind Eye Hospital, Chennai, Tata Medical Centre, Kolkata, N. Swain Memorial Trust, Hyderabad, Sankara Nethralaya, Chennai, St. Xavier's College, Mumbai etc.

The Bank has also supported several initiatives in installing solar lamps in many places largely in the rural areas not having dependable electricity supply.



III सहयोगी एवं अनुषंगियाँ

स्टेट बैंक समूह की कुल 20325 शाखाएं हैं। इनमें पाँच सहयोगी बैंकों की 5509 शाखाएं भी शामिल हैं देश के पूरे बैंकिंग जगत का सिरमौर है। बैंकिंग के अलावा यह समूह अपनी विभिन्न अनुषंगियों के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें जीवन बीमा, मर्चेन्ट बैंकिंग, म्युचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, फैंक्टरिंग, प्रतिभूतियों का क्रय - विक्रय, पेंशन फंड प्रबंधन, अभिरक्षा सेवाएं, साधारण बीमा (गैर जीवन बीमा) और मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारी सेवाएं शामिल हैं।

1. सहयोगी बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों की मार्च 13 के अंतिम शुक्रवार को जमाराशियों में बाजार हिस्सेदारी 6.16% की है तथा अग्रिमों के क्षेत्र में बाजार की हिस्सेदारी 6.32% है।

तालिका 32: सहयोगी बैंकों के निष्पादन के उल्लेखनीय बिन्दु :

(₹करोड़ में)

	31.03.2013 को	31.03.2012 को	परिवर्तन (%)
कुल आस्तियाँ	5,04,556	4,34,947	16.00
कुल जमाराशियाँ	4,17,657	3,61,589	15.51
कुल अग्रिम	3,40,321	2,89,148	17.70
परिचालन लाभ	8,803	8,214	7.17
निवल लाभ	3,678	3,626	1.43
ऋण जमा अनुपात	81.48%	79.97%	151 bps
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	11.85%	13.16%	-131 bps
सकल एनपीए	11,589	8,538	35.73
कुल एनपीए	6,143	4,418	39.04
ईक्विटी पर आय*	14.33%	15.64%	-131 bps

*वार्षिक आधार पर

सहयोगी बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उपक्रमों के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं:

- एसबी कैपिटल मार्केट्स लि ने उसकी अनुषंगी यथा एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि. में ₹ 50 करोड़ के निवेश का निर्णय लिया है जो कि प्रत्येक ₹ 25 करोड़ के दो खेपों में किया जाएगा। पहली खेप की राशि 4 मई 2012 को जमा की जा चुकी है।
- हमारी संयुक्त उपक्रम कंपनी जीई कैपिटल बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि. ने 33,98,996 शेयर के कुल शेयर पुनः खरीदे हैं जिनकी प्रति शेयर मूल्य ₹ 10/- है तथा जनवरी 13 में इनकी कुल राशि ₹ 47.92 करोड़ होती है। इस पुनः खरीद में एसबीआई का हिस्सा 13,59,598 शेयरों का है जिसका मूल्य ₹ 19.17 करोड़ होता है।

- एसबीआई फंड मैनेजमेंट (प्रा) लि. ने ₹ 5 करोड़ एवं एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. (कुल ₹ 10 करोड़ के शेयर) एसबीआई पेंशन फंड प्रा लि.(एसबीआईपीएफ) में निवेश किए हैं जिसकी वजह से एसबीआई पीएफ में एसबीआई की हिस्सेदारी 90% से घटकर 60% की हो गई है।

2. एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एसबीआई कैप)

एसबीआईकैप भारत का एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि विभिन्न ग्राहक वर्गों को तीन उत्पादों के समूहों में वित्तीय परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संरचनात्मक आधार, गैर संरचनात्मक एवं पूँजी बाजारों (ईक्विटी एवं ऋण)। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शी, ऋण समूहन, विलयन एवं अधिग्रहण, निजी ईक्विटी एवं पुनसंरचनात्मक परामर्शी।

एसबीआईकैप ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 418.39 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह कर पूर्व लाभ ₹ 364.84 करोड़ का था। इसी प्रकार से वित्त वर्ष 13 में इसने ₹ 296.00 करोड़ का करोत्तर लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष 12 में यह ₹ 250.96 करोड़ का था।

एसबीआईकैप एवं उसकी चार अनुषंगियों ने कुल मिलाकर वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 444.37 करोड़ का करपूर्व लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष में करपूर्व लाभ ₹ 385.87 करोड़ का था तथा इसी प्रकार से इनका करोत्तर लाभ वित्त वर्ष 13 में ₹ 313.96 करोड़ का है जबकि वित्त वर्ष में यह ₹ 265.31 करोड़ का था।

इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी होने के कारण एसबीआईकैप को इस उद्योग के कुछ बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें आईएफआर एशियाज इंडिया लोन हाउस ऑफ द इयर 2012 एवं विडियाकॉन के लिए डील ऑफ दी इयर 2012 का बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड। एसबीआईकैप को उद्योग श्रेणी में अभी भी सर्वोत्तम स्थान बनाकर रखा है, इसकी प्रमुख बातें निम्नानुसार रही हैं:

- डीलॉजिक द्वारा परियोजना वित्तीयन के क्षेत्र में ग्लोबल मेंडेटेड लीड अरेंजर
- थॉमसन - रॉयटर्स के द्वारा ग्लोबल प्रोजेक्ट फायनेंस बुकरनर में नम्बर 1 की रैंक
- प्राइम द्वारा वित्त वर्ष 2013 के दौरान ऋण के सार्वजनिक निर्गमनों के लिए निर्गमनों की संख्या के आधार पर नंबर 1 की रैंक।

एसबीआई कैपिटल
मार्केट को एशिया में
जापान को छोड़कर
ब्लूमबर्ग द्वारा
नंबर 1
मैनडेटेड लीड
अरेंजर घोषित किया
गया।



III ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES

State Bank Group, with a network of 20325 branches, including 5509 branches of its five Associate Banks, dominates the banking industry in India. In addition to banking, the Group, through its various subsidiaries, provides a whole range of financial services, which include Life Insurance, Merchant Banking, Mutual Funds, Credit Card, Factoring, Security trading, Pension Fund Management, Custodial Services, General Insurance (Non Life Insurance) and Primary Dealership in the Money Market.

1 Associate Banks

The five Associate Banks of SBI had a market share of 6.16% in deposits and 6.32% in advances as on last Friday of March 2013.

Table32: Performance Highlights of Associate Banks (Overall): (₹ in cr.)

	As on 31.03.2013	As on 31.03.2012	Change (%)
Total Assets	5,04,556	4,34,947	16.00
Agg. Deposits	4,17,657	3,61,589	15.51
Total Advances	3,40,321	2,89,148	17.70
Operating Profit	8,803	8,214	7.17
Net Profit	3,678	3,626	1.43
Credit Deposit Ratio	81.48%	79.97%	151 bps
Capital Adequacy Ratio	11.85%	13.16%	-131 bps
Gross NPA	11,589	8,538	35.73
Net NPA	6,143	4,418	39.04
Return on Equity*	14.33%	15.64%	-131 bps

*Annualised

Important Developments during the year in Associates, Subsidiaries and Joint Ventures:

- SBI Capital Markets Ltd has decided to invest in equity of its subsidiary, viz, SBICAP Securities Ltd, to the tune of ₹ 50 crores in in two tranches of ₹ 25 crores each. The amount of 1st tranche has been invested on 4th May 2012.
- Our JV Company, GE Capital Business Process Management Services (P) Ltd. has bought back a total of 33,98,996 shares of ₹10/- each @ ₹141/- per share, aggregating ₹47.92 crores in January 2013. The share of SBI in the buy back is 13,59,598 shares worth ₹ 19.17 crores.

- An additional capital of ₹5 crores each has been infused by SBI Funds Management (P) Ltd and SBI Capital Markets Ltd. (Total ₹10 crores) in SBI Pension Fund Pvt Ltd (SBIPF) during Oct'12. Consequently, the stake of SBI in SBI PF has come down from 90% to 60%.

2 SBI Capital Markets Limited (SBICAP)

SBICAP is India's leading investment bank, offering financial advisory services to varied client base across three product groups – Infrastructure, Non-Infrastructure and Capital Markets (Equity and Debt). These services include Project Advisory, Loan Syndication, M&A, Private Equity and Restructuring Advisory.

SBICAP, on a standalone basis, posted a PBT of ₹418.39 crores during the FY 13 as against ₹364.84 crores earned in FY 12 and a PAT of ₹296.00 crores in FY 13 as against a PAT of ₹250.96 crores during FY 12.

SBICAP and its 4 subsidiaries together, posted a PBT of ₹ 444.37 crores during the FY 13 as against ₹ 385.87 crores earned in FY 12 and PAT of ₹ 313.96 crores in FY 13 as against ₹ 265.31 crores in FY 12.

As a leader in its space, SBICAP has attained recognition in the form of some of the most prestigious awards in the industry namely, IFR Asia's India Loan House of the Year 2012 and Business World Award for the Deal of the Year 2012 for Videocon. SBICAP continues to attain the premier spot in industry rankings, the highlights being:

- Ranked No. 1 Global Mandated Lead Arranger in Project Finance Loans by Dealogic.
- Ranked No. 1 Global Project Finance Bookrunner by Thomson- Reuters.
- Ranked No. 1 in the number of issues handled for the public issue of debt in FY 2013 by PRIME

SBI Capital Market was ranked No.1 Mandated Lead Arranger (MLA) in Asia ex-Japan Loans by Bloomberg.



2.1 एसबीआईकेप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। यह खुदरा एवं संस्थागत ग्राहकों नकद एवं वायदा विकल्प सौदों में ईक्विटी ब्रॉकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा म्यूचुअल फंड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विक्रय और वितरण में संलग्न है। एसएसएल की 100 शाखाएं और यह खुदरा एवं संस्थागत दोनों प्रकार के ग्राहकों को डीमेट, ई-ब्रोकिंग, ई-आईपीओ और ई-एमएफ सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 2.42 करोड़ का करोत्तर लाभ (पीएटी) अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह पीएटी ₹ 4.03 करोड़ का था। पूँजी बाजार में मंदी के कारण लाभ में कमी रही है।

2.2 एसबीआईकैप्स वेन्चर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसवीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। इसने वित्त वर्ष के दौरान ₹ 0.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह लाभ ₹ 0.23 करोड़ का था।

2.3 एसबीआईकैप (यूके) लि. (एसयूएल)

एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है। मुदी की स्थिति के बाद भी इसने वित्त वर्ष 13 के दौरान कुल ₹ 17.26 करोड़ की कुल आय एवं ₹ 10.76 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में कुल आय ₹ 9.18 करोड़ एवं कुल लाभ ₹ 4.82 करोड़ का था।

एसयूएल ने यूके, और यूरोप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए एक रिलेशनशिप इकाई के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। व्यवसाय उत्पादों का विपणन करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, विधि फर्मों, लेखा फर्मों आदि के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं।

2.4 एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसबीआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल) जो कि एसयूएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है ने 1 अगस्त 2008 से प्रतिभूति न्यासी व्यवसाय शुरू किया था एवं इसने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 14.93 करोड़ का सकल लाभ कमाया है एवं ₹ 7.51 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में सकल लाभ ₹ 11.63 करोड़ एवं निवल लाभ ₹ 5.86 करोड़ का था।

3 एसबीआई डीएफएचआई लि (एसबीआई डीएफएचआई)

एसबीआई डीएफएचआई लि एकमात्र सबसे बड़ी स्टेन्ड अलॉन प्राथमिक डीलर (पीडी) कंपनी है जिसकी देश भर में उपस्थिति है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा भी यह मुद्रा बाजार के लिखतों, गैर प्रतिभूति ऋण लिखतों आदि का कार्य करती है। पीडी के रूप में इसकी व्यवसायिक गतिविधियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित/ विनियमित होती हैं।

एसबीआई समूह का कंपनी में 72.71% की हिस्सेदारी है जो कि प्राथमिक निलामियों में बुक बिलडिंग प्रक्रिया में सहायता करता है और द्वितीयक बाजार को जी सिक्युरिटीज में आधार और चलनिधि उपलब्ध कराती है। 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी ने ₹ 80.28 करोड़ का करोत्तर लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह ₹ 43.50 करोड़ का था।

मार्च 2013 को एसबीआईडीएफएचआई की बाजार हिस्सेदारी उसके सभी बाजार प्रतिस् 3.64% है।

स्टेन्ड अलॉन पीडी के बीच एसबीआई डीएफएचआई की हिस्सेदारी मार्च 2012 के 16.45 % की तुलना में मार्च 2013 में 22.48% हो गई है।

4. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेन्ट सर्विसेज लि. (एसबीआईसीपीएसएल)

• एसबीआईसीपीएसएल भारत की एकमात्र स्टेन्ड अलॉन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी है जो कि भारतीय स्टेट बैंक एवं जीई कैपिटल कारपोरेशन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है एवं एसबीआई की भागीदारी 60% है।

• सक्रिय कार्डों के हिसाब से एसबीआई सीपीएसएल पूरे उद्योग जगत में तीसरे स्थान पर है।

• 31 मार्च को कंपनी का “कार्ड इन फोर्स” (सीआईएफ) या सक्रिय कार्ड 25.70 लाख हैं। 31 मार्च 2012 को ₹ 2,178 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2103 को कुल प्राप्य राशियां ₹ 3,294 रही हैं।

• मार्च 2013 को कंपनी ने 136.30 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि मार्च 2012 को कंपनी ने ₹ 37.90 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। यह निष्पादन मुख्य रूप से आस्ति आधारित आय संवृद्धि के कारण एवं ऋण राशियों में पर्याप्त कमी एवं बेहतर वसूली निष्पादन के कारण संभव हो पाया है।

• वित्त श्रेणी के अधीन किए गए सर्वेक्षण के अनुसार रीडर्स डायजेस्ट ने एसबीआईसीपीएसएल को 2012 का सबसे भरोसेमंद ब्रांड का खिताब दिया है।

• एसबीआईसीपीएसएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक रिटेल खर्च का 1000 करोड़ के स्तर को पार कर लिया है जो कि उसकी शुरुआत से अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है।

5. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं लिमिटेड (एसबीआईलाइफ)

• एसबीआई लाइफ, एसबीआई एवं बीएनपी परिबास कार्डिफ के बीच संयुक्त उपक्रम है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 74% है।

• एसबीआई लाइफ का बीमा उत्पादों के बिक्री के लिए एक अनन्य बहु - वितरण मॉडल है जिसमें बैंकइंश्योरेंस, रिटेल एजेन्सी एवं संस्थागत गठबंधन व समूह कारपोरेट चैनल शामिल हैं।



2.1 SBICAP Securities Limited (SSL)

SSL, a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., besides offering equity broking services to retail and institutional clients both in cash as well as in Futures and Options segments, is also engaged in Sales & Distribution of other financial products like Mutual Funds, etc. SSL has 100 branches and offers Demat, e-broking, e-IPO and e-MF services to both retail and institutional clients. SSL currently has more than 3.18 lacs customers in their books. The Company has posted a PAT of ₹2.42 crores during the FY 13 as against a PAT of ₹4.03 crores during the FY 12. The profits are lower on account of subdued capital markets.

2.2 SBICAPS Ventures Limited (SVL)

SVL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. SVL earned a Net Profit of ₹0.35 crores during FY 13 as against ₹0.23 crores earned during FY 12.

2.3 SBICAP (UK) Ltd. (SUL)

SUL is a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd. SUL has booked Total Revenue of ₹ 17.26 crores and has posted a Net Profit of ₹ 10.76 crores during FY 13 as against Total Revenue of ₹ 9.18 crores and Net Profit of ₹ 4.82 crores during FY 12 despite the global recessionary scenario.

SUL is positioning itself as a relationship outfit for SBI Capital Markets in UK and Europe. Relationships are being built with FIIs, Financial Institutions, Law Firms, Accounting Firms, etc to market the business products of SBICAP.

2.4 SBICAP TRUSTEE Co. Ltd. (STCL)

SBICAP Trustee Co Ltd (STCL), a wholly owned subsidiary of SBI Capital Markets Ltd., which commenced security trustee business with effect from 1st August 2008 has earned a gross income of ₹14.93 crores and a Net Profit of ₹7.51 crores during FY 13 as against Gross Income of ₹11.63 crores and Net Profit of ₹ 5.86 crores during FY 12.

3 SBI DFHI Ltd. (SBI DFHI)

SBI DFHI Ltd is one of the largest standalone Primary Dealers (PD) with a pan India presence. Besides Government securities, it also deals

in money market instruments, non G-Sec debt instruments etc. As a PD, its business activities are stipulated/ regulated by RBI.

SBI group holds 72.17 % share in the Company, which is a primary dealer to support the book building process in Primary Auctions and provide depth and liquidity to secondary markets in Gsecs. For the period ended 31st March 2013, the Company's PAT was ₹80.28 crores as against ₹43.50 crores earned during FY 12.

The market share of SBIDFHI amongst all market participants was 3.64% as on March 2013.

SBI DFHI's market share amongst Standalone PDs has increased from 16.45 % in March 2012 to 22.48 % in March 2013.

4. SBI Cards & Payments Services Pvt. Ltd. (SBICPSL)

- SBICPSL, the only stand-alone credit card issuing company in India, is a joint venture between State Bank of India and GE Capital Corporation, wherein SBI holds 60% stake.

- SBICPSL is 3rd largest in the industry in terms of Cards in Force.

- The "Cards in Force" (CIF) of the Company stood at 25.70 lacs as at 31st March 2013. The Average receivables stood at ₹3,294 crores as at the end of March 2013 as against ₹2,178 crores at the end of March 2012.

- The Company has posted a net profit of ₹136.30 crores as on March 2013 as against ₹37.90 crores earned during the year ended March 2012. This performance was primarily driven by asset based revenue growth, substantial reduction in credit losses and better collection performance.

- SBICPSL won "Gold Award" in the Reader's Digest most trusted brand 2012 survey under the finance category.

- SBICPSL has crossed ₹ 1000 crores mark on monthly retail spends in current financial year, which is the highest since inception.

5. SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE)

- SBI Life is Joint Venture Company between SBI and BNP Paribas Cardiff in which SBI holds 74% stake.

- SBI Life has a unique multi-distribution model comprising Bancassurance, Retail Agency & Institutional Alliances and Group Corporate Channels for distribution of insurance products.



- एसबीआई लाइफ वित्त वर्ष 13 के लिए नए व्यवसाय प्रीमियम के क्षेत्र में प्राइवेट बाजार लीडर रहा है।
 - निजी जीवन बीमाकर्ताओं में नव व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) के क्षेत्र में एसबीआई लाइफ की बाजार हिस्सेदारी 16.85% की है। 31 मार्च 2013 को समग्र बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से (भारतीय जीवन बीमा को मिलाकर) एसबीआई लाइफ नव व्यवसाय प्रीमियम के क्षेत्र में 4.84% हिस्सेदारी रखता है।
 - एसबीआई लाइफ विभिन्न ग्राहकों के खंडों को ध्यान में रखते हुए कई गतिशील बीमा उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है जैसे ऑन लाइन वितरण के क्षेत्र में पहले महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर उसने ई-शील्ड के साथ ऑनलाइन सावधि योजनाएं प्रारंभ की हैं तथा वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए “ग्रामीण बीमा” की शुरुआत की है।
 - एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 622.20 करोड़ का करोत्तर लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष के दौरान यह लाभ 12% था अतः इस प्रकार इसमें वर्षानुवर्ष आधार पर 12% की संवृद्धि दर्ज की गई है।
 - एसबीआई लाइफ की प्रबंधन के अधीन आस्तियों ने वर्षानुवर्ष के आधार पर 11.50% की वृद्धि दर्ज की है जो कि 31 मार्च 2013 को ₹ 51912 करोड़ है।
 - वर्ष के दौरान अपने नेटवर्क में विस्तार किया है एवं 44 शाखाएं खोलकर एसबीआई लाइफ ने अपनी कुल शाखाओं की संख्या 758 कर दी है।
 - वर्ष के दौरान एसबीआई लाइफ ने विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 6,309 पेड़ लगाए गए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के कल्याण के लिए “गिफ्ट ए स्माईल” एवं “प्रोजेक्ट स्कॉलर” नाम से प्रयास किए गए हैं। एसबीआई लाइफ ने मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की मदद के लिए “स्वयं सिद्ध” नाम से एक प्रयास किया है। इसके अलावा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए दान कार्य किये हैं।
- 2012-13 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार / प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं :

- एसबीआई लाइफ ने सेवा की श्रेणी में “इंडियन मर्चेन्ट चेम्बर्स” की ओर से रामकृष्णा बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2012 जीता है जो कि गुणवत्ता एवं संगठनात्मक उत्कृष्ट के क्षेत्र में उसकी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
- आईपीई बीएफएसआई अवार्ड कार्यक्रम में इसे सर्वश्रेष्ठ नियोजक का पुरस्कार मिला है।
- साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ अकाउन्टेन्ट के द्वारा उसे ‘बेस्ट प्रसेन्टेड एनवल रिपोर्ट अवार्ड’ से नवाजा गया है।

एसबीआई लाइफ ने
“इंडियन मर्चेन्ट चेम्बर्स
रामकृष्णा बजाज
नेशनल क्वालिटी
अवार्ड 2012”
सर्विसेस श्रेणी में
जीता।

- डन एंड ब्रेडस्ट्रीट - पीएसयू आवार्ड 2012- इश्योरेंस सेक्टर
 - “अंडर सर्वर्ड मार्केट पेनिट्रेशन आवार्ड एंड क्लेम सर्विस ऑफ दी ईयर आवार्ड 2012” की श्रेणियों में भारतीय बीमा आवार्ड 2012
6. एसबीआई फंड मेनेजमेंट (प्रा) लि. (एसबीआईएफएमपीएल)
- एसबीआईएफएमपीएल भारतीय स्टेट बैंक की म्युचअल फंड इकाई है। यह औसत ‘प्रबंध अधीन आस्तिया’ की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा फंड हाउस है। यह बाजार की प्रमुख इकाई है जिसके 5 मिलियन से अधिक निवेशक हैं।
 - एसबीआई म्युचअल फंड ने वित्त वर्ष 13 में निवेश प्रबंधन के क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्ण किए हैं।
 - एसबीआईएफएमपीएल ने निवेश निष्पादन में पूरी तरह से कायाकल्प किया है जिसके 2 सर्वोत्तम चौमाहियों में ईक्विटी योजना एयूएम (‘प्रबंध के अधीन आस्तियों’) 92% रही हैं एवं सर्वोत्तम चौमाही में यह 41% रहा है।
 - एसबीआईएफएमपीएल ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 85.68 करोड़ का करोत्तर लाभ रहा है जबकि वित्त वर्ष 12 में यह ₹ 60.52 करोड़ था।
 - मार्च 13 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कंपनी की प्रबंध अधीन आस्तियाँ का औसत ₹ 54,905 करोड़ है जबकि मार्च 2012 को समाप्त तिमाही में यह ₹ 42,042 करोड़ था इस प्रकार से इसमें वर्षानुवर्ष आधार पर 30.60% की संवृद्धि हुई है।
 - वित्त वर्ष 13 के दौरान एसबीआईएफएमपीएल ने अपने पहले एक्सचेज ट्रेड फंड की शुभारंभ किया है जिसका नाम एसबीआई सेन्सेक्स फंड है। यह फंड राजीव गाँधी इक्विटी बचत योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
 - एसबीआईएफएमपीएल ने एसबीआई एज फंड की शुरुआत की है। यह फंड 3 आस्तियों की श्रेणियों का लाभ देता है यथा ईक्विटी, स्वर्ण एवं डेब्ट (ऋण) का लाभ एक ही फंड में देता है।
7. एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स लि. (एसबीआईजीएफएल)
- एसबीआईजीएफएल भारत की एक प्रमुख कंपनी है जो कि घरेलू एवं निर्यात एवं आयात फेक्ट्रिंग के क्षेत्र में कार्यरत है।
 - वित्त वर्ष 13 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 3.63 करोड़ का लाभ दर्ज किया है जबकि वित्त वर्ष 12 में उसे ₹ 65.73 करोड़ की हानि हुई थी।
8. एसबीआई पेंशन फंड प्रा. लि. (एसबीआईपीएफ)
- एसबीआईपीएफ पेंशन निधि नियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन निधियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त तीन पेंशन निधि प्रबंधकों में से एक है। गठित नई पेंशन व्यवस्था की पेंशन निधियों के प्रबंधन इकाइयों में से एक है।
 - एसबीआईपीएफ स्टेट बैंक समूह की एक पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है जिसने अप्रैल 2008 से अपने परिचालन शुरू किए हैं। कंपनी की



- SBI Life emerged as the private market leader in New Business Premium for FY 13.
- SBI Life has a market share of 16.85 % in respect of New Business Premium (NBP) amongst Private Life Insurers. Overall market share (including Life Insurance Corporation of India) of SBI Life in terms of NBP stood at 4.84 % as on 31st March, 2013.
- SBI Life launched Dynamic Insurance products catering to different customer segments, initiated online term plans with – “E-Shield” the first significant foray into online distribution and “Grameen Bima” catering to the micro insurance sector aimed at financial inclusion.
- SBI Life recorded a PAT of ₹622.20 crores during FY 13 as against ₹555.80 crores during FY 12, recording a YOY growth of 12 %.
- The ‘Assets under Management’ of SBI Life recorded a growth of 11.50% YoY to reach ₹51912 crores as on 31st March 2013.
- SBI Life expanded its branch network by adding 44 branches during the year bringing the total number of branches to 758.
- SBI Life has undertaken various CSR projects during the year. Tree plantation drive witnessed a plantation of 6,309 trees till date. “Gift a Smile” and “Project Scholar” are initiatives to contribute towards economically disadvantaged students. SBI Life took an initiative of enabling mentally challenged children of “Swayam Siddh”. Donations have been made to Leprosy eradication centres.



SBI Life has won “Indian Merchant Chambers’ Ramkrishna Bajaj National Quality Award 2012 in Services category”

The following are some of the awards / recognitions received by the Company during 2012-13:

- Best Employer Brand Award at IPE BFSI Awards
- ‘Best Presented Annual Report Award’ by South Asian Federation of Accountants (SAFA).

- Dun & Bradstreet - PSU Award 2012-Insurance Sector
- The Indian Insurance Awards 2012 for the categories -Under-served Market Penetration Award and Claims Service of the Year Award 2012.

- SBI Life has won Indian Merchant Chambers’ Ramakrishna Bajaj National Quality Award 2012 in Services category indicating its commitment towards quality and organizational excellence.

6. SBI Funds Management (P) Ltd. (SBIFMPL)

- SBIFMPL, the Asset Management Company of SBI Mutual Fund, is the 6th largest Fund House in terms of Average “Assets Under Management” and a leading player in the market with over 5 million investors.

- SBI Mutual Funds celebrated 25 Years of Investment Management in FY 13.

- SBIFMPL recorded a complete turnaround in investment performance with over 92% of equity scheme AUM in top 2 quartiles, and 41% were in top quartile.

- SBIFMPL posted a PAT of ₹85.68 crores during FY 13 as against ₹60.52 crores earned during FY 12.

- The average “Assets Under Management” (AUM) of the company during the quarter ended March 2013 quarter stood at ₹54,905 crores as against ₹42,042 crores during Mar 2012 quarter registering an YoY growth of 30.60%.

- SBIFMPL launched first Exchange Traded Fund-SBI Sensex Fund, this Fund also qualifies for availing benefits under Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme during the FY 13.

- SBIFMPL launched SBI Edge Fund, a fund that gives benefit of 3 asset classes viz. Equity, Gold and Debt in one fund.

7 SBI Global Factors Ltd. (SBIGFL)

- SBIGFL is one of the leading factoring companies in India in both domestic as well as export & import factoring.

- The company registered a Profit of ₹ 3.63 crores during the FY 13 as against a loss of ₹65.73 crores incurred during FY 12.

8 SBI Pension Funds Pvt. Ltd. (SBIPF)

- SBIPF is one of the three Pension Fund Managers (PFM) appointed by Pension Fund Regulatory &



31 मार्च 2003 कि स्थिति के अनुसार कुल “प्रबंध अधीन आस्तियाँ” ₹11,788 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 96%) थी।

- कंपनी ने सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में एयूएम के मामले में 6 पेंशन फंड प्रबंधकों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाई रखी।
- निजी क्षेत्र में समग्र एयूएम बाजार अंश 73% था जबकी सरकारी क्षेत्र में 37% था।
- एसबीआयपीएफ ने अपनी स्थापना के बाद से प्रतिलाभो के मामले में 7 आस्ति श्रेणियों में अग्रणी स्थान बनाया रखा।
- एसबीआईपीएफ को वित्त वर्ष 13 के दौरान निम्नलिखित अवॉर्ड प्राप्त हुए।
- अंशदाताओं को निष्पादन और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए पेंशन फंड ऑफ द ईयर पुरस्कार इंडियन पेंशन फंड अवार्ड 2012 के अंतर्गत प्राप्त हुआ।
- स्कॉच वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2013 में वित्तीय समावेशन (पेंशन श्रेणी) के लिए पुरस्कार

9. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआईजीआईसी)

- एसबीआईजीआईसी भारतीय स्टेट बैंक और आईएजी आस्ट्रेलिया के बीच इक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का अंश 74% है।
- एसबीआयजीआईसी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान अपने पूरे परिचालन का तीसरा वर्ष पूरा कर लिया।

• कंपनी का सकल प्रत्यक्ष लेखित प्रीमियम 31 मार्च 13 को 770.85 करोड़ रु है।

• कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 145.16 करोड़ की निवल हानि हुई है जबकि हानि ₹ 164.90 करोड़ की हानि का अनुमान था। जबकि वित्त वर्ष 12 में यह हानि ₹ 95.34 करोड़ की थी। कंपनी के वर्ष 2014-15 में कायाकल्प होने की संभावना है।

• एसबीआईपीएफ का एक बहु वितरण मॉडल है जिसमें बैंकाइंश्योरंस, एजेन्ट, ब्रोकर एवं बीमा उत्पाद वितरण के लिए प्रत्यक्ष चैनल होते हैं।

10. एसबीआई एसजी ग्लॉबल सिक््युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआईएसजी)

• एसबीआईएसजी भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की सोसायटी जनरल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना किसी वित्तीय समूह के द्वारा पूरी की जाने वाली अनेक प्रकार के की वित्तीय सेवाओं को पूरा करने के लिए उच्च कोटी की अभिरक्षा एवं निधि संचालन सेवाएं कराने के लिए की गई थी।

• एसबीआईएसजी ने मई 2010 के दौरान अपने वाणिज्यिक परिचालनों एवं सितम्बर 2010 में अपने विधि लेखाकरण सेवाओं की शुरुआत की थी।

• कंपनी ने वित्त वर्ष 13 के दौरान ₹ 38.43 लाख का लाभ कमाया है जबकि वित्त वर्ष 12 के दौरान यह लाभ ₹ 24.71 लाख का था।

• अभिरक्षाधीन आस्तियाँ 31 मार्च 2013 को ₹ 51,629 करोड़ थी जबकि प्रशासनाधीन आस्तियाँ ₹ 52639 करोड़ रु थी।



Development Authority (PFRDA) for management of Pension Funds under the National Pension System (NPS) for Central Government (except Armed Forces) and State Government Employees.

- SBIPF, a wholly owned subsidiary of the State Bank Group, commenced its operations from April 2008. The total "Assets Under Management" of the company as on 31st March 2013 were ₹ 11,788 crores (YoY growth of 96 %).

- The Company maintained lead position amongst Pension Fund Managers (6) in terms of AUM in both Government and Private sectors.

- The overall AUM market share in Private sector was 73 %, while in the Government sector it was 37 %.

- SBIPF has maintained lead in 7 asset categories in terms of returns since inception.

- SBIPF received the following awards during the FY 13:

- 'Pension Fund of the Year' for excellence in performance and customer service to subscribers at the Indian Pension Fund Awards- 2012.

- Award for Financial Inclusion (Pension Category) in Skoch Financial Inclusion Awards, 2013.

9. SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LTD (SBIGIC)

- SBIGIC is a joint venture between State Bank of India and IAG Australia in which SBI holds 74% stake.

- SBIGIC has completed its Third year of full operations during FY 13.

- Gross Direct Written Premium stood at ₹ 770.85 crores as at 31st March 2013.

- The Company recorded a net loss of ₹ 145.16 crores as against the estimated loss of ₹ 164.90 crores during FY 13 and a loss of ₹ 95.34 crores incurred during the FY 12. The Company is expected to turn around during 2014-15.

- SBIGIC has a multi-distribution model comprising Bancassurance, Agents, Broker and Direct Channels for distribution of insurance products.

10. SBI SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PVT LTD (SBISG)

- SBISG, a joint venture between State Bank of India and Societe Generale, was set up to offer high quality custody and fund administration services to complete the bouquet of financial services on offer by a financial conglomerate.

- SBISG commenced commercial operations in Custody in May 2010 and Fund Accounting Services in Sept 2010.

- The Company recorded a net profit of ₹38.43 lacs during the FY 13 as against ₹24.71 lacs during the FY 12.

- The Assets Under Custody as on 31st March 2013 stood at ₹51,629 crores, while the Assets Under Administration were at ₹52,639 crores.



अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों की 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सूचना

तालिका 33: देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

(रु करोड़ों में)

क्र.	बैंक का नाम	स्वामित्व में एसबीआई की हिस्सेदारी		कुल आस्तियाँ	कुल जमा राशियाँ	कुल अग्रिम	परि. लाभ	निवल लाभ	ऋण-जमा अनुपात	पूँजी पर्याप्ता अनुपात %	सकल एनपीए %	निवल एनपीए %	ईक्विटी पर आय %
		राशि	%										
1	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	676.12	75.07	86023	71215	58474	1713	730	82.11	12.16	3.62	2.27	15.33
2	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	367.55	100	139664	117270	92020	2788	1250	78.77	12.36	3.46	1.61	17.70
3	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	628.63	92.33	68739	56712	45980	1331	416	81.08	11.79	4.53	2.69	11.05
4	स्टेट बैंक पटियाला	445.10	100	108551	88416	75460	1619	667	85.35	11.12	3.25	1.62	12.48
5	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	120.85	75.01	101579	84046	68389	1351	615	81.37	11.70	2.56	1.46	14.76

तालिका 34: बैंकिंग अनुषंगियों का

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हिस्सा) ₹ करोड़ों में	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निवल लाभ (हानियाँ) 2012-13
1	एसबीआई केपिटल मार्केट्स लि. (समेकित)	58.03	100	313.96
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	139.15	63.78	80.28
3	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज लि.	2.00	100	0.0381
4	एसबीआई म्युचअल फंड ट्रस्टी प्रा.लि.	0.10	100	4.20
5	एसबीआई ग्लॉबल फैक्टर्स लि.	137.79	86.18	3.63
6	एसबीआई पेंशन फंड प्रा.लि.	18.00	60.	(0.74)

तालिका 35 : संयुक्त उद्यमों का निष्पादन

क्र.	अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (स्टेट बैंक का हिस्सा) ₹ करोड़ों में	स्वामित्व का %	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निवल लाभ (हानियाँ) 2012-13
1	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्रा. लि.	31.50	63	85.68
2	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. (यूएसडी)	\$ 50000	63	हानि यूएसडी 29854
3	एसबीआई काडर्स एंड पेमेंट सर्विसेज लि.	471.00	60	136.30
4	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं लि.	740.00	74	622.20
5	एसबीआई एसजी ग्लॉबल सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	52.00	65	0.38
6	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	111.00	74	(145.16)
7	सी-एड टेक्नॉलॉजी लि.	4.90	49%	1.22
8	जीई केपिटल बिजनेस प्रॉसेज मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा लि.	9.44	40	21.65
9	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	2.25	45	यूएसडी 5.41
10	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.		#	यूएसडी 56,425
11	मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा लि	18.57	45	8.03
12	एसबीआई मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	0.025	45	0.007
13	ऑमान इंडिया जॉइंट 50 इनवेस्टमेंट फंड प्रा लि.	2.30	50	2.53
14	ऑमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड ट्रस्टी कं प्रा लि.	0.01	50	0.004

मेकवायर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा लि का 100% अनुषंगी


INFORMATION WITH REGARD TO SUBSIDIARIES & JOINT VENTURES AS ON 31.03.2013
Table 33: Performance Highlights of Domestic Banking Subsidiaries

(₹ in cr.)

S. No	Name of the Bank	SBI Share of ownership		Total Assets	Agg. Deposits	Total Advances	Op. Profit	Net Profit	CD Ratio	CAR %	Gross NPAs %	Net NPA %	Return on Equity %
		Amt.	%										
1	State Bank of Bikaner & Jaipur	676.12	75.07	86023	71215	58474	1713	730	82.11	12.16	3.62	2.27	15.33
2	State Bank of Hyderabad	367.55	100	139664	117270	92020	2788	1250	78.77	12.36	3.46	1.61	17.70
3	State Bank of Mysore	628.63	92.33	68739	56712	45980	1331	416	81.08	11.79	4.53	2.69	11.05
4	State Bank of Patiala	445.10	100	108551	88416	75460	1619	667	85.35	11.12	3.25	1.62	12.48
5	State Bank of Travancore	120.85	75.01	101579	84046	68389	1351	615	81.37	11.70	2.56	1.46	14.76

Table 34 : Performance of Non Banking Subsidiaries

S. No	Name of the Subsidiary Company	Ownership (State Bank interest) /Cr	% of Ownership	Net Profit (Losses) for the FY 2012-13
1	SBI Capital Markets Ltd. (Consolidated)	58.03	100	313.96
2	SBI DFHI Ltd.	139.15	63.78	80.28
3	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	2.00	100	0.0381
4	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	0.10	100	4.20
5	SBI Global Factors Ltd.	137.79	86.18	3.63
6	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	18.00	60.	(0.74)

Table 35: Performance of Joint Ventures

S. No.	Name of the Subsidiary Company	Ownership (State Bank interest) ₹ crores	% of Ownership	Net Profit (Losses) for the FY 2012-13
1	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	31.50	63	85.68
2	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.(USD)	\$ 50000	63	Loss USD 29854
3	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.	471.00	60	136.30
4	SBI Life Insurance Company Ltd.	740.00	74	622.20
5	SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd.	52.00	65	0.38
6	SBI General Insurance Company Ltd.	111.00	74	(145.16)
7	C-Edge Technologies Ltd	4.90	49%	1.22
8	GE Capital Business Process Mgt. Services Pvt. Ltd.	9.44	40	21.65
9	Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pte. Ltd.	2.25	45	USD 5.41
10	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.		#	USD 56,425
11	SBI Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pvt. Ltd.	18.57	45	8.03
12	SBI Macquarie SBI Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	0.025	45	0.007
13	Oman India Joint 50Investment Fund-Mgt. Co Pvt. Ltd.	2.30	50	2.53
14	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Co Pvt. Ltd.	0.01	50	0.004

100 % subsidiary of Macquarie SBI Infrastructure Mgt. Pte. Ltd.

**उत्तरदायित्व वक्तव्य**

निदेशक बोर्ड एतद्वारा उल्लेख करता है कि :

- i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं तथा प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2013 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि की की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;
- iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और
- iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

वर्ष के दौरान श्री जी.डी. नडाफ, अधिकारी कर्मचारी निदेशक अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 मई 2012 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री रशपाल मल्होत्रा, भारत सरकार द्वारा धारा 19(घ) के अंतर्गत नामित निदेशक 9 अगस्त 2012 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री दिलीप सी. चौकसी, शेयरधारकों द्वारा धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक ने 31 दिसंबर 2012 को व्वसाय समय की समाप्ति पर त्यागपत्र दे दिया। श्री डी.के. मित्तल, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर 31 जनवरी 2013 को सेवानिवृत्त हो गए।

डॉ. राजीव कुमार, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से निदेशक के रूप में पुनर्नामित किए गए। श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह, भारत सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत

24 सितंबर 2012 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री एस.के. मुखर्जी, धारा 19 (गख) के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2012 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित किए गए। श्री एस विश्वनाथन, धारा 19 (ख) के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2012 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। श्री थॉमस मैथ्यू 13 जनवरी 2013 से 24 जून 2014 के दौरान श्री दिलीप सी. चौकसी के स्थान पर पहली बार निर्वाचित किए गए। श्री राजीव टकरु, सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में धारा 19 (ड) के अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी 2013 की अधिसूचना के द्वारा श्री डी.के. मित्तल के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किए गए। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल दिनांक 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के द्वारा धारा 19 (च) के अंतर्गत डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नामित किए गए।

निदेशक, बोर्ड की चर्चाओं में श्री जी.डी. नडाफ, श्री रशपाल मल्होत्रा, डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, श्री दिलीप सी. चौकसी और श्री डी.के. मित्तल द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं। साथ ही बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल हुए डॉ. राजीव कुमार, श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह, श्री एस.के. मुखर्जी, श्री एस. विश्वनाथन, श्री थॉमस मैथ्यू, श्री राजीव टकरु और डॉ. ऊर्जित आर. पटेल का स्वागत करते हैं।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से,

दिनांक : 23 मई 2013

अध्यक्ष



Responsibility Statement

The Board of Directors hereby states:

- i. that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- ii. that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2013, and of the profit and loss of the bank for the year ended on that date;
- iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and
- iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

During the year, Shri G. D. Nadaf, Officer Employee Director, retired on attaining superannuation on 31st May 2012. Shri Rashpal Malhotra, Director nominated under section 19(d) by Govt. of India retired on 9th August 2012. Dr. Subir V. Gokarn, Dy. Governor, RBI Nominee, retired on completing his term on 31st December 2012. Shri Dileep C. Choksi, Director, elected by Shareholders under Section 19(c) resigned from the Board effective from the close of business on 31st December 2012. Shri D. K. Mittal, GOI Nominee Director retired on 31st January 2013 attaining superannuation.

Dr. Rajiv Kumar was re-nominated as Director under section 19(d) by GOI w.e.f. 6th August 2012. Shri Harichandra Bahadur Singh was nominated as Director under section 19(d) by GOI w.e.f.

24th September 2012. Shri S. K. Mukherjee, was nominated under section 19(cb) as Officer Employee Director w.e.f. 4th October 2012. Shri S. Vishvanathan was appointed as Managing Director under section 19(b) w.e.f. 9th October 2012. Shri Thomas Mathew, elected for the first time from 13th January 2013 to 24th June 2014 in place of Shri Dileep C. Choksi. Shri Rajiv Takru was nominated as Govt. Nominee Director vice Shri D. K. Mittal, under section 19(e) vide Notification dated 4th February 2013. Dr. Urjit R. Patel was nominated as RBI Nominee Director vice Dr. Subir V. Gokarn, under section 19(f), vide Notification dated 6th February 2013.

The Directors place on record their appreciation of the contributions made by the respective outgoing Directors, namely, Shri G. D. Nadaf, Shri Rashpal Malhotra, Dr. Subir V. Gokarn, Shri Dileep C. Choksi and Shri D. K. Mittal to the deliberations of the Board. The Directors welcome the new Directors Dr. Rajiv Kumar, Shri Harichandra Bahadur Singh, Shri S. K. Mukherjee, Shri S. Vishvanathan, Shri Thomas Mathew, Shri Rajiv Takru and Dr. Urjit R. Patel on the Board.

The Directors also express their gratitude for the guidance and co-operation received from the Government of India, RBI, SEBI, IRDA and other government and regulatory agencies.

The Directors also thank all the valued clients, shareholders, banks and financial institutions, stock exchanges, rating agencies and other stakeholders for their patronage and support, and take this opportunity to express their appreciation of the dedicated and committed team of employees of the Bank.

For and on behalf of the
Central Board of Directors

Date : 23rd May 2013

Chairman



कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है जिससे बैंक व्यवसाय सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने सभी हितधारकों के लिए इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करें, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदार हों। अध्यक्ष की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों

से भी निर्देशित होती है।

- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी ;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।

बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2013 को बोर्ड में प्रौद्योगिकी, लेखाविधि, वित्त तथा आर्थिक जगत की शिखिसयतों सहित कुल 11 अन्य निदेशक हैं। इनमें शेयरधारकों के प्रतिनिधि, बैंक का



CORPORATE GOVERNANCE

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of Corporate Governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good Corporate Governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders. The objectives can be summarised as:

- To protect and enhance shareholder value.
- To protect the interest of all other stakeholders such as customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

The Bank is committed to:

- Ensuring that the Bank's Board of Directors meets regularly, provides effective leadership and insights in business and functional matters and monitors Bank's performance.
- Establishing a framework of strategic control and continuously reviewing its efficacy.
- Establishing clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting.
- Providing free access to the Board to all relevant information, advices and resources as are necessary to enable it to carry out its role effectively.
- Ensuring that the Chairman has the responsibility for all aspects of executive management and is accountable to the Board for the ultimate performance of the Bank and implementation of the policies laid down by the Board. The role of the Chairman and the Board of Directors are

also guided by the SBI Act, 1955 with all relevant amendments.

- Ensuring that a senior executive is made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board and reports deviations, if any.

The Bank has complied with the provisions of Corporate Governance as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges except where the provisions of Clause 49 are not in conformity with SBI Act, 1955 and the directives issued by RBI/GOI. A report on the implementation of these provisions of Corporate Governance in the Bank is furnished below.

Central Board: Role and Composition

State Bank of India was formed in 1955 by an Act of the Parliament, i.e., The State Bank of India Act, 1955 (Act). A Central Board of Directors was constituted according to the Act.

The Bank's Central Board draws its powers from and carries out its functions in compliance with the provisions of SBI Act & Regulations 1955. Its major roles include, among others,

- Overseeing the risk profile of the Bank;
- Monitoring the integrity of its business and control mechanisms;
- Ensuring expert management and
- Maximising the interests of its stakeholders.

The Central Board is headed by the Chairman, appointed under section 19(a) of SBI Act; four Managing Directors are also appointed members of the Board under section 19(b) of SBI Act. The Chairman and Managing Directors are whole time Directors. As on 31st March 2013, there were eleven other directors on the Board including eminent professionals representing Technology, Accountancy, Finance and Economics. These included representatives of shareholders and staff of the Bank, nominee officials of Govt. of India and Reserve Bank of India and directors nominated by the Govt. of India under Section 19(d) of the State



स्टाफ, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित अधिकारी शामिल हैं। पूर्णकालिक निदेशकों, अध्यक्ष और तीन प्रबंध निदेशकों के अलावा 31 मार्च 2013 को बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार था :

- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (गक) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
- केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (घ) के अंतर्गत नामित तीन निदेशक,

- केंद्र सरकार द्वारा 19 (ड)के अंतर्गत नामित (भारत सरकार का एक अधिकारी) एक निदेशक, और
- केंद्र सरकार द्वारा 19 (च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी) एक निदेशक।

निदेशक बोर्ड का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की तेरह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तिथियाँ और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों की तिथियां तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.: 13

बैठकों की तिथियां : 18.05.2012, 15.06.2012, 22.06.2012, 28.07.2012, 10.08.2012, 08.09.2012, 19.10.2012, 09.11.2012, 20.12.2012, 19.01.2013, 09.02.2013, 14.02.2013, 14.03.2013

श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष और श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक(एनबी) सभी तेरह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्नाक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी)	13	12
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	13	10
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एएण्डएस) (09.10.2012 से प्रभावी)	07	07
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	09	05
श्री एस. वैकटाचलम	13	12
श्री डी. सुंदरम	13	09
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	13	09
श्री थॉमस मैथ्यू (13.01.2013 से प्रभावी)	04	03
श्री ज्योति भूषण महापात्रा	13	12
श्री जी.डी. नडाफ (31.05.2012 तक)	01	01
श्री एस. के. मुखर्जी (04.10.2012 से प्रभावी)	07	05
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	04	04
डॉ. राजीव कुमार (06.08.2012 से प्रभावी)	09	07
श्री दीपक आई. अमिन	13	12
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (24.09.2012 से प्रभावी)	07	04
श्री डी.के. मित्तल (31.01.2013 तक)	10	05
श्री राजीव टकरु (04.02.2013 से प्रभावी)	03	03
डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण (31.12.2012 तक)	09	07
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (06.02.2013 से प्रभावी)	03	02



Bank of India Act, 1955. Apart from the whole time Directors, comprising Chairman and four Managing Directors in office, the composition of the Central Board, as on 31st March 2013, was as under:

- Four directors, elected by the shareholders under Section 19(c),
- One director, nominated by the Central Government under Section 19(ca),
- One director, nominated by the Central Government under Section 19(cb),
- Three directors, nominated by the Central Government under Section 19(d),
- One director (official from the Govt. of India),

nominated by the Central Government under Section 19(e) and

- One director (official from the Reserve Bank of India), nominated by the Central Government under Section 19(f).

The composition of the Board complies with provisions laid down in Clause 49 of the Listing Agreement. There is no inter-se relationship between Directors.

A brief resume of each of the Non-Executive Directors is presented in Annexure I. Particulars of the directorships/memberships held by all the Directors in various Boards/Committees are presented in Annexure II and the details of their shareholding in the Bank are mentioned in Annexure III.

Meetings of the Central Board

The Bank's Central Board meets a minimum of six times a year. During the year 2012-13, **thirteen** Central Board Meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the directors are as under:

Dates & Attendance of Directors at Board Meetings during 2012-13

No. of Meetings held : 13
Dates of the Meetings : 18.05.2012, 15.06.2012, 22.06.2012, 28.07.2012, 10.08.2012, 08.09.2012, 19.10.2012, 09.11.2012, 20.12.2012, 19.01.2013, 09.02.2013, 14.02.2013, 14.03.2013

Shri Pratip Chaudhuri, Chairman and Shri A. Krishna Kumar, MD&GE(NB) attended all the thirteen Meetings.

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination/ election/ during incumbency	No. of Meetings attended
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & Group Executive (IB)	13	12
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer	13	10
Shri S. Vishvanathan, Managing Director & Group Executive (A&S) (w.e.f. 09.10.2012)	07	07
Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.2012)	09	05
Shri S. Venkatachalam	13	12
Shri D. Sundaram	13	09
Shri Parthasarathy Iyengar	13	09
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 13.01.2013)	04	03
Shri Jyoti Bhushan Mohapatra	13	12
Shri G. D. Nadaf (upto 31.05.2012)	01	01
Shri S. K. Mukherjee (w.e.f. 04.10.2012)	07	05
Shri Rashpal Malhotra (upto 09.08.2012)	04	04
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 06.08.2012)	09	07
Shri Deepak I. Amin	13	12
Shri Harichandra Bahadur Singh (w.e.f. 24.09.2012)	07	04
Shri D. K. Mittal (upto 31.01.2013)	10	05
Shri Rajiv Takru (w.e.f. 04.02.2013)	03	03
Dr. Subir V. Gokarn (upto 31.12.2012)	09	07
Dr. Urjit R. Patel (w.e.f. 06.02.2013)	03	02

**वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :**

- भारत के माननीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने दिनांक 09 फरवरी 2013 को केंद्रीय बोर्ड की एक विशेष रूप से बुलाई गई बैठक को संबोधित किया और लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित कंपनी बिल 2012, जिसका उद्देश्य विश्व में प्रवर्तित कानून के समतुल्य कारपोरेट कानून की व्यवस्था स्थापित करना है, पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने निदेशकों की भूमिका के महत्व और विश्वभर के बोर्डों की तरह और अधिक दृढ़ निश्चयी होने पर जोर दिया। उनकी सक्रिय सहभागिता से और अधिक पारदर्शिता और प्रबंधकीय जवाबदारी आ सकती है। उन्होंने खातों की पुनर्संरचना, सभी देशीय क्षेत्रों में देश की प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने की क्षमता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बैंकिंग क्षेत्र में समेकन एवं सहयोगी बैंकों के विलय, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार एवं अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिभाओं को रोककर रखने जैसे मानव संसाधन आदि विषयों पर निदेशकों के साथ बातचीत भी की।
- जैसेकि बैंक केंद्रीय बोर्ड और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों के समक्ष रखे जाने वाली समीक्षाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत है। वर्ष के दौरान गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सक्रिय और सफल प्रयास किए गए जिनसे समीक्षाओं की विषय-वस्तु और संरचना में पर्याप्त सुधार हुआ।
- बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्स्टिट्यूट ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा बैंक को “गोल्डन पिक्कॉक अवार्ड 2012” से सम्मानित किया गया।
- निदेशकों को नवीनतम सूचनाओं से अद्यतन रखने में सुविधा हो इस उद्देश्य से वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पहल की :
 - लेखा-परीक्षा समिति के दो निदेशकों को हैदराबाद स्थित इन्स्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया;
 - सेन्टर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एण्ड लर्निंग द्वारा लेखा समितियों के सदस्यों के लिए मुंबई में आयोजित सम्मेलन के लिए एक निदेशक को प्रतिनियुक्त किया जिससे अपनी भूमिका का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह कर सकें और अभिशासन का स्तर बेहतर हो सकें।
 - एक अन्य निदेशक को नई दिल्ली में स्टान्डिंग कान्फरेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजिस (स्कोप) के कारपोरेट अभिशासन के कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया।

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम

की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है - :

वर्ष 2012-13 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति

आयोजित बैठकों की कुल संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष	52
2	श्री हेमंत जी. कान्टेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	41
3	श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	40
4	श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	43
5	श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (09.10.12 से)	20
6	श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.12 तक)	14
7	श्री एस. वेंकटाचलम	49
8	श्री डी. सुंदरम	28
9	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	07
10	श्री थॉमस मैथ्यू (13.01.13 से)	09
11	श्री ज्योति भूषण महापात्रा	11
12	श्री जी.डी. नडाफ (31.05.12 तक)	03
13	श्री एस.के. मुखर्जी (04.10.12 से)	06
14	डॉ. राजीव कुमार (06.08.12 से)	04
15	श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.12 तक)	07
16	श्री दीपक आई. अमिन	21
17	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (24.09.12 से)	05
18	श्री डी. के. मित्तल, सरकार द्वारा नामित (31.01.13 तक)	-
19	श्री राजीव टकरु, सरकार द्वारा नामित (04.02.13 से)	-
20	डॉ. सुबीर वि. गोकर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31.12.12 तक)	03
21	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (06.02.13 से)	-



Highlights of the year:

- The Hon'ble Finance Minister of India, Shri P Chidambaram addressed a specially convened meeting of the Central Board on 9th February 2013 and shared his thoughts on the Companies Bill 2012, recently passed by the Lok Sabha which seeks to establish a system of Corporate Laws, on par with the laws elsewhere in the world. He stressed upon the importance of the role of the Directors and the fact that Boards world over are becoming more assertive. Their active participation could lead to greater transparency and managerial accountability. He also interacted with the Directors on various issues like Restructuring of Accounts, Use of IT to improve country's competitiveness among all domestic sectors, Consolidation in the Banking space & Merger of Associate Banks, Branch Expansion in Rural Areas & Viability Gap funding and HR issues, including talent retention.
- As the Bank's endeavor towards improvement in the quality of reviews placed before the Central Board and Other Board Level Committees, the Quality Improvement Initiative was actively and successfully pursued during the year resulting in substantial improvements in the content and structure of the Reviews.
- In recognition of the various initiatives taken, the Bank was conferred with the 'Golden Peacock Award 2012' in Corporate Governance by the Institute of Directors on 11th October 2012.
- With the objective of facilitating the Directors remaining updated with the latest developments, the Bank took the following initiatives during the year:
 - (i) Two directors on the Audit Committee of the Board, were deputed to a Programme on IT Governance at the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) at Hyderabad;
 - (ii) One Director was deputed to the Conference organized by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) for Members of Audit Committee to effectively play their role and enhanced governance standards at Mumbai; and
 - (iii) One Director was deputed to a Programme on Corporate Governance at the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) at New Delhi.

Executive Committee of the Central Board

The Executive Committee of the Central Board (ECCB) is constituted in terms of Section 30 of the SBI Act,

1955. The State Bank of India General Regulations (46 & 47) provide that, subject to the general or special directions of the Central Board, ECCB may deal with any matter within the competence of the Central Board. ECCB consists of the Chairman, the Managing Directors, the Director nominated under Section 19(f) of the SBI Act (Reserve Bank of India nominee) and all or any of the other Directors, *who are normally residents or may for the time being be present at any place within India where the meeting is held*. The ECCB meetings are held once every week. The details of attendance of ECCB Meetings during the year 2012-13 are as under:

Attendance of Directors at ECCB Meetings during 2012-13

No. of Meetings held : 52		
S. No.	Directors	No. of meetings attended
1	Shri Pratip Chaudhuri, Chairman	52
2	Shri Hemant G. Contractor, MD&GE (IB)	41
3	Shri Diwakar Gupta, MD&CFO	40
4	Shri A. Krishna Kumar, MD&GE (NB)	43
5	Shri S. Vishvanathan, MD&GE (A&S) (w.e.f. 09.10.12)	20
6	Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.12)	14
7	Shri S. Venkatachalam	49
8	Shri D. Sundaram	28
9	Shri Parthasarathy Iyengar	07
10	Shri Thomas Mathew (w.e.f. 13.01.13)	09
11	Shri Jyoti Bhushan Mohapatra	11
12	Shri G. D. Nadaf (upto 31.05.12)	03
13	Shri S. K. Mukherjee (w.e.f. 04.10.12)	06
14	Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 06.08.12)	04
15	Shri Rashpal Malhotra (upto 09.08.12)	07
16	Shri Deepak I. Amin	21
17	Shri Harichandra Bahadur Singh (w.e.f. 24.09.12)	05
18	Shri D. K. Mittal, Govt. Nominee (upto 31.01.13)	-
19	Shri Rajiv Takru, Govt. Nominee (w.e.f. 04.02.13)	-
20	Dr. Subir V. Gokarn, RBI Nominee (upto 31.12.12)	03
21	Dr. Urjit R. Patel, RBI Nominee (w.e.f. 06.02.13)	-

**अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :**

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों और भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय आठ समितियाँ गठित की हैं जैसे लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति और बोर्ड की पारिश्रमिक समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में सामान्यतः तिमाही अंतराल पर आयोजित होती है ताकि नीतिगत मामलों और/या प्रमुख निष्पादन की समीक्षा की जा सके। इन समितियों द्वारा बैंक के उच्च कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यवृत्त और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 19 जनवरी 2013 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न होने पाए।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने से है। यह समिति बैंक के सांविधिक

लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन;
- घोष और जिलानी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से मासिक रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और विस्तृत (लांग फॉर्म) लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है।

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक “ऑडिट चार्टर” अथवा 9टर्म्स ऑफ रेफरेंस” निर्धारित किया गया है जिसे समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 16.03.2011 को इसमें संशोधन किया गया था।

गठन एवं वर्ष 2012-13 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य होते हैं, इनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संविधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की दस बैठकें आयोजित की गईं।



Other Board Level Committees:

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations, 1955 and Govt./RBI/SEBI guidelines, the Central Board has constituted eight Board Level Committees viz. Audit Committee, Risk Management Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹1 crores and above), Customer Service Committee, IT Strategy Committee, Remuneration Committee & Board Committee to Monitor Recovery. These Committees provide effective professional support in the conduct of Board level business in key areas like Audit & Accounts, Risk Management, resolution of Shareholders'/Investors' grievances, Fraud Review and Control, Review of customer service and redressal of customer grievances, Technology Management, Payment of Incentives to Executive Directors and Oversight on Recovery of Loans and Advances. While the Remuneration Committee approves, once in a year, payment of incentives to wholtime Directors, based on Govt. of India guidelines, the other Committees meet periodically, once in a quarter generally, to deliberate on policy issues and/or review domain performance, as per the calendar of reviews approved by the Central Board. The Committees also call external specialists, besides drawing upon the services of top executives from the Bank, as and when needed. The minutes and proceedings containing brief reports on the discussions held at the meetings of the Committees are placed before the Central Board.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted on 27th July 1994 and last re-constituted on the 19th January 2013. The ACB functions as per RBI guidelines and complies with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement to the extent that they do not violate the directives/guidelines issued by RBI.

Functions of ACB

(a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and

follow-up on the statutory/external audit, compliance of RBI inspection. It also appoints Statutory Auditors of the Bank and review their performance from time to time.

- (b) ACB reviews the Bank's financial, Risk Management, IS Audit Policies and Accounting Policies/Systems of the Bank to ensure greater transparency.
- (c) ACB reviews the internal inspection/audit plan and functions in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It also, especially, focuses on the follow up of :
 - KYC-AML guidelines;
 - Major areas of housekeeping;
 - Compliance of Clause 49 and other guidelines issued by SEBI from time to time;
 - Status of implementation of Ghosh and Jilani Committee recommendations.
- (d) It obtains and reviews reports from the Compliance Department in the Bank.
- (e) ACB follows up on all the issues raised in RBI's Annual Financial Inspection Reports under Section 35 of Banking Regulation Act, 1949 and Long Form Audit Reports of the Statutory Auditors and other Internal Audit Reports. It interacts with the external auditors before the finalisation of the annual/quarterly financial accounts and reports.

A formal 'Audit Charter' or 'Terms of Reference' laid down by the Central Board is in place and updated periodically, the last revision effected from 16th March 2011.

Composition & Attendance during 2012-13

The ACB has eight members of the Board of Directors, including two whole time Directors, two official Directors (nominees of GOI and RBI) and four non-official non-executive Directors. Meetings of the ACB are chaired by a Non-Executive Director. The constitution and quorum requirements, as per RBI guidelines, are complied with meticulously. During the year, ten meetings of ACB were held to review the various matters connected with the internal control, systems and procedures and other aspects as required in terms of RBI guidelines.

**वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति**

आयोजित बैठकों की सं.: 10

बैठकों की तारीखें: 17.05.2012, 09.06.2012, 28.07.2012, 09.08.2012, 07.09.2012, 08.11.2012, 30.11.2012, 26.12.2012, 13.02.2013, 23.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी कान्हेकर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	10	09
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	10	07
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (वैकल्पिक सदस्य)	-	04
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.12 तक)	08	07
श्री एस. वेंकटाचलम (19.01.13 से)	02	02
श्री डी. सुंदरम	10	09
श्री पार्थसारथी अय्यंगार (18.01.13 तक)	08	03
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.13 से)	02	02
डॉ. राजीव कुमार (19.01.13 से)	02	01
श्री दीपक आई. अमिन (08.09.12 से 18.01.13 तक)	03	02
श्री डी. के. मित्तल (31.01.13 तक)	08	-
श्री राजीव टकरु (04.02.13 से)	02	-
डॉ. सुबीर वी. गोकर्ण (31.12.12 तक)	08	04
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (06.02.13 से)	02	01

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन संबंधी नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई जिसमें सात सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक और वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 31.05.2012, 13.08.2012, 07.09.2012, 07.12.2012, 08.02.2013, 27.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्हेकर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	06	06
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	06	05
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग), वैकल्पिक सदस्य	-	01
श्री एस. वेंकटाचलम	06	06
श्री डी. सुंदरम	06	04
श्री पार्थसारथी अय्यंगार, (18.01.13 तक)	04	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.13 से)	02	02
डॉ. राजीव कुमार (08.09.12 से)	03	01
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.12 से)	03	02



Dates of Meetings of ACB held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held : 10

Dates of the Meetings : 17.05.2012, 09.06.2012, 28.07.2012, 09.08.2012, 07.09.2012, 08.11.2012, 30.11.2012, 26.12.2012, 13.02.2013, 23.02.2013

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of Meetings attended
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	10	09
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE (NB)	10	07
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (Alternate Member)	-	04
Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.12)	08	07
Shri S. Venkatachalam (w.e.f. 19.01.13)	02	02
Shri D. Sundaram	10	09
Shri Parthasarathy Iyengar (upto 18.01.13)	08	03
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 19.01.13)	02	02
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 19.01.13)	02	01
Shri Deepak I. Amin (from 08.09.12 to 18.01.13)	03	02
Shri D. K. Mittal (upto 31.01.13)	08	-
Shri Rajiv Takru (w.e.f. 04.02.13)	02	-
Dr. Subir V. Gokarn (upto 31.12.12)	08	04
Dr. Urjit R. Patel (w.e.f. 06.02.13)	02	01

Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board (**RMCB**) was constituted on the 23rd March 2004, to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee was last reconstituted on the 19th January 2013 and has, seven members. The Senior Managing Director is the Chairman of the Committee. RMCB meets a minimum of four times a year, once in each quarter. During 2012-13, six meetings of the RMCB were held.

Dates of Meetings of RMCB held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held : 6

Dates of the Meetings : 31.05.2012, 13.08.2012, 07.09.2012, 07.12.2012, 08.02.2013, 27.02.2013

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of Meetings attended
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	06	06
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO	06	05
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & Group Executive (NB) (Alternate Member)	-	01
Shri S. Venkatachalam	06	06
Shri D. Sundaram	06	04
Shri Parthasarathy Iyengar (upto 18.01.13)	04	01
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 19.01.13)	02	02
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.12)	03	01
Shri Deepak I. Amin (w.e.f. 08.09.12)	03	02

**बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति**

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) का 30 जनवरी 2001 को गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई थी जिसमें छह सदस्य हैं और इसकी बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2012-13 के दौरान चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2012-13 के दौरान शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकोक की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 08.02.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्हेकर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)	04	04
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (19.12.12 तक)	03	03
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)(20.12.2012 से)	01	04
श्री एस. वेंकटाचलम	04	01
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	03	-
श्री पार्थसारथी अय्यंगर, (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	02
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	-
डॉ. राजीव कुमार (08.09.2012 से)	02	01
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	01	01

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) : 262

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया : निरंक

लंबित शिकायतों की संख्या : निरंक

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री टी.कृष्णस्वामी, महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों वाली धोखाधड़ियों (₹ 1 करोड़ तथा अधिक) की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का 29 मार्च 2004 को गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निराकरण उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति को पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित किया गया जिसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की पांच बैठकें हुईं।



Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board

In pursuance of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board (**SIGCB**) was formed on the 30th January 2001, to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of interest on bonds/declared dividends, etc. The Committee was last reconstituted on the 19th January 2013 and has six members and is chaired by a Non-Executive Director. The Committee met four times during 2012-13 and reviewed the position of complaints.

Dates of Meetings of SIGCB held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 08.02.2013

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of Meetings attended
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB)	04	04
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO (upto 19.12.12)	03	03
Shri S. Vishvanathan, Managing Director & Group Executive (A&S) (w.e.f. 20.12.12)	01	01
Shri S.Venkatachalam	04	04
Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.12)	03	01
Shri Parthasarathy Iyengar (w.e.f. 08.09.12 and upto 18.01.13)	01	-
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 19.01.13)	01	01
Shri Rashpal Malhotra (upto 09.08.12)	02	02
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.12)	02	-
Shri Harichandra Bahadur Singh (w.e.f. 19.01.13)	01	01

Number of shareholders' complaints received so far (during the year) : 262

Number not solved to the satisfaction of shareholders : NIL

Number of Pending Complaints : NIL

Name and designation of Compliance officer : Shri T. S. Krishnaswamy, GM (Compliance)

Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds (₹1 crore and above)

The Special Committee of the Board for monitoring of Large Value Frauds (₹1 crore and above) (**SCBMF**) was constituted on the 29th March 2004. The major functions of the Committee are to monitor and review all large value frauds with a view to identifying systemic lacunae, if any, reasons for delay in detection and reporting, if any, monitoring progress of CBI/Police investigation, recovery position, ensuring that staff accountability exercise is completed quickly, reviewing the efficacy of remedial action taken to prevent recurrence of frauds and putting in place suitable preventive measures. The Committee was last reconstituted on the 19th January 2013 and has, eight members. The Senior Managing Director on the Committee is the Chairman. The Committee met five times during 2012-13.



वर्ष 2012-13 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तिथियाँ : 12.04.2012, 21.06.2012, 31.08.2012, 12.12.2012, 30.01.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	05	04
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (19.12.2012 तक)	04	04
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सह. एवं अनु.) (20.12.12 से)	01	01
श्री हेमंत जी. कान्हेकर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	04	03
श्री एस. वेंकटाचलम	05	05
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	05	--
श्री थामस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	01
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	02
डा. राजीव कुमार (08.09.2012 से)	02	--
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.2012 से)	02	02
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	03	01

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर एवं उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था। यह समिति पिछली बार 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई और इसमें सात सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 30.01.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	04	04
श्री हेमंत जी. कान्हेकर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (19.12.2012 तक)	03	03
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (20.12.2012 तक)	01	01
श्री एस. वेंकटाचलम	04	04
श्री दिलीप सी. चौकसी (31.12.2012 तक)	03	-
श्री डी. सुंदरम (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	01
श्री थॉमस मैथ्यू (19.01.2013 से)	01	01
श्री ज्योति भूषण महापात्र (08.09.2012 से)	02	01
श्री जी. डी. नडाफ (31.05.2012 तक)	01	01
श्री एस. के. मुखर्जी (20.12.2012 से)	01	01
श्री रशपाल मल्होत्रा (09.08.2012 तक)	02	02
डॉ राजीव कुमार (08.09.2012 से 18.01.2013 तक)	01	-
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह (19.01.2013 से)	01	01



Dates of Meetings of SCBMF held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held : 5

Dates of the Meetings : 12.04.2012, 21.06.2012, 31.08.2012, 12.12.2012, 30.01.2013

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of Meetings attended
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO	05	04
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB) (upto 19.12.12)	04	04
Shri S. Vishvanathan, Managing Director & GE(A&S) (w.e.f. 20.12.12)	01	01
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & Group Executive (IB) (Alternate Member)	-	01
Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.12)	04	03
Shri S. Venkatachalam	05	05
Shri Parthasarathy Iyengar	05	-
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 19.01.13)	01	01
Shri Rashpal Malhotra (upto 09.08.12)	02	02
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.12)	02	-
Shri Deepak I. Amin (w.e.f. 08.09.12)	02	02
Shri Harichandra Bahadur Singh(w.e.f. 19.01.13)	01	01

Customer Service Committee of the Board

The Customer Service Committee of the Board (**CSCB**) was constituted on the 26th August 2004, to bring about ongoing improvements on a continuous basis in the quality of customer service provided by the Bank. The Committee was last reconstituted on the 19th January 2013 and has seven members. The Senior Managing Director on the Committee is the Chairman. During the year 2012-13, four meetings of the Committee were held.

Dates of Meetings of CSCB held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held : 4

Dates of the Meetings : 30.04.2012, 27.07.2012, 30.11.2012, 30.01.2013

Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of meetings Attended
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB)	04	04
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE(IB) (upto 19.12.12)	03	03
Shri S. Vishvanathan, Managing Director & GE(A&S) (w.e.f. 20.12.12)	01	01
Shri S. Venkatachalam	04	04
Shri Dileep C. Choksi (upto 31.12.12)	03	-
Shri D. Sundaram (w.e.f. 08.09.12 and upto 18.01.13)	01	01
Shri Thomas Mathew (w.e.f. 19.01.13)	01	01
Shri Jyoti Bhushan Mohapatra (w.e.f. 08.09.12)	02	01
Shri G. D. Nadaf (upto 31.05.12)	01	01
Shri S. K. Mukherjee (w.e.f. 20.12.12)	01	01
Shri Rashpal Malhotra (upto 09.08.12))	02	02
Dr. Rajiv Kumar (w.e.f. 08.09.12 and upto 18.01.13)	01	-
Shri Harichandra Bahadur Singh (w.e.f. 19.01.13)	01	01

**बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति**

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति गठित की गई। समिति ने बैंक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) कर दिया गया। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका निभाई है। समिति को निम्नांकित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

- 1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक कारगर कार्यनीतिक आयोजना प्रणाली अपनाई है।
- 2) यह सुनिश्चित करना है कि संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा के अनुरूप है।
- 3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश, जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य हों।
- 4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों पर प्रबंधन द्वारा निगरानी करने की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जानेवाली कुल निधियों की निगरानी करना; और
- 5) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन आकलन और व्यवसाय में योगदान (अर्थात् वचनबद्ध मूल्य प्रदान करने) की समीक्षा करना।

यह समिति 19 जनवरी 2013 को पुनर्गठित की गई। समिति के छह सदस्य हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की छह बैठकें हुईं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैठकों की तिथियाँ तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 6

बैठकों की तिथियाँ : 28.06.2012, 13.08.2012, 23.11.2012, 15.12.2012, 19.01.2013, 26.03.2013

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ उन बैठकों की अवधि के दौरान आयोजित संख्या जिनमें	बैठकों की संख्या उपस्थित थे
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	06	03
श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	06	05
श्री हेमंत जी. कान्द्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग) (वैकल्पिक सदस्य)	--	02
श्री डी. सुंदरम	06	06
श्री एस. वेंकटाचलम	06	06
श्री पार्थसारथी अय्यंगार	06	04
श्री दीपक आई. अमीन (08.09.2012 से)	04	02

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 19 जनवरी 2013 को किया गया था। इस समिति के चार सदस्य हैं जिसमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य निदेशक श्री एस. वेंकटाचलम एवं श्री डी. सुंदरम सम्मिलित हैं। इस समिति द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशियों की जांच-पड़ताल तथा उनका भुगतान करने की संस्तुति की गई।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सूचनाओं के अनुसार, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए 20 दिसंबर 2012 की आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। बोर्ड में छह सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामित निदेशक शामिल हैं। इस समिति की बैठक 14 मार्च 2013 को हुई और इसमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक शीर्ष 20 अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

बोर्ड की नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड द्वारा, शेरधारकों द्वारा निदेशकों के चयन हेतु नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के चयन में चतुष्टय सावधानी बपतने और उनकी उपयुक्तता एवं सही स्थिति ज्ञात करने हेतु 20 दिसंबर 2012 को आयोजित शेरधारकों की साधारण सभा में स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित की गई। इस नामांकन समिति की बैठक 12 जनवरी 2013 को आयोजित की गई और इसने तदनुसार उम्मीदवारों की “उपयुक्तता एवं सही” स्थिति घोषित की।



IT Strategy Committee of the Board

With a view to tracking the progress of the Bank's IT initiatives, the Bank's Central Board constituted a Technology Committee of the Board on 26th August 2004. The Technology Committee has been renamed as IT Strategy Committee of the Board (**ITSC**) w.e.f. 24th October 2011. The Committee has played a strategic role in the Bank's technology domain. The Committee is entrusted with the following roles and responsibilities :

- (i) approving IT strategy and policy documents, ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place;
- (ii) ensuring that the IT Organisational structure complements the business model and its direction ;
- (iii) ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable;
- (iv) evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks and overseeing the aggregate funding of IT at the Bank level and
- (v) reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e. delivering the promised value).

The Committee was last reconstituted on the 19th January 2013 with six members and is chaired by a Non-Executive Director. The Committee met six times during 2012-13.

Dates of Meetings of ITSC held & Attendance of Directors during 2012-13

No. of Meetings held	: 6	
Dates of the Meetings	: 28.06.2012, 13.08.2012, 23.11.2012, 15.12.2012, 19.01.2013, 26.03.2013	
Name of the Director	No. of Meetings held after nomination / election / during tenure	No. of Meetings attended
Shri Diwakar Gupta, Managing Director & CFO	06	03
Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & GE(NB)	06	05
Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & GE (IB) (Alternate Member)	-	02
Shri D. Sundaram	06	06
Shri S. Venkatachalam	06	06
Shri Parthasarathy Iyengar	06	04
Shri Deepak I. Amin (w.e.f. 08.09.12)	04	02

Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee was constituted on 22nd March 2007, for evaluating the performance of Whole Time Directors of the Bank in connection with the payment of incentives, as per the scheme advised by Government of India in March 2007. The Committee was last reconstituted on 19th January 2013. The Committee has four members consisting of (i) the Government Nominee Director, (ii) the RBI Nominee Director and (iii) two other Directors – Shri S. Venkatachalam and Shri D. Sundaram. The Committee scrutinised and recommended payment of incentives to whole time Directors for the year ended 31.3.2012.

Board Committee to Monitor Recovery

In terms of Govt. of India advices, a Board Committee to Monitor Recovery was constituted by the Central Board at its meeting held on 20th December 2012 for oversight on Recovery of Loans and Advances. The Committee has six members consisting of Chairman, four Managing Directors and the Govt. Nominee Director. The Committee met on 14th March 2013 and reviewed the NPA management and top twenty NPA accounts of the Bank.

Nomination Committee of the Board

In terms of RBI guidelines, a Nomination Committee of independent Directors was constituted by the Central Board at its meeting held on 20th December 2012 to carry out necessary due diligence and arrive at the 'fit and proper' status of candidates filing nominations for election as Directors by shareholders. The Nomination Committee met on 12th January 2013 and declared the 'fit and proper' status of candidates accordingly.



स्थानीय बोर्ड

प्रत्येक केन्द्र में जहाँ पर बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर बैंक का एक स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ), स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2013 को नौ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ और अन्य पाँच स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार बैठक फीस अदा की जाती है। तथापि गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। हाल में केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए ₹ 10,000/- और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए ₹ 5,000/- बैठक फीस दी जाती है। तथापि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा नामित निदेशकों को बैठक फीस नहीं दी जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान अदा की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-छ में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-६ में है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वर्ष 2012-13 में संदत्त वेतन व भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी (01/04/2012 से 31/03/2013)	9,60,000/-	7,41,600/-	6,00,000/-	निरंक	23,01,600/-
प्रबंध निदेशक श्री हेमंत जी. कान्हेकर (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री दिवाकर गुप्ता (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री ए. कृष्ण कुमार (01/04/2012 से 31/03/2013 तक)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	निरंक	21,52,159/-
श्री एस. विश्वनाथन (09/10/2012 से 31/03/2013 तक)	4,33,516/-	3,12,131/-	निरंक	निरंक	7,45,647/-

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 की वार्षिक महासभा 22 जून 2012 को आयोजित की गई जिसमें 09 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं श्री प्रतीप चौधरी, श्री हेमंत जी. कान्हेकर, श्री दिवाकर गुप्ता, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री एस. विश्वनाथन, श्री डी. सुंदरम, श्री पार्थसारथी अय्यंगार, श्री ए. वेंकटाचलम, श्री थोमस मैथ्यु, श्री ज्योति भूषण महापात्र, श्री एस. के. मुखर्जी, डॉ. राजीव कुमार, श्री दीपक अमिन, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, श्री राजीव टकरू और श्री डॉ. ऊर्जित आर पटेल। बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2010-11 की वार्षिक महासभा 20 जून 2011 को, वर्ष 2009-10 की 16 जून 2010 को आयोजित की गई। ये सभी सभाएं, मुंबई में आयोजित की गईं और इसके अलावा पूर्व में आयोजित 3 बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बृहत्तर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का विगत तीन वर्षों के दौरान पालन किया गया है। इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसल ब्लोअर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक की स्टेट बैंक टाइम्स पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा नियमों के उल्लंघन में कर्मचारियों के किसी अनैतिक कृत्य व व्यवहार की सूचना दी जा सके। इसमें विसल ब्लोअर के हित/पहचान को संरक्षण देने का भी प्रावधान है।



Local Boards

In terms of the provisions of SBI Act and General Regulations 1955, at every centre where the Bank has a Local Head Office (LHO), Local Boards/Committees of Local Boards are functional. The Local Boards exercise such powers and perform such other functions and duties delegated to them by the Central Board. As on 31st March 2013, Local Boards at nine LHOs and Committees of the Local Boards at the remaining five LHOs were functional. The minutes and proceedings of the meetings of Local Boards/Committees of Local Boards are placed before the Central Board.

Sitting Fees

The remuneration of the whole-time Directors and the Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors for attending the meetings of the Board/Committees of the Board are as prescribed by GOI from time to time. No remuneration, other than the Sitting Fees for attending Board and/or its Committee meetings, is paid to Non Executive Directors. At present, Sitting Fees of ₹10,000/- is paid for attending the meetings of the Central Board and ₹5,000/- for attending the meetings of Other Board level Committees. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Directors of the Bank and GOI Nominee/RBI Nominee Directors. Details of Sitting fees paid during the year 2012-13 are placed in Annexure-IV.

Compliance with Bank's Code of Conduct

The Directors on the Bank's Central Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2012-13. Declaration to this effect signed by the Chairman is placed in Annexure-V. The Code is posted on the Bank's website.

Salary and Allowances paid to the Chairman and Managing Directors in 2012-13

Name	Basic	DA	Incentives	Other Arrears	Total Remuneration
Chairman Shri. Pratip Chaudhuri (01/04/2012 to 31/03/2013)	9,60,000/-	7,41,600/-	6,00,000/-	Nil	23,01,600/-
Managing Directors Shri. Hemant G. Contractor (01/04/2012 to 31/03/2013)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	Nil	21,52,159/-
Shri. Diwakar Gupta (01/04/2012 to 31/03/2013)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	Nil	21,52,159/-
Shri. A. Krishna Kumar (01/04/2012 to 31/03/2013)	9,33,180/-	7,18,979/-	5,00,000/-	Nil	21,52,159/-
Shri. S. Vishvanathan (09/10/2012 to 31/03/2013)	4,33,516/-	3,12,131/-	Nil	Nil	7,45,647/-

Attendance at the Annual General Meeting

The last Annual General Meeting (AGM) for the year 2011-12, held on the 22nd June 2012, was attended by 9 directors, viz., Shri Pratip Chaudhuri, Shri Hemant G. Contractor, Shri Diwakar Gupta, Shri A. Krishna Kumar, Shri D. Sundaram, Shri Dileep C. Choksi, Shri S. Venkatachalam, Shri Rashpal Malhotra and Shri Jyoti Bhushan Mohapatra. AGM (2010-11) was held on 20th June, 2011 and AGM (2009-10) was held on 16th June 2010. All 3 AGMs were held in Mumbai and no Special resolutions were passed in the previous 3 AGMs.

Disclosure:

The Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters, Directors, or Management, their subsidiaries or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by stock exchanges, SEBI, RBI or any other statutory authority relating to the capital markets during the last three years. No penalties or strictures have been imposed by them on the Bank.

A Whistle Blower Policy has been put in place and displayed on "State Bank Times" for reporting any unethical practices or behaviour by employees in violation of their service rules, with a provision for protection of interest / identity of the whistleblower.



बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है बशर्ते की खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्राधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों या निर्देशों का अतिक्रमण नहीं कर रही हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान है।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2012-13 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का ब्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना :

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा : दिनांक 21.06.2013, समय 3.00 बजे अपराह्न, स्थान : “वाई बी चहवाण सेंटर” जनरल जगन्नाथ भोसले, मार्ग नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

वित्तीय कलेंडर	: 01.04.2012 से 31.03.2013
बहीबंदी की तिथि	: 30.05.2013 से 03.06.2013
लाभांश	: ₹ 41.50 प्रति शेयर
लाभांश भुगतान की तिथि	: 17.06.2013
शेयर बाजारों में सूचीकरण	: भारतीय स्टेट बैंक के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी किया जा रहा है। मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई. जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	: स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	: शेयर हस्तांतरण की कार्रवाई कागज पर की जाती है तथा निर्धारित समयावधि में इसे शेयरधारक को लौटा दिया जाता है। एक स्वतंत्र निजी कंपनी सचिव द्वारा सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक हस्तांतरण लेखा परीक्षा तथा मिलान किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट तथा उनके नाम	: मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई- 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	: 022-6671 2151 to 56 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
सीधी लाइनें	: 022-6671 2198, 022-667121 99, 022-6671 2201 to 6671 2203
ई-मेल पता	: sbi_eq@dfssl.com
पत्रव्यवहार के लिए पता	: भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, 14 वी मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलीफोन	: (022) 22740841 से 22740848
फैक्स	: (022) 22855348
ई-मेल पता	: gm.snb@sbi.co.in



The Bank has complied in all respects with the requirements of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of State Bank of India Act 1955, the Rules and Regulations made thereunder and guidelines or directives issued by the Reserve Bank of India.

Mandatory requirements of Clause 49 as to the composition of the Board of Directors, composition and quorum of the Audit Committee, Non-executive Directors' compensation, the appointment, re-appointment of the Statutory Auditors and fixation of their fees are not binding on the Bank, as separate provisions in the State Bank of India Act, SBI General Regulations and the Reserve Bank of India guidelines deal with the same.

The Bank has complied with all applicable non-mandatory requirements of Clause 49, except for sending half-yearly declaration of financial performance and summary of significant events to the households of shareholders, since detailed information on the same is posted on the website of the Bank.

Means of Communication

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2012-13 were published in the leading newspapers of the country. The results were also displayed on the Bank's website (www.sbi.co.in and www.statebankofindia.com). The Annual Report is sent to all shareholders of the Bank. The Bank's website displays, inter alia, official news releases of the Bank, the Bank's Annual Report and Half-yearly report and details of various product offerings. Every year, after the annual and half-yearly results are declared, a Press-meet is held on the same day, in which the Chairman makes a presentation and answers the queries of the media. This is followed by another meeting to which a number of investment analysts are invited. Details of the Bank's performance are discussed with the analysts in the meeting. After declaring quarterly results, press notifications are issued

General Shareholder Information:

The Annual General Meeting of the Shareholders: Date:21.06.2013, Time 3.00 p.m. Venue: "Y. B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021.

Financial Calendar	: 01.04.2012 to 31.03.2013
Period of Book Closure	: 30.05.2013 to 03.06.2013
Dividend	: ₹ 41.50 per Share
Payment Date	: 17.06.2013
Electronic Clearing	: Dividend on SBI shares is also being paid through various electronic modes
Listing on Stock Exchanges	: Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, New Delhi, Chennai and National Stock Exchange, Mumbai. GDRs listed on London Stock Exchange (LSE). Listing fees have been paid upto date to all Stock Exchanges including LSE.
Stock Code/CUSIP	: Stock Code 500112 (BSE) SBIN (NSE) CUSIP US 856552203 (LSE)
Share Transfer System	: Share transfers in Physical form are processed and returned to the shareholders within stipulated time. Quarterly Share Transfer Audit and Reconciliation of Share Capital Audit in terms of the Listing Agreements are regularly carried out by an independent Company Secretary.
Registrar and Transfer Agent and their Unit Address	: M/s Datamatics Financial Services Limited State Bank of India, Plot B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Board Phone Numbers	: 022-6671 2151 to 56 (between 10 a.m. to 1.00 p.m. and 2 p.m. to 4.30 p.m.)
Direct Numbers	: 022-6671 2198, 022-667121 99, 022-6671 2201 to 6671 2203
E-mail address	: sbi_eq@dfssl.com,
Fax	: (022) 6671 2204
Address for Correspondence	: State Bank of India Shares & Bonds Department, Corporate Centre, 14 th Floor, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Telephones	: (022) 22740841 To 22740848
Fax	: (022) 22855348
E-mail address	: gm.snb@sbi.co.in




बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु उल्टी प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीआर/जीडीआर के दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने बैंक के जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति है।

बैंक के पास 31.03.2013 को 82,60,763 जीडीआर से संबंधित 1,65,21,526 शेयर थे।

मास	एसबीआई (जीडीआर) एलएसई (\$)		जीडीआर बकाया (सं.)
	उच्च	निम्न	
अप्रैल-12	89.05	80.50	84,68,749
मई-12	81.90	67.90	83,09,433
जून-12	79.65	72.30	82,74,643
जुलाई-12	84.00	77.30	82,66,863
अगस्त-12	81.30	69.20	82,66,863
सितंबर-12	86.15	69.90	82,66,863
अक्टूबर-12	91.80	81.40	82,66,863
नवंबर-12	83.00	77.25	82,66,863
दिसंबर-12	90.00	82.20	82,61,263
जनवरी-13	96.00	90.70	82,61,263
फरवरी-13	93.50	83.75	82,60,763
मार्च-13	88.00	81.40	82,60,763



शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन और चलनिधि - 31-03-2013 को

रूप	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	फोलियो संख्या	कुल फोलियो का %
कागज रूप में	1,04,08,469	1.52	2,05,913	25.52
कागज रहित	67,36,25,502	98.48	6,00,808	74.48
कुल	68,40,33,971	100.00	8,06,721	100.00

प्रति शेयर बही मूल्य : ₹ 1,394.79

आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए): ₹ 7,275 करोड़

दावारहित शेयर :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दावारहित उच्चत खते में पड़े बकाया शेयर और शेयरधारकों की संख्या का औसत	1,083	25,881
वर्ष के दौरान दावारहित उच्चत खते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता का संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	19	589
वर्ष के दौरान दावारहित उच्चत खते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	19	589
वर्ष के अंत में दावारहित उच्चत खते में पड़े बकाया शेयरों और औसत शेयरधारकों की संख्या	1,064	25,292

लाभांश निष्पादन : भारतीय स्टेट बैंक पिछले कई वर्षों से अपने शेयरधारकों को निरंतर वृद्धिशील लाभांश भुगतान करता आ रहा है।




Outstanding Global Depository Receipts (GDR)

At the time of issue of GDRs in 1996, two-way fungibility was not permitted by the Government/RBI, i.e. if the holder of GDR desired to obtain the underlying equity shares of the Indian Company then such GDR was to be converted into shares of the Indian Company, but not vice versa. Later, two-way fungibility of ADRs/GDRs was permitted by the Government of India/RBI. The Bank has permitted two-way fungibility to the Bank's GDR programme.

The Bank had 82,60,763 GDRs as on 31.03.2013 representing 1,65,21,526 shares.

Months	SBI's (GDR) at LSE (\$)		GDRs Outstanding (Nos.)
	High	Low	
Apr-12	89.05	80.50	84,68,749
May-12	81.90	67.90	83,09,433
Jun-12	79.65	72.30	82,74,643
Jul-12	84.00	77.30	82,66,863
Aug-12	81.30	69.20	82,66,863
Sep-12	86.15	69.90	82,66,863
Oct-12	91.80	81.40	82,66,863
Nov-12	83.00	77.25	82,66,863
Dec-12	90.00	82.20	82,61,263
Jan-13	96.00	90.70	82,61,263
Feb-13	93.50	83.75	82,60,763
Mar-13	88.00	81.40	82,60,763



Dematerialization of Shares and Liquidity – As on 31-03-2013

Mode	No. of Shares	% of Total Shares	Folio Nos.	% of Total Folios
Physical	1,04,08,469	1.52	2,05,913	25.52
Demat	67,36,25,502	98.48	6,00,808	74.48
Total	68,40,33,971	100.00	8,06,721	100.00

Book Value per Share: ₹1,394.79

Economic Value added (EVA): ₹7,275 crores

Unclaimed Shares:

Particulars	No of shareholders	Outstanding shares
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	1,083	25,881
Number of shareholders, who approached the Issuer for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during of the year	19	589
Number of shareholders, to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during of the year	19	589
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1,064	25,292

Dividend History: SBI has the distinction of making uninterrupted dividend payment to the shareholders at an increasing rate for the last so many years.



ई-पहल : कारपोरेट अभिशासन में 9ग्रीन प्रयासों“ पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं जिनके ई-मेल पते उपलब्ध है।

निवेशक सेवा :

निवेशकों की शेयरधारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक के कारपोरेट केंद्र में एक पूर्ण व्यवस्थित विभाग शेयर एवं बांड विभाग - और 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	एसबीआई शेयर का भाव बीएसई (₹) में		बीएसई सेंसेक्स	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-12	2347.00	2090.20	17664.10	17010.16
मई-12	2167.40	1804.50	17432.33	15809.71
जून-12	2241.95	1975.00	17448.48	15748.98
जुलाई-12	2251.50	1931.00	17631.19	16598.48
अगस्त-12	2089.00	1816.20	17972.54	17026.97
सितंबर-12	2278.00	1828.25	18869.94	17250.80
अक्तूबर-12	2363.60	2058.05	19137.29	18393.42
नवंबर-12	2269.00	2044.00	19372.70	18255.69
दिसंबर-12	2407.65	2171.00	19612.18	19149.03
जनवरी-13	2550.00	2397.50	20203.66	19508.93
फरवरी-13	2451.65	2055.60	19966.69	18793.97
मार्च-13	2272.50	2025.40	19754.66	18568.43



में शेयर एवं बांड कक्ष है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे बैंक कार्यालयों को या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को मिली हो, तुरंत ध्यान देकर उनका समाधान किया जाता है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव :

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स / एनएसई निफ्टी निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक के शेयरों का 28.03.2013 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 4.10% और एनएसई निफ्टी में 3.31% था।

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बाजार बंद होने के समय मूल्य)

मास	स्टेट बैंक के शेयर का भाव एनएसई (₹)		एनएसई निफ्टी	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-12	2349.70	2090.05	5378.75	5154.30
मई-12	2168.90	1802.30	5279.60	4788.95
जून-12	2244.00	1974.05	5286.25	4770.35
जुलाई-12	2252.55	1931.50	5348.55	5032.40
अगस्त-12	2088.95	1815.15	5448.60	5164.65
सितंबर-12	2278.00	1827.00	5735.15	5215.70
अक्तूबर-12	2362.55	2010.30	5815.35	4888.20
नवंबर-12	2269.35	2041.00	5885.25	5548.35
दिसंबर-12	2408.15	2173.50	5965.15	5823.15
जनवरी-13	2551.70	2397.55	6111.80	5935.20
फरवरी-13	2452.10	2051.00	6052.95	5671.90
मार्च-13	2273.80	2027.10	5971.20	5604.85





E-Initiative: In accordance with SEBI guidelines on Green initiative in the Corporate Governance, we are issuing Annual Report in electronic form to those shareholders whose e-mail addresses are available.

Investors' Care:

To meet various requirements of the investors regarding their holdings, the Bank has a full-fledged Department - Shares & Bonds Department - at Mumbai and Shares & Bonds Cells at the 14 Local Head Offices. The investors' grievances, whether received

at the Banks offices or at the office of the Registrar and Transfer Agents, are redressed expeditiously and monitored at the Top Management level.

Share Price Movement:



The movement of the share price and the BSE Sensex / NSE Nifty is presented in the following Tables. The market capitalisation of the Bank's shares had a weightage of 2.23% in BSE Sensex and 3.46% in NSE Nifty as on 28.03.2013.

Table: Market Price Data (Closing Values)

Months	SBI's Share Price at BSE (₹)		BSE Sensex	
	High	Low	High	Low
Apr-12	2347.00	2090.20	17664.10	17010.16
May-12	2167.40	1804.50	17432.33	15809.71
Jun-12	2241.95	1975.00	17448.48	15748.98
Jul-12	2251.50	1931.00	17631.19	16598.48
Aug-12	2089.00	1816.20	17972.54	17026.97
Sep-12	2278.00	1828.25	18869.94	17250.80
Oct-12	2363.60	2058.05	19137.29	18393.42
Nov-12	2269.00	2044.00	19372.70	18255.69
Dec-12	2407.65	2171.00	19612.18	19149.03
Jan-13	2550.00	2397.50	20203.66	19508.93
Feb-13	2451.65	2055.60	19966.69	18793.97
Mar-13	2272.50	2025.40	19754.66	18568.43

Table: Market Price Data (Closing Values)


Months	SBI's Share Price at NSE (₹)		NSE Nifty	
	High	Low	High	Low
Apr-12	2349.70	2090.05	5378.75	5154.30
May-12	2168.90	1802.30	5279.60	4788.95
Jun-12	2244.00	1974.05	5286.25	4770.35
Jul-12	2252.55	1931.50	5348.55	5032.40
Aug-12	2088.95	1815.15	5448.60	5164.65
Sep-12	2278.00	1827.00	5735.15	5215.70
Oct-12	2362.55	2010.30	5815.35	4888.20
Nov-12	2269.35	2041.00	5885.25	5548.35
Dec-12	2408.15	2173.50	5965.15	5823.15
Jan-13	2551.70	2397.55	6111.80	5935.20
Feb-13	2452.10	2051.00	6052.95	5671.90
Mar-13	2273.80	2027.10	5971.20	5604.85





31.03.2013 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	62.31
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कारपोरेट निकाय/ अनिवासी भारतीय/ वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	13.32
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	4.85
4	निजी कारपोरेट निकाय	2.72
5	बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ बीमा कंपनियाँ आदि	10.96
6	अन्य निवासी व्यक्तियों सहित	5.84
	कुल	100.00




बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	62.313
2	भारतीय जीवन बीमा निगम एवं समूह	9.986
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क (हमारे जीडीआर की डिपोजिटरी के रूप में)	2.415
4	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.700
5	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - टॉप 200 फंड	0.642
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी ईक्विटी फंड	0.632
7	कॉप्टहॉल मोरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.567
8	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एसएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड मॉरिशस लि. (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.487
9	भारतीय साधारण बीमा निगम	0.457
10	वानगार्ड इमर्जिंग मार्केटस स्टॉक इंडेक्स (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.393



Distribution of Shareholding as on 31.03.2013

Sr. No.	Description	% to Total
1	PRESIDENT OF INDIA	62.31
2	Non residents (FIIs/OCBs/NRIs/GD₹)	13.32
3	Mutual Funds & UTI	4.85
4	Private Corporate Bodies	2.72
5	Banks/FIs/Insurance Cos etc	10.96
6	Others including Resident Individuals	5.84
	Total	100.00



TOP TEN SHAREHOLDERS

Sr. No.	Name	% of Shares in total Equity
1	PRESIDENT OF INDIA	62.313
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - GROUP	9.986
3	THE BANK OF NEW YORK (as Depository to our GDR)	2.415
4	SKAGEN KON-TIKI VERDIP APIRFOND (FII)	0.700
5	HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED-HDFC TOP 200 FUND	0.642
6	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - HDFC EQUITY FUND	0.632
7	COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LTD (FII)	0.567
8	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND A/C HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND MAURITIUS (FII)	0.487
9	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	0.457
10	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX (FII)	0.393



अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2013 को गैर-कार्यपालक निवेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री एस वैकटाचलम

(जन्म तिथि : 8 नवंबर 1944)

श्री एस. वैकटाचलम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुनः निर्वाचित निदेशक हैं। वे सक्रिय सनदी लेखाकार हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के रत्न-सदस्य हैं और सिटी ग्रुप एवं सिटी बैंक एनए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में 31 वर्षों से वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं।

श्री डी. सुंदरम

(जन्म तिथि : 16 अप्रैल 1953)

श्री डी. सुंदरम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा पुनः निर्वाचित निदेशक हैं। वे टीवीएस कैपिटल फंड लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अकाउंटेंट (एफआइसीडब्ल्यूए) हैं और वित्त तथा लेखा के क्षेत्र में बृहद् अनुभव रखते हैं। भारत और विदेश में हिन्दुस्तान यूनिलीवर समूह में विभिन्न पदों पर कार्य करने के अलावा वे हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के समूह उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।

श्री पार्थसारथी अय्यंगार

(जन्म तिथि : 2 जून 1961)

श्री पार्थसारथी अय्यंगार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री अय्यंगार को यूएसएस से इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है। उन्हें यूएस और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं सलाहकार संस्था गार्टनर के उपाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित विश्लेषक हैं और वर्तमान में भारत में इसके क्षेत्रीय अनुसंधान निवेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री थॉमस मैथ्यू

(जन्म तिथि : 20 फरवरी 1951)

श्री थॉमस मैथ्यू भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 13 जनवरी 2013 से शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री मैथ्यू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के रत्न सदस्य हैं और उन्हें देशी एवं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा का 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री ज्योति भूषण महापात्रा

(जन्म तिथि : 23 सितंबर 1957)

श्री ज्योति भूषण महापात्रा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग क) के अंतर्गत 21 नवंबर 2011 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित वर्कमेन कर्मचारी निदेशक हैं।

श्री एस.के.मुखर्जी

(जन्म तिथि : 27 नवंबर 1955)

श्री एस.के. मुखर्जी, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2012 से केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक हैं।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्म तिथि : 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. कुमार ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की डी.फिल डिग्री धारक हैं, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में फिक्की के निदेशक, आईसीआरआईआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुके हैं। डॉ. कुमार वर्तमान में सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में वरिष्ठ रत्न-सदस्य हैं।



Annexure I

Brief Resumes of the Non-Executive Directors on the Board as on 31st March 2013

Shri S. Venkatachalam

(Date of Birth: 8th November 1944)

Shri S. Venkatachalam is a Director re-elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for three years. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and was employed with Citigroup and Citibank NA India Organisation in the Senior Management Cadre for a period of 31 years in various capacities.

Shri D. Sundaram

(Date of Birth: 16th April 1953)

Shri D. Sundaram is a Director re-elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for a period of three years. He is Vice Chairman and Managing Director of TVS Capital Funds Limited. He is a professionally qualified Accountant (FICWA) and carries a rich experience in the area of Finance and Accounting. He held many important positions in Hindustan Unilever Ltd. (HUL) group as Vice-Chairman & CFO, Corporate Accountant, Commercial Manager and Treasurer, Finance Member, TOMCO Integration Team, and Finance Director, Brooke Bond Lipton India Ltd. He had also held various positions in Unilever Ltd., London as Commercial Officer for Africa and Middle East and Senior Vice President – Finance, Central and Middle East Group.

Shri Parthasarathy Iyengar

(Date of Birth : 2nd June 1961)

Shri Parthasarathy Iyengar is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 25th June 2011, for three years. Shri Iyengar holds Post graduate degrees in Engineering and Management (Management Information Systems) from USA. He has more than 25 years of experience in the field of Information Technology in US and India. He is Vice President and Distinguished Analyst in Gartner, a world renowned IT research and advisory services entity and currently its Regional Research Director in India.

Shri Thomas Mathew

(Date of Birth : 20th February 1951)

Shri Thomas Mathew is a Director elected by the Shareholders u/s 19(c) of SBI Act, w.e.f. 13th January 2013. Shri Mathew is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and has experience of more than 35 years in statutory/internal audit of Domestic and multinational companies.

Shri Jyoti Bhushan Mohapatra

(Date of Birth : 23rd September 1957)

Shri Jyoti Bhushan Mohapatra is a Workmen Employee director u/s 19(ca) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 21st November 2011.

Shri S. K. Mukherjee

(Date of Birth : 27th November 1955)

Shri S.K. Mukherjee is an Officer Employee director u/s 19(cb) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 4th October 2012.

Dr. Rajiv Kumar

(Date of Birth : 6th July 1951)

Dr. Rajiv Kumar is a Director re-nominated by the Central Government u/s 19(d) of SBI Act, w.e.f. 6th August 2012, for a period of three years. Dr. Kumar holds a D.Phil from Oxford University, a renowned Economist, with earlier stints in FICCI (Director General), ICRIER (Chief Executive Officer) and with Asian Development Bank. Dr. Kumar is currently a Senior Fellow at Centre for Policy Research, New Delhi.

**श्री दीपक आई. अमिन**

(जन्म तिथि : 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस की डिग्री प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत आधारित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी के द्वारा अधिगृहीत) के सह संस्थापक व सीईओ हैं। इससे पहले श्री अमिन यूएसए की सॉफ्टवेयर कंपनियों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

श्री हरीचन्द्र बहादुर सिंह

(जन्म तिथि : 16 सितंबर 1963)

श्री हरीचन्द्र बहादुर सिंह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री सिंह को कृषि, ग्रामीण अर्थतंत्र और एसएमई व्यवसाय में अनुभव है। वे 24.12.2008 से 08.12.2010 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक थे।

श्री राजीव टकरू

(जन्म तिथि : 26 सितंबर 1955)

श्री राजीव टकरू भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ड) के अंतर्गत 4 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव टकरू वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म तिथि : 28 अक्टूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार के द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2013 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों @/
की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)
1.	श्री प्रतीप चौधरी	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.04.2011	अध्यक्ष : 17 निदेशक : 03
2.	श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 02
3.	श्री दिवाकर गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 02
4.	श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 06 समिति सदस्य : 05

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।



Shri Deepak I. Amin

(Date of Birth: 20th April 1966)

Shri Deepak Ishwarbhai Amin is a Director nominated by the Central Government u/s 19(d) of SBI Act, w.e.f. 24th January 2012, for a period of three years. Shri Amin holds a B.Tech. in Computer Science & Engineering from IIT, Mumbai and MS in Computer Science from University of Rhode Island, USA. Shri Amin is the co-founder and CEO of Covelix, Inc, a Seattle and India based international software consulting (acquired by Emtec Inc). Prior to this, Shri Amin was the founder and CEO of vJungle, Inc, a web services software infrastructure company, which was acquired by Streamserve, Inc. Shri Amin also worked at Microsoft for many years as a lead engineer in Microsoft Windows Networking teams and was a senior engineer in the original Internet Explorer browser team at Microsoft, USA.

Shri Harichandra Bahadur Singh

(Date of Birth : 16th September 1963)

Shri Harichandra Bahadur Singh is a Director nominated by the Central Government u/s 19(d) of SBI Act, w.e.f. 24th September 2012, for a period of three years. Shri Singh has exposure to Agriculture, Rural Economy & SME business. He was Director on Punjab & Sind Bank during the period 24.12.2008 to 08.12.2010.

Shri Rajiv Takru

(Date of Birth : 26th September 1955)

Shri Rajiv Takru is a Director u/s 19(e) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 4th February 2013. Shri Rajiv Takru is Secretary, Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India.

Dr. Urjit R. Patel

(Date of Birth : 28th October, 1963)

Dr. Urjit R. Patel is a Director u/s 19(f) of SBI Act, nominated by the Central Government, w.e.f. 6th February 2013. Dr. Urjit R. Patel is Deputy Governor, Reserve Bank of India.

Annexure II

Details of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2013

S.No.	Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including the Bank (Details given in Annexure II A)
1.	Shri Pratip Chaudhuri	Chairman No.5, Dunedin, J.M.Mehta Road, Mumbai - 400006	07.04.2011	Chairman : 17 Director : 03
2.	Shri Hemant G. Contractor	Managing Director M-1, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai - 400 006	07.04.2011	Director : 05 Committee Member : 02
3.	Shri Diwakar Gupta	Managing Director M-2, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai - 400 006	07.04.2011	Director : 02
4.	Shri A. Krishna Kumar	Managing Director D-11, Kinnellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai - 400 006	07.04.2011	Director : 06 Committee Member : 05

@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.



क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिए गए हैं)
5.	श्री एस. विश्वनाथन	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.10.2012	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 03
6.	श्री एस. वैकटाचलम	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हार्बर हाइट्स, एनए सावंत मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400 005	25.06.2011	निदेशक : 04 समिति के अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 02
7.	श्री डी. सुंदरम	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस केपिटल फंड लिमिटेड, आइएल एण्ड एफएस फायनैशियल सेंटर, क्वाडरेंट बी, द्वितीय तल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	25.06.2011	निदेशक : 08 समिति के अध्यक्ष : 03 समिति सदस्य : 01
8.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक, गार्टनर इंडिया, बनेर 133 नेशनल सोसाइटी औध रोड, पुणे-411007	25.06.2011	निदेशक : 02
9.	श्री थोमस मैथ्यू	परामर्शदाता 1401 महिन्द्रा हाइट्स, 96, तारदेव रोड, मुंबई-400 034	13.01.2013	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
10.	श्री ज्योति भूषण महापात्रा (वर्कमेन निदेशक)	विशेष सहायक भारतीय स्टेट बैंक कट्टक शाखा कलेक्टर कम्पाउन्ड कट्टक-753 002	21.11.2011	निदेशक : 01
11.	श्री एस.के. मुखर्जी (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)	उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक इकाई, भंगागढ़, गुवाहाटी-781 005	04.10.2012	निदेशक : 01
12.	डॉ. राजीव कुमार	अर्थशास्त्री सी-215 भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017	06.08.2012	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
13.	श्री दीपक आई. अमिन	परामर्शदाता सी-72, आइकोन, डीएलएफ फेज 5, गुडगांव-122 002	24.01.2012	निदेशक : 02
14.	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	कृषि एवं व्यवसाय आरआर कोठी, केनाल रोड, रायबरेली-229001 (उ.प्र.)	24.09.2012	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
15.	श्री राजीव टकरु (भारत सरकार द्वारा नामित)	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	04.02.2013	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 01
16.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित)	उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 01

@ शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया गया है।



S.No.	Name of Director	Occupation & Address	Appointed to Board since	Number of Companies including the Bank (Details given in Annexure II A)
5.	Shri S. Vishvanathan	Managing Director C-11 Kinellan Towers, 100A, Napean Sea Road, Mumbai - 400 006	09.10.2012	Director : 05 Committee Member : 03
6.	Shri S. Venkatachalam	Retired Bank Executive Building B-1, Flat 1-D (First Floor), Harbour Heights, NA Sawant Marg, Colaba, Mumbai – 400 005	25.06.2011	Director : 04 Chairman of Committee : 02 Committee Member : 02
7.	Shri D. Sundaram	Vice Chairman & Managing Director TVS Capital Funds Ltd. IL&FS Financial Centre, Quadrant B, 2 nd floor, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051	25.06.2011	Director : 08 Chairman of Committee : 03 Committee Member : 01
8.	Shri Parthasarathy Iyengar	Regional Research Director, Gartner India, 133 National Society, Baner Road, Aundh, Pune - 411 007	25.06.2011	Director : 02
9.	Shri Thomas Mathew	Consultant 1401 Mahindra Heights, 96 Tardeo Road, Mumbai - 400 034	13.01.2013	Director : 01 Committee Member : 02
10.	Shri Jyoti Bhushan Mohapatra Workmen Director	Special Assistant, State Bank of India, Cuttack Branch, Collectorate Compound, Cuttack – 753 002	21.11.2011	Director : 01
11.	Shri S. K. Mukherjee Officer Employee Director	Dy. Manager, State Bank of India Administrative Unit, Bhangagarh, Guwahati - 781 005	04.10.2012	Director : 01
12.	Dr. Rajiv Kumar	Economist, C-215 Ground Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi - 110 017	06.08.2012	Director : 01 Committee Member : 02
13.	Shri Deepak I. Amin	Advisor C-72 ICON, DLF Phase 5, Gurgaon – 122 002	24.01.2012	Director : 02
14.	Shri Harichandra Bahadur Singh	Agriculture & Business RR Kothi, Canal Road, Raibareli - 229 001 (UP)	24.09.2012	Director: 01 Committee Member : 01
15.	Shri Rajiv Takru GOI Nominee	Secretary (Financial Services), Ministry of Finance, Government of India (Banking Division), Jeevan Deep Bldg. Parliament Street, New Delhi - 110 001	04.02.2013	Director: 05 Committee Member : 01
16.	Dr. Urjit R. Patel RBI Nominee	Deputy Governor, Reserve Bank of India, Central Office, Shaheed Bhagat Singh Road, Mumbai 400 001	06.02.2013	Director : 02 Committee Member : 01

@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned in due compliance with para I (C) (ii) Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange.

**अनुलग्नक II क**

31.03.2013 को निदेशक बोर्ड/बैंक/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों की कुल संख्या जिनमें निदेशक बोर्ड के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं।

(@केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को दर्शाया है)

1. श्री प्रतीप चौधरी

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	अध्यक्ष
8	एसबीआई फंड मैनेजमेंट पी. लिमिटेड	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	अध्यक्ष
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई कार्ड एण्ड पेमेंट सर्विसेस पी. लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
15	एसबीआई पेंशन फंड पी. लि.	अध्यक्ष
16	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
17	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज लि.	अध्यक्ष
18	भारतीय आयात निर्यात बैंक	निदेशक
19	जीई कैपिटल बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक
20	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	निदेशक

2. श्री हेमंत जी. कान्ठेकर, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	निदेशक	-
3	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	निदेशक	-
4	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	निदेशक	-
5	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	निदेशक	-



ANNEXURE IIA

Total Number of Memberships/Chairmanships held by the Directors on the Boards/ Board-level Committees of the Bank@/Other Companies as on 31.03.2013

(@Only Memberships/Chairmanships of Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance Committee are reckoned)

1. Shri Pratip Chaudhuri

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Member/Director/Chairman
1	State Bank of India	Chairman
2	State Bank of Patiala	Chairman
3	State Bank of Bikaner & Jaipur	Chairman
4	State Bank of Hyderabad	Chairman
5	State Bank of Mysore	Chairman
6	State Bank of Travancore	Chairman
7	State Bank of India (Canada)	Chairman
8	SBI Funds Management P. Ltd.	Chairman
9	SBI Life Insurance Company Ltd.	Chairman
10	SBI Capital Markets Ltd.	Chairman
11	SBICAPS Ventures Ltd.	Chairman
12	SBIDFHI Ltd.	Chairman
13	SBI Cards & Payment Services P. Ltd.	Chairman
14	SBI Global Factors Limited	Chairman
15	SBI Pension Funds P. Ltd.	Chairman
16	SBI General Insurance Company Ltd.	Chairman
17	SBI SG Global Securities Ltd.	Chairman
18	Export Import Bank of India	Director
19	GE Capital Business Process Management Services P. Ltd.	Director
20	Indian Institute of Banking and Finance	Director

2. Shri Hemant G. Contractor, Managing Director

S.No.	Name of the Company/ Name of the Concern/Society	Member/Director/ Chairman	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Managing Director	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board-Member
2	State Bank of India (Canada)	Director	-
3	Nepal SBI Bank Ltd.	Director	-
4	State Bank of India (Mauritius)	Director	-
5	State Bank of India (California)	Director	-



3. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	-
2	नेशनल सिक््युरिटीज डिपासिटरी लि.	निदेशक	-

4. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस प्राईवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
4	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
5	एसबीआई कैप सिक््युरिटीज लि.	निदेशक	-
6	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक््युरिटीज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
4	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि.	निदेशक	-
5	एसबीआई कैप यूके लिमिटेड	निदेशक	-

6. श्री एस. वैकटाचलम

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- अध्यक्ष बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
2	ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लि.	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
3	ईक्वीफैक्स क्रेडिट इनफरमेशन सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	-
4	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	निदेशक	-



3. Shri Diwakar Gupta, Managing Director

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Managing Director	-
2	National Securities Depository Ltd.	Director	-

4. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Managing Director	Audit Committee of the Board - Member
2	SBI Life Insurance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board - Member
3	SBI Cards & Payment Services P. Ltd	Director	Audit Committee of the Board - Member
4	GE Capital Business Process Management Services P. Ltd.	Director	Audit Committee of the Board - Member
5	SBICAP Securities Ltd.	Director	-
6	SBI General Insurance Company Ltd.	Director	Audit Committee of the Board - Member

5. Shri S. Vishvanathan, Managing Director

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Managing Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board- Member
2	SBI Capital Markets Ltd.	Director	Audit Committee of the Board - Member
3	SBICAP Securities Ltd.	Director	Audit Committee of the Board - Member
4	SBICAP Ventures Ltd.	Director	-
5	SBICAP UK Limited	Director	-

6. Shri S. Venkatachalam

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board- Chairman Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Chairman
2	Oracle Financial Services Software Ltd.	Chairman	Audit Committee of the Board-Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Member
3	Equifax Credit Information Services P.Ltd.	Director	-
4	Canara Robecco Asset Management Co. Ltd.	Director	-



7. श्री डी. सुंदरम

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	टीवीएस कैपिटल फंड लि.	प्रबंध निदेशक	-
4	टीवीएस इलेक्ट्रानिक्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
5	ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
6	नाइन डाट नाइन मीडियाबॉक्स पी. लि.	निदेशक	-
7	मेडफोर्ट हॉस्पिटल्स पी. लि.	निदेशक	-
8	मैक्सविज़न लेज़र सेंटर पी. लि.	निदेशक	-

8. श्री पार्थसारथी अय्यंगार

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	इनफो टेक्नोलॉजी एडवाइज़र (आई) पी. लि.	निदेशक	-

9. श्री थॉमस मैथ्यू

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

10. श्री ज्योति भूषण महापात्रा

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

11. श्री एस.के. मुखर्जी

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

12. डॉ. राजीव कुमार

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

13. श्री दीपक आई. अमिन

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	रेडियन एडवाइज़र्स प्रा. लि.	निदेशक	-



7. Shri D. Sundaram

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	SBI Capital Markets Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Chairman
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board -Member
3	TVS Capital Funds Ltd.	Managing Director	-
4	TVS Electronics Ltd.	Director	Audit Committee of the Board-Chairman
5	Glaxo Smith Kline Pharma	Director	Audit Committee of the Board-Chairman
6	Nine Dot Nine Mediaworx P.Ltd.	Director	-
7	Medfort Hospitals P.Ltd.	Director	-
8	Maxvision Laser Centre P. Ltd.	Director	

8. Shri Parthasarathy Iyengar

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	-
2	Info Technology Advisor (I) P. Ltd.	Director	-

9. Shri Thomas Mathew

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board- Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Member

10. Shri Jyoti Bhushan Mohapatra

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	-

11. Shri S. K. Mukherjee

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	-

12. Dr. Rajiv Kumar

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board- Member Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Member

13. Shri Deepak I. Amin

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	-
2	Radian Advisors P. Ltd.	Director	-



14. श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य

15. श्री राजीव टकरु

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	निदेशक	-
4	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	-
5	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	-

16. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)का/के नाम@
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य

अनुलग्नक - III

31.3.2013 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का ब्योरा

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री प्रतीप चौधरी	निरंक
2.	श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रेक्टर	446
3.	श्री दिवाकर गुप्ता	100
4.	श्री ए. कृष्ण कुमार	69
5.	श्री एस. विश्वनाथन	654
6.	श्री एस. वैकटाचलम	500
7.	श्री डी. सुंदरम	2640
8.	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	500
9.	श्री थॉमस मैथ्यू	500
10.	श्री ज्योति भूषण महापात्र	60
11.	श्री एस.के. मुखर्जी	80
12.	डॉ. राजीव कुमार	निरंक
13.	श्री दीपक आई. अमिन	निरंक
14.	श्री हरीचंद्र बहादुर सिंह	निरंक
15.	श्री राजीव टकरु	निरंक
16.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	निरंक



14. Shri Harichandra Bahadur Singh

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	State Bank of India	Director	Shareholders'/Investors' Grievance Committee of the Board - Member

15. Shri Rajiv Takru

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	Reserve Bank of India	Director	-
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board - Member
3	Life Insurance Corporation of India	Director	-
4	India Infrastructure Finance Company Ltd.	Director	-
5	Export Import Bank of India	Director	-

16. Dr. Urjit R. Patel

S.No.	Name of the Company/Name of the Concern/Society	Director	Name(s) of the Committee(s) Chairman/Member@
1	Reserve Bank of India	Director	-
2	State Bank of India	Director	Audit Committee of the Board -Member

Annexure – III

Details of shareholding of Directors on the Bank's Central Board as on 31.3.2013

S. No.	Name of Director	No. of Shares
1.	Shri Pratip Chaudhuri	NIL
2.	Shri Hemant G. Contractor	446
3.	Shri Diwakar Gupta	100
4.	Shri A. Krishna Kumar	69
5.	Shri S. Vishvanathan	654
6.	Shri S. Venkatachalam	500
7.	Shri D. Sundaram	2640
8.	Shri Parthasarathy Iyengar	500
9.	Shri Thomas Mathew	500
10.	Shri Jyoti Bhushan Mohapatra	60
11.	Shri S.K. Mukherjee	80
12.	Dr. Rajiv Kumar	NIL
13.	Shri Deepak I. Amin	NIL
14.	Shri Harichandra Bahadur Singh	NIL
15.	Shri Rajiv Takru	NIL
16.	Dr. Urjit R. Patel	NIL



अनुलग्नक IV

वर्ष 2012-13 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को अदा की गई बैठक फीस का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री दिलीप सी. चौकसी	50,000	1,25,000	1,75,000
2	श्री एस. वैकटाचलम	1,20,000	3,95,000	5,15,000
3	श्री डी. सुंदरम	90,000	2,50,000	3,40,000
4	श्री पार्थसारथी अय्यंगार	90,000	80,000	1,70,000
5	श्री थोमस मैथ्यू	30,000	85,000	1,15,000
6	श्री ज्योति बी. महापात्रा	1,20,000	60,000	1,80,000
7	श्री जी.डी. नडाफ	10,000	20,000	30,000
8	श्री एस.के. मुखर्जी	50,000	35,000	85,000
9	डॉ. राजीव कुमार	70,000	30,000	1,00,000
10	श्री रशपाल मल्होत्रा	40,000	65,000	1,05,000
11	श्री दीपक आई. अमिन	1,20,000	1,45,000	2,65,000
12	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	40,000	40,000	80,000

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2012-13) के अनुपालन की

मैं पुष्टि करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

दिनांक : 4 अप्रैल 2013

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष



Annexure IV

Details of Sitting Fees paid to Directors for attending Meetings of the Central Board and Board-Level Committees during 2012-13

S. No.	Name of Director	Meetings of Central Board (₹)	Meetings of Other Board Level Committees (₹)	Total (₹)
1	Shri Dileep C. Choksi	50,000	1,25,000	1,75,000
2	Shri S. Venkatachalam	1,20,000	3,95,000	5,15,000
3	Shri D. Sundaram	90,000	2,50,000	3,40,000
4	Shri Parthasarathy Iyengar	90,000	80,000	1,70,000
5	Shri Thomas Mathew	30,000	85,000	1,15,000
6	Shri Jyoti B. Mohapatra	1,20,000	60,000	1,80,000
7	Shri G. D. Nadaf	10,000	20,000	30,000
8	Shri S. K. Mukherjee	50,000	35,000	85,000
9	Dr. Rajiv Kumar	70,000	30,000	1,00,000
10	Shri Rashpal Malhotra	40,000	65,000	1,05,000
11	Shri Deepak I. Amin	1,20,000	1,45,000	2,65,000
12	Shri Harichandra Bahadur Singh	40,000	40,000	80,000

ANNEXURE V

STATE BANK OF INDIA

DECLARATION

AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT (2012-13)

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2012-13.

Date: 4th April 2013

PRATIP CHAUDHURI
CHAIRMAN



तोदी तुलसियान एंड कं. सनदी लेखाकार

TODI TULSYAN & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

भारतीय स्टेट बैंक के
शेयरधारकों के लिए

To the shareholders of
State Bank of India

हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो भारत में शेयर-बाजारों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है।

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance By State Bank of India, for the year ended on 31st March 2013, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of State Bank of India with Stock Exchanges in India

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी निर्देशक नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

The Compliance of the conditions of corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by State Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of State Bank of India

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण-करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that State Bank of India has, in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as Stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

हम सूचित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत-निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

We State that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against State Bank of India as per records maintained by the Shareholders'/Investors' Grievance Committee.

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो भारतीय स्टेट बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of State Bank of India nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the State Bank of India

कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 002180 सी

For TODI TULSYAN & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 002180 C

(सुशील कुमार तुलसियान)

(Sushil Kumar TulSYan)

स्थान : कोलकाता

भागीदार

Place: Kolkata

Partner

दिनांक : 23 मई 2013

सदस्यता सं. 075899

Dated: 23rd May 2013

M No. 075899



व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

Business Responsibility Report

वित्त वर्ष 2012 -13
FY2012-13

विषय-सूची तालिका

- खण्ड क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना
 खण्ड ख: कंपनी का वित्तीय ब्योरा
 खण्ड ग : अन्य ब्योरा
 खण्ड घ: व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना
 खण्ड ङ: सिद्धांत-वार निष्पादन
 व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन
 व्यवसाय दायित्व (बीआर) रिपोर्ट के बारे में
 सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआरनीति/ नीतियां (हां/ नहीं में जवाब)
 सिद्धांत 1: अच्छा कारपोरेट अभिशासन कार्यान्वित करना
 सिद्धांत 2: व्यवसाय बढ़ाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना
 सिद्धांत 3: मानव संसाधन पूंजी का ध्यान रखना
 सिद्धांत 4: हितधारकों से परामर्श प्राप्त करना
 सिद्धांत 5: मानवाधिकारों का सम्मान करना
 सिद्धांत 6: पर्यावरण का ध्यान रखना
 सिद्धांत 7: लोक नीति की वकालत करना
 सिद्धांत 8: समावेशीसंवृद्धि हासिल करना
 सिद्धांत 9: ग्राहकों की सेवा करना

TABLE OF CONTENTS

- SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY
 SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY
 SECTION C: OTHER DETAILS
 SECTION D: BUSINESS RESPONSIBILITY (BR) INFORMATION
 SECTION E: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE
 GOVERNANCE RELATED TO BR
 ABOUT THE BR REPORT
 PRINCIPLE-WISE (AS PER NVGs) BR POLICY/POLICIES (REPLY IN Y/N)
 PRINCIPLE 1: PRACTICING GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 PRINCIPLE 2: PROVIDING SUSTAINABLE PRODUCTS AND SERVICES
 PRINCIPLE 3: CARING FOR HUMAN CAPITAL
 PRINCIPLE 4: ENGAGING WITH STAKEHOLDERS
 PRINCIPLE 5: RESPECTING HUMAN RIGHTS
 PRINCIPLE 6: CARING FOR ENVIRONMENT
 PRINCIPLE 7: ADVOCATING PUBLIC POLICY
 PRINCIPLE 8: ENABLING INCLUSIVE GROWTH
 PRINCIPLE 9: SERVING CUSTOMERS

**खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना**

भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी शाखाएं दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्थित हैं। बैंक का 14,816 शाखाओं और 32752 समूह एटीएमों का एक अतुलनीय नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। बैंक की कुल शाखाओं की एक तिहाई से भी ज्यादा शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जो समाज की आर्थिक उन्नति करने के बैंक के उद्देश्य को प्रदर्शित कर रही हैं।

बैंक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के कार्य में लगा हुआ है। बैंक के कार्य-कलापों को सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित “गुप के: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण वाले वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (समस्त आर्थिक कार्यकलाप) - 2008” के अंतर्गत शामिल किया गया है।

बैंक के कार्यकलाप नीचे उल्लिखित औद्योगिक कार्यकलाप कोड के अंतर्गत आते हैं :

समूह श्रेणी	श्रेणी	विवरण
641		मौद्रिक मध्यस्थता
	6419	अन्य मौद्रिक मध्यस्थता

बीमा, म्यूचुअल फण्ड, वित्तीय पट्टा, कार्ड व्यवसाय आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं सभी ग्राहक खंडों चाहे वह सरकारी, कारपोरेट या व्यक्तिगत हो, को बैंक की सहयोगी तथा/अथवा अनुषंगियों के माध्यम से दी जाती हैं। बैंक की तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाएं श्रेणियां, जिनमें से प्रत्येक में अनेक उत्पाद/सेवाएं शामिल होती हैं, निम्नलिखित हैं:

1. जमा
2. ऋण एवं अग्रिम
3. धन-प्रेषण और उगाहियां

बैंक के 14 मंडल और 85 आंचलिक कार्यालय हैं जो पूरे देश में महत्वपूर्ण केन्द्रों में स्थित हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंगसेवाएं उसके भारतीय ग्राहकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी इकाइयों और बैंकों के हित के लिए प्रदान की जाती हैं। बैंक के 34 देशों में 186 कार्यालयों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो सभी समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। बैंक के कुछ अंतरराष्ट्रीय केन्द्रों में यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, चीन सिंगापुर, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। पूरे विश्व में 429 से अधिक बैंकों के साथ प्रतिनिधि संपर्क होने और भारत में विदेशी एवं एनआरआई शाखाओं का एक समूह होने से यह नेटवर्क और भी बड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, बैंक के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां बैंक की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को रेखांकित करता है।

पता : भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन
कारपोरेट केन्द्र, मादाम कामा रोड
नरीमन पाइंट, मुंबई - 400021, भारत

वेबसाइट : <http://www.sbi.co.in>
<http://www.statebankofindia.com>

ई-मेल आईडी : gm.snb@sbi.co.in

वित्तीय वर्ष : FY 2012 – 2013

खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय ब्योरा

भारतीय रुपए में 684.03 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ, वित्त वर्ष 12-13 के दौरान बैंक की कुल आय और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः भारतीय रुपए में 1,35,691.94 करोड़ और भारतीय रुपए में 14,105.32 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 12-13 के लिए, बैंक की कुल जमा-राशियां भारतीय रुपए में 12,02,739.57 करोड़, कुल अग्रिम भारतीय रुपए में 10,45,616.55 करोड़ और कुल व्यवसाय भारतीय रुपए में 22,48,356.12 करोड़ रहा।

भारतीय स्टेट बैंक समाज के अल्प सुविधा प्राप्त सदस्यों के विकास में एक स्थायी सामाजिक बदलाव लाने और समाज को कुछ वापस देने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 12-13 के लिए बैंक के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय की बजट राशि पिछले वर्ष के कर पश्चात लाभ का 1% थी और इसकी राशि भारतीय रुपए में 117.07 करोड़ रही। वित्त वर्ष 12-13 के दौरान सीएसआर कार्य-कलापों पर बैंक की वास्तविक व्यय राशि भारतीय रुपए में 123.27 करोड़ रही। बैंक अपने सीएसआर कार्य-कलापों के माध्यम से देश के सभी भागों में रहने वाले लाखों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवाओं में कार्यरत है।

सीएसआर को बैंक की अनेक व्यवसाय पहलों से जोड़ दिया गया है और यह सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत वर्ष 1973 से भारतीय स्टेट बैंक का एक हिस्सा बनी हुई है और इसमें विभिन्न सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और कल्याणकारी गतिविधियां शामिल होती हैं। बैंक में एक व्यापक कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति लागू है जिसे अगस्त 2011 में केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है।

बैंक की सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों को यहां नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- शिक्षा में सहायता करना
- स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करना
- गरीब एवं अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों को सहायता करना
- उद्यम विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आपदाओं के समय सहायता करना

बैंक की सीएसआर गतिविधियों से संबंधित और अधिक जानकारी को वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के “कारपोरेट सामाजिक दायित्व” में शामिल किया गया है।

खण्ड ग : अन्य ब्योरा

व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में अनुषंगियों और व्यवसाय भागीदारों की सहभागिता।

बैंक के पास 5 देशीय और 6 विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां हैं। अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का विस्तृत ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक के सहयोगी एवं अनुषंगियां अपने सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी पहलों के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। बैंकिंग परिचालनों में एक कामप्लेक्स सप्लाइ चैन व्यवस्था नहीं रहती है और इस प्रकार व्यवसाय भागीदारों (आपूर्तिकर्ता/संवितरक) की संख्या भी बहुत सीमित होती है, जिससे अपने व्यवसाय दायित्व पहलों में उनको शामिल करने की बैंक के पास बहुत थोड़ी गुंजाइश रहती है। बैंक यह अपेक्षा रखता है कि वह अपने आपूर्तिकर्ताओं/संवितरकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे अपने व्यवसाय का एक दायित्वपूर्ण ढंग से संचालन करें।



Section A: General Information about the Company

State Bank of India is the largest bank in India having presence across the Country even in remote areas. The Bank has an unmatched network of 14816 branches and more than 32752 group ATMs spread across the country. More than two-third of the Bank's total branches are in rural and semi-urban areas, demonstrating the Bank's intent of serving all strata of the society.

The Bank is engaged in Banking and Financial services. The Bank's activities are covered under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Programme Implementation.

The Bank's activities fall under the below mentioned industrial activity code:

Group	Class	Description
641		Monetary intermediation
	6419	Other monetary intermediation

Other financial services like insurance, mutual fund, financial leasing, card business etc. are offered through the Bank's associates and/or subsidiaries to all customer segments whether Government, Corporates or Individuals. The Bank's three major products/services categories, each of which individually comprises of several products/services, are:

1. Deposits
2. Loans and Advances
3. Remittances and Collections

The Bank has 14 Circles and 85 Zonal Offices that are located at important cities throughout the country. International banking services of State Bank of India are delivered for the benefit of its Indian customers, non-resident Indians, foreign entities and banks. The Bank has an International Banking Network in 34 countries with 186 offices, spread over all time zones. Some of the Bank's International locations include UK, USA, Germany, France, Canada, Russia, South Africa, China, Singapore, Japan and Australia. The network is augmented by a cluster of Overseas and NRI branches within India and correspondent links with over 429 banks, the world over. Bank's Joint Ventures and Subsidiaries abroad further underline the Bank's international presence.

Address: State Bank of India,
State Bank Bhavan,
Corporate Centre, Madame Cama Road,
Nariman Point, Mumbai - 400 021, India

Website: <http://www.sbi.co.in>
<http://www.statebankofindia.com>

E-mail id: gm.snb@sbi.co.in

Financial Year FY 2012 – 2013
reported:

Section B: Financial Details of the Company

With a paid-up capital of INR 684.03 crores, the total Income and total Profit After Tax (PAT) of the Bank during FY 12-13 was INR 1,35,691.94 crores and INR 14,105.32 crores respectively. For FY 12-13, the Bank had total Deposits of INR 12, 02,739.57 crores, total Advances of INR 10,45,616.55 crores and a total Business of INR 22,48,356.12 crores.

SBI is committed to making a sustainable social change in the development of underprivileged members of the society and to fulfil its responsibility of giving back to the society. The budget for the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) spending for FY 12-13 was 1% of last year's PAT which amounts to INR 117.07 crores. The Bank's actual spend on CSR activities for FY 12-13 was INR 123.27 crores. The Bank's CSR activities touch the lives of millions of the poor and needy across the length and breadth of the country.

CSR is embedded in many of the Bank's business initiatives and has been a part of State Bank of India since 1973, under the name of Community Services Banking and covers various social, environmental and welfare activities. The Bank has a comprehensive Corporate Social Responsibility (CSR) Policy, approved by the Executive Committee of the Central Board in August 2011.

The focus areas of the Bank's CSR activities are listed hereunder:

- Supporting education.
- Supporting healthcare.
- Assistance to poor & underprivileged.
- Environment protection.
- Entrepreneur development programme.
- Help in National calamities.

Further details of the Bank's CSR activities have been covered in the "Corporate Social Responsibility" section of the Annual Report for financial year 2012-13.

Section C: Other Details

Participation of subsidiaries and business partners in BR initiatives

The Bank has 5 Domestic and 6 Foreign Banking Subsidiaries. The details of the subsidiaries and joint ventures have been provided in the Bank's Annual Report for FY 2012-13.

The Bank's Associates and Subsidiaries decide independently regarding their social and environmental initiatives. Banking operations do not have a complex supply chain and thus the business partners (suppliers/distributors) are also quite limited, which leaves very little scope for the Bank to engage them in its BR initiatives. The Bank expects and encourages its suppliers/distributors to conduct their business in a responsible manner.

**खण्ड घ : व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना****व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन**

• बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जवाबदार निदेशक	
डीआईएननम्बर	00871792
(यदि लागू हो)	
नाम	श्री ए. कृष्ण कुमार
पदनाम	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
• व्यवसाय दायित्व प्रमुख	
डीआईएननम्बर	लागू नहीं
(यदि लागू हो)	
नाम	श्रीमती पद्मजा नायर
पदनाम	महाप्रबंधक (कारपोरेट संप्रेषण एवं परिवर्तन प्रबंधन)
टेलीफोन नम्बर	022-22824469
ई-मेल आईडी	gm.ccc@sbi.co.in

बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति के अनुसार बैंक की व्यवसाय क्षायित्व निष्पादन की निदेशक बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। नोडल अधिकारी जिसे व्यवसाय दायित्व कार्य का नेतृत्व सौंपा गया है, बैंक के व्यवसाय दायित्व निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके आतिरिक्त, बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति को नोडल अधिकारी द्वारा समय समय पर अद्यतन किया जाएगा। अद्यतन करने का यह कार्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के संशोधनों के अनुसार किया जाएगा और एक वार्षिक समीक्षा बैठक बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के संबंध में

यह बैंक की पहली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट है। अब से यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी। वित्त वर्ष 2012-13 की बीआर रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <http://www.sbi.co.in> या <http://statebankofindia.com> under the link Corporate Governance → CSR → BR Report पर देखी जा सकती है।

सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) नीति/नीतियां (हां/नहीं में जवाब)

क्र सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास के लिए नीति/नीतियां हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करके नीति बनाई जा रही है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ? (50 शब्दों में)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति जुलाई 2011 में भारत सरकार के कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय अभिप्रेत दिशा-निर्देशों पर आधारित है।								
4.	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/ सक्षम निदेशक बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		यह बीआर नीति केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और बोर्ड द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।								
5.	क्या इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए कंपनी के पास कोई बोर्ड समिति/निदेशक/पदाधिकारी है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	ऑनलाइन देखने के लिए इस नीति से संबंधित लिंक का उल्लेख करें ?	http://www.sbi.co.in or http://statebankofindia.com under the link Corporate Governance → CSR → BR Report.								
7.	क्या संबंधित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को औपचारिक रूप से इस नीति के बारे में सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी के पास इस नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी के पास इस नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इस नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य प्रणाली के बारे में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपनी व्यवसाय दायित्व नीति तैयार की है और इसलिए, अनुवर्ती वर्षों में इस नीति की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा।								



Section D: Business Responsibility (BR) Information

Governance related to BR

• Director responsible for implementation of the BR policy/policies	
DIN Number (if applicable)	00871792
Name	Shri. A .Krishna Kumar
Designation	Managing Director & Group Executive (National Banking)
• Business Responsibility Head	
DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Mrs. Padmaja Nair
Designation	General Manager (Corporate Communication & Change Management)
Telephone Number	022-22824469
e-mail id	gm.ccc@sbi.co.in

As per the Business Responsibility Policy of the Bank, the BR performance of the Bank will be assessed annually by the Board of Directors. The Nodal Officer, heading the BR function, is responsible for the BR performance of the Bank. Further, the Bank's BR Policy will be updated from time to time by the Nodal Officer, in the light of amendments to laws, rules and regulations, as applicable, and an annual review report will be submitted to the Board.

About the BR Report

This is the first Business Responsibility report of the Bank and henceforth, it would be published on an annual basis. The BR report for FY 2012-13 can be accessed at Bank's website <http://www.sbi.co.in> or <http://statebankofindia.com> under the link Corporate Governance → CSR → BR Report.

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any national/international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		SBI's Business Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in July 2011								
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		The BR policy has been approved and signed by Central Board of Directors.								
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	http://www.sbi.co.in or http://statebankofindia.com under the link Corporate Governance → CSR → BR Report.								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	SBI has recently formulated its Business Responsibility Policy and hence, the evaluation of working of the policy would be carried out in subsequent years.								

**खण्ड ड : सिद्धांत-वार निष्पादन****सिद्धांत 1 : अच्छा कारपोरेट अभिशासन कार्यान्वित करना**

भारतीय स्टेट बैंक नीतिपरक आचरण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय निष्पादन स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए, कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है। बैंक ने केन्द्रीय बोर्ड में अपने निदेशकों के लिए और अपने प्रमुख प्रबंधन वर्ग के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता के आधार पर निर्देशी सिद्धांत बनाए जाते हैं जिनके आधार पर बैंक अपने बहुसंख्य हितधारकों, सरकार और विनियामक एजेंसियों, मीडिया, और दूसरों के साथ, जिनसे यह संबंधित है, के साथ अपना दैनिक व्यवसाय परिचालित एवं संचालित करेगा। इस संहिता में व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के बीच हित के वास्तविक या स्पष्ट मतभेदों का निपटान करने की उचित एवं नैतिक कार्यविधियों सहित ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को लागू करने की परिकल्पना एवं अपेक्षा की जाती है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारी कारपोरेट वेबसाइट पर इस संहिता को आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में भी नैतिक, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाता है।

हमारी प्रत्येक अनुषंगी और सहयोगी बैंक का अपना स्वयं का बोर्ड और नीतियां हैं। बैंक अपने सभी संव्यवहारों में अत्यंत पारदर्शिता बनाए रखता है। प्रमुख हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान का पूर्ण ब्योरा वार्षिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

सिद्धांत 2 : निरंतर विकास के लिए उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना

बैंक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं तथा गरीबों और अल्प-सुविधा प्राप्त वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की अधिकांशतः ऋण संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से किया गया है। देश का सबसे बड़ा बैंक होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक अपने विभिन्न नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से देश के सतत विकास में योगदान करने में सबसे आगे हैं।

बैंक अनेक प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। बैंक के कुछ नए उत्पाद एवं सेवा एंग्रिनचैनल काउंटर, ग्रीनरेमिट कार्ड आदि जैसे पर्यावरण/सामाजिक अंतर्निहित फायदों के साथ शुरू किए गए हैं। इन उत्पादों/सेवाओं का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक अपने परिचालनों में संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करता है। बैंकिंग परिचालनों के लिए अधिकांश उपभोग योग्य सामग्री लेखन-सामग्री मदे होती हैं। रिपोर्ट अवधि में बैंकिंग उद्योग के संदर्भ में स्थायी स्रोत मुख्य रूप से स्थानीय रूप से आधारित आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से लेने होते हैं। बैंक ने लगभग अपनी सभी उपभोग योग्य वस्तुएं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ली हैं। (बैंक समस्त भारत आधारित आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय रूप से आधारित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में परिभाषित करता है)।

सिद्धांत 3 : मानव पूंजी का ध्यान रखना**कर्मचारियों की संख्या**

बैंक देश के सबसे बड़े नियोजकों में से एक है। वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में उसके 2,28,296 कर्मचारी थे, जिनमें 46833 महिला कर्मचारी, 2402 अशक्त कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2013 को, बैंक के 43550 अनुसूचित जाति और 16764 अनुसूचित जनजाति कर्मचारी थे।

कर्मचारी हित लाभ

बैंक का यह मानना है कि बैंकिंग लगभग पूरी तरह संबंधों पर आधारित है और यह बैंक के कर्मचारी जो इन संबंधों को बनाते और निभाते हैं, चाहे वह एक व्यक्तिगत ग्राहक, एक लघु व्यवसाय या एक बड़ी कंपनी के साथ हों। बैंक के लोग अपने ग्राहकों के लिए कुछ अलग करके दिखाते हैं और यह बैंक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करें। बैंक अपने कर्मचारियों के लिए बहुविध लाभवाली योजनाएं चलाती हैं, जिनमें कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, चिकित्सा लाभ, अग्रिमों पर कम ब्याज दरें, जमा-राशियों पर उच्चतर ब्याज दरें, कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, अवकाश गृहों की सुविधा आदि उपलब्ध कराना शामिल है।

एसोसिएशन की स्वतंत्रता

बैंक में दो मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन हैं- एक पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए और दूसरा अवाई स्टाफ के लिए। एसोसिएशन के नाम निम्नानुसार हैं :

1. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स फेडरेशन
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन

अधिकांश स्टाफ और अधिकारी इन फेडरेशनों के सदस्य हैं।

मानवाधिकार

बैंक की भर्ती नीति बाल श्रमिकों, बेगार श्रमिक या अस्वैच्छिक श्रमिकों की भर्ती करने की अनुमति नहीं देती है। कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक और उचित ढंग से निपटान करने के लिए स्थानीय प्रधान कार्यालयों (एलएचओ), प्रशासनिक कार्यालयों और क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों (आरबीओ) के स्तर पर स्वतंत्र शिकायत समिति गठित की गई है और कारपोरेट केन्द्र में एक संपर्क समन्वयक बनाया गया है। बैंक जाति, वंश या लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करता है।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास

अपने कर्मचारियों में दक्षता का निर्माण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास एक बहुत व्यापक प्रशिक्षण नेटवर्क है जिसमें 47 ज्ञानार्जन केन्द्र और 5 शीर्ष संस्थाएं शामिल हैं, जो 50 से भी अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। बैंक के पास एक कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू) है, जिसके प्रमुख एक मुख्य महाप्रबंधक हैं।

एसटीयू का कार्य भारतीय स्टेट बैंक में एक ऐसा “ज्ञानार्जन संगठन” बनाने में सहायता करना है जो बदलाव एवं विकास कार्यों का प्रबंध करने में सक्षम हो। एसटीयू न केवल भारतीय स्टेट बैंक में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को पूरी तरह से कार्य-योग्य बनाने का प्रशिक्षण देने में अपितु उसके वर्तमान कार्य-बल के ज्ञान और निपुणता को बढ़ाने तथा उनकी अभिवृत्ति का फिर से अभिविन्यास करने में भी सहायता करता है। प्रशिक्षण प्रणाली एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश उत्पन्न करती है जो स्वयं, समूह, संगठन और समाज के लगातार ज्ञानार्जन एवं विकास को बढ़ावा देता है। भारतीय स्टेट बैंक अपने शीर्ष नेतृत्व को भी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं द्वारा चलाए गए ग्राहकोनुकूल नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाता रहा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 1.76 लाख कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, इनमें 52 कम दृष्टिवाले और कम सुनाई देने वाले कर्मचारी शामिल हैं। बैंक ने एक पर्यावरण अनुकूल और निपुणता उन्नयन के सुविधाजनक मार्ग के रूप में ई-लर्निंग पोर्टल की



Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Practising Good Corporate Governance

State Bank of India is committed to set exemplary performance in the area of ethical conduct and hence, adopt the best practices in the area of Corporate Governance. The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct for its Directors on the Central Board and its Core Management. This Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. The Code envisages and expects adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. To get further details, the Code can be easily accessed at our corporate website. SBI's Business Responsibility Policy also covers aspects related to ethics, bribery and corruption.

Each of our subsidiaries and associate banks have their own independent Boards and independent policies. The Bank maintains utmost transparency in all its dealings. The full details of complaints received from major stakeholders and their disposal is displayed in the Bank's website annually.

Principle 2: Providing Sustainable Products and Services

Banks play a major role in the economic and social development of the country and most of the credit-related schemes of the government to uplift the poorer and the under-privileged sections have been implemented through the banking sector. SBI, being the largest bank in India, is at the forefront of contributing to the sustainable development of the country through its innovative products and services.

The Bank offers a wide array of financial products and services, each of which has a direct or indirect positive impact on the society and/or environment. Few of the Bank's recent products/services with inherent environmental/social benefits like Green Channel Counter, Green Remit Card etc. The details of these products/services have been provided in the Bank's Annual Report for FY 2012-13.

The Bank strives to utilize optimally the resources for its operations. The major consumables for banking operations are stationery items. Sustainable Sourcing in context of banking industry has primarily to do with procurement from locally-based suppliers/vendors. The Bank has sourced almost all of its consumables from locally-based suppliers (The Bank defines all India-based suppliers as 'locally-based') in the reporting period.

Principle 3: Caring for Human Capital

Employee Strength

The Bank is one of the largest employers in the country having 228296 employees at the end of FY 2012-13, out of which there were 46833 female employees and 2402 disabled employees. As on 31st March 2013, the Bank had 43550 Schedule Caste and 16764 Schedule Tribe employees.

Employee Benefits

The Bank believes that banking is all about relationships and it is the Bank's employees that make and deliver these relationships, be it with an individual customer, a small business or a large company. The Bank's people make the difference for its customers and hence, it is important for the Bank to do its best for them. The Bank runs multiple benefit schemes for its employees some of which include providing them provident fund, gratuity, pension, medical benefits, reduced interest rates on advances, higher interest rates on deposits, scholarships to employees' children, access to holiday homes etc.

Freedom of Association

The Bank has two recognized Employee Associations – One for Supervising Staff and the other for Award Staff. The names of the associations are:

1. All India State Bank of India Officer's Federation.
2. State Bank of India Staff Federation.

The majority of staff and officers are members of these federations.

Human Rights

Recruitment policy of the Bank does not permit any engagement of child labour, forced labour or involuntary labour. Independent complaint committee have been constituted at, Local Head Offices (LHOs), Administrative offices and Regional Business offices (RBOs) level & a Contact Coordinator at Corporate Centre to handle complaints of sexual harassment at work place, promptly and appropriately. The Bank refrains from any discrimination on the basis of caste, creed, gender or religion and strives to ensure a healthy work-life balance for its employees.

Employee Training & Development

State Bank of India has a very elaborate training network comprising of 47 Learning Centres and 5 Apex Institutes developed over 50 years to cater to the competence building of its employees. The Bank has a Strategic Training Unit (STU) headed by a Chief General Manager.

The STU's task is to help State Bank of India become a "Learning Organization" capable of handling change and growth. The STU helps in not only training to help integrate the new recruits into SBI but also enhancing the knowledge and skills and reorienting attitude of its existing work force. The training system creates a culture that promotes continuous learning and development of the self, group, organization and society. SBI has also been putting its top leaders through customized Leadership Programmes conducted by reputed management institutes.

1.76 lac employees/officials have been trained during 2012-13, which includes 53 visually and hearing impaired employees. The bank has also introduced e-learning portal, as an environmental friendly and convenient way of skill upgradation. 94% of the total staff strength is registered on



भी शुरुआत की है। 94 प्रतिशत स्टाफ सदस्यों ने इस ई-लर्निंग पोर्टल पर पंजीकरण करवा लिया है। बैंक की प्रशिक्षण प्रणालियों की कार्य-क्षमता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए, बैंक को प्रतिष्ठित “गोल्डनपिकों कनैशनल ट्रेनिंग अवार्ड-2012” प्राप्त हुआ है।

सिद्धांत 4 : हितधारकों से परामर्श प्राप्त करना

भारतीय स्टेट बैंक हितधारकों की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवसाय चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में, बैंक ने शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, समुदाय, बैंकिंग एसोसिएशन, सरकार और विक्रेताओं के रूप में अपने प्रमुख हितधारकों का चयन किया है।

अपने व्यापक और विभिन्न प्रकार के हितधारकों में से, बैंक कुछ वंचित, कमजोर वर्ग और सीमांतक हितधारकों को विशेष सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के कुछ हितधारकों में लघु एवं सीमांत किसान, शिल्पकार, अत्यंत लघु क्षेत्र के ग्राहक और सूक्ष्म इकाइयां (एसएचजी), शारीरिक रूप से निःशक्त और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, अल्प सुविधाप्राप्त और बैंकिंग सुविधा रहित लोग हैं।

वंचित, कमजोर वर्ग और सीमांतक हितधारकों के रूप में स्वीकार किए गए हितधारकों के लिए बैंक कई प्रकार के प्रयास करता रहा है। ऐसी पहलों का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

सिद्धांत 5 : मानवाधिकारों का सम्मान करना

बैंक मानवाधिकारों का सम्मान करता है और अपने परिचालन एवं प्रभाव के क्षेत्र में किसी मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को बरदाश्त नहीं करता है। मानवीय अधिकारों के उल्लंघन से कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए बैंक में प्रणालियां, कार्यविधियां और नीतियां कार्यरत हैं। महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के संबंध में बैंक के विस्तृत दिशा-निर्देश ऐसा एक उदाहरण है। ऐसी शिकायतों का उचित कार्य-निष्ठा के साथ निपटान करने के लिए बैंक के कारपोरेट केन्द्र में एक बहुत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को “संपर्क समन्वयक” के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंक अपने हितधारकों और अन्यो के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बिलकुल बरदाश्त नहीं करता है।

प्रमुख हितधारकों से प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान से संबंधित स्थिति को वार्षिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।

सिद्धांत 6 : पर्यावरण का ध्यान रखना

यद्यपि अन्य दूसरे उद्योग में इसी तरह का कार्य करने वाली किसी कंपनी की तुलना में बैंक के परिचालनों से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव कम रहता है, फिर भी बैंक जहां तक संभव हो, उसके कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के परिचालनों से बहुत कम उत्सर्जन/अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बैंक को कोई कारण बताओ/विधिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंक की व्यवसाय दायित्व नीति में पर्यावरण पहलुओं से संबंधित इसका दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से शामिल रहता है जो उसके सभी परिचालनों के संबंध में लागू होता है।

जलवायु बदलाव और संसाधन बचाने पर ध्यान देने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहल निम्नानुसार हैं :

1. बैंक की सतत ग्रीनबैंकिंग पहल के एक भाग के रूप में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में पवन-चक्की (विंड मिल) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और इस प्रकार उत्पन्न की गई ऊर्जा को बैंक की शाखाओं/कार्यालयों के काम में लिया जाता है। इससे बैंक की पवन-चक्कियों(विंड मिल) द्वारा उत्पन्न की गई अक्षय ऊर्जा की सीमा तक प्रदूषण फैलाने वाली ताप-ऊर्जा की निर्भरता में कमी आएगी।

2. ऊर्जा एवं अपशिष्ट का सक्षमता से निपटान करने सहित ऊर्जा सक्षम उपायों को लागू करने, कागज एवं जल का सक्षम ढंग से उपयोग करने, सोलरएटीएमों की स्थापना करने, ग्रीनचैनलकाउंटरों की शुरुआत करने (पेपर रहित बैंकिंग) के रूप में संसाधनों का स्थायी रूप उपयोग करने का महत्व हितधारकों के बीच प्रभावशाली ढंग से प्रसारित हुआ है।

3. आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण के माध्यम से सक्षम विनिर्माण प्रथाओं को अपनाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक रियायती ब्याज दरों पर परियोजना ऋण प्रदान करते हुए ग्राहकों को प्रोत्साहित करता रहा है।

4. बैंक ने अपने कार्बन विस्तार स्तर का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है जिससे बैंक संसाधनों के उपभोग पैटर्न का पता लगाने में मदद मिलेगी और लागत प्रभावी ढंग से स्थायी उपयोग के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए बैंक प्रभावी कदम उठा सकेगा।

5. सभी मंडलों में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए।

6. बैंक में एक स्मार्ट, अर्थात् विशिष्ट, परिमेय, हासिल करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध ग्रीनबैंकिंग लक्ष्य कार्यरत हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- इलेक्ट्रिक ऊर्जा और ईंधन की खपत कम करना
- सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंट से स्टाररेटिंग प्राप्त करना
- “ग्रीनबिल्डिंग” का निर्माण करना
- खराब जल को शुद्ध करना
- सोलर एटीएम
- ऊर्जा बचत के संबंध में स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम/समारोह
- फल देने वाले पेड़ लगाना

सिद्धांत 7 : लोक नीति की वकालत करना

भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न बैंकिंग एवं वित्त संबंधी ट्रेड निकायों, चेम्बरस और एसोसिएशनों का एक सक्रिय सदस्य रहा है।

कुछ प्रमुख एसोसिएशनजिनमें भारतीय स्टेट बैंक उनका एक भाग है, यहां नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
2. भारतीय विदेशी मुद्रा विक्रेता संघ (फेडई)
3. फिक्सडइन्कम मनी मार्केट एण्डेरीवेटिक्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)

बैंक की नीति ऐसे समाज के सम्पूर्ण फायदे के लिए वकालत करने की रही है जो किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक हित का कार्य नहीं करता हो।

सिद्धांत 8 : समावेशीय संवृद्धि हासिल करना

भारत ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण प्रगति और जीडीपी संवृद्धि को देखा है। यद्यपि, संवृद्धि की कहानी प्रभावशाली रही है, फिर भी गरीबी देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। भारत को वास्तव में संवृद्धिसमावेशी बनाने के लिए, बैंकिंग उद्योग जनसंख्या के व्यापक खण्डों तक, विशेष रूप से अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों तक पहुंचने और उन्हें बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, “वित्तीय समावेशन” समावेशीसंवृद्धि और विकास के संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण पहलू है।



three-learning portal. The Bank won the prestigious 'Golden Peacock National Training Awards -2012' for increasing efficiency and effectiveness of the Bank's Training Systems.

Principle 4: Engaging with Stakeholders

State Bank of India is committed to enhance stakeholder value. As a critical activity for running business, the Bank has identified its key stakeholders as Shareholders, Investors, Customers, Employees, Community, Banking Associations, Government and Vendors.

Out of its vast and diverse set of stakeholders, the Bank extends special support to the disadvantaged, vulnerable and marginalized ones. Few such stakeholders include small and marginal farmers, artisans, tiny sector customers and micro-units (SHGs), physically challenged and socially-deprived people, under-privileged and unbanked communities.

The Bank undertakes multiple initiatives for the stakeholders identified as disadvantaged, vulnerable and marginalized. The details of such initiatives have been provided in the Bank's Annual Report for FY 2012-13.

Principle 5: Respecting Human Rights

The Bank respects human rights and does not tolerate any human right violation in its sphere of operation and influence. The Bank has put in place systems, procedures and policies to protect especially the vulnerable sections against human rights violation. Bank's detailed guidelines, against harassment of women employee is one such example. A very senior level functionary has been appointed as 'Contact Coordinator' at Corporate Centre of the Bank to deal with such complaints with due diligence.

The Bank has zero tolerance for human rights violation against its stakeholders and others.

The position regarding complaints by major stakeholders and their disposal is displayed in the Bank's website annually.

Principle 6: Caring for Environment

Though the direct environmental impact from the Bank's operations is comparatively less when compared to a company of similar magnitude from any other industry, the Bank is committed to keep its environmental footprint as small as possible. The Bank's operations generate very minimal emissions/waste. The Bank didn't receive any show cause/legal notice by Pollution Control Board during the FY 2012-13.

The Bank's Business Responsibility Policy adequately covers its approach towards environmental aspects and is applicable to all its operations. Some of the initiatives taken by the Bank to address climate change and resource conservation are:

1. As part of the Bank's on-going 'Green Banking' initiatives, windmill projects have been successfully commissioned and power thus generated helps power Bank's branches/offices in the States of Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. This reduces dependence on polluting thermal power to the extent of renewable power generated by the Bank's windmills.

2. The imperative of sustainable usage of resources, including energy and efficient disposal of waste has been effectively propagated amongst the stakeholders, in the form of adopting energy efficiency measures, efficient usage of paper and water, installation of Solar ATMs, introduction of Green Channel Banking (Paperless Banking).
3. The Bank has been encouraging customers by extending project loans on concessionary interest rates to reduce Green House Gas (GHG) emissions by adopting efficient manufacturing practices through acquisition of latest technology.
4. The Bank has initiated a pilot project to determine its Carbon footprint levels, which will help in determining the Bank's resource consumption pattern and enable the Bank to take effective steps to implement various measures for sustainable usage in a cost effective way.
5. Special drive for tree plantation was taken up across all Circles.
6. The Bank has put in place SMART i.e. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound Green Banking Goals, which includes,
 - Reduction of electrical energy and fuel consumption.
 - Obtaining star rating at all Local Head Offices premises from Bureau of Energy efficiency.
 - Construction of 'Green -Building'.
 - Waste water treatment.
 - Solar ATMs
 - Programmes/events to sensitize staff on energy savings.
 - Plantation of fruit bearing trees.

Principle 7: Advocating Public Policy

SBI has been an active member of various banking and finance-related Trade bodies, Chambers and Associations.

Some of the major associations which SBI is a part of are listed hereunder:

1. Indian Bank's Association (IBA),
2. Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI),
3. Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA),

The Bank's advocacy of policy has been for overall benefit to the Society, which do not serve any sectarian interest.

Principle 8: Enabling Inclusive Growth

India has seen significant progress and GDP growth in the past decade. However, while the growth story has been impressive, poverty continues to be one of the nation's biggest concerns. To make India's growth truly inclusive, banking industry is striving to reach out and brings vast segments of the population, especially the underprivileged sections, into the fold of basic banking services. Thus, "Financial inclusion" is one of the most critical aspects in the context of inclusive growth and development.



देश के सबसे बड़े भारतीय बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का यह मानना है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उसका कार्यान्वयन करने में उसे भूमिका अदा करनी होगी। इस संबंध में बैंक द्वारा शुरू की गई पहलों का ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय समावेशन में किए गए अपने अनुकरणीय कार्य के अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्य-कलापों पर भारतीय रूप में 123.27 करोड़ की कुल राशि खर्च की है। शुरू किए गए कार्य-कलापों और परियोजनाओं का ब्योरा उपर्युक्त खण्ड “ख” और वार्षिक रिपोर्ट के “कारपोरेट सामाजिक दायित्व” खण्ड में शामिल किया गया है। बैंक ने देश के सभी भागों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आजीविका आदि में सहायता प्रदान करने वाली अनेक सामाजिक पहलें की हैं।

बैंक ने अपने सीएसआर कार्य-कलापों में निम्नलिखित अवार्ड प्राप्त किए हैं।

- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड
- एशिया का श्रेष्ठ सीएसआर प्रेक्टिस अवार्ड-2012
- एशियन सीएसआर लीडरशिप अवार्ड-2012
- आईपीई श्रेष्ठ सीएसआर अवार्ड-2012
- मोस्ट कैयरिंग कंपनी अवार्ड-2012

सिद्धांत 9 : ग्राहकों की सेवा करना

शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक ने अत्यधिक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली और पद्धति को कार्यान्वित किया है जिससे ग्राहक अपनी चिंताओं और प्रतिसूचना को व्यक्त कर सकें।

1. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज और शिकायत दूर करने की प्रणाली के एक एकल बिन्दु के रूप में तैयार की गई वेब-आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की है।
2. ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के साथ ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थापित की गई है जो मंडल में ग्राहक सेवा की संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करती है।
3. यद्यपि बैंक ग्राहक सेवा में उच्चतम मानक हासिल करने का प्रयास करता है, फिर भी प्रदान की गई सेवा में किसी भी प्रकार की कमी के कारण घटने वाली घटना में ग्राहक को वित्तीय रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक क्षतिपूर्ति नीति है। इस नीति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतकर्ता ग्राहक को उसके द्वारा मांग किए बिना ही क्षतिपूर्ति की जाती है।
4. शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में एक समर्पित ग्राहक निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है जो शिकायतों को दूर करने सहित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों की भी देखरेख करता है।

वित्त वर्ष के अंत तक बैंक के पास केवल 1.17% ग्राहक शिकायतें बकाया है। ग्राहक शिकायतों का ब्योरा और उनका निपटान बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

उचित बैंकिंग प्रथाएं

भारतीय स्टेट बैंक को पक्का विश्वास है कि उसके व्यवसाय की संवृद्धि के लिए एक संतुष्ट ग्राहक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। ‘उत्कृष्टता की ओर’ नाम से उचित बैंकिंग प्रथा संहिता की शुरुआत भारत में पहली बार बैंक ने शुरू की थी। इस संहिता में व्यक्तिगत बैंकिंग ग्राहकों को उच्च स्तर की बैंकिंगसेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित हुई है।

फरवरी 2006 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्वतंत्र स्वायत्त परीक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना की है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक बैंकों के साथ अपने संव्यवहारों में उचित व्यवहार प्राप्त करते हैं। बीसीएसबीआई ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता से संबंधित संहिता (संहिता) को प्रकाशित किया है जो बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानक और बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले ग्राहक सेवा के निर्दिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। भारतीय स्टेट बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, इस संहिता को और अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में अपनी उचित प्रथा संहिता को स्वैच्छिक रूप से अपना लिया है।

बैंक द्वारा अपनायी गई उचित ऋण प्रथा संहिता के अंतर्गत की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्नानुसार हैं:

- खुदरा ऋणों के मामले में एक व्यावसायिक ढंग से, सक्षमता, शिष्टता, कर्तव्य-निष्ठा और शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करना।
- धर्म, जाति, लिंग, वंश या उनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- ऋण उत्पादों के विज्ञापन और विपणन में निष्पक्ष एवं ईमानदार बने रहना।
- ऋण लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों को शर्तों, लागतों, अधिकारों और दायित्वों का प्रकटीकरण समय पर और उचित ढंग से करना।
- यदि मांग की गई हो, तो ऋण संबंधी संविदाओं में इस प्रकार की सहायता या सलाह उपलब्ध कराना।
- संगठन के अंदर शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करके ग्राहकों के साथ किसी भी विवाद या मतभेदों का आपसी विश्वास के साथ निपटान करने की कोशिश करना।
- आपसी विश्वास में सभी नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना।
- ऋणों से संबंधित संविदाओं में संभाव्यता जोखिमों के बारे में सामान्य जागरूकता फैलाना और ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से वित्तीय सलाह लेने के लिए और केवल बैंकों के प्रतिनिधियों की सलाह पर कार्य नहीं करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए।

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली और उचित बैंकिंग प्रथाओं के प्रति बैंक की समर्पित भावना के कारण, बैंक में अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जवाबदार विज्ञापन तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा व्यवहार के संबंध में उसके विरुद्ध कोई भी मामला बकाया नहीं है।



State Bank of India realizes the role it has to play as the largest Indian Bank in practicing and promoting Financial Inclusion. The details of initiatives taken by the Bank in this regard have been provided in the Bank's Annual Report for FY 2012-13.

Apart from its exemplary work done in financial inclusion, the Bank has spent a total amount of INR 123.27 crores on CSR activities in FY 2012-13. The details of the activities and projects undertaken have been covered above in Section B as well as in "Corporate Social Responsibility" section of the Annual Report. The Bank undertakes numerous community development initiatives across the length and breadth of India supporting education, healthcare, livelihood etc.

The Bank has won the following awards for its CSR activities.

- Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility.
- Asia's Best CSR Practice Award-2012
- Asian CSR leadership Award -2012.
- IPE Best CSR Award -2012.
- Most Caring Company Award – 2012.

Principle 9: Serving Customers

Grievance Redressal Mechanisms

The Bank has implemented highly robust grievance redressal system and mechanism to enable its customers to voice their concerns and feedback.

1. Bank has launched web-based complaint Management System (CMS) designed to serve as a Single point on line grievances lodging and redressing system for its customers.
2. The standing Committee on Customer Service with representation of customers has been constituted at all Local Head Offices which reviews the overall position of customer service in the Circle.
3. While the Bank strives to achieve the highest standard in customer service, it has also put in place a Board approved compensation Policy to compensate the customer financially in the unlikely event of any slippage in services extended. The Policy ensures that the aggrieved customer is compensated without having to ask for it.
4. A dedicated Customer Care Cell exclusively engaged in Customer Service related issues including grievance redressal has been formed at each Circle to further strengthen the redressal machinery.

The Bank had only 1.17% of the customer complaints pending as on the end of financial year. The detail of customer complaints and their disposal is displayed in the Bank's website.

Fair Banking Practices

State Bank of India strongly believes that a satisfied customer is the most important factor for growth of its business. The Bank was the first in India to introduce a code of Fair Banking Practices called "Towards Excellence". The code reflected the commitment of the Bank to provide Banking services of a high order to individual banking customers.

In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers " (the Code) which sets minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. SBI is a member of the BCSBI and has therefore voluntarily adopted the Code as its Fair Practice Code in dealings with its customers.

The important declarations under the Fair Lending Practices Code adopted by the Bank are:

- To provide in a professional manner, efficient, courteous, diligent and speedy services in the matter of retail lending.
- Not to discriminate on the basis of religion, caste, sex, descent or any of them.
- To be fair and honest in advertisement and marketing of Loan Products.
- To provide customers with accurate and timely disclosure of terms, costs, rights and liabilities as regards loan transactions.
- If sought, to provide such assistance or advice to customers in contracting loans.
- To attempt in good faith to resolve any disputes or differences with customers by setting up complaint redressal cells within the organization.
- To comply with all the regulatory requirements in good faith.
- To spread general awareness about potential risks in contracting loans and encourage customers to take independent financial advice and not act only on representations from banks.

Due to the Bank's dedication towards excellent customer service, robust grievance handling mechanisms and fair banking practices, the Bank has no case filed against it regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour.



भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र STATE BANK OF INDIA BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. SCHEDULE NO.	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
पूंजी और देयताएँ / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	684,03,40	671,04,48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	98199,65,14	83280,16,10
जमाराशियाँ Deposits	3	1202739,57,43	1043647,36,23
उधार-राशियाँ Borrowings	4	169182,71,36	127005,56,80
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	95455,06,70	80915,09,46
	योग TOTAL	1566261,04,03	1335519,23,07
आस्तियाँ / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	65830,41,04	54075,93,86
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and money at call and short notice	7	48989,75,41	43087,22,63
निवेश Investments	8	350927,27,16	312197,61,03
अग्रिम Advances	9	1045616,55,31	867578,89,01
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	7005,02,22	5466,54,92
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	47892,02,89	53113,01,62
	योग TOTAL	1566261,04,03	1335519,23,07
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	926378,90,86	832605,33,43
उगाही के लिए बिल Bills for Collection	--	66639,54,09	66959,85,00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा -टिप्पणियाँ Notes to Accounts	18		



अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
प्राधिकृत पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000) Authorised Capital : 500,00,00,000 (Previous Year 500,00,00,000) shares of ₹ 10 each	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,41,17,046 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,11,28,349) Issued Capital : 68,41,17,046 (Previous Year 67,11,28,349) Equity Shares of ₹ 10 each	684,11,70	671,12,83
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,40,33,971 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,10,44,838) [उपर्युक्त में 1,65,21,526 (पिछले वर्ष 1,69,77,498) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं, जो 82,60,763 (पिछले वर्ष 84,88,749) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं.] Subscribed and Paid-up Capital : 68,40,33,971 (Previous Year 67,10,44,838) Equity Shares of ₹ 10 each [The above includes 1,65,21,526 (Previous Year 1,69,77,498) Equity Shares represented by 82,60,763 (Previous Year 84,88,749) Global Depository Receipts]	684,03,40	671,04,48
योग TOTAL	684,03,40	671,04,48



अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹	
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves अथशेष				
Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	36052,85,01		32512,22,28	
Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4417,86,08		3540,62,73	
Deductions during the year	-		-	
		40470,71,09		36052,85,01
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves अथशेष				
Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	1508,08,79		1493,71,10	
Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	19,16,96		14,37,69	
Deductions during the year	-		-	
		1527,25,75		1508,08,79
III. शेयर प्रीमियम Share Premium अथशेष				
Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	28513,84,58		20658,58,29	
Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2991,08,00		7864,05,01	
Deductions during the year	3,72,77		8,78,72	
		31501,19,81		28513,84,58
IV. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ Foreign Currency Translation Reserve अथशेष				
Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	2433,48,66		608,73,19	
Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1041,84,73		1824,75,47	
Deductions during the year	-		-	
		3475,33,39		2433,48,66
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ Revenue and Other Reserves* अथशेष				
Opening Balance वर्ष के दौरान परिवर्धन	14771,55,13		9077,45,63	
Additions during the year वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6453,26,04		5694,09,50	
Deductions during the year	-		-	
		21224,81,17		14771,55,13
VI. लाभ और हानि खाते की शेष राशि Balance of Profit and Loss Account		33,93		33,93
* नोट: राजस्व और अन्य आरक्षितियों में (i) एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,00 हजार) एवं (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित ₹ 4487,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3737,00,00 हजार) की राशि शामिल है।				
*Note: Revenue and Other Reserves include				
(i) ₹ 5,00,00 thousand (Previous Year ₹ 5,00,00 thousand) of Integration and Development Fund (maintained under Section 36 of the State Bank of India Act, 1955)				
(ii) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 ₹ 4487,00,00 thousand (Previous Year ₹ 3737,00,00 thousand)				
	योग TOTAL	98199,65,14		83280,16,10


अनुसूची 3 - जमाराशियाँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

 (000 को छोड़ दिया गया है)
 (000s omitted)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
क.	I. माँग जमाराशियाँ		
A.	Demand Deposits		
	(i) बैंकों से From Banks	7345,35,39	6969,88,04
	(ii) अन्यो से From Others	105334,91,78	91480,43,79
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	426383,11,88	369156,31,01
	III. सावधि जमाराशियाँ Term Deposits		
	(i) बैंकों से From Banks	27855,66,19	17405,94,82
	(ii) अन्यो से From Others	635820,52,19	558634,78,57
	योग TOTAL	1202739,57,43	1043647,36,23
ख.	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches in India	1130136,60,70	982214,07,48
B.	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	72602,96,73	61433,28,75
	योग TOTAL	1202739,57,43	1043647,36,23

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

 (000 को छोड़ दिया गया है)
 (000s omitted)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I.	भारत में उधार-राशियाँ Borrowings in India		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	14476,16,00	-
	(ii) अन्य बैंक Other Banks	5648,85,07	5048,10,02
	(iii) अन्य संस्थाएँ और अधिकरण Other Institutions and Agencies	4894,40,03	3813,97,75
	(iv) पूंजीगत लिखत: Capital Instruments :		
	क. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) a. Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	2165,00,00	2165,00,00
	ख. गौण ऋण b. Subordinated Debt	34671,39,60	34671,39,60
	योग TOTAL	61855,80,70	45698,47,37



अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ (जारी...)
SCHEDULE 4 - BORROWINGS (Contd...)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year)		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year)	
	₹	₹	₹	₹
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ Borrowings outside India				
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित्त Borrowings and Refinance outside India		103934,09,41		78127,33,19
(ii) पूंजीगत लिखत: Capital Instruments :				
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)		3392,81,25		3179,76,24
योग TOTAL		107326,90,66		81307,09,43
कुल योग GRAND TOTAL		169182,71,36		127005,56,80
प्रतिभूत उधार राशियाँ जो ऊपर I और II में शामिल हैं Secured Borrowings included in I & II above		5244,20,68		4478,39,42

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year)		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year)	
	₹	₹	₹	₹
I. संदेय बिल Bills payable		19686,48,27		20504,85,88
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (Net)		16384,11,49		-
III. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued		13333,47,47		10742,54,95
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) Deferred Tax Liabilities (Net)		628,91,86		-
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)		45422,07,61		49667,68,63
योग TOTAL		95455,06,70		80915,09,46



अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	11552,19,17	11186,36,07
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balance with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में In Current Account	54278,21,87	42887,03,55
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	-	2,54,24
योग TOTAL	65830,41,04	54075,93,86

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खातों में (a) In Current Accounts	664,07,65	820,02,23
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	3002,57,75	3811,99,13
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	7173,00,00	5995,24,93
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With other institutions	-	-
योग TOTAL	10839,65,40	10627,26,29
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खातों में In Current Accounts	25822,33,16	23650,02,74
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	4334,76,89	422,14,68
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice	7992,99,96	8387,78,92
योग TOTAL	38150,10,01	32459,96,34
कुल योग GRAND TOTAL (I एवं/ and II)	48989,75,41	43087,22,63



अनुसूची 8 - निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. भारत में निवेश : Investments in India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	269260,22,00	255833,61,37
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	-	6,14,92
(iii) शेयर Shares	3865,81,59	3337,59,99
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	29055,06,45	12999,14,27
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगी सम्मिलित हैं) Subsidiaries and/ or Joint Ventures (including Associates)	5465,12,53	5460,99,83
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि) Others (Units of Mutual Funds, Commercial Papers, Priority Sector Deposits etc.)	32608,24,94	23383,46,96
योग TOTAL	340254,47,51	301020,97,34
II. भारत के बाहर निवेश : Investments outside India in :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	2860,35,91	1866,27,62
(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures abroad	1602,78,14	1602,78,14
(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures etc.)	6209,65,60	7707,57,93
योग TOTAL	10672,79,65	11176,63,69
कुल योग GRAND TOTAL (I एवं/and II)	350927,27,16	312197,61,03
III. भारत में निवेश Investments in India :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	341173,96,83	302856,15,20
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यहास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	919,49,32	1835,17,86
(iii) निवल निवेश (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	योग TOTAL	योग TOTAL
	340254,47,51	301020,97,34
IV. भारत के बाहर निवेश : Investments outside India :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	10801,98,41	11436,68,18
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यहास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	129,18,76	260,04,49
(iii) निवल निवेश (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	योग TOTAL	योग TOTAL
	10672,79,65	11176,63,69
कुल योग GRAND TOTAL (III एवं/and IV)	350927,27,16	312197,61,03



अनुसूची 9 - अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
क.	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	88667,91,97	77138,60,77
A.	Bills purchased and discounted		
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	465451,77,02	374143,24,94
	Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand		
	III. सावधि ऋण	491496,86,32	416297,03,30
	Term loans		
	योग TOTAL	1045616,55,31	867578,89,01
ख.	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	770342,19,70	624544,52,03
B.	Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)		
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	93712,47,29	78555,19,05
	Covered by Bank/ Government Guarantees		
	III. अप्रतिभूत	181561,88,32	164479,17,93
	Unsecured		
	योग TOTAL	1045616,55,31	867578,89,01
ग.	I. भारत में अग्रिम		
C.	Advances in India		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	264313,88,71	250176,96,36
	Priority Sector		
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	54670,17,17	54707,32,31
	Public Sector		
	(iii) बैंक	68,76,58	180,37,64
	Banks		
	(iv) अन्य	559156,10,37	428436,62,60
	Others		
	योग TOTAL	878208,92,83	733501,28,91
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	Advances outside India		
	(i) बैंकों से प्राप्य	32915,24,62	17086,18,01
	Due from banks		
	(ii) अन्यो से प्राप्य		
	Due from others		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	21216,56,17	21568,46,45
	(a) Bills purchased and discounted		
	(ख) सिंडीकेटिड ऋण	56258,73,66	47400,11,59
	(b) Syndicated loans		
	(ग) अन्य	57017,08,03	48022,84,05
	(c) Others		
	योग TOTAL	167407,62,48	134077,60,10
	कुल योग (ग-I एवं ग-II) GRAND TOTAL (C-I & C-II)	1045616,55,31	867578,89,01



अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. परिसर Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	2142,79,28	1791,60,63
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	676,70,93	357,10,96
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	2,75,69	5,92,31
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	<u>942,18,45</u>	<u>859,61,78</u>
	1874,56,07	1283,17,50
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	11847,40,39	10595,54,50
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2442,55,55	1862,27,87
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	671,52,39	610,41,98
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	<u>8897,48,54</u>	<u>7996,91,40</u>
	4720,95,01	3850,48,99
III. पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	802,13,34	802,13,34
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	19,24,24	-
प्रावधान सहित अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date including provision	<u>782,89,10</u>	<u>802,13,34</u>
	-	-
जोड़ें: पट्टा समायोजन खाता Add: Lease adjustment account	<u>20,27</u>	<u>20,27</u>
	20,27	20,27
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित) Assets under Construction (Including Premises)	409,30,87	332,68,16
कुल TOTAL (I, II, III एवं / and IV)	7005,02,22	5466,54,92



अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (Net)	-	1573,93,79
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	12090,67,66	11013,85,83
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance / tax deducted at source	5333,66,58	8240,82,75
IV. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	-	180,63,83
V. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and stamps	97,79,18	98,01,43
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	4,25,91	4,25,91
VII. अन्य Others	30365,63,56	32001,48,08
योग TOTAL	47892,02,89	53113,01,62

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	958,23,39	930,18,89
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2,80,00	2,80,00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	471913,15,90	404915,74,76
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	95428,29,37	86853,33,93
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	77481,61,57	84072,55,61
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	126672,56,77	134540,58,99
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	153922,23,86	121290,11,25
योग TOTAL	926378,90,86	832605,33,43



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ और हानि खाता STATE BANK OF INDIA PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	119657,09,90	106521,45,34
अन्य आय Other Income	14	16034,84,33	14351,44,57
योग TOTAL		135691,94,23	120872,89,91
II. व्यय EXPENDITURE			
दिया गया ब्याज Interest expended	15	75325,79,65	63230,36,87
परिचालन व्यय Operating expenses	16	29284,42,23	26068,99,21
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		16976,73,86	19866,24,97
योग TOTAL		121586,95,74	109165,61,05
III. योग PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		14104,98,49	11707,28,86
अग्रणीत लाभ Profit brought forward		33,93	33,93
पूर्ववर्ती एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. के समामेलन पर अंतरित लाभ शेष Profit balance of e-SBI Commercial & International Bank Ltd. transferred on amalgamation		-	5,71,15
योग TOTAL		14105,32,42	11713,33,94
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Statutory Reserve		4417,86,08	3516,97,72
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Capital Reserve		19,16,96	14,37,69
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Revenue and other Reserves		6453,26,04	5536,49,60
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		2838,74,09	2348,65,69
लाभांश पर कर Tax on Dividend		375,95,32	296,49,31
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि Balance carried over to Balance Sheet		33,93	33,93
योग TOTAL		14105,32,42	11713,33,94
प्रति शेयर मूल आय Basic Earnings per Share		₹ 210.06	₹ 184.31
प्रति शेयर कम की गई आय Diluted Earnings per Share		₹ 210.06	₹ 184.31
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा - टिप्पणियाँ Notes to Accounts	18		



अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances / bills	90537,09,93	81077,69,77
II. निवेशों पर आय Income on investments	27200,63,07	23949,14,17
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	545,13,73	350,47,17
IV. अन्य Others	1374,23,17	1144,14,23
योग TOTAL	119657,09,90	106521,45,34

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	11483,71,60	12090,90,17
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	1101,91,53	(919,74,24)
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)	(3,78,17)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets (Net)	(32,71,93)	(44,14,62)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) Profit / (Loss) on exchange transactions	1691,61,87	1432,19,47
VI. विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from subsidiaries/ companies and/ or joint ventures abroad/ in India	715,51,40	767,35,15
VII. वित्तीय पट्टे से आय Income from financial lease	55,36	9,68
VIII. विविध आय Miscellaneous Income	1078,02,67	1024,78,96
योग TOTAL	16034,84,33	14351,44,57



अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	67464,54,74	55644,36,92
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter-bank borrowings	4124,10,58	3885,64,45
III. अन्य Others	3737,14,33	3700,35,50
योग TOTAL	75325,79,65	63230,36,87

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.03.2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.03.2012 (Previous Year) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	18380,90,24	16974,04,04
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च Rent, taxes and lighting	2438,83,79	2065,40,88
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	297,01,73	276,48,56
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	384,35,26	206,63,27
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (a) Depreciation on Bank's Property (other than Leased Assets)	1139,60,76	1007,16,87
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास (b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	73,37	48,18
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	124,62,60	128,49,52
VIII. विधि प्रभार Law charges	133,90,64	117,29,49
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	515,64,34	433,26,05
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	393,53,33	373,30,20
XI. बीमा Insurance	1200,71,99	963,46,17
XII. अन्य व्यय Other expenditure	4274,54,18	3522,95,98
योग TOTAL	29284,42,23	26068,99,21



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं एवं वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंडों / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं, के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

- 1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।
- 1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) "ट्रेडिंग" नामित रुपया डेरीवेटिव्स पर आय के अलावा किया गया है।
- 1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाला लाभ प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि अपेक्षाओं को घटाने के बाद से आरक्षित पूंजी लेखा में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि को विनियोजित किया गया है।
- 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

SCHEDULE 17- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

- 1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of banks' foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) overdue interest on investments and bills discounted, (iii) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading".
- 1.3 Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however, the profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to 'Capital Reserve Account'.
- 1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.



- 1.5 “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बढ़ाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :
- क. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय शामिल किया गया है.
- ख. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.
- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है वहाँ लाभांश को प्रोद्घवन आधार पर लेखे में लिया गया है.
- 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन जोकि प्रोद्घवन आधार पर शामिल किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद शामिल किया गया है.
- 1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है.

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन को “सेटलमेंट डेट” पर दर्ज किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को “सौदे की तिथि” यानी “ट्रेड - डेट” पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् “परिपक्वता तक धारित”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” और “व्यवसाय के लिए धारित”.

2.2 वर्गीकरण का आधार:

- निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को “परिपक्वता तक धारित” रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को “व्यवसाय के लिए रखे गए” के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को “विक्रय के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- किसी निवेश को इसके क्रय के समय “परिपक्वता तक धारित”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” या “व्यवसाय के लिए रखे गए” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणीबद्ध किया गया है.
- अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को “परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

2.3 मूल्य निर्धारण :

- किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:
 - अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है.
 - निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

- Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.
- One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on “Settlement Date”. Investments other than Government Securities are recorded on “Trade Date”.

2.1 Classification

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT).

2.2 Basis of classification:

- Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

2.3 Valuation:

- In determining the acquisition cost of an investment:
 - Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.



- (ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।
- (घ) लागत का निर्धारण, “विक्रय के लिए उपलब्ध” एवं “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।
- ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है।
- iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण रखाव लागत आधार पर किया गया है।
- iv. “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी: “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को “निवेश पर ब्याज” शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसका रखाव लागत (अर्थात् बही मूल्य) आधार पर मूल्य-निर्धारण किया गया है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश का अवधिगत लागत आधार पर मूल्य-निर्धारण किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग - अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।
- v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यहास के लिए प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।
- vi. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आर्बटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य, की ऐसे निवेश के मूल्य-निर्धारण का आधार बनाया गया।
- vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:
- (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- (d) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and on FIFO basis (first in first out) for investments under HTM category.
- ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.
- iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.
- v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:



- (क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है.
- (ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा.
- (ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा.
- (घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है.
- (ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं.
- च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था, के अनुसार किया गया है.
- viii. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण :
- (क) रिपो/रिवर्स रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है । इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है । लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है । रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 उधारियाँ एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में जमा तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है.
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है. उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है.
- (a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- (c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- (d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (e) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- (f) In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- viii. Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)
- (a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).
- (b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.



3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक (एनपीए) बन जाती हैं, जहाँ:

- सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
- ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंयत” (“आउट ऑफ ऑर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
- क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
- दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है
- संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।
- हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

- अवमानक आस्तियाँ :
- 15% का सामान्य प्रावधान
 - ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)।
 - इन्स्ट्रक्चर ऋण खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्करो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

- In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
- In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;
- In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

- Substandard Assets:
- A general provision of 15%
 - Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
 - Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%



संदिग्ध आस्तियाँ :

-प्रतिभूत भाग :	i. एक वर्ष तक - 25%
	ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
अप्रतिभूत भाग	100%
हानिप्रद आस्तियाँ:	100%

- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है.
- 3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है तो इस कमी को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है और यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर होने वाली कमी / हानि को पूरा करने के लिए रख लिया जाता है. विशिष्ट प्रावधानों तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावों को घटाने पर शेष राशि को निवल बही मूल्य कहा गया है.
- 3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बढ़ाकृत बिलों को घटा दिया गया है.
- 3.7 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिनमें यह अपेक्षित है कि गए पुनर्संरचना के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त आस्तियों से उद्भूत उत्सर्जित ब्याज एवं उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है.
- 3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.
- 3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण आय के रूप में किया गया है.
- 3.10 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है.

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, निवेशों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है. सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए

Doubtful Assets:

-Secured portion:	i. Upto one year – 25%
	ii. One to three years – 40%
	iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

- 3.4 In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.
- 3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.
- 3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.
- 3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.
- 3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.
- 3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.

4. Floating Provisions

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Provision for Country Exposure

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual



प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य, शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

- 6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मर्दों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।
- 6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।
- 6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उंचत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित घनात्मक एम टी एम को भी लाभ और हानि खाते से "उंचत खाता सकारात्मक एम टी एम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।
- 6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।
- 6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास:

- 7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others".

6. Derivatives:

- 6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.
- 6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.
- 6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account to "Suspense A/c Crystallised Receivables". In cases where the derivative contracts provide for more settlement in future and if the derivative contract is not terminated on the overdue receivables remaining unpaid for 90 days, the positive MTM pertaining to future receivables is also reversed from Profit and Loss Account to "Suspense A/c - Positive MTM".
- 6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.
- 6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

- 7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.



- 7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है.
- 7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यहास की दरें और मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास लेखे में दिखाने की पद्धति	मूल्यहास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	100% मूल्यहासित अधिग्रहण के वर्ष में
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

- 7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्द्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यहास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए लेखे में दिखाया गया है.
- 7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि में लेखे में दिखाया पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है.
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.
- 7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है.

- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	-	100% depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31 st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under the Companies Act, 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under the Income-tax Rules, 1962

- 7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.
- 7.5 Items costing less than ₹ 1,000 each are charged off in the year of purchase.
- 7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.
- 7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.



9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल/वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains / losses are recognised in the profit and loss account.



10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

- i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।
- iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।
- iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

- i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अंग्रेजित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

10.2 Foreign Operations

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

- i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.
- iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.



11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

- क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है. यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है.
- ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.
- i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या ₹ 10 लाख की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.
- ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर विभिन्न चरणों में किया जाता है. बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का वार्षिक अंशदान करता है. पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

- a. The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates. Shortfall if any is provided for on the basis of actuarial valuation.
- b. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.
- i) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹ 10 lacs. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- ii) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of salary in terms of SBI Pension Fund Rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.



ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रोनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है. बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

ii. नियत अंशदान योजनाएँ :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है , जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है । इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है.

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय विधियों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है ।

12. आय पर कर :

12.1 वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजनों में समाविष्ट हैं.

12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन

c. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures, these contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

iii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.



अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रेनित मूल्य और उनके क्रमशः कर-आधार और अग्रेनित क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक - 20 “प्रति शेयर आय” के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी “प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ” में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management’s judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. Earnings per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - ‘Earnings per Share’ issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.



गया है

- i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
- ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है.

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है.

15. विशेष आरक्षित निधि

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल हैं. बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है.

16. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं.

14.2 No provision is recognised for

- i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Special Reserves

Revenue and Other Reserves include Special Reserve created under Section 36 (i) (viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

16. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.



अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी

1. पूंजी-पर्याप्तता अनुपात

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
(i)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - (%) (बेसल -I)	11.22%	12.05%
(ii)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -I पूंजी (%) (बेसल -I)	8.23%	8.50%
(iii)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -II पूंजी (%) (बेसल -I)	2.99%	3.55%
(iv)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - (%) (बेसल -II)	12.92%	13.86%
(v)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -I पूंजी (%) (बेसल -II)	9.49%	9.79%
(vi)	जोखिम भारत आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी -II पूंजी (%) (बेसल -II)	3.43%	4.07%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	62.31%	61.58%
(viii)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	42,62,41,140	41,32,52,443
(ix)	गौण ऋण श्रेणी - II पूंजी की राशि	34,671.40	34,671.40
(x)	वर्ष के दौरान श्रेणी - II पूंजी के रूप में उगाही गई गौण ऋणों की राशि	निरंक	निरंक
(xi)	इनमें (उपरोक्त, ix) के उच्च श्रेणी -II पूंजी के लिए उपयुक्त राशि	20,016.40	20,016.40
(xii)	आइपीडीआई के निर्गम द्वारा उगाही गई राशि (नीचे दर्शाए गए हाइब्रिड बॉन्डों समेत) #	5,557.81	5,344.76

वित्तीय वर्ष 2009-10 में उगाही गई ₹2,000 करोड़ की राशि की गणना, जिसमें से ₹ 550 करोड़ की राशि एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा निवेश की गई है तथा इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार श्रेणी - 1 पूंजी के लिए नहीं की गई है।

2. शेयर पूंजी

- क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी (प्रिफ़रेंशियल) आबंटन के अंतर्गत ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 129,88,697 शेयर, ₹ 2,302.78 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए जिनका कुल मूल्य ₹ 3004 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹3004 करोड़ की रकम में से ₹ 12.99 करोड़ की रकम शेयर पूंजी खाते में एवं बाकी बचे ₹ 2991.01 करोड़ की रकम शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।
- ख) राइट इश्यू - 2008 के अंतर्गत रोके रखे गये शेयरों में से वर्ष के दौरान बैंक ने ₹10/- प्रति नकदी मूल्य के 436 इक्विटी शेयरों को ₹ 1,580/- प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम की दर से कुल ₹ 6,93,240/- के शेयर आवंटित किए हैं। ₹ 6,93,240/- के कुल प्राप्त अंशदान में से ₹ 4360/- की राशि शेयर पूंजी खाते में एवं ₹ 6,88,880/- की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई थी।
- ग) बैंक ने राइट्स इश्यू के अंतर्गत ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से जारी किए गए 83,075 (पिछले वर्ष 83,511) इक्विटी शेयरों के आवंटन को रोके रखा है क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे।
- घ) शेयर जारी करने की प्रक्रिया में किए गए खर्च ₹ 3.73 करोड़ की राशि को शेयर प्रीमियम खाते के नामे किया गया है।

SCHEDULE - 18

NOTES TO ACCOUNTS

18.1 Capital

1. Capital Adequacy Ratio

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Items	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
(i)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-I)	11.22%	12.05%
(ii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-I)	8.23%	8.50%
(iii)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%) (Basel-I)	2.99%	3.55%
(iv)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio (%) (Basel-II)	12.92%	13.86%
(v)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I capital (%) (Basel-II)	9.49%	9.79%
(vi)	Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II capital (%) (Basel-II)	3.43%	4.07%
(vii)	Percentage of the Shareholding of Government of India	62.31%	61.58%
(viii)	Number of Shares held by Government of India	42,62,41,140	41,32,52,443
(ix)	Amount of Subordinated Debt Tier-II capital	34,671.40	34,671.40
(x)	Amount raised by issue of Subordinated Debt Tier-II capital during the year	Nil	Nil
(xi)	Out of which ((ix), above) amount eligible for Upper Tier -II capital	20,016.40	20,016.40
(xii)	Amount raised by issue of IPDI (inclusive of Hybrid Bonds as detailed below) #	5,557.81	5,344.76

Includes ₹ 2,000 crore raised during the F.Y. 2009-10, of which ₹ 550 crore invested by SBI Employee Pension Fund, not reckoned for the purpose of Tier I Capital as per RBI instructions.

2. Share Capital

- a) During the year, the Bank has allotted 129,88,697 shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 2,302.78 per equity share aggregating to ₹ 3004 crore under Preferential Allotment to GOI. Out of the total subscription of ₹ 3004 crore received from GOI, an amount of ₹ 12.99 crore was transferred to Share Capital Account and ₹ 2991.01 crore to Share Premium Account.
- b) The Bank has allotted 436 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 1,580/- per equity share aggregating to ₹ 6,93,240/- out of shares kept in abeyance under Right Issue - 2008. Out of the total subscription of ₹ 6,93,240/- received, ₹ 4360/- was transferred to Share Capital Account and ₹ 6,88,880/- to Share Premium Account.
- c) The Bank has kept in abeyance the allotment of 83,075 (Previous Year 83,511) Equity Shares of ₹ 10/- each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.
- d) Expenses in relation to the issue of shares: ₹ 3.73 crore debited to Share Premium Account.



3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी - I पूंजी के अंतर्गत आने वाले बांडों एवं बकाया ऐसे आईपीडीआई का विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.13	31.03.12
				तक ₹ समतुल्य	तक ₹ समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	अमेरिकी डालर - 400 मिलियन	2,171.40	2,035.07
एमटीएन कार्यक्रम- 14वीं श्रृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	अमेरिकी डालर - 225 मिलियन	1,221.41	1,144.69
योग			अमेरिकी डालर-625 मिलियन	3,392.81	3,179.76

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

ये बांड अरक्षित हैं एवं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख देशी :

देशी आई पी डी आई बकाये का विवरण निम्नलिखित है।

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला - I	1,000	14.08.2009	9.10
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला - II	1,000	27.01.2010	9.05
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2007-08 एस बी आई एन श्रृंखला - VI टियर - I)	165	28.09.2007	10.25
कुल		2,165		

4. गौण ऋण

बांड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडिम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005 (निम्न टियर- II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (उच्च टियर- II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2006 (II) (उच्च टियर- II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (III) (उच्च टियर- II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180

3. Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)

A. Foreign

The details of IPDI issued in foreign currency, which qualify for Hybrid Tier I Capital and outstanding are as under:

₹ In crore

Particulars	Date of Issue	Tenor	Amount	Equivalent ₹ as on 31 Mar 2013	Equivalent ₹ as on 31 Mar 2012
Bond issued under the MTN Programme - 12th series*	15.02.2007	Perpetual Non call 10.25 years	USD 400 million	2,171.40	2,035.07
Bond issued under the MTN Programme - 14th series#	26.06.2007	Perpetual Non call 10 yrs 1day	USD 225 million	1,221.41	1,144.69
Total			USD 625 million	3,392.81	3,179.76

* If the Bank does not exercise call option by 15th May 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

If the Bank does not exercise call option by 27th June 2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate.

These bonds are unsecured bonds and listed in Singapore stock exchange.

B. Domestic

The details of outstanding domestic IPDIs are as under:-

₹ In crore

SL. NO.	Nature of Bonds	Principal Amount	Date of Issue	Rate of Interest % p.a.
1	SBI NON CONVERTIBLE PERPETUAL BONDS 2009-10 (Tier I) Series I	1,000	14.08.2009	9.10
2	SBI NON CONVERTIBLE PERPETUAL BONDS 2009-10 (Tier I) Series II	1,000	27.01.2010	9.05
3	SBI NON CONVERTIBLE PERPETUAL BONDS 2007-08 SBI Series VI (Tier I)	165	28.09.2007	10.25
TOTAL		2,165		

4. Subordinated Debts

The bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par.

The details of outstanding subordinate debts are as under:-

Sr. No.	Nature Of Bonds	Principal Amount	Date Of Issue /Date Of Redemption	Rate Of Interest % P.A.	Maturity Period In Months
1	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005 (Lower Tier II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (Upper Tier II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (II) (Upper Tier II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (III) (Upper Tier II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180



क्रम संख्या	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
5	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (IV) (उच्च टियर- II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (V) (उच्च टियर- II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (VI) (उच्च टियर- II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VIII) (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (IX) (निम्न टियर- II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	7.06.2007 7.06.2022	10.20	180
12	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी एस (श्रृंखला - I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी एस (श्रृंखला- I) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2004-05 एस बी आई एन (श्रृंखला- I) (निम्न टियर II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला- I) (निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला - III) (निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी आई एन (श्रृंखला- IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
24	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006-07 एस बी आई एन (श्रृंखला- V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180

Sr. No.	Nature Of Bonds	Principal Amount	Date Of Issue /Date Of Redemption	Rate Of Interest % P.A.	Maturity Period In Months
5	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (IV) (Upper Tier II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (V) (Upper Tier II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (VI) (Upper Tier II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (VII) (Upper Tier II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (VIII) (Upper Tier II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006 (IX) (Lower Tier II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2007-08 (I) (Upper Tier II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
12	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2007-08 (II) (Upper Tier II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (I) (Upper Tier II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (II) (Lower Tier II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (III) (Upper Tier II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (IV) (Lower Tier II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2008-09 (V) (Upper Tier II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBS (Series I)(Lower Tier II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBS (Series II)(Lower Tier II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2004-05 SBIN (Series I) (Lower Tier II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBIN (Series II) (Lower Tier II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2005-06 SBIN (Series III) (Lower Tier II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBIN (Series IV) (Upper Tier II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
24	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2006-07 SBIN (Series V) (Upper Tier II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180



क्रम संख्या	बांडों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
25	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2004-05 एस बी आई एन (श्रृंखला - VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला- I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला- II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला- 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
29	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला- 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
30	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला- 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2021	9.95	180
31	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला- 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
कुल		34,671.40			

18.2. निवेश :

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	3,41,173.97	3,02,856.15
(ख) भारत से बाहर	10,801.98	11,436.68
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	919.49	1,835.18
(ख) भारत से बाहर	129.19	260.04
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	3,40,254.48	3,01,020.97
(ख) भारत से बाहर	10,672.79	11,176.64
2. निवेशों के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	2095.22	1,353.47
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती एसबीआई कार्मर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. के अधिग्रहण के कारण पिछले वर्ष में परिवर्धन	-	5.58
iii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	294.21	793.82
iv) घटाएँ: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन वर्ष के दौरान समायोजन / अतिरिक्त प्रावधान/ उपयोग	79.59	(52.89)
v) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन	1,261.16	110.54
vi) अंतिम शेष	1,048.68	2095.22

टिप्पणी:

- क. निवेशों में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 42,000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 40,000 करोड़) चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग की गई प्रतिभूतियों (लेफ़) शामिल नहीं है.

Sr. No.	Nature Of Bonds	Principal Amount	Date Of Issue /Date Of Redemption	Rate Of Interest % P.A.	Maturity Period In Months
25	SBI NON CONVERTIBLE (Private placement) Bonds 2004-05 SBIN (SERIES VII)(Upper Tier II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2010 (Series I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2010 (Series II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2011 Retail (Series 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
29	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2011 Non Retail (Series 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
30	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2011 Retail (Series 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
31	SBI Public Issue of Lower Tier II Non-Convertible Bonds 2011 Non Retail (Series 4)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
TOTAL		34,671.40			

18.2. Investments

1. The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on investments of the Bank are given below:

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
1. Value of Investments		
i) Gross value of Investments		
(a) In India	3,41,173.97	3,02,856.15
(b) Outside India	10,801.98	11,436.68
ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	919.49	1,835.18
(b) Outside India	129.19	260.04
iii) Net value of Investments		
(a) In India	3,40,254.48	3,01,020.97
(b) Outside India	10,672.79	11,176.64
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i) Opening Balance	2095.22	1,353.47
ii) Add: Addition in the previous year on account of acquisition of e-SBICI Bank Limited	-	5.58
iii) Add: Provisions made during the year	294.21	793.82
iv) Less: Foreign Exchange revaluation adjustment /excess provision / utilisation during the year	79.59	(52.89)
v) Less: Write back of excess provision during the year.	1,261.16	110.54
vi) Closing balance	1,048.68	2095.22

Notes:

- a. Investments exclude securities utilised under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI ₹ 42,000 crore. (Previous Year ₹ 40,000 crore)



ख. ₹ 6,070.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5520.21 करोड़) का निवेश क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एन एस सी सी एल / एम सी एक्स / यू एस ई आई एल के पास प्रतिभूति समाधान हेतु रखा गया है.

ग. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया.

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
मध्यांचल भारत ग्रामीण बैंक	9.14
मिजोरम रूरल बैंक	1.17
उत्कल ग्रामीण बैंक	16.50
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	4.95
कुल	31.76

घ. वर्ष के दौरान जी ई केपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ने अपने 13,59,598 शेयर ₹ 141 प्रति शेयर की दर से बैंक से वापस खरीदे। इस संयुक्त उद्यम में बैंक के पास अभी भी 40% अंश (पिछले वर्ष 40%) बचा हुआ है बैंक ने दो ग्रामीण बैंकों से अपनी हिस्सेदारी निम्नानुसार घटा ली है।

₹ करोड़ में

संस्था का नाम	बही मूल्य	विक्रय मूल्य
जी ई केपिटल सर्विसेज प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.	1.36	19.17
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.08	24.08
विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.19	2.19
कुल	27.63	45.44

2. रिपो लेनदेन (चलनिधि समायोजन सुविधा समेत (एल ए फ) :

वर्ष के दौरान रिपो और प्रतिवर्ती रिपो एल ए एफ समेत के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

Repo Transactions (including Liquidity Adjustment Facility (LAF))

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos including LAF during the year are given below:

₹ करोड़ में /In crore

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2013 को शेष Balance as on 31st March 2013
रिपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ i) Government securities	- (-)	44,000.00 (47,354.00)	15,910.39 (19,542.23)	42,000.00 (40,000.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate debt securities	- (-)	135.30 (198.41)	33.36 (127.59)	- (157.67)
प्रतिवर्ती रिपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ i) Government securities	9.02 (-)	12,057.64 (8,500.00)	499.47 (350.14)	20.65 (3,000.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ ii) Corporate debt securities	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(Figures in brackets are for Previous Year)



3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

Non-SLR Investment Portfolio

a) Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of Non-SLR investments of the Bank is given below:

₹ करोड़ में / ₹ In crore

क्रम सं. / Sl. No.	निर्गमकर्ता / Issuer	राशि / Amount	निजी निवेश की मात्रा / Extent of Private Placement	“निवेश श्रेणी से कम” प्रतिभूतियों की मात्रा * / Extent of “Below Investment Grade” Securities *	“बिना रेटिंग वाली” प्रतिभूतियों* की मात्रा / Extent of “Unrated” Securities *	“असूचीगत” प्रतिभूतियों* की मात्रा / Extent of “Unlisted” Securities *
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	12,063.43 (9,176.71)	825.29 (1,200.25)	- (-)	- (-)	19.45 (17.40)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	10,803.72 (5,103.90)	2,868.58 (4,325.74)	- (50.37)	- (50.83)	216.20 (50.83)
(iii)	बैंक / Banks	21,522.63 (10,128.32)	10,386.50 (5,332.96)	- (40.51)	- (49.21)	205.54 (315.40)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट / Private Corporates	13,558.81 (5,016.41)	5,327.61 (1,892.12)	1,345.57 (1,087.51)	504.11 (369.68)	118.62 (184.45)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम ** / Subsidiaries/Joint Ventures **	7,070.77 (7,066.64)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य / Others	17,696.21 (21,083.51)	- (-)	- (92.29)	393.23 (1,348.87)	195.14 (50.88)
(vii)	मूल्यहास के लिए रखा गया प्रावधान / Provision held towards depreciation	1,048.52 (1,217.64)	- (-)	- (189.04)	262.15 (210.76)	- (190.91)
	योग / Total	81,667.05 (56,357.85)	19,407.98 (12,751.07)	1,345.57 (1,081.64)	635.19 (1,607.83)	754.95 (428.05)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) (Figures in brackets are for Previous Year)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर केपिटल, श्रेणीकृत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों और ए आर सी आई एल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/ लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है.

** अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं. अन्य निवेशों में आरआईडीएफ जमा योजना के तहत नाबाई में जमा राशि ₹ 13,330.20 करोड़ शामिल है. (पिछले वर्ष ₹ 15,942.94 करोड़)

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Government Securities and ARCIL are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investments in Subsidiaries/Joint Ventures have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines. Others include an amount of ₹ 13,330.20 crore (Previous Year ₹ 15,942.94) under RIDF Scheme of NABARD.

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश

₹ करोड़ में

b) Non Performing Non-SLR Investments

₹ In crore

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	Particulars	Current Year	Previous Year
अथशेष	860.50	328.40	Opening Balance	860.50	328.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	311.11	588.12	Additions during the year	311.11	588.12
वर्ष के दौरान कमी	129.12	56.02	Reductions during the year	129.12	56.02
अंतिम शेष	1,042.49	860.50	Closing balance	1,042.49	860.50
रखे गए कुल प्रावधान	875.28	768.92	Total provisions held	875.28	768.92



18.3. डेरीवेटिव्स :

क. वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	1,60,156.94#	1,34,671.34#
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	4,078.75	3,461.81
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपादिक	निरंक	निरंक
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v) विनिमय - बही का उचित मूल्य	2,318.49	2,020.59

बैंक अपने कार्यालय में आईआरएस/ एफआरए के कुल ₹ 10,338.05 करोड़ की (पिछले वर्ष ₹ 7,600.95 करोड़) प्रविष्टियाँ की हैं एवं चूँकि वे एफसीएनबी कॉरपस हेजिंग हेतु हैं एवं बाजार को अंकित नहीं है, उन्हें यहाँ दर्शाया नहीं गया है।

ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	74,582.00
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
2	31 मार्च 2013 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं

18.3. Derivatives

A. Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
i) The notional principal of swap agreements	1,60,156.94#	1,34,671.34#
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	4,078.75	3,461.81
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Not significant	Not significant
v) The fair value of the swap book	2,318.49	2,020.59

IRS/FRA amounting to ₹ 10,338.05 crore (Previous Year ₹ 7,600.95 crore) entered with the Bank's own offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

B. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

₹ In crore

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year		
A	Interest Rate Futures	Nil	74,582.00
B	10 Year Government of India Security	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2013		
A	Interest Rate Futures	Nil	Nil
B	10 Year Government of India Security	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	N.A.	N.A.
4	Marked-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".	N.A.	N.A.



ग. ऋण चूक अदला-बदली

₹ करोड़ में

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन देन की संख्या क) उनमें से जो भौतिक रूप से समाधान किए/ जाएंगे ख) नकद समाधान	निरंक	3	निरंक	1
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा क) उनमें से जो भौतिक रूप से समाधान किए गए/ जाएंगे ख) नकद समाधान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए क) वर्तमान वर्ष से संबंधित ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक	3	निरंक	1
4.	पिछले वर्ष इसी तारीख से सी डी एस लेन देन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च / हानि) क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया. ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान : • अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) • प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य को घटाकर)	निरंक	13.19	निरंक	25.14
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन क) लेनदेनों की संख्या ख) संरक्षण की मात्रा	निरंक	1	निरंक	13
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार) ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	54.29	निरंक	546.90
		निरंक	13	निरंक	24
		निरंक	546.90	निरंक	1045.48

C. Credit Default Swaps

₹ In crore

Sl. No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
		As Protection Buyer	As Protection Seller	As Protection Buyer	As Protection Seller
1.	No. of transactions during the year a) of which transactions that are/may be physically settled b) cash settled	Nil	3	Nil	1
2.	Amount of protection bought / sold during the year a) of which transactions which are/ may be physically settled b) cash settled	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	No. of transactions where credit event payment was received / made during the year a) pertaining to current year's transactions b) pertaining to previous year(s)' transactions	Nil	3	Nil	1
4.	Net income/ profit (expenditure/ loss) in respect of CDS transactions during year-to-date: a) premium paid / received b) Credit event payments: • made (net of the value of assets realised) • received (net of value of deliverable obligation)	Nil	13.19	Nil	25.14
5.	Outstanding transactions as on March 31: a) No. of Transactions b) Amount of protection	Nil	1	Nil	13
6.	Highest level of outstanding transactions during the year: a) No. of Transactions (as on 1st April) b) Amount of protection (as on 1st April)	Nil	54.29	Nil	546.90
		Nil	13	Nil	24
		Nil	546.90	Nil	1045.48



घ. डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर और मुद्रा वायदों का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव -व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद - विक्रय का लेनदेन किया है, किन्तु उनके लिए अंतर-बैंक बाजार में परस्पर मुद्रा आधारित वायदा - करार किए गए हैं.
- ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों / ईक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंशिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है.
- iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है. ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एम ओ आर सी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अधिनियंत्रण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.
- iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2012-13 की प्रमुख लेखा नीति (एसएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.
- v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है.
- vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं.
- vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे.

D. Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

(A) Qualitative Disclosure

- i. The Bank currently deals in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate and Currency Futures. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency derivatives dealt by the Bank are currency swaps, rupee dollar options, exchange traded options and cross-currency options. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank enters into derivatives contracts to cover such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging on balance sheet items. The Bank also deals in a mix of these generic instruments. The Bank has done Option deals and Structured Products with customers.
- ii. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates/equity prices and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honour obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counterparty.
- iii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD) identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
- iv. The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Significant Accounting Policies (SAP) for the financial year 2012-13.
- v. Interest Rate Swaps are mainly used at Foreign Offices for hedging of the assets and liabilities.
- vi. Apart from hedging swaps, swaps at Foreign Offices consist of back to back swaps done at our Foreign Offices which are done mainly for hedging of FCNR deposits at Global Markets, Kolkata.
- vii. Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.



(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण: (B) Quantitative Disclosures:

₹ करोड़ में / ₹ In crore

विवरण Particulars	मुद्रा डेरीवेटिव्स Currency Derivatives		ब्याज दर डेरीवेटिव्स Interest Rate Derivatives	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(I) डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
(क) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए (a) For hedging	8,325.96	4,954.34	64,928.34	47,532.47
(ख) क्रय-विक्रय के लिए * (b) For trading *	3,55,442.49\$	4,36,623.65 \$	95,228.60#	87,138.87 #
(II) बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति Marked to Market Positions				
(क) आस्ति (a) Asset	1,341.90	941.86	54.67	89.95
(ख) देयता (b) Liability	निरंक / Nil	8.43	निरंक / Nil	निरंक / Nil
(III) ऋण जोखिम Credit Exposure	7,592.19	14,158.22	5,218.35	4,792.43
(IV) ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर (a) on hedging derivatives	(52.68)	76.95	(917.87)	3.15
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर (b) on trading derivatives	10.95	8.03	(196.69)	18.64
(V) वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year				
(क) बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर - अधिकतम (a) on hedging - Maximum	निरंक / Nil	93.68	(159.70)	1,433.18
- न्यूनतम - Minimum	(77.68)	45.03	(1,126.65)	769.90
(ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम (b) on trading - Maximum	15.22	70.78	885.78	(522.47)
- न्यूनतम - Minimum	(5.29)	(36.75)	(1,108.33)	(840.08)

₹ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ की गई अदला-बदली की की ₹ 6,574.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,276.19 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि की हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ की गई आइआरएस/एफआरए की ₹ 10,338.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,600.95 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिह्नित भी नहीं की गई है.

* बैंक के विदेशी कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है. (करेंसी डेरिवेटिव्स - ₹4,349.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,260.56 करोड़) एवं ब्याज दर डेरिवेटिव्स - करोड़ ₹ 167.53 (पिछले वर्ष ₹ 159.56 करोड़)

1. 31.03.2013 तक ग्लोबल मार्केट्स डिपार्टमेंट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 21,429.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16,297.26 करोड़) है एवं 31 मार्च 2013 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 35,082.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30,663.90 करोड़) है.

2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2013 तक विचाराधीन आस्ति / देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 80,144.28 करोड़ (₹ 57,756.33 करोड़) है.

3. ऋण चूक अदला-बदली सौदा : इस सौदे में दिनांक 31 मार्च 2013 तक कुल बकाया राशि ₹ 54.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 546.90 करोड़) है .

₹ The swaps amounting to ₹ 6,574.73 crore (Previous Year ₹ 7,276.19 crore) entered with the Bank's own foreign offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

IRS/FRA amounting to ₹ 10,338.05 crore (Previous Year ₹ 7,600.95 crore) entered with the Bank's own Foreign offices are not shown here as they are for hedging of FCNB corpus and hence not marked to market.

* The forward contract deals with our own Foreign Offices are not included. Currency Derivatives - ₹ 4,349.04 crore (Previous Year ₹ 1,260.56 crore) and Interest Rate Derivatives - ₹ 167.53 crore (Previous Year ₹ 159.56 crore)

1. The outstanding notional amount of derivatives done between Global Markets department and International Banking Group department as on 31st March 2013 amounted to ₹ 21,429.35 crore (Previous Year ₹ 16,297.26 crore) and the derivatives done between SBI Foreign Offices as on 31st March 2013 amounted to ₹ 35,082.63 crore (Previous Year ₹ 30,663.90 crore).

2. The outstanding notional amount of interest rate derivatives which are not marked to market where the underlying Assets/Liabilities are not marked to market as on 31st March 2013 amounted to ₹ 80,144.28 crore (₹ 57,756.33 crore).

3. Credit Default Swap : Outstanding as on 31st March 2013 amounted to ₹ 54.29 crore (Previous Year ₹ 546.90 crore).



18.4. आस्ति - गुणवत्ता

a) अनर्जक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.10%	1.82%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अथशेष	39,676.46	25,326.29
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	31,993.35	24,712.22
उप-योग (I)	71,669.81	50,038.51
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	10,119.35	5,458.36
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	4,766.30	4,159.35
(ङ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	5594.77	744.34
उप - योग (II)	20,480.42	10,362.05
(च) अंतिम शेष (I-II)	51,189.39	39,676.46
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	15,818.85	12,346.90
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	17,825.95	10,948.96
(ग) वर्ष के दौरान कमी	11,688.32	7,477.01
(घ) अंतिम शेष	21,956.48	15,818.85
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	23,857.61	12,979.39
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14,167.40	13,763.27
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन / प्रतिलेखन	8,792.10	2,885.05
(घ) अंतिम शेष	29,232.91	23,857.61

अथशेष एवं इतिशेष में प्राप्त एवं स्थगित डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे शामिल हैं एवं बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 46.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.38 करोड़) एवं ₹ 71.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.32 करोड़) है।

b) पुनर्संरचित खाते / Restructured Accounts

₹ करोड़ में / ₹ In crore

क्र. सं. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring	कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था (1) Under CDR Mechanism (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2) Under SME Debt Restructuring Mechanism (2)				
		मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total
	विवरण Particulars										
1	1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति) Restructured Accounts as on April 1, 2012 (Opening position)										
	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	71	8	15	1	95	1,642	146	226	1	2,015
	बकाया राशि Amount outstanding	7,112.82	340.09	946.81	0.18	8,399.90	2,378.45	211.12	64.42	-	2,653.99
	उस पर प्रावधान Provision thereon	794.41	17.02	141.36	-	952.79	37.03	16.54	8.23	-	61.80
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh Restructuring during the current FY										
	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	66	4	14	-	84	201	33	31	1	266
	बकाया राशि Amount outstanding	9,314.95	252.81	1,539.78	-	11,107.54	2,500.14	324.97	293.95	0.04	3,119.10
	उस पर प्रावधान Provision thereon	868.52	34.79	487.89	-	1,391.20	81.43	27.87	11.48	-	120.78
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradation to restructured standard category during current FY										
	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	3	(1)	(2)	-	-	9	(8)	(1)	-	-
	बकाया राशि Amount outstanding	155.69	(48.66)	(107.03)	-	-	12.29	(12.29)	-	-	-
	उस पर प्रावधान Provision thereon	67.39	(11.30)	(56.09)	-	-	0.01	(0.01)	-	-	-

18.4. Asset Quality

a) Non-Performing Asset

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.10%	1.82%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	39,676.46	25,326.29
(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	31,993.35	24,712.22
Sub-total (I)	71,669.81	50,038.51
(c) Reductions due to upgradations during the year	10,119.35	5,458.36
(d) Reductions due to recoveries (Excluding recoveries made from upgraded accounts)	4,766.30	4,159.35
(e) Reductions due to Write-offs during the year	5594.77	744.34
Sub-total (II)	20,480.42	10,362.05
(f) Closing balance (I-II)	51,189.39	39,676.46
iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	15,818.85	12,346.90
(b) Additions during the year	17,825.95	10,948.96
(c) Reductions during the year	11,688.32	7,477.01
(d) Closing balance	21,956.48	15,818.85
iv) Movement of provisions for NPAs		
(a) Opening balance	23,857.61	12,979.39
(b) Provisions made during the year	14,167.40	13,763.27
(c) Write-off / write-back of excess provisions	8,792.10	2,885.05
(d) Closing balance	29,232.91	23,857.61

Opening and closing balances provision for NPAs include ECGC claims received and held pending adjustment of ₹ 46.32 crore (Previous Year ₹ 25.38 crore) and ₹ 71.12 crore (Previous Year ₹ 46.32 crore) respectively.



क्र. सं. SI. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था (1) Under CDR Mechanism (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2) Under SME Debt Restructuring Mechanism (2)				
	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification		मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total
	विवरण Particulars											
4	ऐसे मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में पहले से अधिक प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं रह गई इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं Restructured Standard Advances which ceases to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	(15)	-	-	-	(15)	(1,357)	-	-	-	(1,357)
		बकाया राशि Amount outstanding	(738.64)	-	-	-	(738.64)	(221.12)	-	-	-	(221.12)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	(75.71)	-	-	-	(75.71)	(1.50)	-	-	-	(1.50)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी घटना Downgradations of restructured accounts during current FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	(10)	2	8	-	-	(41)	9	28	4	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(813.81)	81.56	732.25	-	-	(315.50)	180.06	135.02	0.42	-
		उस पर प्रावधान Provision thereon	(47.55)	4.47	43.08	-	-	(4.02)	(2.22)	6.24	-	-
6	चालू वित्तवर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना \$ Write-offs of restructured accounts during current FY \$	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	10	3	5	1	19	78	111	151	1	341
		बकाया राशि Amount outstanding	116.69	39.36	992.21	0.18	1,148.44	1,788.61	161.13	(31.97)	0.05	1,917.82
		उस पर प्रावधान Provision thereon	222.41	5.20	533.34	-	760.95	4.62	(24.74)	(27.36)	-	(47.48)
7	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल पुनर्संरचित खाते (लेखाबंदी के समय स्थिति) * Total Restructured Accounts as on March 31, 2013 (Closing Position)*	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	105	10	30	-	145	376	69	133	5	583
		बकाया राशि Amount outstanding	14,914.32	586.44	2,119.60	-	17,620.36	2,565.65	542.73	525.36	0.41	3,634.15
		उस पर प्रावधान Provision thereon	1,384.65	39.78	82.90	-	1,507.33	108.33	66.92	53.31	-	228.56

क्र. सं. SI. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (1) Under CDR Mechanism (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत (2) Under SME Debt Restructuring Mechanism (2)				
	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification		मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानिप्रद Loss	योग Total
	विवरण Particulars											
1	1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति) Restructured Accounts as on April 1, 2012 (Opening position)	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	6,112	511	255	4	6,882	7,825	665	496	6	8,992
		बकाया राशि Amount outstanding	11,909.60	1,105.01	3,998.70	65.91	17,079.21	21,400.87	1,656.22	5,009.93	66.09	28,133.10
		उस पर प्रावधान Provision thereon	204.30	88.36	660.32	60.05	1,013.03	1,035.74	121.92	809.91	60.05	2,027.62
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh Restructuring during the current FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	2,211	134	88	6	2,439	2,478	171	133	7	2,789
		बकाया राशि Amount outstanding	9,609.83	867.38	715.12	0.18	11,192.50	21,424.92	1,445.16	2,548.85	0.22	25,419.14
		उस पर प्रावधान Provision thereon	280.31	41.17	55.88	0.07	377.43	1,230.26	103.83	555.25	0.07	1,889.41



3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradation to restructured standard category during current FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	147	(140)	(7)	-	-	159	(149)	(10)	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	192.50	(177.37)	(15.13)	-	-	360.48	(238.32)	(122.16)	-	-
		उस पर प्रावधान Provision thereon	94.07	(92.04)	(2.03)	-	-	161.47	(103.35)	(58.12)	-	-
4	ऐसे मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में पहले से अधिक प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं रह गई इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं Restructured Standard Advances which ceases to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	(2,480)	-	-	-	(2,480)	(3,852)	-	-	-	(3,852)
		बकाया राशि Amount outstanding	(2,661.65)	-	-	-	(2,661.65)	(3,621.41)	-	-	-	(3,621.41)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	(17.08)	-	-	-	(17.08)	(94.29)	-	-	-	(94.29)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी घटना Downgradations of restructured accounts during current FY	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	(550)	322	189	39	-	(601)	333	225	43	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(1,622.59)	639.80	982.23	0.55	-	(2,751.90)	901.42	1,849.50	0.97	-
		उस पर प्रावधान Provision thereon	(64.85)	32.52	32.33	-	-	(116.42)	34.77	81.65	-	-
6	चालू वित्तवर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना Write-offs of restructured accounts during current FY \$	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	277	169	120	2	568	365	283	276	4	928
		बकाया राशि Amount outstanding	2,679.99	611.86	447.34	14.54	3,753.72	4,585.29	812.35	1,407.58	14.77	6,819.98
		उस पर प्रावधान Provision thereon	10.79	(10.47)	3.90	56.58	60.80	237.82	(30.01)	509.88	56.58	774.27
7	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल पुनर्संरचित खाते (लेखाबंदी के समय स्थिति) * TOTAL Restructured Accounts as on March 31, 2013 (Closing Position)*	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	5,163	658	405	47	6,273	5,644	737	568	52	7,001
		बकाया राशि Amount outstanding	14,747.70	1,822.96	5,233.58	52.10	21,856.34	32,227.67	2,952.13	7,878.54	52.51	43,110.85
		उस पर प्रावधान Provision thereon	485.96	80.48	742.60	3.54	1,312.58	1,978.94	187.18	878.81	3.54	3,048.47

* ऐसे मानक पुनर्संरचित अग्रिमों को छोड़कर जिनके लिए पहले से अधिक प्रावधान करने या जोखिम भार (यदि लागू हो) देने की आवश्यकता नहीं।

\$ बट्टे खाते डाले गए ऋणों में खाता बंदी के आंकड़े और ₹ 6746.71 करोड़ की शेष में घट-बढ़ शामिल है।

*Excluding the Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

\$ The Write-off includes figures of closure of accounts and movement in balance amounting to ₹ 6746.71crore.

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	2	3
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	6.42	4.08
iii) समग्र प्रतिफल	27.11	10.35
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	Nil	Nil
v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ / (हानि)	20.69	6.27

च) Details of financial assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC) for Asset Reconstruction

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
i) No. of Accounts	2	3
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	6.42	4.08
iii) Aggregate consideration	27.11	10.35
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v) Aggregate gain / (loss) over net book value	20.69	6.27



घ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ङ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	6	9
2) कुल बकाया राशि	139.96	35.69
3) कुल प्राप्त मूल्य प्रतिफल	45.84	12.79

च) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों पर धारित प्रावधान निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	5,289.58	4,525.88*

* पूर्ववर्ती एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक से अंतरित राशि ₹ 0.98 करोड़ सहित

छ) व्यवसाय अनुपात :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.76%	8.04%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.04%	1.08%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	2.01%	2.38%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.91%	0.88%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ हजार में)	94,389	79,842
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	645.47	531.45

ज) आस्ति देयता प्रबन्धन : 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

ह) Asset Liability Management: Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2013

₹ करोड़ में / In crore

	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 मास 29 days to 3 months	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक Over 3 months & upto 6 months	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग TOTAL
जमा राशियाँ Deposits	44,414.22 (24,952.42)	22,481.11 (24,148.78)	22,533.15 (23,163.49)	24,714.75 (17,309.22)	49,399.81 (54,829.96)	88,325.85 (1,00,330.59)	1,80,116.77 (1,37,776.39)	3,36,798.25 (3,06,073.55)	2,24,094.01 (1,78,971.15)	2,09,861.65 (1,76,091.82)	12,02,739.57 (10,43,647.36)
अग्रिम Advances	97,506.39 (39,710.85)	7,028.89 (6,386.88)	12,010.67 (17,237.21)	8,620.34 (10,140.95)	47,231.34 (47,080.98)	43,115.51 (38,041.23)	41,753.47 (43,231.60)	5,02,134.63 (4,08,461.94)	1,15,593.50 (81,234.24)	1,70,621.81 (1,76,053.01)	10,45,616.55 (8,67,578.89)
निवेश Investments	120.09 (134.68)	1,557.83 (2,447.45)	5,113.23 (80.61)	4,313.41 (3,514.89)	23,300.54 (19,109.04)	15,973.75 (8,664.67)	11,899.25 (11,902.56)	47,102.48 (48,553.21)	65,736.09 (54,935.00)	1,75,810.60 (1,62,855.50)	3,50,927.27 (3,12,197.61)
उधार-राशियाँ Borrowings	551.20 (688.64)	16,955.79 (13,988.94)	4,919.76 (2,842.08)	10,590.92 (6,748.88)	37,664.35 (21,202.93)	18,006.82 (9,765.70)	7,552.70 (5,107.03)	27,666.70 (12,524.56)	8,861.34 (18,052.01)	36,413.13 (36,084.79)	1,69,182.71 (1,27,005.56)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	67,093.43 (26,245.58)	2,832.10 (2,684.58)	1,983.54 (3,873.88)	6,157.46 (6,002.43)	20,768.87 (24,917.46)	20,961.05 (20,344.78)	9,990.15 (13,868.74)	31,414.37 (24,187.50)	28,714.05 (28,022.95)	32,780.73 (23,057.38)	2,22,695.75 (1,73,205.28)
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	19,192.37 (15,576.62)	12,784.44 (11,807.38)	6,168.25 (4,543.24)	14,976.21 (9,168.21)	35,035.92 (30,276.50)	24,080.39 (20,977.29)	24,246.59 (22,645.06)	40,932.48 (23,817.29)	16,320.81 (19,169.38)	4,719.07 (4,002.97)	1,98,456.53 (1,61,983.94)

d) Details of non-performing financial assets purchased

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
1) (a) No. of Accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2) (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

e) Details of non-performing financial assets sold

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
1) No. of Accounts sold	6	9
2) Aggregate outstanding	139.96	35.69
3) Aggregate consideration received	45.84	12.79

f) Provision on Standard Assets

The Provision on Standard Assets held by the Bank as under:

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
Provision towards Standard Assets	5,289.58	4,525.88*

* Includes ₹ 0.98 crore transferred from e SBICI Bank Limited.

g) Business Ratios

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	7.76%	8.04%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.04%	1.08%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.01%	2.38%
iv. Return on Assets	0.91%	0.88%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in thousands)	94,389	79,842
vi. Profit per employee (₹ in thousands)	645.47	531.45



18.5. एक्सपोज़र्स

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

विवरण	₹ करोड़ में	
	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
(क) प्रत्यक्ष ऋण-जोरिब्रम		
i) आवासीय बंधक	1,50,165.96	1,25,992.41
- जिनमें से ₹ 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	87,575.87	76,980.09
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	24,988.44	12,674.38
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतकृत एक्सपोज़र्स:	607.12	154.55
क) आवासीय	601.48	127.64
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	5.64	26.91
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र्स		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र्स	7,839.94	5,847.03
योग	1,83,601.46	1,44,668.37

ख) पूंजी बाजार

विवरण	₹ करोड़ में	
	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में निवेश नहीं किया गया है,	4,193.49	1,912.18
2) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	5.36	6.80
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूत के रूप में लिया गया है।	2,008.06	355.42
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपादक प्रतिभूत दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूत अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूत के रूप में अपर्याप्त है।	48.83	168.56
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - निर्माताओं (मार्केट मेकर्स) को और से जारी गारंटियाँ	43.35	541.21
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	53.79	Nil
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	Nil	0.02

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2012 के हैं)

(Figures in brackets are as at 31st March 2012)

18.5. Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuations.

a) Real Estate Sector

Particulars	₹ In crore	
	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
(I) Direct exposure		
i) Residential Mortgages	1,50,165.96	1,25,992.41
- Of which individual housing loans up to ₹ 20 Lakhs	87,575.87	76,980.09
ii) Commercial Real Estate	24,988.44	12,674.38
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures:	607.12	154.55
a) Residential	601.48	127.64
b) Commercial Real Estate	5.64	26.91
(II) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7,839.94	5,847.03
Total	1,83,601.46	1,44,668.37

b) Capital Market

Particulars	₹ In crore	
	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
1) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	4,193.49	1,912.18
2) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds.	5.36	6.80
3) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	2,008.06	355.42
4) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	48.83	168.56
5) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	43.35	541.21
6) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	53.79	Nil
7) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	Nil	0.02



विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9) शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	निरंक	निरंक
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर्स (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनों)	856.47	586.07
पूँजी बाजार में कुल ऋण -जोखिम	7,209.35	3,570.26

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
8) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	Nil	Nil
9) Financing to stockbrokers for margin trading.	Nil	Nil
10) Exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	856.47	586.07
Total Exposure to Capital Market	7,209.35	3,570.26

ग) जोखिम वर्गवार देशगत जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. यूएसए और यूके को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (कुल निधिक) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है और यूएसए और यूके हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

क) Risk Category wise Country Exposure

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table. The country exposure (net funded) of the Bank for any country does not exceed 1% of its total assets except on USA and UK, hence provision for the country exposure on USA and UK has been made.

₹ करोड़ में / ₹ In crore

जोखिम वर्ग Risk Category	एक्सपोजर्स (निवल) Exposure (Net)		धारित प्रावधान Provision held	
	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार As at 31 Mar 2013	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार As at 31 Mar 2012	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार As at 31 Mar 2013	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार As at 31 Mar 2012
नगण्य / Insignificant	1.90	5.93	निरंक / Nil	निरंक / Nil
बहुत कम / Very Low	53,957.63	60,691.68	27.11	27.89
कम / Low	11.61	833.76	निरंक / Nil	निरंक / Nil
मध्यम कम / Low Medium	29,021.20	9,782.76	26.25	निरंक / Nil
मध्यम / Medium	4,110.40	3,541.64	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अधिक / High	374.30	2,067.30	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अत्यधिक / Very High	2,224.39	1,208.60	निरंक / Nil	निरंक / Nil
प्रतिबंधित / Restricted	2,323.03	3,965.87	निरंक / Nil	निरंक / Nil
ऋण अयोग्य / Off-Credit	निरंक / Nil	निरंक / Nil	निरंक / Nil	निरंक / Nil
Total	92,024.46	82,097.54	53.36	27.89

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा का ब्योरा :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्ता एक्सपोजर लिए :

द) Single Borrower and Group Borrower exposure limits exceeded by the Bank

The Bank had taken single borrower exposure in excess of prudential limit in the cases given below:

₹ करोड़ में / ₹ In crore

उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर) Exposure Sanctioned (Peak Level)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि Period during which limit exceeded	31.03.13 की स्थिति के अनुसार Outstanding as on 31 Mar 2013
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल) Indian Oil Corporation Limited (IOCL)	29,023.21	33,391.91	जून 2012 से फरवरी 2013 तक June 2012 to February 2013	25,607.52
	29,774.21		मार्च 2013 / March 2013	
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)	17,413.93	18,651.04	अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 तक April 2012 to February 2013	15,187.12
	17,864.53		मार्च 2013 / March 2013	

नोट :

आई ओ सी एल एवं भेल में एक्सपोजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए विवेकाधिकार के अधीन है। (प्रूडेसियल सीमाओं के अतिरिक्त 5% पूंजीगत निधि) सभी उधारकर्ता दल को प्रदत्त ऋण जोखिम प्रूडेसियल नीतियों के अधीन है।

Note :-

Exposure on IOCL and BHEL are within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits) Exposures on all borrower groups were within the prudential norms during the year.



ड) अप्रतिभूत अग्रिम

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	1,81,561.88	1,64,479.17
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में अमूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	3,654.02	4,848.24
ii) इन अमूर्त प्रतिभूतियों ऊपर (i) का प्राक्कलित मूल्य	15,236.41	4,159.48

18.6. विविध :

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन निरंक (पिछले वर्ष ₹ 0.10 करोड़)

ख) एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थदंड बैंक पर एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है

18.7. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा एक्युरियल मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी व स्थिति व निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:-

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
विलय एवं अधिग्रहण पर देयताएं	-	25.03	-	133.25
वर्तमान सेवा लागत	1,071.90	950.40	155.32	178.66
ब्याज लागत	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
पूर्व सेवा लागत(निहित हित लाभ)	-	82.00	-	-
एक्युरियल हानि (लाभ)	1,044.60	781.46	509.62	367.64
संदत हित लाभ	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,232.47)	(931.88)	-	-
31 मार्च 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
विलय एवं अधिग्रहण पर अंतरित आस्तियां	-	25.03	-	-
अन्य निधि से अंतरण	-	-	-	2.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
नियुक्त द्वारा अंशदान	5,094.24	10,046.64	1,409.94	1,315.00
संदत हितलाभ	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
योजना आस्तियों पर एक्युरियल लाभ/ (हानि)	419.58	130.16	62.46	32.58
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82

e) Unsecured Advances

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
a) Total Unsecured Advances of the bank	1,81,561.88	1,64,479.17
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc.	3,654.02	4,848.24
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above).	15,236.41	4,159.48

18.6. Miscellaneous

a) Disclosure of Penalties imposed by RBI

Nil (Previous year ₹ 0.10 crore)

b) Penalty for Bouncing of SGL forms

No penalty has been levied on the Bank for bouncing of SGL Forms.

18.7. Disclosure Requirements as per Accounting Standards

a) Employee Benefits

i. Defined Benefit Plans

1. Employee's Pension Plan and Gratuity Plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

₹ in crore

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2012	36,525.68	33,879.30	6,462.82	5,817.19
Liability on merger and acquisition	-	25.03	-	133.25
Current Service Cost	1,071.90	950.40	155.32	178.66
Interest Cost	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	82.00	-	-
Actuarial losses (gains)	1,044.60	781.46	509.62	367.64
Benefits paid	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
Direct Payment by Bank	(2,232.47)	(931.88)	-	-
Closing defined benefit obligation at 31st March 2013	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
Change in Plan Assets				
Opening fair value of Plan Assets as at 1st April 2012	27,205.57	16,800.10	5,251.79	4,102.25
Asset transferred on merger and acquisition	-	25.03	-	-
Transfer from other fund	-	-	-	2.16
Expected Return on Plan Assets	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
Contributions by employer	5,094.24	10,046.64	1,409.94	1,315.00
Benefits Paid	(41.50)	(1,140.37)	(626.53)	(528.38)
Actuarial Gains / (Loss) on plan Assets	419.58	130.16	62.46	32.58
Closing fair value of plan assets as at 31st March 2013	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2013	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82



विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
कमी / (अधिशेष)	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	200.00	300.00
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता / (आस्ति)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
आस्तियाँ	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	200.00	300.00
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयताएँ / आस्तियाँ	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,071.90	950.40	155.32	178.66
ब्याज लागत	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,339.68)	(1,344.01)	(451.65)	(328.18)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित)	-	-	100.00	100.00
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	82.00	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल एक्चुरियल हानियाँ (लाभ)	625.02	651.30	447.16	335.06
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और एक्चुरियल प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/ (हानि)	419.58	130.16	62.46	32.58
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2,759.26	1,474.17	514.11	360.76
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय विलय / अधिग्रहण से निवल देयता	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,232.47)	(931.88)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में शामिल	-	-	-	-
नियोजित का अंशदान	(5,094.24)	(10,046.64)	(1,409.94)	(1,315.00)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Fair Value of Plan assets at 31st March 2013	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
Deficit/(Surplus)	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	-	-	200.00	300.00
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	-	-	-	-
Net Liability/(Asset)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
Assets	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	4,546.64	9,320.11	501.26	1,211.03
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	-	-	200.00	300.00
Unrecognised Transitional Liability Closing Balance	-	-	-	-
Net Liability/(Asset)	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1,071.90	950.40	155.32	178.66
Interest Cost	3,196.00	2,879.74	549.34	494.46
Expected return on plan assets	(2,339.68)	(1,344.01)	(451.65)	(328.18)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	-	-	100.00	100.00
Past Service Cost (Vested Benefit) Recognised	-	82.00	-	-
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	625.02	651.30	447.16	335.06
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	2,339.68	1,344.01	451.65	328.18
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	419.58	130.16	62.46	32.58
Actual Return on Plan Assets	2,759.26	1,474.17	514.11	360.76
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2012	9,320.11	17,079.20	911.03	1,314.94
Expenses as recognised in profit and loss account	2,553.24	3,219.43	800.17	780.00
Net Liability on merger/ acquisition	-	-	-	131.09
Paid by Bank Directly	(2,232.47)	(931.88)	-	-
Debited to Other Provision	-	-	-	-
Recognised in Reserve	-	-	-	-
Employer's Contribution	(5,094.24)	(10,046.64)	(1,409.94)	(1,315.00)
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03



31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का पेंशन निधि %	योजना आस्तियों का ग्रेच्युटी निधि %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.53%	23.86%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.32%	16.67%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	41.55%	34.84%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-	18.77%
अन्य	3.60%	5.86%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख एक्युरियल प्राक्कलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	8.50%	8.75%	8.25%	8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.60%	8.60%	8.60%	8.60%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिशेष / कमी

तुलन-पत्र में ली गई राशि	ग्रेच्युटी योजना				
	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31
अंतर	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	400.00	300.00	200.00
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	31.45	77.86	1,314.94	911.03	301.26

अनुभव समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64	459.56
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	(1.24)	7.89	1.94	32.58	62.46

योजना में अधिशेष / कमी

तुलन पत्र में ली गई राशि	पेंशन				
	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57

Investments under Plan Assets of Pension Fund & Gratuity Fund as on 31st March 2013 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund % of Plan Assets	Gratuity Fund % of Plan Assets
Central Govt. Securities	32.53%	23.86%
State Govt. Securities	22.32%	16.67%
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	41.55%	34.84%
Insurer Managed Funds	-	18.77%
Others	3.60%	5.86%
Total	100.00%	100.00%

Principal actuarial assumptions

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Discount Rate	8.50%	8.75%	8.25%	8.50%
Expected Rate of return on Plan Asset	8.60%	8.60%	8.60%	8.60%
Salary Escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

Surplus/ Deficit in the Plan

Amount recognized in the Balance Sheet	Gratuity Plan				
	Year ended 31-03-2009	Year ended 31-03-2010	Year ended 31-03-2011	Year ended 31-03-2012	Year ended 31-03-2013
Liability at the end of the year	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57
Fair value of Plan Assets at the end of the year	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31
Difference	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26
Unrecognised Past Service Cost	-	-	400.00	300.00	200.00
Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	31.45	77.86	1,314.94	911.03	301.26

Experience adjustment

Amount recognized in the Balance Sheet	Year ended 31-03-2009	Year ended 31-03-2010	Year ended 31-03-2011	Year ended 31-03-2012	Year ended 31-03-2013
On Plan Liability (Gain)/Loss	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64	459.56
On Plan Asset (Loss)/Gain	(1.24)	7.89	1.94	32.58	62.46

Surplus/Deficit in the plan

Amount recognized in the Balance Sheet	Pension				
	Year ended 31-03-2009	Year ended 31-03-2010	Year ended 31-03-2011	Year ended 31-03-2012	Year ended 31-03-2013
Liability at the end of the year	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21
Fair value of Plan Assets at the end of the year	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57
Difference	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64



अंतर	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64

अनुभव समायोजन

योजना देयता (लाभ) / हानि	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90
योजना अस्ति (हानि) / लाभ	124.74	233.12	282.65	130.16	419.58

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमाकिक मूल्य का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव / सत्रिकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में निर्धारक वृष्टिकोण के अनुसार संचालित एक्चुरियल मूल्यांकन, कोई भी देयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता अतः वित्तीय वर्ष 2012-13 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरियर द्वारा किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि का स्थिति को निम्न टेबल के माध्यम से दिखाया गया है :-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	19482.46	18151.73
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
कर्मचारी अंशदान (वी पी एफ समेत)	654.91	654.49
एक्चुरियल हानि (लाभ)	784.39	649.98
संदत हित लाभ	(2302.17)	(1998.23)
31 मार्च 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	20742.83	19482.46
योजना अस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को योजना अस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19729.16	18260.73
योजना अस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1593.27	1492.66
अंशदान	1184.88	1186.32
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
योजना अस्तियों पर एक्चुरियल लाभ / (हानि)	1018.27	787.68
31 मार्च 2013 को योजना अस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	21223.41	19729.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना अस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20742.83	19482.46
31 मार्च 2013 को योजना अस्तियों का उचित मूल्य	21223.41	19729.16
कमी / (अधिशेष)	(480.58)	(246.70)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल अस्ति	480.58	246.70
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
योजना-अस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
योजना-अस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1593.27)	(1492.66)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है।	529.97	531.83
तुलन पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (अस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2012 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	529.97	531.83
नियोजित का अंशदान	(529.97)	(531.83)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता / (अस्ति)	-	-

Unrecognised Past Service Cost	-	-	-	-	-
Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64

Experience adjustment

On Plan Liability (Gain)/Loss	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90
On Plan Asset (Loss)/Gain	124.74	233.12	282.65	130.16	419.58

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

2. Employees' Provident Fund

Actuarial valuation carried out in respect of interest shortfall in the Provident Fund Trust of the Bank, as per Deterministic Approach shows "Nil" liability, hence no provision is made in F.Y. 2012-13.

The following table sets out the status of Provident Fund as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

₹ in crore

Particulars	Provident Fund	
	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation		
Opening defined benefit obligation at 1st April 2012	19482.46	18151.73
Current Service Cost	529.97	531.83
Interest Cost	1593.27	1492.66
Employee Contribution (including VPF)	654.91	654.49
Actuarial losses/(gains)	784.39	649.98
Benefits paid	(2302.17)	(1998.23)
Closing defined benefit obligation at 31st March 2013	20742.83	19482.46
Change in Plan Assets		
Opening fair value of Plan Assets as at 1st April 2012	19729.16	18260.73
Expected Return on Plan Assets	1593.27	1492.66
Contributions	1184.88	1186.32
Benefits Paid	(2302.17)	(1998.23)
Actuarial Gains / (Loss) on plan Assets	1018.27	787.68
Closing fair value of plan assets as at 31st March 2013	21223.41	19729.16
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets		
Present Value of Funded obligation at 31st March 2013	20742.83	19482.46
Fair Value of Plan assets at 31st March 2013	21223.41	19729.16
Deficit/(Surplus)	(480.58)	(246.70)
Net Asset not recognised in Balance Sheet	480.58	246.70
Net Cost recognised in the profit and loss account		
Current Service Cost	529.97	531.83
Interest Cost	1593.27	1492.66
Expected return on plan assets	(1593.27)	(1492.66)
Interest shortfall reversed	-	-
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	529.97	531.83
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet		
Opening Net Liability as at 1st April 2012	-	-
Expense as above	529.97	531.83
Employer's Contribution	(529.97)	(531.83)
Net Liability/(Asset) Recognized In The Balance Sheet	-	-



पिछले वर्ष के आंकड़े केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से दिए गए हैं।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधियोजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.48%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.37%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	40.67%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-
अन्य	4.48%
योग	100.00%

प्रमुख एक्चुरियल प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.50%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.25%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

ii. नियत अंशदान योजना:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एन पी एस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के देखरेख में किया जायेगा एन पी एस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीर्पिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 67.73 करोड़ का अंशदान किया है (पिछले वर्ष ₹ 52.47 करोड़ था)

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

₹ 502.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 531.33 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	407.59	375.33
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	24.96	44.33
3	अस्वस्थता अवकाश	18.17	74.77
4	रजत जयंती अवार्ड	12.24	5.01
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	1.44	11.70
6	आकस्मिक अवकाश	17.89	14.94
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	19.96	5.25
योग		502.25	531.33

ख) खंड सूचना:

1. खंड अभिनिर्धारण

i. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं :-

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

Previous year figures are given for representation purpose only.

Investments under Plan Assets of Provident Fund as on 31st March 2013 are as follows:

Category of Assets	Provident Fund % of Plan Assets
Central Govt. Securities	38.48%
State Govt. Securities	16.37%
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	40.67%
Insurer Managed Funds	-
Others	4.48%
Total	100.00%

Principal actuarial assumptions

Particulars	Provident Fund	
	Current year	Previous year
Discount Rate	8.50%	8.50%
Guaranteed Return	8.25%	8.25%
Attrition Rate	2.00%	2.00%

ii. Defined Contribution Plan:

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y.2012-13, the Bank has contributed ₹ 67.73 crore (Previous Year ₹ 52.47crore).

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 502.25 Crore (Previous Year ₹ 531.33 Crore) is provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of Provisions made for various long Term Employee Benefits during the year:

₹ in crore

Sl. No.	Long Term Employee Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	407.59	375.33
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	24.96	44.33
3	Sick Leave	18.17	74.77
4	Silver Jubilee Award	12.24	5.01
5	Resettlement Expenses on Superannuation	1.44	11.70
6	Casual Leave	17.89	14.94
7	Retirement Award	19.96	5.25
Total		502.25	531.33

b) Segment Reporting:

1. Segment Identification

i. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business



बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् व्यवस्था नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

- i. **कोष** - कोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलतः व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है।
- ii. **कारपोरेट / थोक बैंकिंग** - कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।
- iii. **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।
- iv. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय
- ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ
- iii. **अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है। कोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई सृजित की गई है। निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV. व्यय , आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है।

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

- i. **Treasury** - The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- ii. **Corporate / Wholesale Banking** - The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.
- iii. **Retail Banking** - The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs.
- iv. **Other Banking business** - Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India

III. Pricing of Inter-segmental Transfers

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

IV. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment , and the same are treated as unallocated.



2. खंड सूचना / Segment Information

भाग क्र. : प्राथमिक (व्यवसाय खंड) / Part A: Primary (Business Segments)

₹ करोड़ में / ₹ In crore

व्यवसाय खंड Business Segment	कोष Treasury	कारपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	योग Total
आय # Revenue #	29,467.67 (23,874.88)	46,453.57 (42,773.40)	59,427.06 (54,091.69)	- -	1,35,348.30 (1,20,739.97)
अनाबंटित आय # Unallocated Revenue #	-	-	-	-	343.64 (132.93)
कुल आय Total Revenue	-	-	-	-	1,35,691.94 (1,20,872.90)
परिणाम # Result #	4,782.29 (217.24)	7,315.21 (6,106.12)	11,215.21 (15,619.23)	- (-)	23,312.71 (21,942.59)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल # Unallocated Income(+) / Expenses(-) - net #	-	-	-	-	(-3361.82 (-) 3,459.28)
परिचालन लाभ # Operating Profit #	-	-	-	-	19,950.89 (18,483.31)
कर # Tax #	-	-	-	-	5845.91 (6776.02)
असाधारण लाभ # Extraordinary Profit #	-	-	-	-	- -
निवल लाभ # Net Profit #	-	-	-	-	14,104.98 (11,707.29)
अन्य सूचना : Other Information:					
खंड आस्तियाँ* Segment Assets *	3,73,583.73 (3,35,016.51)	5,82,664.07 (4,61,305.84)	5,96,698.77 (5,28,298.95)	- -	15,52,946.57 (13,24,621.30)
अनाबंटित आस्तियाँ* Unallocated Assets *	-	-	-	-	13,314.47 (10,897.93)
कुल आस्तियाँ* Total Assets*	-	-	-	-	15,66,261.04 (13,35,519.23)
खंड देयताएँ* Segment Liabilities *	1,99,998.27 (1,96,222.07)	4,91,994.55 (3,81,202.21)	7,29,632.90 (6,28,479.02)	- -	14,21,625.72 (12,05,903.30)
अनाबंटित देयताएँ* Unallocated Liabilities*	-	-	-	-	45,751.64 (45,664.73)
कुल देयताएँ* Total Liabilities *	-	-	-	-	14,67,377.36 (12,51,568.03)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(Figures in brackets are for previous year)

भाग ख : द्वितीयक (अवस्थिति खंड)

Part B: Secondary (Geographic Segments)

₹ करोड़ में / ₹ In crore

	देशी Domestic		विदेशी Foreign		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय # Revenue #	1,27,139.47	1,14,080.91	8,208.83	6,659.06	1,35,348.30	1,20,739.97
परिणाम # Result#	20,026.46	19,064.85	3,286.25	2,877.74	23,312.71	21,942.59
आस्तियाँ* Assets *	13,39,476.62	11,55,176.43	2,26,784.42	1,80,342.80	15,66,261.04	13,35,519.23
देयताएँ* Liabilities*	12,40,592.94	10,71,225.23	2,26,784.42	1,80,342.80	14,67,377.36	12,51,568.03

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार

For the year ended 31st March 2013

* As at 31st March 2013



वर्ष के दौरान बैंक ने खंडीय ट्रांसफर प्राइसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाया है ताकि और अधिक संगत खंडीय परिणाम दर्शाए जा सकें यह परिवर्तन खंडीय परिणामों को तो परस्पर प्रभावित करता है परंतु इसका बैंक के वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. खंडीय परिणामों पर इस परिवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता.

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

1. संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कैलिफ़ोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ़ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

iii. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप्स वैचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टीज कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि.
11. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके) लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.

During the year, the Bank has further refined the segmental transfer pricing mechanism in order to report more relevant segment results. This change effects the segment results inter se and has no impact on the financials of the bank. The effect of the change on the segment results is not fairly determined.

c) Related Party Disclosures:

1. Related Parties

A. SUBSIDIARIES

i. DOMESTIC BANKING SUBSIDIARIES

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Mysore
4. State Bank of Patiala
5. State Bank of Travancore

ii. FOREIGN BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI (Mauritius) Ltd.
2. State Bank of India (Canada)
3. State Bank of India (California)
4. Commercial Bank of India LLC, Moscow
5. PT Bank SBI Indonesia
6. Nepal SBI Bank Ltd.

iii. DOMESTIC NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI Capital Markets Ltd.
2. SBI DFHI Ltd.
3. SBI Mutual Funds Trustee Company Pvt. Ltd.
4. SBICAP Securities Ltd.
5. SBICAPS Ventures Ltd.
6. SBICAP Trustees Company Ltd.
7. SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.
8. SBI Funds Management Pvt. Ltd.
9. SBI Life Insurance Company Ltd.
10. SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
11. SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd.
12. SBI Global Factors Ltd.
13. SBI General Insurance Company Ltd
14. SBI Payment Services Pvt. Ltd.

iv. FOREIGN NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBICAP (UK) Ltd.
2. SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.
3. SBICAP (Singapore) Ltd.

B. JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

1. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd
2. C-Edge Technologies Ltd.
3. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
4. Macquarie SBI Infrastructure Trustees Ltd.
5. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
6. SBI Macquarie Infrastructure Trustees Pvt. Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.

C. ASSOCIATES

i. Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank



3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्र. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्र. लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मिजोरम रूरल बैंक
13. मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक)
16. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक)
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्रामीण बैंक
20. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक)

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. बैंक ऑफ भूटान लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी काट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अं. बैं.)
3. श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा. बैं.)
4. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ) (09.10.2012 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार - नियंत्रित उद्यम" के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

3. Kaveri Grameena Bank
4. Chhattisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhyanchal Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Mizoram Rural Bank
13. Marudhara Gramin Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank (upto 14.02.2013)
16. Purvanchal Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank (upto 14.10.2012)
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Grameen Bank
20. Uttarakhand Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank (upto 07.10.2012)

ii. Others

1. SBI Home Finance Ltd.
2. The Clearing Corporation of India Ltd.
3. Bank of Bhutan Ltd.

D. Key Management Personnel of the Bank

1. Shri Pratip Chaudhuri, Chairman
2. Shri Hemant G. Contractor Managing Director & Group Executive (International Banking)
3. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & Group Executive (National Banking)
4. Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer
5. Shri S. Vishvanathan, Managing Director & Group Executive (Associates & Subsidiaries) (from 9.10.2012)

2. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.



3. लेनदेन और शेष राशियाँ :

Transactions and Balances

₹ करोड़ में / ₹ In crore

विवरण Particulars	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives	योग Total
वर्ष के दौरान लेन देन Transactions during the year			
प्राप्त ब्याज Interest received	- (0.04)	- (-)	- (0.04)
संदत्त ब्याज Interest paid	1.06 (1.29)	- (-)	1.06 (1.29)
लाभांश के माध्यम से प्राप्त की गई आय Income earned by way of dividend	15.22 (-)	- (-)	15.22 (-)
अन्य आय Other Income	17.81 (-)	- (-)	17.81 (-)
अन्य व्यय Other expenditure	- (-)	- (-)	- (-)
प्रबंधन संविदाएँ Management contracts	- (-)	0.95 (0.68)	0.95 (0.68)
31 मार्च को बकाया Outstanding as on 31st March			
राशियाँ Payables	154.21 (127.66)	- (-)	154.21 (127.66)
प्राप्त राशियाँ Receivables	- (-)	- (-)	- (-)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year

इस वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जिसका प्रभाव इन वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो। / There are no materially significant related party transactions during the year.

घ) परिचालन पट्टे हेतु देयताएं*

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	112.44	64.32
1 वर्ष के पश्चात् और 5 वर्षों के पश्चात् नहीं	388.60	229.21
5 वर्षों के पश्चात्	117.79	66.42
योग	618.83	359.95
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	114.15	60.61

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं।

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

ङ) प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20, “प्रति शेयर उपार्जन” के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर “मूल आय” की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

d) Liability for Operating Leases*

Premises taken on operating lease are given below:

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
Not later than 1 year	112.44	64.32
Later than 1 year and not later than 5 years	388.60	229.21
Later than 5 years	117.79	66.42
Total	618.83	359.95

Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year. 114.15 60.61

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

e) Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - “Earnings per Share”. “Basic earnings” per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.



विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	67,10,44,838	63,49,98,991
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	1,29,89,133	3,60,45,847
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	68,40,33,971	67,10,44,838
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	14,104.98	11,707.29
प्रति शेयर मूल आय (₹)	210.06	184.31
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	210.06	184.31
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

च) आय पर करों का लेखांकन

i. आस्थगित कर :

क. वर्ष के दौरान, आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹107.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 455.93 करोड़ नामे किया गया) जमा किया गया।

ख. इसमें कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए ₹ 922.15 करोड़ के प्रावधान के कारण उपस्थित आस्थगित कर आस्ति शामिल है जिसे बैंक ने वर्तमान वर्ष के अपने बही खातों में शामिल किया है। (इसमें 31 मार्च 2012 तक की अवधि के ₹ 783.62 करोड़ भी शामिल है)

ii. बैंक की निवल आस्थगित कर देयता ₹ 628.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 180.63 करोड़) है, जिसे 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत रखा गया है। (पिछले वर्ष अन्य आस्तियां)। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	72.05	निरंक
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान #	2,126.16	1,873.60
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	7.55	निरंक
अन्य	निरंक	16.29
विदेशी कार्यालयों की निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	282.16	180.95
योग	2,487.92	2,070.84
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	निरंक	8.16
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,116.84	1,882.05
योग	3,116.84	1,890.21
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	(628.92)	180.63

इसमें कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए ₹ 922.15 करोड़ के प्रावधान के कारण उपचित कर जमा शामिल है

* आयकर खातों से अंतरित ₹ 917.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 536.56 करोड़) शामिल है।

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year	67,10,44,838	63,49,98,991
Number of Equity Shares issued during the year	1,29,89,133	3,60,45,847
Number of Equity Shares outstanding at the end of the year	68,40,33,971	67,10,44,838
Weighted average number of equity shares used in computing basic earnings per share	67,14,72,052	63,51,96,258
Weighted average number of shares used in computing diluted earnings per share	67,14,72,052	63,51,96,258
Net profit (₹ In crore)	14,104.98	11,707.29
Basic earnings per share (₹)	210.06	184.31
Diluted earnings per share (₹)	210.06	184.31
Nominal value per share (₹)	10	10

f) Accounting for Taxes on Income

i. Deferred Tax :-

- During the year, ₹ 107.97 crore [Previous Year ₹ 455.93 crore debited] has been credited to Profit and Loss Account on account of deferred tax.
 - During the year, the Bank has recognised deferred tax asset on provision for leave encashment, which was hitherto not being done. Accordingly, an amount of ₹ 922.15 crore (including ₹ 783.62 crore relating to period upto 31.03.2012) has been accounted for in the current year.
- ii. The Bank has net deferred tax liability of ₹ 628.92 crore (Previous Year net deferred tax asset of ₹ 180.63 crore), which is included under 'Other Liabilities and Provisions' (Previous Year 'Other Assets'). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
Deferred Tax Assets		
Provision for Defined Benefit Schemes on account of Wage Revision	72.05	Nil
Provision for long term employee Benefits #	2,126.16	1,873.60
Depreciation on Fixed Assets	7.55	Nil
Others	Nil	16.29
Net DTAs on account of Foreign Offices	282.16	180.95
Total	2,487.92	2,070.84
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	Nil	8.16
Interest on securities*	3,116.84	1,882.05
Total	3,116.84	1,890.21
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	(628.92)	180.63

Includes tax credit arising out of provision for leave encashment for employees of ₹ 922.15 crore.

* Includes ₹ 917.04 crore (Previous Year ₹ 536.56 Crore) transferred from Income Tax Account.



छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.50 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	9.44 (10.80)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि. #	0.64 (0.64)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से रखे गए शेर के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के लिए 100% प्रावधान किया गया.

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

विवरण	₹ करोड़ में	
	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूँजी और आरक्षितियाँ	125.43	131.68
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	12.65	6.56
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	78.76	61.50
योग	216.84	199.74
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	-	-
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	88.31	72.30
निवेश	0.48	1.95
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	41.22	21.29
अन्य आस्तियाँ	86.83	104.20
योग	216.84	199.74
पूँजी वायदे	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	3.11	0.90

g) Investments in Jointly Controlled Entities

Investments include ₹ 38.14 crore (Previous Year ₹ 39.50 crore) representing Bank's interest in the following jointly controlled entities

Sl. No	Name of the Company	Amount ₹ In crore	Country of Residence	Holding %
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	9.44 (10.80)	India	40%
2	C - Edge Technologies Ltd.	4.90 (4.90)	India	49%
3	Maquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	2.25 (2.25)	Singapore	45%
4	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	18.57 (18.57)	India	45%
5	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	0.03 (0.03)	India	45%
6	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd. #	0.64 (0.64)	Bermuda	45%
7	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	2.30 (2.30)	India	50%
8	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	0.01 (0.01)	India	50%

Indirect holding through Maquarie SBI Infra Management Pte. Ltd., against which the Company has made 100% provision.

(Figures in brackets relate to previous year)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

Particulars	₹ In crore	
	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
Liabilities		
Capital & Reserves	125.43	131.68
Deposits	-	-
Borrowings	12.65	6.56
Other Liabilities & Provisions	78.76	61.50
Total	216.84	199.74
Assets		
Cash and Balances with RBI	-	-
Balances with Banks and money at call and short notice	88.31	72.30
Investments	0.48	1.95
Advances	-	-
Fixed Assets	41.22	21.29
Other Assets	86.83	104.20
Total	216.84	199.74
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	3.11	0.90



विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
आय		
अर्जित ब्याज	7.44	6.50
अन्य आय	208.89	170.76
योग	216.33	177.26
व्यय		
दिया गया ब्याज	1.37	0.43
परिचालन व्यय	170.56	144.47
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	11.63	8.72
योग	183.56	153.62
लाभ	32.77	23.64

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो..

झ) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा.
2	बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनियम संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनियम तथा ब्याज दर विनियम करता है. वायदा विनियम संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनियमों का वायदा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनियम नकदी प्रवाह के लिए है. ब्याज दर विनियम का वायदा अचल विनियम एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए है. अनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है. प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है. गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचारार्थ हैं, का एक पक्ष है. बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेरों का अभिदान करने का वायदा किया है. इसी क्रम में इस मद के अंतर्गत बैंक की ओर से किए गए डेरिवेटिव्स संविदा को शामिल किया गया है

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के मांगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्धृत करने के दायित्व पर आधारित हैं.

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
Income		
Interest earned	7.44	6.50
Other income	208.89	170.76
Total	216.33	177.26
Expenditure		
Interest expended	1.37	0.43
Operating expenses	170.56	144.47
Provisions & contingencies	11.63	8.72
Total	183.56	153.62
Profit	32.77	23.64

h) Impairment of Assets

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

i) a) Description of Contingent Liabilities and Contingent Assets

Sl. No.	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-Bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as Contingent Liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Bank is contingently liable.	The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Bank and not provided for. Further, the Bank has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

The Contingent Liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.



ख) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव
₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	256.86	275.10
वर्ष के दौरान वृद्धि (पिछले वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववती एसबीआईसीआई से अंतरित प्रावधान भी शामिल है)	68.47	56.33
वर्ष के दौरान कमी	73.96	74.57
इति शेष	251.37	256.86

18.2. अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	5,951.06	6,335.37
- आस्थगित कर	(107.97)	455.93
- आय कर / फ्रिज लाभ कर का प्रतिलेखन	0	(21.28)
- अन्य कर	2.82	6.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(966.95)	683.28
विदेशी कार्यालय में रखे हुए निवेशों पर भारत में की गई मूल्यह्रास के लिए का प्रावधान	5.66	(19.58)
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	10,656.97	11,494.10
पुनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	710.82	51.76
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	749.61	978.81
अन्य प्रावधान	(25.28)	(98.14)
योग	16,976.74	19,866.25

2. अस्थायी प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	23.00
जोड़े : पूर्ववती एसबीआईसीआई से अंतरित वर्ष के दौरान वृद्धि	-	2.14
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	25.14	25.14

3. आरक्षितियों से आहरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
अंतर कार्यालय समाधान की मद में	0.21	0.01

4. शिकायतों की स्थिति :

क. ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	13,414	824
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	18,86,249	4,62,381
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	18,66,958	4,49,791
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	32,705	13,414

b) Movement of provisions against Contingent Liabilities

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	256.86	275.10
Additions during the year (Previous Year figures include provision transferred from e SBICI)	68.47	56.33
Reductions during the year	73.96	74.57
Closing balance	251.37	256.86

18.8. Additional Disclosures

1. Provisions and Contingencies

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Taxation		
-Current Tax	5,951.06	6,335.37
-Deferred Tax	(107.97)	455.93
-Write Back of Income Tax/ Fringe Benefit Tax	0	(21.28)
-Other Tax	2.82	6.00
Provision for Depreciation on Investments	(966.95)	683.28
Provision for Depreciation made in India on Investments held at Foreign Offices	5.66	(19.58)
Provision on Non-Performing Assets	10,656.97	11,494.10
Provision on Restructured Assets	710.82	51.76
Provision on Standard Assets	749.61	978.81
Other Provisions	(25.28)	(98.14)
Total	16,976.74	19,866.25

2. Floating Provisions

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	25.14	23.00
Add: Transferred from e SBICI	-	2.14
Addition during the year	-	-
Draw down during the year	-	-
Closing Balance	25.14	25.14

3. Withdrawal from Reserves

During the year, the Bank has withdrawn following amount from the Reserves:

₹ In crore

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
On account of Inter Office reconciliation	0.21	0.01

4. Status of complaints

A. Customer complaints

Particulars	As at 31 Mar 2013	As at 31 Mar 2012
No. of complaints pending at the beginning of the year	13,414	824
No. of complaints received during the year	18,86,249	4,62,381
No. of complaints redressed during the year	18,66,958	4,49,791
No. of complaints pending at the end of the year	32,705	13,414



ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	21	7
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	159	131
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	152	117
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	28	21

5. व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बद्ध प्रकटीकरणों के संदर्भ में व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित भुगतानों या ब्याज भुगतान में हुए विलम्ब के कारण ऐसे भुगतान मामलों की कोई सूचना नहीं है.

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपने अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2013 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹ 477.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2086.56 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं.

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात :

31 मार्च 2013 तक बैंक का अर्नजक आस्ति अनुपात हेतु 66.58% प्रावधानीकरण किया गया है. (पिछले वर्ष 68.10%)

8. वर्ष 2012-13 में बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस / पारिश्रमिक ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	212.03	156.82
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	निरंक	0.34
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	29.62	8.83
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	निरंक	0.02
मनु लाइफ फाइनेंशियल लि.	1.91	2.08
एनटीयूसी	1.06	0.71
योग	244.62	168.80

9. जमाराशियों, अग्रिमों एक्सपोजरों एवं अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क) जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहत्तम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	79,985.27	60,522.62
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहत्तम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.65%	5.80%

ख) अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहत्तम उधारकर्ताओं को किए गए अग्रिम	1,11,717.95	83,199.80
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस वृहत्तम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	10.36%	9.31%

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

Particulars	Current Year	Previous Year
No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	21	7
No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	159	131
No. of Awards implemented during the year	152	117
No. of unimplemented Awards at the end of the year	28	21

5. With regard to disclosures relating to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006, there have been no reported cases of delayed payments or of interest payments due to delay in such payments to Micro, Small & Medium Enterprises.

6. Letter of Comfort issued for Subsidiaries

The Bank has issued letters of comfort on behalf of its subsidiaries. Outstanding letters of comfort as on 31st March 2013 aggregate to ₹ 477.19 Crore (Previous Year: ₹ 2086.56 Crore). In the Bank's assessment no financial impact is likely to arise.

7. Provisioning Coverage Ratio:

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets ratio of the Bank as on 31st March 2013 is 66.58% (Previous Year 68.10%).

8. Fees/remuneration received in respect of the bancassurance business in 2012-13

₹ In crore

Name of Company	Current Year	Previous Year
SBI Life Insurance Co. Ltd.	212.03	156.82
The New India Assurance Co. Ltd.	Nil	0.34
SBI General Insurance Co. Ltd.	29.62	8.83
United India Insurance Co Ltd.	Nil	0.02
Manu Life Financial Limited	1.91	2.08
NTUC	1.06	0.71
TOTAL	244.62	168.80

9. Concentration of Deposits, Advances Exposures & NPAs

a) Concentration of Deposits

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	79,985.27	60,522.62
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.65%	5.80%

b) Concentration of Advances

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest borrowers	1,11,717.95	83,199.80
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	10.36%	9.31%



ग) एक्सपोजरों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहत्तम उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोजर	2,47,179.38	2,13,774.62
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहत्तम उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	14.08%	13.97%

घ) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल एक्सपोजर	2,797.98	2,931.51

10. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र	कथित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	9.50 %	8.92%
2	उद्योग (व्यष्टि एवं लघु, मध्यम तथा वृहद्)	4.37 %	4.12%
3	सेवाएं	4.43 %	2.94%
4	वैयक्तिक ऋण	1.98 %	2.92%

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और आय

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	2,26,784.42	1,80,342.80
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2,811.27	2,520.46
3	कुल आय	8,208.83	6,659.06

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम

	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. अपरिशोधित उपदान देयताएं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी. बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि तक ग्रेज्युटी सीमा में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त देयताओं को परिशोधित करने का विकल्प चुना है. तदनुसार बैंक ने ₹ 100 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया है जो कि 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आनुपातिक राशि है. 31 मार्च 2013 को ₹ 2 करोड़ की लेखे में न ली गयी देयता को उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार परिशोधित किया जाएगा.

c) Concentration of Exposures

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	2,47,179.38	2,13,774.62
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	14.08%	13.97%

d) Concentration of NPAs

₹ In crore

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA accounts	2,797.98	2,931.51

10. Sector –wise NPAs

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		Current Year	Previous Year
1	Agriculture & allied activities	9.50 %	8.92%
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	4.37 %	4.12%
3	Services	4.43 %	2.94%
4	Personal Loans	1.98 %	2.92%

11. Overseas Assets, NPAs and Revenue

₹ In crore

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Total Assets	2,26,784.42	1,80,342.80
2	Total NPAs (Gross)	2,811.27	2,520.46
3	Total Revenue	8,208.83	6,659.06

12. Off-balance Sheet SPVs sponsored

	Name of the SPV Sponsored	
	Domestic	Overseas
Current Year	NIL	NIL
Previous Year	NIL	NIL

13. Unamortised Gratuity Liabilities

In accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 the Bank has opted to amortise the additional liability on account of enhancement in Gratuity limit over a period of 5 years beginning with the financial year ended March 31, 2011. Accordingly, the Bank has charged a sum of ₹ 100 crore to the Profit and Loss Account, being the proportionate amount for the financial year ended March 31, 2013. The unrecognised liability of ₹ 200 crore as on March 31, 2013 will be amortised proportionately in accordance with the above circular.



14. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के जो खिम से बचाव संबंधी मानदंडों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा तुलनपत्र की तारीख को प्रतिधारित एक्सपोजरों की कुल राशि क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर्स i. प्रथम हानि ii. अन्य ख) तुलन पत्र एक्सपोजर्स i. प्रथम हानि ii. अन्य	निरंक	निरंक
4.	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाव संबंधी मानदंडों के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजरों की राशि क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर्स i. अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ख) तुलन पत्र एक्सपोजर्स i. अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii. अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर्स 1. प्रथम हानि 2. अन्य	निरंक	निरंक

15. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

16. अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान

वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ देशी अनर्जक आस्तियों के लिए ₹ 706.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1350 करोड़) का विशेष प्रावधान किया है ताकि वसूली योग्य राशियों में होने वाले पूर्वआकलित वास्तविक हानि को पूरा किया जा सके।

17. बकाया वेतन करार

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के पक्ष से बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठनों के साथ किए गए नए द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो चुका है। 1 नवम्बर 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन पर आगे होने वाले समझौते के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान ₹ 720 करोड़ का प्रावधान किया है।

बैंक ने अधिवर्षिता योजनाओं और अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी हितलाभों के लिए समग्र बोमांकित मूल्यों पर ₹ 225 करोड़ का तदर्थ अतिरिक्त प्रावधान किया है।

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

14. Disclosure relating to Securitisation

₹ In crore

Sr. No.	Particulars	Number	Amount
1.	No. of the SPVs sponsored by the Bank for securitization transactions	Nil	Nil
2.	Total amount of securitized assets as per the books of the SPVs sponsored by the bank	Nil	Nil
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MMR as on the date of balance sheet a) Off-balance sheet exposures i. First Loss ii. Others b) On-balance sheet exposures i. First Loss ii. Others	Nil	Nil
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MMR a) Off-balance sheet exposures i. Exposures to own securitisations 1. First Loss 2. Others ii. Exposures to third party securitisations 1. First Loss 2. Others b) On-balance sheet exposures i. Exposures to own securitisations 1. First Loss 2. Others ii. Exposures to third party securitisations 1. First Loss 2. Others	Nil	Nil

15. Inter Office Accounts

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishments are being reconciled on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

16. Specific Provision for NPAs

During the year, the Bank has made specific provisions of ₹ 706.26 crore (previous year ₹ 1350 crore) for certain Non-performing domestic advances to provide for estimated actual loss in collectible amounts.

17. Pending Wage Agreement

The Ninth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2012. Pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2012, a provision of ₹ 720 Crore has been made during the year.

Further, the Bank has made an adhoc additional provision of ₹ 225 crore towards Superannuation Schemes and other long term employee benefits, over and above the actuarial valuations.

18. Previous year figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current year classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.



भारतीय स्टेट बैंक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2013

₹ in 000s में

विवरण Particulars	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2013	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2012
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Taxes	19950,89,77	18483,30,60
समायोजन : Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	1139,60,76	1007,16,87
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)	32,71,93	44,14,62
निवेशों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of Investments (Net)	(1101,91,53)	919,74,24
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments (Net)	3,78,17	-
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Non Performing Assets	11367,78,46	11545,85,15
मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets	749,60,48	978,81,32
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investments	(966,95,17)	683,28,15
अन्य प्रावधान Other Provisions	(19,61,18)	(117,71,39)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (निवेश कार्यकलाप) Dividend from Subsidiaries/ Joint Ventures (Investing Activity)	(715,51,40)	(767,35,15)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप) Interest on Capital Instruments (Financing Activity)	3614,89,51	3592,20,91
	34055,29,80	36369,45,32
समायोजन: Adjustments for :		
जमा राशियों में वृद्धि/ (कमी) Increase/ (Decrease) in Deposits	159092,21,21	109234,76,20



पूँजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Borrowings other than Capital Instruments		41964,09,55	7044,27,26
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Investments other than Investments in Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates		(36660,44,90)	(17331,61,64)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Advances		(189405,44,77)	(122148,07,24)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/ (Decrease) in Other Liabilities & Provisions		12545,72,39	(25031,39,62)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Other Assets		2097,11,12	(7897,23,60)
		23688,54,40	(19759,83,32)
कर भुगतान Taxes Paid		(2027,31,13)	(8708,75,29)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी Net cash generated from/ (used in) Operating Activities	(क) (A)	21661,23,27	(28468,58,61)
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash flow from Investing Activities			
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase)/ Decrease in Investments in Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates		(4,12,70)	(705,56,95)
ऐसे निवेशों पर अर्जित आय Income earned on such Investments		715,51,40	767,35,15
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets		(2710,79,99)	(1710,34,68)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी Net cash generated from/ (used in) Investing Activities	(ख) (B)	(1999,41,29)	(1648,56,48)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities			
इक्विटी शेयर पूँजी के निर्गम से प्राप्त राशि Proceeds from issue of equity share capital		3000,34,14	7891,30,87
पूँजीगत लिखतों पर ब्याज / Interest on Capital Instruments		(3614,89,51)	(3592,20,91)
लाभांश पर कर सहित प्रदत्त लाभांश Dividend paid including tax thereon		(2645,16,40)	(2151,43,88)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी Net cash generated from/ (used in) Financing Activities	(ग) (C)	(3259,71,77)	2147,66,08



अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव Effect of exchange fluctuation on translation reserve	(घ) (D)	1254,89,75	2217,09,51
समामेलन पर पूर्ववर्ती एसबीआईसीआई बैंक लिमिटेड से अधिगृहीत निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य Net cash and cash equivalents taken over from erstwhile SBICI Bank Limited on amalgamation	(ड.) (E)	-	41,41,22
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)+(E)		17656,99,96	(25710,98,28)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year		97163,16,49	122874,14,77
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year		114820,16,45	97163,16,49

हस्ताक्षरकर्ता :

श्री एस. वेंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम्
श्री पार्थसारथी अय्यंगार
श्री थॉमस मैथ्यू
श्री ज्योति भूषण महापात्र
श्री एस. के. मुखर्जी
श्री दीपक ईश्वरभाई अमिन
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह

निदेशक

एस. विश्वनाथन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

दिवाकर गुप्ता
प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

हेमंत जी. कान्देक्टर
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

स्थान: कोलकाता,
दिनांक : 23 मई 2013

SIGNED BY:

Shri S. Venkatachalam
Shri D. Sundaram
Shri Parthasarathy Iyengar
Shri Thomas Mathew
Shri Jyoti Bhushan Mohapatra
Shri S. K. Mukherjee
Shri Deepak Ishwarbhai Amin
Shri Harichandra Bahadur Singh

Directors

S. Vishvanathan
Managing Director &
Group Executive (A&S)

A. Krishna Kumar
Managing Director &
Group Executive (NB)

Diwakar Gupta
Managing Director & Chief
Financial Officer

Hemant G. Contractor
Managing Director &
Group Executive (IB)

Pratip Chaudhuri
Chairman

Place : Kolkata,
Date : 23rd May, 2013



स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक की 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरणों की, तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं।

- केंद्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, वैश्विक बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आर्स्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय) और 42 शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;
- 7480 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की; तथा
- विदेश स्थित 53 शाखाएं जिनकी लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की; और

हमारे एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

तुलनपत्र और लाभ एवं हानि विवरणों में 8170 भारतीय शाखाओं एवं अन्य लेखा इकाइयों की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा अपेक्षित नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 5.38%, जमाराशियों में 19.47%, ब्याज आय में 6.25% तथा दिए गए ब्याज में 16.91% है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और मान्यता प्राप्त लेखा नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India,

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of State Bank of India as at 31st March 2013, which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2013, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of

- The Central Office, 14 Local Head Offices, Global Market Group, International Business Group, Corporate Accounts Group (Central), Mid-Corporate Group (Central), Stressed Assets Management Group (Central) and 42 branches audited by us;
- 7480 Indian Branches audited by other auditors;
- 53 Foreign Branches audited by the local auditors; and

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by Reserve Bank of India.

Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 8170 Indian Branches and other accounting units which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.38% of advances, 19.47% of deposits, 6.25% of interest income and 16.91% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirements of the Reserve Bank of India, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the State Bank of India Act, 1955 and recognised accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जांच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनकी उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।
5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षक साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत के अनुसार, जैसे बैंक की बहियों में दर्शाया गया है, और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - (i) महत्वपूर्ण लेखनीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2013 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;
 - (ii) महत्वपूर्ण लेखनीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
 - (iii) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही और सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं:
 - (क) टिप्पणी 18.8 - पैरा 13, अनुसूची 18: बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन देयताओं की आस्थगित राशि ₹ 200 करोड़ से संबंधित 'लेखा टिप्पणियाँ' जो लेखामानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.01.018/2010-11 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों दी गई छूट के कारण की गई है।
 - (ख) टिप्पणी 18.8 - पैरा 16, अनुसूची 18: वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ अनर्जक देशीय अग्रिमों के लिए ₹ 706.26 करोड़ के अलग से प्रावधान किए हैं जो वसूलीयोग्य राशियों में अनुमानित वास्तविक हानि के लिए प्रावधान स्वरूप है।

evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Matter of Emphasis

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to :
 - a) Notes 18.8 – para 13 of Schedule 18 : 'Notes to Accounts' regarding deferment of gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 200 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no.DBOD.BP.BC/80/21.04.01.018/2010-11 dated February 9, 2011.
 - b) Notes 18.8 – para 16 of Schedule 18 : During the year, the Bank has made specific provisions of ₹ 706.26 crores for certain Non-performing domestic advances to provide for estimated actual loss in collectible amounts.



अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।
9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:
 - (क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।
 - (ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।
 - (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।
10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act 1949, these give information as required to be given by virtue of the provisions of the State bank of India Act, 1955 and regulations there under.
9. Subject to limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the State bank of India Act, 1955, and subject also to the limitations of disclosure required there in, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with applicable accounting standards.



कृते तोदी तुलसियान एंड कं.

For Todi Tulsyan & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सुशील कुमार तुलसियान

Sushil Kumar Tulsyan

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 075899

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 002180 C

कृते एस वैकटराम एंड कं.

For S Venkatram & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

जी. नारायण स्वामी

G Narayanaswamy

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 002161

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.004656 S

कृते एस एन नंदा एंड कं.

For S N Nanda & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस एन नंदा

S N Nanda

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 005909

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.000685 N

कृते एडीडी एण्ड एसोसिएट्स

For ADD & Associates

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

नीमई कुमार दास

Nimai Kumar Das

भागीदार Partner: एम.एन. M.No. 051309

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.308064 E

कृते वी पी आदित्य एंड कं.

For V P Aditya & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी पी आदित्य

V P Aditya

भागीदार Partner : एम.एन. M No.006387

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.000542 C

कृते सिंघी एंड कं.

For Singhi & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

राजीव सिंघी

Rajiv Singhi

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 053518

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.302049 E

कृते श्रीराममूर्ति एंड कं.

For Sriramamurthy & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एम पूर्ण चन्द्र राव

M Poorna Chander Rao

भागीदार Partner : एम.एन. M.No.027113

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.003032 S

कृते वी सुन्दरराजन एंड कं.

For V Soundararajan & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी एस सुकुमार

V S Sukumar

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 018203

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.003943 S

कृते धमीजा सुखीजा एण्ड कं.

For Dhamija Sukhija & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

रीना सुखीजा

Reena Sukhija

भागीदार Partner: एम.एन. M.No.081977

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.000369 N

कृते एस जयकिशन

For S Jaykishan

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सुनिर्मल चटर्जी

Sunirmal Chatterjee

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 017361

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.309005 E

कृते एससीएम एसोसिएट्स

For SCM Associates

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस के झुंझुनवाला

S K Jhunjunwala

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 055639

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 314173 E

कृते टी आर चड्ढा एंड कं.

For T R Chadha & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

विकास कुमार

Vikas Kumar

भागीदार Partner : एम.एन. M.No. 075363

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No.006711 N

कृते के बी शर्मा एंड कं.

For K B Sharma & Co.

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

मुनीष जैन

Munish Jain

भागीदार Partner : एम.एन. M No.094750

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 002318 N

कृते प्रकाश एण्ड संतोष

For Prakash & Santosh

सनदी लेखाकार Chartered Accountants

संतोष कुमार गुप्ता

Santosh Kumar Gupta

भागीदार Partner : एम.एन. M No.016304

फर्म पंजी. सं. Firm Regn. No. 000454 C

स्थान : कोलकाता

Place : Kolkata

दिनांक : 23 मई 2013

Date : 23rd May 2013



**स्टेट बैंक समूह के
31मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements
of State Bank Group
for the year ended 31st March 2013**



भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (समेकित) तुलन-पत्र State Bank of India (Consolidated) Balance Sheet as on 31st March 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Sch. No.	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
पूंजी और देयताएँ / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	684,03,40	671,04,48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	124348,98,77	105558,96,85
अल्पांश हित Minority Interest		4253,86,10	3725,66,87
जमाराशियाँ Deposits	3	1627402,61,19	1414689,40,11
उधार Borrowings	4	203723,19,69	157991,35,95
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	172745,64,53	147319,72,65
	योग TOTAL	2133158,33,68	1829956,16,91
आस्तियाँ / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	89574,03,11	79199,20,61
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balance with banks and money at call & short notice	7	55653,69,49	48391,62,24
निवेश Investments	8	519393,19,04	460949,13,77
अग्रिम Advances	9	1392608,03,33	1163670,20,54
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	9369,92,56	7407,96,51
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	66559,46,15	70338,03,24
	योग TOTAL	2133158,33,68	1829956,16,91
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	1056488,59,99	937155,49,74
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection		80201,66,95	80410,04,83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		



अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
प्राधिकृत पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000) Authorised Capital 500,00,00,000 (Previous Year 500,00,00,000) equity shares of ₹ 10/- each	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,41,17,046 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,11,28,349) Issued Capital 68,41,17,046 (Previous Year 67,11,28,349) equity shares of ₹ 10/- each	684,11,70	671,12,83
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : ₹ 10 प्रति शेयर दर वाले 68,40,33,971 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 67,10,44,838) [उपर्युक्त में 1,65,21,526 (पिछले वर्ष 1,69,77,498) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं, जो 82,60,763 (पिछले वर्ष 84,88,749) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं.] Subscribed and Paid up Capital 68,40,33,971 (Previous Year 67,10,44,838) equity shares of ₹ 10/-each The above includes 1,65,21,526 (Previous Year 1,69,77,498) equity shares represented by 82,60,763 (Previous Year 84,88,749) Global Depository Receipts	684,03,40	671,04,48
योग TOTAL	684,03,40	671,04,48

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves		
अथशेष Opening Balance	43449,97,27	38996,30,40
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	5371,47,28	4453,66,87
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	-	-
	48821,44,55	43449,97,27
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ # Capital Reserves #		
अथशेष Opening Balance	2125,44,35	2092,59,31
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	87,62,49	32,85,04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	-	-
	2213,06,84	2125,44,35

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹	
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
अथशेष Opening Balance	28513,84,58		20658,58,29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2991,08,00		7864,05,01	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	3,72,77	31501,19,81	8,78,72	28513,84,58
IV. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ Foreign Currency Translation Reserves				
अथशेष Opening Balance	2845,50,56		749,92,64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1168,82,55		2095,57,92	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—	4014,33,11	—	2845,50,56
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ Revenue and Other Reserves				
अथशेष Opening Balance	27731,45,92		19815,92,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year ##	8682,21,22		7935,25,66	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	37,26,62	36376,40,52	19,72,14	27731,45,92
VI. लाभ और हानि खाते की शेष राशि Balance in Profit and Loss Account		1422,53,94		892,74,17
योग Total		124348,98,77		105558,96,85

इसमें समेकन पर पुंजीगत आरक्षित निधि ₹139,23,28 हजार (पिछले वर्ष ₹ 1,39,23,28 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

includes Capital Reserve on consolidation ₹ 139,23,28 thousand (Previous Year ₹ 139,23,28 thousand)

net of consolidation adjustments



अनुसूची 3 - जमाराशियाँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
क. I. माँग जमाराशियाँ		
A. I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	8201,96,41	7598,17,42
(ii) अन्यो से From Others	127793,49,18	111357,83,08
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	527129,94,19	456632,72,25
III. सावधि जमाराशियाँ Term Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	29356,76,95	18580,69,73
(ii) अन्यो से From Others	934920,44,46	820519,97,63
योग Total	1627402,61,19	1414689,40,11
ख. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ B. (i) Deposits of Branches in India	1540656,01,05	1341224,25,26
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	86746,60,14	73465,14,85
योग Total	1627402,61,19	1414689,40,11



अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	16415,66,00	1522,00,00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	8434,78,11	6693,68,11
(iii) अन्य संस्थाएँ और अधिकरण Other Institutions and Agencies	17642,03,89	14357,75,23
(iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	3890,00,00	3890,00,00
(v) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	45009,61,20	45004,57,10
योग Total	91392,09,20	71468,00,44
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ Borrowings outside India		
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित्त Borrowing and Refinance outside India	108875,45,24	83305,85,87
(ii) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	3392,81,25	3179,76,24
(iii) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	62,84,00	37,73,40
योग Total	112331,10,49	86523,35,51
कुल योग (I व II) Grand Total (I & II)	203723,19,69	157991,35,95
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	12570,33,58	5991,39,23



अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. संदेय बिल Bills payable	24393,64,28	25164,68,38
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल) Inter Bank Adjustments (net)	167,13,54	229,12,23
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office adjustments (net)	16384,11,49	-
IV. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	17778,02,18	15050,35,95
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) Deferred Tax Liabilities (net)	719,09,59	325,36,91
VI. बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business	50216,61,30	44920,85,73
VII. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	63087,02,15	61629,33,45
योग Total	172745,64,53	147319,72,65

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	13569,34,83	13082,01,93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में In Current Account	76004,68,28	66114,64,44
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	-	2,54,24
योग Total	89574,03,11	79199,20,61



अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खाते में (a) In Current Account	700,22,10	866,16,03
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	6059,57,08	6765,69,55
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call & short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	7211,71,57	5805,48,81
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With Other Institutions	700,00,00	331,69,00
योग TOTAL	14671,50,75	13769,03,39
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खाते में In Current Account	27157,14,31	24580,04,34
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	5345,93,68	1843,99,10
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call & short notice	8479,10,75	8198,55,41
योग TOTAL	40982,18,74	34622,58,85
कुल योग (I व II) GRAND TOTAL (I and II)	55653,69,49	48391,62,24


अनुसूची 8 - निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

 (000 को छोड़ दिया गया है)
 (000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. भारत में निवेश : Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	391862,07,81	360054,56,37
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2871,56,85	2089,18,54
(iii) शेयर Shares	24444,08,86	24834,64,64
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	40324,26,62	23517,79,87
(v) सहयोगी Associates	1572,37,89	1265,46,97
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमा राशियाँ आदि) Others (Units of Mutual Funds, Commercial Papers, Priority Sector Deposits etc.)	46995,29,59	37449,90,11
योग TOTAL	508069,67,62	449211,56,50
II. भारत के बाहर निवेश : Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	4569,61,80	3531,20,41
(ii) सहयोगी Associates	70,69,84	62,13,60
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	6683,19,78	8144,23,26
योग TOTAL	11323,51,42	11737,57,27
कुल योग (I एवं II) GRAND TOTAL (I and II)	519393,19,04	460949,13,77
III. भारत में निवेश : Investments in India in		
(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	509328,18,84	451425,98,03
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यहास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	1258,51,22	2214,41,53
(iii) निवल निवेश (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	508069,67,62	449211,56,50
IV. भारत के बाहर निवेश : Investments outside India in		
(i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	11463,00,51	12012,89,05
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यहास Less: Aggregate of Provisions / Depreciation	139,49,09	275,31,78
(iii) निवल निवेश (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	11323,51,42	11737,57,27
कुल योग (III एवं IV) GRAND TOTAL (III and IV)	519393,19,04	460949,13,77



अनुसूची 9 - अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
क. (i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल A. Bills purchased and discounted	102044,39,37	90893,63,64
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on demand	615349,13,44	498481,20,77
(iii) सावधि ऋण Term Loans	675214,50,52	574295,36,13
योग TOTAL	1392608,03,33	1163670,20,54
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं) B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	1071886,44,08	875465,18,10
(ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	100582,82,89	86332,96,33
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	220138,76,36	201872,06,11
योग TOTAL	1392608,03,33	1163670,20,54
ग. (I) भारत में अग्रिम C. Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	375962,79,00	345780,06,73
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	73636,90,26	72039,51,04
(iii) बैंक Banks	892,64,87	339,58,80
(iv) अन्य Others	765498,22,60	602723,48,35
योग TOTAL	1215990,56,73	1020882,64,92
(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य Due from banks	32972,34,89	17171,70,50
(ii) अन्यो से प्राप्य Due from others		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल (a) Bills purchased and discounted	21229,56,72	21623,37,73
(ख) सिंडीकेटिड ऋण (b) Syndicated loans	58531,61,40	49339,16,18
(ग) अन्य (c) Others	63883,93,59	54653,31,21
योग TOTAL	176617,46,60	142787,55,62
कुल योग [ग (I) एवं ग (II)] GRAND TOTAL [C (I) and C (II)]	1392608,03,33	1163670,20,54


अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

 (000 को छोड़ दिया गया है)
 (000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹	
I. परिसर Premises				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	3055,37,69		2606,31,69	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	743,84,48		454,98,31	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	3,35,64		5,92,31	
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	<u>1177,73,85</u>	2618,12,68	<u>1051,76,21</u>	2003,61,48
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	15646,57,73		14029,96,46	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	3064,44,93		2346,63,13	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	839,14,39		730,01,86	
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	<u>11819,45,62</u>	6052,42,65	<u>10639,67,34</u>	5006,90,39
III. पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	917,80,50		906,97,74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	12,30,01		11,02,75	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	20,03,83		19,99	
प्रावधान सहित अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date (including provisions)	<u>882,62,21</u>		<u>897,15,52</u>	
	27,44,47		20,64,98	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता Less : Lease Adjustment Account	<u>4,50,18</u>	22,94,29	<u>4,50,18</u>	16,14,80
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ Assets under Construction		676,42,94		381,29,84
योग TOTAL		9369,92,56		7407,96,51



अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office adjustments (net)	1335,13,92	3110,81,70
(ii) प्रोद्धत ब्याज Interest accrued	16750,54,58	15121,66,38
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance / tax deducted at source	7246,74,38	9931,41,36
(iv) लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	125,23,07	128,70,95
(v) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	29,58,53	33,81,06
(vi) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल) Deferred tax assets (net)	594,29,46	534,45,70
(vii) अन्य # Others #	40477,92,21	41477,16,09
योग TOTAL	66559,46,15	70338,03,24

समेकन आधार पर साख ₹ 728,55,26 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 728,64,93 हजार)

Includes Goodwill on consolidation ₹ 728,55,26 thousand (P.Y. ₹ 728,64,93 thousand)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the group not acknowledged as debts	1571,76,13	1344,28,80
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	6,13,51	10,69,90
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	548862,16,67	460108,59,30
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	117565,83,83	105767,34,48
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	81047,16,27	85203,17,43
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	149889,00,38	160401,48,34
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the group are contingently liable	157546,53,20	124319,91,49
योग TOTAL	1056488,59,99	937155,49,74
संग्रहण के लिए बिल Bills for collection	80201,66,95	80410,04,83



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Sch.No	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	167978,13,78	147197,38,72
अन्य आय Other Income	14	32581,69,88	29691,58,30
योग TOTAL		200559,83,66	176888,97,02
II. व्यय EXPENDITURE			
दिया गया ब्याज Interest expended	15	106817,91,29	89319,55,28
परिचालन व्यय Operating expenses	16	52819,79,73	46856,03,30
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		22599,13,28	24883,93,33
योग TOTAL		182236,84,30	161059,51,91
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व) Net Profit for the year (before adjustment for Share in Profit of Associates and Minority Interest)		18322,99,36	15829,45,11
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी Add: Share in Profit of Associates		231,67,78	143,85,41
घटाएं : अल्पांश हित Less: Minority Interest		638,44,03	630,20,56
समूह के लिए निवल लाभ Net Profit for the Group		17916,23,11	15343,09,96
आगे लाया गया शेष Balance Brought forward		892,74,17	522,92,29
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि Amount available for Appropriation		18808,97,28	15866,02,25
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserves		5371,44,24	4454,61,65
अन्य आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Other Reserves		8695,52,63	7781,54,57
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		2838,74,09	2348,65,69
लाभांश पर कर Tax on Dividend		480,72,38	388,46,17
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है Balance carried over to Balance Sheet		1422,53,94	892,74,17
योग TOTAL		18808,97,28	15866,02,25
प्रति शेयर मूल आय / Basic Earnings per Share		₹ 266.82	₹ 241.55
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय / Diluted Earnings per Share		₹ 266.82	₹ 241.55
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		



अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances/ bills	126442,17,69	111341,45,56
II. निवेशों पर आय Income on Investments	38703,23,15	33705,20,92
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1338,70,42	776,25,90
IV. अन्य Others	1494,02,52	1374,46,34
योग TOTAL	167978,13,78	147197,38,72

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	13861,89,39	14532,36,72
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit /(Loss) on sale of investments (Net)	2861,82,55	(583,26,05)
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit /(Loss) on revaluation of investments (Net)	594,91,28	(1369,65,79)
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit /(Loss) on sale of land, building and other assets including leased assets (net)	(40, 53,82)	(47,01,40)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit /(Loss) on exchange transactions (Net)	2011,12,49	1688,26,70
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/ abroad	12,86,75	2,28,75
VII. वित्तीय पट्टे से आय Income from Financial Lease	61,25	15,10
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit Card membership/ service fees	400,66,84	268,98,68
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल) Insurance Premium Income (net)	10415,77,26	12985,11,49
X. विविध आय Miscellaneous Income	2462,55,89	2214,34,10
योग TOTAL	32581,69,88	29691,58,30



अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	96302,48,84	79345,57,40
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ Inter-bank borrowings	4736,59,97	4427,60,44
III. अन्य Others	5778,82,48	5546,37,44
योग TOTAL	106817,91,29	89319,55,28

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(000s omitted)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2013 (Current Year) ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2012 (Previous Year) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	24401,09,07	22084,02,73
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च Rent, taxes and lighting	3252,70,34	2822,38,95
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing & Stationery	419,33,83	380,08,52
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	643,67,08	342,66,27
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास (a) Depreciation on Leased Assets	4,66,19	1,84,61
(ख) अचल आस्तियों पर मूल्यहास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (b) Depreciation on Fixed Assets (other than Leased Assets)	1572,83,04	1369,76,13
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	7,55,97	5,86,33
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	186,76,13	197,98,41
VIII. विधि प्रभार Law charges	248,83,62	211,69,70
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि. Postages, Telegrams, Telephones, etc.	682,63,85	539,09,80
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	530,12,53	489,96,18
XI. बीमा Insurance	1596,69,48	1271,89,18
XII. आस्थगित आय व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	78,86,98	12,85,34
XIII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित Other Operating Expenses relating to Credit Card Operations	319,08,12	333,44,65
XIV. अन्य परिचालन व्यय-बीमा व्यवसाय से संबंधित Other Operating Expenses relating to Insurance Business	13450,63,98	12444,91,93
XV. अन्य व्यय Other Expenditure	5424,29,52	4347,54,57
योग TOTAL	52819,79,73	46856,03,30



अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोन्नत आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामलों में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएं सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार :

1. समूह (जिसमें 28 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 25 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।
- ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा “समेकित वित्तीय विवरणों” के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।
- ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ‘संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार ‘समानुपातिक समेकन’ किया गया है।
- घ. ‘सहयोगियों’ में किए गए निवेश का लेखाकरण ‘ईक्विटी-पद्धति’ के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspect to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the prevalent accounting practices in India. In case of foreign entities, Generally Accepted Accounting Principles as applicable to the foreign entities are followed.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Basis of Consolidation:

1. Consolidated financial statements of the Group (comprising of 28 subsidiaries, 8 Joint Ventures and 25 Associates) have been prepared on the basis of:

- a. Audited accounts of State Bank of India (Parent).
- b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI.
- c. Consolidation of Joint Ventures – ‘Proportionate Consolidation’ as per AS 27 “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” of the ICAI.
- d. Accounting for investment in ‘Associates’ under the ‘Equity Method’ as per AS 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” of the ICAI.

2. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group’s portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

3. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:



- क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और
- ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।
- घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**
1. आय निर्धारण
 - 1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अधिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं।
 - 1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बढ़ाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय “ट्रेडिंग” के रूप में नामित।
 - 1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, ‘परिपक्वता तक रखे गए’ श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होनेवाले लाभ को प्रयोज्य करों और ‘पूँजी आरक्षित खाते’ में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।
 - 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल विनिधान की राशि पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
 - 1.5 “परिपक्वता तक रखे गए” श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बढ़ाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :
 - i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय निर्धारण किया गया है।
 - ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।
 - 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।
 - 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार
- a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and
- b. The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.
- D. Significant Accounting Policies**
1. Revenue recognition
 - 1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of foreign offices/entities, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign offices/entities are located.
 - 1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices/entities (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) overdue interest on investments and bills discounted, (iii) Income on Rupee Derivatives designated as “Trading”.
 - 1.3 Profit or Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however the profit on sale of investments in the ‘Held to Maturity’ category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to ‘Capital Reserve Account’.
 - 1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.
 - 1.5 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
 - 1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
 - 1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which



- पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।
- 1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेन्ट बैंकिंग:

- क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।
- ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।
- ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं हैं।
- घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।
- ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।
- च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेन देन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन:

- क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।
- ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।
- ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।
- घ. निधिक गारंटीत योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।
- ड. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

- 1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.

1.9 Non-banking entities

Merchant Banking:

- a. Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of the agreement with the client, net of pass-through.
- b. Fees for private placement are recognised on completion of assignment.
- c. Brokerage income in relation to stock broking activity is recognised on the trade date of transactions and includes stamp duty and transaction charges and is net of scheme incentives paid.
- d. Commission relating to public issues is accounted for on finalisation of allotment of the public issue/receipt of information from intermediary.
- e. Brokerage income relating to public issues/mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/intermediaries.
- f. Depository income – Annual Maintenance Charges are recognised on accrual basis and transaction charges are recognised on trade date of transaction.

Asset Management:

- a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, wherever applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- b. Portfolio Advisory Service and Portfolio Management Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.
- c. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company, in terms of right of subrogation, is accounted on the basis of receipts.
- d. Recovery from funded guarantee schemes is recognised as income in the year of receipt.
- e. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates and expenses relating to new fund offer are charged to the Profit and Loss Account in the year in which they are incurred.



क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।
- ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. ब्याज और ब्याज सहायता आय ऋण - अवधि के लिए लेखे में शामिल की गई है।
- घ. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो।

जीवन बीमा :

- क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।
- ख. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।
- ग. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- घ. दिए गए लाभ:
 - जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
 - मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
 - परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
 - उत्तरजीविता और वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
 - अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।

Credit Card Operations:

- a. Joining membership fee and first annual fee is recognised over a period of one year as this more closely reflects the period to which the fee relates to.
- b. Interchange income is recognised on accrual basis.
- c. Interest & Subvention Income are recognised over the tenure of loans.
- d. All other service income/fees are recorded at the time of occurrence of the respective events.

Factoring:

Factoring charges are accrued on factoring of debts at the applicable rates, decided by the company. Processing charges are recognised as income only when there is reasonable certainty of its receipt after execution of documents.

Life Insurance:

- a. Premium of non-linked business is recognised as income (net of service tax) when due from policyholders. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived.
- b. Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions of policy and recognised when recovered.
- c. Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.
- d. Benefits paid:
 - Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable.
 - Claims by death and rider are accounted when intimated. Intimations up to the end of the period are considered for accounting of such claims.
 - Claims by maturity are accounted on the policy maturity date.
 - Survival and Annuity benefits claims are accounted when due.
 - Surrenders are accounted as and when intimated. Surrender includes amount payable on lapsed policies which are accounted for as and when due. Surrenders and lapsation are disclosed at net of charges recoverable.



- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण होने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
 - पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।
- ड. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।
- च. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता** : सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।
- गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है।

साधारण बीमा :

- क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।
- ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।
- ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

- Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.
 - Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.
- e. Acquisition costs such as commission, medical fees, etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.
- f. **Liability for life policies:** The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the Appointed Actuary in accordance with the Insurance Act 1938, and as per the rules and regulations and circulars issued by the IRDA and the relevant Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India are also compiled with.

The liability in respect of non-linked business has been calculated by using prospective gross premium valuation method. The unit liability in respect of linked business has been taken as the value of the units standing to the credit of the policy holders, using the Net Asset Value (NAV) prevailing at the valuation date.

General Insurance:

- a. Premium (net of service tax), including reinstatement premium, on direct business and reinsurance accepted, is recognised as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate, on gross basis under 1/365 method. Any subsequent revision to premium is recognised over the remaining period of risk or contract period. Adjustments to premium income arising on cancellation of policies are recognised in the period in which they are cancelled.
- b. Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance risk is ceded. Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognised as income in the year of final determination of the profits as intimated by Reinsurer and combined with commission on reinsurance ceded.
- c. In respect of proportional reinsurance ceded, the cost of reinsurance ceded is accrued at the commencement of risk. Non-proportional reinsurance cost is recognised when due. Any subsequent revision to, refunds or cancellations of premiums is recognised in the period in which they occur.



- घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।
- ङ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं।
- च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।
- छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/ परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्ध सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों/प्रबंधन शुल्कों को ग्राहकों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर निवेश 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

- d. Reinsurance inward acceptances are accounted for on the basis of returns, to the extent received, from the insurers.
- e. Acquisition costs such as commission, policy issue expenses etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.
- f. Claim is recognised as and when a loss occurrence is reported. Provision for claims outstanding payable as on the date of Balance Sheet is net of reinsurance, salvage value and other recoveries as estimated by the management.
- g. Provision in respect of claim liabilities that may have been incurred during an accounting period but not reported or claimed (IBNR) or not enough reported (i.e. reported with information insufficient for making a reasonable estimate of likely claim amount) (IBNER) before the end of the accounting period, is the amount determined by the Appointed Actuary/Consulting Actuary based on actuarial principles in accordance with the Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India with the concurrence of the IRDA and any directions issued by IRDA in this respect.

Custodial & related services:

The revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured.

Pension Fund Operation:

Management fees is recognised at specified rates agreed with the relevant schemes, applied on daily net assets of each scheme, and is in conformity with the regulatory guidelines issued by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). The Company presents revenues net of Service Tax.

Mutual Fund Trustee Operation:

Trusteeship fees / management fees are recognised on an accrual basis in accordance with the respective terms of contract entered into with clients.

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Settlement Date". Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 Classification

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT)

2.2 Basis of classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.



- ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।
- iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

- i. किसी निवेश की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:
 - क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - ख. निवेशों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।
 - घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।
- ii. उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि को न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यहरास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है।
- iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण रखाव-लागत आधार पर किया गया है।
- iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अभिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से द्घास के लिए प्रावधान किया गया है।

- ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 Valuation:

A. Banking Business

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - a. Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - b. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
 - c. Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
 - d. Cost of investment under AFS and HFT category is determined at the weighted average cost method by the group entities and cost of investments under HTM category is determined on FIFO basis (first in first out) by SBI and weighted average cost method by other group entities.
- ii. The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- iii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.
- iv. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with AS 23 of the ICAI.A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.



- v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ:** ए एफ एस और एच एफ टी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।
- vi. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आर्बटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य के आधार पर ऐसे विनिधानों का मूल्यन किया गया है।
- vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :
- क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।
- ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को य1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
- ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
- घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
- ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं।
- च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है।
- viii. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)
- v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines**, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices/entities and respective regulators in case of foreign offices/entities. Investments of domestic offices become non-performing where:
- a. Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- d. The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- e. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- f. In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- viii. Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)



- (क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपादिक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यक्ष उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई ('बीएसई') पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ "आय और अन्य

- a. The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).
- b. Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

B. Insurance Business

In case of life and general insurance subsidiaries, investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars or notifications issued by IRDA in this context from time to time.

(i) Valuation of investment pertaining to non-linked life business and general insurance business:-

- All debt securities, including government securities are stated at historical cost, subject to amortisation.
- Listed equity shares are measured at fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of determining fair value, the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') or Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai ('BSE') is considered. Unlisted equity securities are measured at historical cost.
- Investments in mutual fund units are valued at the Net Asset Value (NAV) of previous day in life insurance and of balance sheet date in general insurance.

Unrealized gains or losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units pertaining to shareholders' investments and non-linked policyholders investments are taken to "Revenue & Other Reserves (Schedule 2) " and "Liabilities relating



आरक्षितियाँ (अनुसूची 2) में और “बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)” क्रमशः तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

- (ii) **संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-**
- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘क्रिसिल’) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है।
 - सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्घृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्घृत मूल्य पर किया जाता है।
 - म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
 - ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

- 3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:
- i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
 - ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंयत” (“आउट ऑफ आर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5) respectively, in the balance sheet.

(ii) Valuation of investment pertaining to linked business: -

- Government securities with remaining maturity of more than one year are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Limited (‘CRISIL’) except Government of India scrips which are valued at prices obtained from FIMMDA. Debt securities other than Government securities with remaining maturity of more than one year are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer. The amortised or average cost of Government and other debt securities with remaining maturity of one year or less are amortised over the remaining life of the securities. Unrealised gains or losses arising on such valuation are recognised in the Profit & Loss Account.
- Listed equity shares are measured at fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of determining fair value, the last quoted closing price at the National Stock Exchange of India Limited (‘NSE’) is considered. In case the equity shares are not listed on NSE, then they are valued at last quoted closing price on BSE.
- Investments in mutual fund units are valued at the previous day’s Net Asset Value (NAV).
- Unrealized gains or losses arising due to changes in the fair value of equity shares and mutual fund units are recognised in the Profit & Loss Account.

3. Loans /Advances and Provisions thereon

- 3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:
- i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
 - ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;



- iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
- v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।
- 3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:
- i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है।
- ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है।
- iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:
- अव-मानक आस्तियाँ :
- i. 15% का सामान्य प्रावधान
- ii. उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
- iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%
- संदिग्ध आस्तियाँ :
- प्रतिभूत भाग :
- i. एक वर्ष तक - 25%
- ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
- iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग : 100%
- हानिप्रद आस्तियाँ : 100%
- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।
- iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;
- v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:
- i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- 3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:
- Substandard Assets:
- i. A general provision of 15%
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
- iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%
- Doubtful Assets:
- Secured portion:
- i. Upto one year - 25%
- ii. One to three years - 40%
- iii. More than three years - 100%
- Unsecured portion 100%
- Loss Assets: 100%
- 3.4 In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.



- 3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है, तो कम प्राप्त हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है और यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को रोककर रखा जाता है और उससे अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुई कमी/नुकसान को पूरा किया जाता है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा ईसीजीसी के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।
- 3.6 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बढ़ाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।
- 3.7 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में किया दिखाया है।
- 3.10 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।
- 4. अस्थायी प्रावधान**
- बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।
- 5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान**
- आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.
- 3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.
- 3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.
- 3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.
- 3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.
- 4. Floating Provision**
- The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.
- 5. Provision for Country Exposure for Banking Entities**
- In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other Liabilities & Provisions – Others".



6. डेरीवेटिव्स :

- 6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।
- 6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।
- 6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए “उच्चत परिणत प्राप्य राशि खाते” में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से “उच्चत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते” में प्रतिवर्तित किया जाता है।
- 6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।
- 6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरिवेटिव्स तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

- 7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।
- 7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

6. Derivatives:

- 6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.
- 6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.
- 6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account to “Suspense A/c - Crystallised Receivables”. In cases where the derivative contracts provide for more settlement in future and if the derivative contract is not terminated on the overdue receivables remaining unpaid for 90 days, the positive MTM pertaining to future receivables is also reversed from Profit and Loss Account to “Suspense A/c - Positive MTM”.
- 6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.
- 6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognised in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

- 7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.



- 7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यहरास की दरें और मूल्यहरास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहरास दर्शाने की पद्धति	मूल्यहरास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हरासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यहरास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हरासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

- 7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहरास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यहरास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि चाहे कुछ भी रही हो पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है।
- 7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहरास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेख में लिया गया है।
- 7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहरास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रणीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रणीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित

- 7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	-	100% depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under the Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under the Income-tax Rules 1962

- 7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.
- 7.5 Items costing less than ₹ 1,000 each are charged off in the year of purchase.
- 7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.
- 7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices/entities, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison



भविष्यगत निवल बढ़ाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रणीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।
- खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign branches/subsidiaries/joint ventures of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.



क. असमाकलित परिचालन :

- i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।
- ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।
- iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है।
- iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन :

- i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रणीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ :

i. नियत हितलाभ योजना

- क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित

a. Non-integral Operations:

- i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.
- iv. The Assets and Liabilities of foreign offices / subsidiaries / joint ventures in foreign currency (other than local currency of the foreign offices / subsidiaries / joint ventures) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

- a. The bank operates Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident Fund scheme. The bank contributes monthly at a determined



- दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।
- ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।
- ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमाकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।
- घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।
- ङ. नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।
- ii. **निश्चित अंशदान योजनाएं**
बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक निश्चित अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक द्वारा किया जाता है। ये अंशदान बैंक rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank is liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.
- b. The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.
- c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.
- ii. **Defined Contribution Plans**
The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme



में जमा के रूप में रखे गए हैं और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज का निर्धारण उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों/अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

12.2 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों अथवा तुलनपत्र तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का समावेश विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रणीत मूल्य और उनके क्रमशः कर आधार और अग्रणीत हानियों के बीच अवधिगत अंतर को ध्यान में रखकर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है। जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का समावेश अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है।

12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the group entities.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices/ entities are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices/entities, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12.4 Income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.



13. प्रति शेयर आय

- 13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरान्त निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।
- 13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

- 14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।
- 14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है
- पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा
 - किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा
 - दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।
ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।
- 14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

13. Earning per Share

- 13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- 14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- 14.2 No provision is recognised for:
- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the group entities ; or
 - any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- 14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.



अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियाँ:

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 25 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विजय / बहिर्गमन की संबंधित तारीख से तक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैम्प वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56	71.56
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	98.15
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40	93.40
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00	76.00
21)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
22)	एसबीआई काडर्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00	60.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. @	भारत	63.00	63.00
24)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. @	भारत	74.00	74.00
25)	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@	रूस	60.00	60.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.28	55.05
27)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. @	मॉरीशस	63.00	63.00
28)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयाँ हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS:

(Amount in Rupees in Crores)

1. List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:

1.1 The 28 Subsidiaries, 8 Joint Ventures and 25 Associates including 22 Regional Rural Banks from/upto respective dates of merger/exit during the year (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) Subsidiaries:

S. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%)	
			Current Year	Previous Year
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00	100.00
3)	State Bank of Mysore	India	92.33	92.33
4)	State Bank of Patiala	India	100.00	100.00
5)	State Bank of Travancore	India	75.01	75.01
6)	SBI Capital Markets Ltd.	India	100.00	100.00
7)	SBICAP Securities Ltd.	India	100.00	100.00
8)	SBICAP Trustee Company Ltd.	India	100.00	100.00
9)	SBICAPS Ventures Ltd.	India	100.00	100.00
10)	SBI DFHI Ltd.	India	71.56	71.56
11)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	India	100.00	100.00
12)	SBI Global Factors Ltd.	India	86.18	86.18
13)	SBI Pension Funds Pvt Ltd.	India	92.60	98.15
14)	SBI-SG Global Securities Services Pvt. Ltd. @	India	65.00	65.00
15)	SBI General Insurance Company Ltd. @	India	74.00	74.00
16)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	India	100.00	100.00
17)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00	100.00
18)	State Bank of India (California)	USA	100.00	100.00
19)	SBI (Mauritius) Ltd.	Mauritius	93.40	93.40
20)	PT Bank SBI Indonesia	Indonesia	76.00	76.00
21)	SBICAP (UK) Ltd.	U.K.	100.00	100.00
22)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd. @	India	60.00	60.00
23)	SBI Funds Management Pvt. Ltd. @	India	63.00	63.00
24)	SBI Life Insurance Company Ltd. @	India	74.00	74.00
25)	Commercial Bank of India LLC. , Moscow @	Russia	60.00	60.00
26)	Nepal SBI Bank Ltd.	Nepal	55.28	55.05
27)	SBI Funds Management (International) Private Ltd. @	Mauritius	63.00	63.00
28)	SBICAP (Singapore) Ltd.	Singapore	100.00	100.00

@ Represents companies which are jointly controlled entities in terms of the shareholders' agreement. However, the same are consolidated as subsidiaries in accordance with AS 21 "Consolidated Financial Statements" as SBI is holding in these companies in excess of 50%.



ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक)	भारत	35.00	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक)	भारत	35.00	35.00
14)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक)	भारत	35.00	35.00
19)	मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
20)	डेक्कन ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
21)	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	32.32	32.32
22)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
23)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	29.22
24)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	25.05	25.05

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने एसबी आई की उप-अनुषंगी संस्थाओं एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि. और एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि. में क्रमशः ₹ 25.00 करोड़ और ₹ 7.51 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी लगाई।

ख. एसबीआई की अनुषंगियों एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा.लि. में से प्रत्येक ने एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. में ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि का निवेश किया और एसबीआई ने इसमें और निवेश नहीं किया। इसलिए समूह की एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि. में हिस्सेदारी 98.15% से घटकर 92.60% रह गई।

B) Joint Ventures:

S. No.	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%)	
			Current Year	Previous Year
1)	C - Edge Technologies Ltd.	India	49.00	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	India	40.00	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	India	45.00	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	India	45.00	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	Singapore	45.00	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	Bermuda	45.00	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	India	50.00	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	India	50.00	50.00

C) Associates:

S. No.	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%)	
			Current Year	Previous Year
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00	35.00
3)	Chhattisgarh Gramin Bank	India	35.00	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	India	35.00	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00	35.00
8)	Madhyanchal Gramin Bank	India	35.00	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank (upto 14.02.2013)	India	35.00	35.00
12)	Purvanchal Gramin Bank	India	35.00	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank (upto 14.10.2012)	India	35.00	35.00
14)	Utkal Grameen Bank	India	35.00	35.00
15)	Uttarakhand Gramin Bank	India	35.00	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	India	35.00	35.00
17)	Saurashtra Gramin Bank	India	35.00	35.00
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank (upto 07.10.2012)	India	35.00	35.00
19)	Marudhara Gramin Bank	India	26.27	26.27
20)	Deccan Grameena Bank	India	35.00	35.00
21)	Kaveri Grameena Bank	India	32.32	32.32
22)	Malwa Gramin Bank	India	35.00	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd.	India	29.22	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	Bhutan	20.00	20.00
25)	SBI Home Finance Ltd.	India	25.05	25.05

a. SBI Capital Markets Ltd., a wholly owned subsidiary of SBI, has infused additional equity capital in SBICAP Securities Ltd. and SBICAP (Singapore) Ltd., step-down subsidiaries of SBI, of ₹ 25.00 crore and ₹ 7.51 crore respectively.

b. SBI Capital Markets Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd., subsidiaries of SBI, have invested an additional amount of ₹ 5 crore each in SBI Pension Funds Pvt. Ltd. and no further investment is made by SBI. Hence, the Group's stake in SBI Pension Funds Pvt. Ltd. has reduced from 98.15% to 92.60%.



ग. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि., जो भारतीय स्टेट बैंक का एक संयुक्त उद्यम है, ने भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई की शेयरधारिता (40%) के अनुपात में ₹ 141/- प्रति शेयर की दर से 13,59,598 इक्विटी शेयरों के लिए वापसी खरीद का प्रस्ताव किया है।

घ. वर्ष के दौरान, एसबीआई ने और देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियों ने उनके द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी निविष्ट की

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
मिज़ोरम रूरल बैंक	1.17
मध्यांचल ग्रामीण बैंक	9.14
उत्कल ग्रामीण बैंक	16.50
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	4.95
मरुधरा ग्रामीण बैंक	23.45
कावेरी ग्रामीण बैंक	8.50
योग	63.71

ङ. वर्ष के दौरान एन बी आई ने निम्नानुसार तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपना हिस्सा विक्रम कर दिया

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बही मूल्य	विक्रय मूल्य
समस्तीपुर ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय	24.08	24.08
विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.19	2.19
पर्वतीय ग्रामीण बैंक	1.32	1.32*
योग	27.59	27.59

* राशि 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

च. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एसबीआई और इसकी देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निम्नलिखित समामेलन हुए:-

f. In accordance with notifications issued by Govt. of India, the following amalgamations have taken place in between the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by SBI & its domestic banking subsidiaries, and RRBs sponsored by other banks :-

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्यौर निम्नानुसार है जिनमें अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:-

The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRBs are sponsored by SBI and its domestic banking subsidiaries, are as below:-

क्र. सं. Sr. No.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम Name of transferor RRBs	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferor RRBs	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम New Name after Amalgamation of RRBs	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs	समामेलन की प्रभावी तिथि Effective Date of Amalgamation
1	मध्य भारत ग्रामीण बैंक Madhya Bharat Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	मध्यांचल ग्रामीण बैंक Madhyanchal Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1 नवंबर 2012 1 November 2012
	शारदा ग्रामीण बैंक Sharda Gramin Bank	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank			
	रेवा सिद्धी ग्रामीण बैंक Rewa Sidhi Gramin Bank	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India			
2	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक Uttaranchal Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक Uttarakhand Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1 नवंबर 2012 1 November 2012
	नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank	बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda			
3	उत्कल ग्राम्य बैंक Utkal Gramya Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	उत्कल ग्रामीण बैंक Utkal Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1 नवंबर 2012 1 November 2012
	रुशिकुल्या ग्राम्य बैंक Rushikulya Gramya Bank	आंध्रा बैंक Andhra Bank			
4	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक Cauvery Kalpatharu Gramina Bank	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	कावेरी ग्रामीण बैंक Kaveri Gramina Bank	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	1 नवंबर 2012 1 November 2012
	चिकमंगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक Chikmagalur Kodagu Gramina Bank	कॉर्पोरेशन बैंक Corporation Bank			
	विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक Visveshvaraya Gramina Bank	विजया बैंक Vijaya Bank			
5	एमजीबी ग्रामीण बैंक MGB Gramin Bank	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर State Bank of Bikaner and Jaipur	मरुधरा ग्रामीण बैंक Marudhara Gramin Bank	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर State Bank of Bikaner and Jaipur	25 फरवरी 2013 25 February 2013
	जयपुर थार ग्रामीण बैंक Jaipur Thar Gramin Bank	यूको बैंक UCO Bank			

c. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd., a joint venture of SBI, has given a buyback offer for 13,59,598 equity shares to SBI at the rate of ₹ 141/- per share in proportion of SBI's holding (40%) .

d. During the year, SBI and domestic banking subsidiaries has infused the following additional capital in the Regional Rural Bank (RRBs) sponsored by them :-

₹ In crores

Regional Rural Banks	Amount
Mizoram Rural Bank	1.17
Madhyanchal Gramin Bank	9.14
Utkal Gramin Bank	16.50
Uttarakhand Gramin Bank	4.95
Marudhara Gramin Bank	23.45
Kaveri Gramina Bank	8.50
Total	63.71

e. During the year, SBI has off-loaded its stake in three RRBs as per details given below:-

₹ In crores

Regional Rural Banks	Book Value	Sales Value
Samastipur Kshetriya Gramin Bank	24.08	24.08
Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	2.19	2.19
Parvatiya Gramin Bank	1.32	1.32*
Total	27.59	27.59

*Amount yet to be received as on March 31, 2013.



उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्योरा निम्नानुसार है जिनमे अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:
The details of amalgamation of RRBs where the transferee RRBs are not sponsored by SBI and its domestic banking subsidiaries, are as below:-

क्र. सं. No.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम Name of transferor RRBs	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferor RRBs	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम New Name after Amalgamation of RRBs	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक Sponsor Bank of transferee RRBs	समामेलन की प्रभावी तिथि Effective Date of Amalgamation
1	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक Central Madhya Pradesh Gramin Bank	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India	8 अक्टूबर 2012 8 October 2012
	सतपुडा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India			
	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	यूको बैंक UCO Bank			
2	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Samastipur Kshetriya Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	बिहार ग्रामीण बैंक Bihar Gramin Bank	यूको बैंक UCO Bank	15 अक्टूबर 2012 15 October 2012
	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Bihar Kshetriya Gramin Bank	यूको बैंक UCO Bank			
3	पर्वतीय ग्रामीण बैंक Parvatiya Gramin Bank	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक Himachal Pradesh Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank	15 फरवरी 2013 15 February 2013
	हिमाचल ग्रामीण बैंक Himachal Gramin Bank	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank			

- 1.2 एसबीआई होम फाइनेंस लि., जो एसबीआई की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित किया है।
- 1.3 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआई का सहयोगी है, पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करता है। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. शेयर पूंजी :

- 2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति शेयर ₹ 10/- मूल्य के 1,29,88,697 शेयर, ₹ 2,302.78 प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम पर कुल ₹ 3,004/- करोड़ में भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के अंतर्गत आबंटित किए। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹ 3,004/- करोड़ में से ₹ 12.99 करोड़ की राशि शेयर कैपिटल खाते में तथा शेष ₹ 2,991.01 करोड़ की शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।
- 2.2 एसबीआई ने एसबीआई राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए शेयरों में से कुल ₹ 6,93,240/- के ईक्विटी शेयर ₹ 1,580/- प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम के साथ ₹ 10/- प्रति शेयर वाले 436 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए ₹ 6,93,240/- के कुल अंशदान में से ₹ 4,360/- शेयर पूंजी खाते में और ₹ 6,88,880/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए।
- 2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹ 10/-के 83,075 (पिछले वर्ष 83,511) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।
- 2.4 ₹ 3.73 करोड़ के शेयर निर्गम संबंधी खर्च शेयर प्रीमियम खाते के नामे किए।

3. कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

- 1.2 The winding up petition of SBI Home Finance Ltd., an associate of SBI, was filed with the Kolkata High Court on September 23, 2008. The Hon'ble Court has passed an order on March 31, 2009 giving direction for winding up of the company.
- 1.3 Bank of Bhutan Ltd., an associate of SBI follows accounting year (Gregorian Calendar Year) different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of the associate are made as of December 31, 2012.

2. Share capital:

- 2.1 During the year, SBI has allotted 1,29,88,697 shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 2,302.78 per equity share aggregating to ₹ 3,004/- crore under Preferential Allotment to GOI. Out of the total subscription of ₹ 3,004/- crore received from GOI, an amount of ₹ 12.99 crore was transferred to Share Capital Account and ₹ 2,991.01 crore to Share Premium Account.
- 2.2 SBI has allotted 436 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 1,580/- per equity share aggregating to ₹ 6,93,240/- out of shares kept in abeyance under Right Issue – 2008. Out of the total subscription of ₹ 6,93,240/- received, ₹ 4,360/- was transferred to Share Capital Account and ₹ 6,88,880/- to Share Premium Account.
- 2.3 SBI has kept in abeyance the allotment of 83,075 (Previous Year 83,511) Equity Shares of ₹ 10/- each issued as a part of Rights issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.
- 2.4 Expenses in relation to the issue of shares of ₹ 3.73 crore debited to Share Premium Account.

3. Employee Benefits

3.1.1 Defined Benefit Plans

- 3.1.1.1 The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005):-



₹ करोड़ में

₹ in crores

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेज्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	45,956.37	41,829.01	8,514.31	7,657.28
विलय और अधिग्रहण पर देयता	निरंक	25.03	निरंक	131.09
वर्तमान सेवा लागत	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
ब्याज लागत	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)		82.00	निरंक	निरंक
बीमाकिक हानियाँ / (लाभ)	1,438.89	1,545.71	524.97	421.85
प्रदत्त हितलाभ	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2232.47)	(931.88)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2013 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	35,877.71	22,890.06	7,153.07	5,427.96
विलय और अधिग्रहण आस्तियों का हस्तांतरण	निरंक	25.03	निरंक	2.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	5,737.17	11,797.59	1,547.54	1,770.95
प्रदत्त हितलाभ	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
योजना आस्ति बीमाकिक लाभ / (हानियाँ)	575.26	774.28	82.66	163.83
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
कमी/ (अधिशेष)	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	374.19	424.49	303.18	442.42
निवल देयता / (आस्ति)	5,020.42	9,654.17	388.80	918.82
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
आस्तियाँ	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	374.19	424.49	303.18	442.42
निवल देयता / (आस्ति)	5,020.42	9,654.17	388.80	918.82
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
ब्याज लागत	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,082.04)	(1,947.08)	(608.73)	(462.84)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	187.10	151.91	151.59	136.53

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2012	45,956.37	41,829.01	8,514.31	7,657.28
Liability on merger and acquisition	Nil	25.03	Nil	131.09
Current Service Cost	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
Interest Cost	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	82.00	Nil	Nil
Actuarial losses / (gains)	1,438.89	1,545.71	524.97	421.85
Benefits paid	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
Direct Payment by SBI	(2232.47)	(931.88)	Nil	Nil
Closing defined benefit obligation at 31st March 2013	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets at 1st April 2012	35,877.71	22,890.06	7,153.07	5,427.96
Assets transferred on merger and acquisition	Nil	25.03	Nil	2.16
Expected Return on Plan assets	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
Contributions by employer	5,737.17	11,797.59	1,547.54	1,770.95
Benefits Paid	(556.85)	(1,556.33)	(796.75)	(674.67)
Actuarial Gains / (Losses) on plan assets	575.26	774.28	82.66	163.83
Closing fair value of plan assets at 31st March 2013	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2013	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
Fair Value of Plan assets at 31st March 2013	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
Deficit/(Surplus)	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	374.19	424.49	303.18	442.42
Net Liability/(Asset)	5,020.42	9,654.17	388.80	918.82
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514.31
Assets	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	5,394.61	10,078.66	691.98	1,361.24
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	374.19	424.49	303.18	442.42
Net Liability/(Asset)	5,020.42	9,654.17	388.80	918.82
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1,501.20	1,372.84	322.54	323.20
Interest Cost	4,002.80	3,589.99	722.16	655.56
Expected return on plan assets	(3,082.04)	(1,947.08)	(608.73)	(462.84)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	187.10	151.91	151.59	136.53



₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	82.00	निरंक	निरंक
पूर्ववर्ती वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि	निरंक	(32.71)	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	863.63	771.43	442.31	258.02
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	3,472.69	3,988.38	1,029.87	910.47
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	575.26	774.28	82.66	163.83
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	3,657.30	2,721.36	691.39	626.67
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	9,233.55	17,953.63	854.05	1,600.54
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3,472.69	3,988.38	1,029.87	910.47
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	निरंक	निरंक	निरंक	128.93
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,232.47)	(931.88)	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	(5,737.17)	(11,797.59)	(1,547.54)	(1,770.95)
पिछली सेवा लागत	283.82	21.01	52.42	(14.94)
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	5,020.42	9,233.55	388.80	854.05

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.78 %	23.93 %
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.10 %	15.50 %
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	41.49 %	35.95 %
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.32 %	18.35 %
अन्य	4.31 %	6.27 %
योग	100.00 %	100.00 %

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.06% to 8.50%	8.25% to 9%	8.24% to 8.50%	8.25% to 8.75%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% to 9.00%	7.50% to 8.60%	7.50% to 8.75%	7.50% to 8.60%
वेतन वृद्धि	3.50% to 5.60%	3% to 6%	3.50% to 5.60%	3% to 6%

₹ in crores

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Past Service Cost (Vested Benefits) Recognised	Nil	82.00	Nil	Nil
Excess Provision of Earlier Years reversed	Nil	(32.71)	Nil	Nil
Net Actuarial Losses / (Gains) recognised during the year	863.63	771.43	442.31	258.02
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	3,472.69	3,988.38	1,029.87	910.47
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	3,082.04	1,947.08	608.73	462.84
Actuarial Gains/ (Losses) on Plan Assets	575.26	774.28	82.66	163.83
Actual Return on Plan Assets	3,657.30	2,721.36	691.39	626.67
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1st April 2012	9,233.55	17,953.63	854.05	1,600.54
Expenses as recognised in profit and loss account	3,472.69	3,988.38	1,029.87	910.47
Net Liability on merger and acquisition	Nil	Nil	Nil	128.93
Paid by SBI Directly	(2,232.47)	(931.88)	Nil	Nil
Employer's Contribution	(5,737.17)	(11,797.59)	(1,547.54)	(1,770.95)
Past Service Cost	283.82	21.01	52.42	(14.94)
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	5,020.42	9,233.55	388.80	854.05

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on March 31, 2013 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	31.78 %	23.93 %
State Govt. Securities	22.10 %	15.50 %
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	41.49 %	35.95 %
Insurer Managed Funds	0.32 %	18.35 %
Others	4.31 %	6.27 %
Total	100.00 %	100.00 %

Principal actuarial assumptions:

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Discount Rate	8.06% to 8.50%	8.25% to 9%	8.24% to 8.50%	8.25% to 8.75%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 9.00%	7.50% to 8.60%	7.50% to 8.75%	7.50% to 8.60%
Salary Escalation	3.50% to 5.60%	3% to 6%	3.50% to 5.60%	3% to 6%



भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमाकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव / सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधिन्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमाकिक मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार “शून्य” देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2012-13 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमाकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	19482.46	18151.73
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	654.91	654.49
बीमाकिक हानियां / (लाभ)	784.39	649.98
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
31 मार्च 2013 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	20742.83	19482.46
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2012 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19729.16	18260.73
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1593.27	1492.66
अंशदान	1184.88	1186.32
प्रदत्त हितलाभ	(2302.17)	(1998.23)
योजना बीमाकिक लाभ / (हानियां)	1018.27	787.68
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	21223.41	19729.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2013 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20742.83	19482.46
31 मार्च 2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	21223.41	19729.16
कमी/ (अधिशेष)	(480.58)	(246.70)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	480.58	246.70
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	529.97	531.83
ब्याज लागत	1593.27	1492.66
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1593.27)	(1492.66)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 “कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान” में शामिल किया गया है।	529.97	531.83
तुलन पत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	529.97	531.83
नियोजता का अंशदान	(529.97)	(531.83)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

पिछले वर्ष के आंकड़े केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिए गए हैं।

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in the very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

3.1.1.2 Employees Provident Fund

Actuarial valuation carried out in respect of interest shortfall in the Provident Fund Trust of SBI. As per Deterministic Approach, there is “Nil” liability, hence no provision is made in F.Y. 2012-13.

The following table sets out the status of Provident Fund as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by SBI:-

₹ in crores

Particulars	Provident Fund	
	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation		
Opening defined benefit obligation at 1st April 2012	19482.46	18151.73
Current Service Cost	529.97	531.83
Interest Cost	1593.27	1492.66
Employee Contribution (including VPF)	654.91	654.49
Actuarial losses/(gains)	784.39	649.98
Benefits paid	(2302.17)	(1998.23)
Closing defined benefit obligation at 31st March 2013	20742.83	19482.46
Change in Plan Assets		
Opening fair value of Plan Assets as at 1st April 2012	19729.16	18260.73
Expected Return on Plan Assets	1593.27	1492.66
Contributions	1184.88	1186.32
Benefits Paid	(2302.17)	(1998.23)
Actuarial Gains / (Loss) on plan Assets	1018.27	787.68
Closing fair value of plan assets as at 31st March 2013	21223.41	19729.16
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets		
Present Value of Funded obligation at 31st March 2013	20742.83	19482.46
Fair Value of Plan assets at 31st March 2013	21223.41	19729.16
Deficit/(Surplus)	(480.58)	(246.70)
Net Asset not recognised in Balance Sheet	480.58	246.70
Net Cost recognised in the profit and loss account		
Current Service Cost	529.97	531.83
Interest Cost	1593.27	1492.66
Expected return on plan assets	(1593.27)	(1492.66)
Interest shortfall reversed	-	-
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 “Payments to and provisions for employees”	529.97	531.83
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet		
Opening Net Liability as at 1st April 2012	-	-
Expense as above	529.97	531.83
Employer’s Contribution	(529.97)	(531.83)
Net Liability/(Asset) Recognised in the Balance Sheet	-	-

Previous year figures are given for representation purpose only.



31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - अस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.48%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.37%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	40.67%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.48%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.50%	8.50%
निश्चित प्रतिलाभ	8.25%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 26.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27.22 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं) के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखकार अधिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹98.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹60.86 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 885.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 644.60 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

Investments under Plan Assets of Provident Fund as on March 31, 2013 are as follows:

Category of Assets	Provident Fund
	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	38.48%
State Govt. Securities	16.37%
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	40.67%
Insurer Managed Funds	-
Others	4.48%
Total	100.00%

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Provident Fund	
	Current year	Previous year
Discount Rate	8.50%	8.50%
Guaranteed Return	8.25%	8.25%
Attrition Rate	2.00%	2.00%

3.1.2 Defined Contribution Plans

3.1.2.1 Employees Provident Fund

An amount of ₹ 26.68 crore (Previous Year ₹ 27.22 crore) is recognised as an expense towards the Provident Fund Scheme by the group (excluding SBI) and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

3.1.2.2 Defined Contribution Pension Scheme

The Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) is applicable to all categories of officers and employees joining the SBI on or after August 01, 2010 and for Domestic Banking Subsidiaries (comprising State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore) the scheme is applicable to all categories of officers and employees who join on or after April 01, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During the year, an amount of ₹ 98.97 crore (Previous Year ₹ 60.86 crore) has been contributed in the scheme.

3.1.3 Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹ 885.98 crore (Previous Year ₹ 644.60 crore) is provided towards Long Term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

Details of Provisions made for various Long Term Employees' Benefits during the year;



₹ करोड़ में

₹ in crores

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	704.49	455.89
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	79.03	54.90
3	रुग्ण अवकाश	14.64	92.93
4	रजत जयंती अवार्ड	43.79	6.41
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	5.51	13.92
6	आकस्मिक अवकाश	17.89	15.19
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	20.63	5.36
योग		885.98	644.60

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.1.5 अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी

3.1.5.1 ग्रेच्युटी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि किए जाने के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, समूह द्वारा ₹ 212.23 करोड़ की राशि 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की समानुपातिक राशि के रूप में लाभ एवं हानि खाते में दिखायी गयी है। 31 मार्च 2013 को ₹ 422.43 करोड़ की अपरिशोधित देयता उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समानुपात में परिशोधित की जाएगी।

3.1.5.2 पेंशन

देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष में दिए गए पेंशन विकल्प के संबंध में वित्त 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 360.47 करोड़ की राशि दिखाई है। यह पेंशन विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था और इसकी राशि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्षों में परिशोधित की जा रही है। ₹ 720.40 करोड़ की शेष राशि उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार समानुपात में दिखाई जाएगी।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

Sl. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	704.49	455.89
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	79.03	54.90
3	Sick Leave	14.64	92.93
4	Silver Jubilee Award	43.79	6.41
5	Resettlement Expenses on Superannuation	5.51	13.92
6	Casual Leave	17.89	15.19
7	Retirement Award	20.63	5.36
Total		885.98	644.60

3.1.4 The employee benefits listed above are in respect of the employees of the Group based in India. The employees of the foreign operations are not covered in the above schemes.

3.1.5 Unamortised Pension & Gratuity Liabilities

3.1.5.1 Gratuity

In accordance with RBI circular No. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, SBI and its domestic banking subsidiaries have opted to amortise the additional liability on account of enhancement in Gratuity limit over a period of 5 years beginning with the financial year ended March 31, 2011. Accordingly, a sum of ₹ 212.23 crore has been charged to Profit & Loss Account, being the proportionate amount for the year ended March 31, 2013. The unamortized liability of ₹ 422.43 crore as on March 31, 2013 will be amortized proportionately in accordance with the above circular.

3.1.5.2 Pension

The domestic banking subsidiaries have charged an amount of ₹ 360.47 crore to Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2013 towards the pension option given in financial year ended March 31, 2011 to employees who had not opted for the pension scheme earlier, being amortized over 5 years beginning from the year ended March 31, 2011. The balance amount of ₹ 720.40 crore will be charged proportionately as per the directions contained in the said circular.

3.2 Segment Reporting

3.2.1 Segment identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the Primary Segments of the Group:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Insurance Business
- Other Banking Business



बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग: कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारिय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/ थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं,

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the Primary Segments have been computed as under:

a) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking: The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices/entities.

c) Retail Banking: The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs.

d) Insurance Business - The Insurance Business Segment comprises of the results of SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd.

e) Other Banking business- Segments not classified under (a) to (d) above are classified under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/Joint Ventures other than SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd. of the group.

B) Secondary (Geographical Segment):

a) Domestic operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations in India.

b) Foreign operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) Pricing of Inter-segmental Transfers

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

D) Allocation of Revenue, Expenses, Assets and Liabilities

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are



तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें “अनाबंटित व्यय” के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to any segment on a reasonable basis, have been reported as Unallocated.

3.2.2 खंडवार सूचना

SEGMENT INFORMATION

भाग क्र: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

PART A: PRIMARY (BUSINESS) SEGMENTS:

₹ करोड़ में / ₹ in crores

व्यवसाय खण्ड Business Segment	कोष Treasury	कारपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	बीमा व्यवसाय Insurance Business	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
आय Revenue	33,722.31 (31,780.04)	65,688.06 (56,017.05)	82,613.11 (72,593.56)	15,264.65 (13,932.27)	2,798.89 (2,350.39)		2,00,087.02 (1,76,673.31)
अनाबंटित आय Unallocated Revenue							472.81 (215.66)
कुल आय Total Revenue							2,00,559.83 (1,76,888.97)
परिणाम Result	3,909.10 (-622.73)	10,440.31 (9,336.06)	14,161.86 (18,598.40)	560.15 (528.14)	900.09 (814.59)		29,971.51 (28,654.46)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) निवल Unallocated Income(+)/Expenses(-) net							-4,089.70 (-4,185.51)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)							25,881.81 (24,468.95)
कर Taxes							7,558.82 (8,639.50)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss							(-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व Net Profit before share in profit in Associates and Minority Interest							18,322.99 (15,829.45)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी Add: Share in Profit in Associates							231.68 (143.85)
घटाएँ : अल्पांश हित Less: Minority Interest							638.44 (630.20)
निवल लाभ समूह के लिए Net Profit for the Group							17,916.23 (15,343.10)
अन्य सूचना :							
Other Information:							
खंड आस्तियाँ Segment Assets	4,78,747.98 (4,55,509.50)	8,16,405.69 (6,45,797.28)	7,52,700.48 (6,53,360.45)	54,933.15 (48,967.47)	10,473.87 (9,058.01)		21,13,261.17 (18,12,692.71)
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets							19,897.17 (17,263.46)
कुल आस्तियाँ Total Assets							21,33,158.34 (18,29,956.17)
खंड देयताएँ Segment Liabilities	2,72,060.80 (2,56,921.38)	6,69,288.50 (5,06,927.45)	9,45,349.61 (8,49,091.39)	51,845.39 (46,312.21)	7,158.38 (6,157.75)		19,45,702.68 (16,65,410.18)
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities							62,422.64 (58,315.98)
कुल देयताएँ Total Liabilities							20,08,125.32 (17,23,726.16)



भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

PART B: SECONDARY (GEOGRAPHIC) SEGMENTS

₹ करोड़ में / ₹ in crores

	देशी परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग TOTAL
आय Revenue	1,91,233.82 (1,69,182.00)	9,326.01 (7,706.97)	2,00,559.83 (1,76,888.97)
परिणाम Results	26,485.50 (25,570.72)	3,486.01 (3,083.74)	29,971.51 (28,654.46)
आस्तियाँ Assets	18,86,124.68 (16,31,595.81)	2,47,033.66 (1,98,360.36)	21,33,158.34 (18,29,956.17)
देयताएँ Liabilities	17,63,888.25 (15,27,911.77)	2,44,237.07 (1,95,814.39)	20,08,125.32 (17,23,726.16)

- i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों/देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2013 का है।
Income/Expenses are for the whole year. Assets/Liabilities are as at March 31, 2013.
- ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
Figures within brackets are for previous year

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

- सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
- जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
- एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
- एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
- मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
- मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
- ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
- ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
- अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
- डेक्कन ग्रामीण बैंक
- इलाकाई देहाती बैंक
- कावेरी ग्रामीण बैंक

3.3 Related Party Disclosures:

3.3.1 Related Parties to the Group:

A) JOINT VENTURES:

- C - Edge Technologies Ltd.
- GE Capital Business Process Management Services Private Ltd.
- SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
- SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
- Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
- Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
- Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
- Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.

B) ASSOCIATES:

i) Regional Rural Banks

- Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
- Arunachal Pradesh Rural Bank
- Chhattisgarh Gramin Bank
- Deccan Grameena Bank
- Ellaquai Dehati Bank
- Kaveri Grameena Bank



- | | |
|---|--|
| 7. कृष्णा ग्रामीण बैंक | 7. Krishna Gramina Bank |
| 8. लंगपी देहांगी रूरल बैंक | 8. Langpi Dehangi Rural Bank |
| 9. मध्यांचल ग्रामीण बैंक | 9. Madhyanchal Gramin Bank |
| 10. मालवा ग्रामीण बैंक | 10. Malwa Gramin Bank |
| 11. मरुधरा ग्रामीण बैंक | 11. Marudhara Gramin Bank |
| 12. मेघालय रूरल बैंक | 12. Meghalaya Rural Bank |
| 13. मिजोरम रूरल बैंक | 13. Mizoram Rural Bank |
| 14. नागालैंड रूरल बैंक | 14. Nagaland Rural Bank |
| 15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक (14.02.2013 तक) | 15. Parvatiya Gramin Bank (upto 14.02.2013) |
| 16. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक | 16. Purvanchal Gramin Bank |
| 17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14.10.2012 तक) | 17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank (upto 14.10.2012) |
| 18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 18. Saurashtra Gramin Bank |
| 19. उत्कल ग्रामीण बैंक | 19. Utkal Gramin Bank |
| 20. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक | 20. Uttarakhand Gramin Bank |
| 21. वनांचल ग्रामीण बैंक | 21. Vananchal Gramin Bank |
| 22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (07.10.2012 तक) | 22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank (upto 07.10.2012) |

ii) अन्य

23. दि क्लिअरिंग कांफेरिशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. बैंक आफ भूटान लि.
25. एस बी आई होम फाइनेंस लि.

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
4. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
5. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एव अनुषंगियाँ) (09 अक्टूबर 2012 से)

ii) Others

23. The Clearing Corporation of India Ltd.
24. Bank of Bhutan Ltd.
25. SBI Home Finance Ltd.

C) Key Management Personnel of the Bank:

1. Shri Pratip Chaudhuri, Chairman
2. Shri Hemant G. Contractor, Managing Director & Group Executive (International Banking)
3. Shri A. Krishna Kumar, Managing Director & Group Executive (National Banking)
4. Shri Diwakar Gupta, Managing Director & Chief Financial Officer
5. Shri S. Vishvanathan, Managing Director & Group Executive (Associates & Subsidiaries) (from October 09, 2012)

3.3.2 Related Parties with whom transactions were entered into during the year:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "state controlled enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।



3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2012-13 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज \$	- (0.04)	- (-)	- (0.04)
प्रदत्त ब्याज \$	1.06 (1.29)	- (-)	1.06 (1.29)
लाभांश के रूप में अर्जित आय \$	15.22 (-)	- (-)	15.22 (-)
अन्य आय \$	21.24 (12.15)	- (-)	21.24 (12.15)
अन्य व्यय \$	231.22 (177.87)	- (-)	231.22 (177.87)
प्रबंधन संविदा \$	227.98 (156.04)	0.95 (0.68)	228.93 (156.72)
31 मार्च 2013 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा #	150.03 (126.54)	- (-)	150.03 (126.54)
अन्य देयताएं #	13.16 (5.58)	- (-)	13.16 (5.58)
प्राप्य राशियाँ			
निवेश #	41.55 (42.91)	- (-)	41.55 (42.91)
अग्रिम #	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य आस्तियां #	0.18 (14.70)	- (-)	0.18 (14.70)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष

\$ वर्ष के लेनदेन

ये वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.4 पट्टे :

वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.69	2.58
1 से 5 वर्ष तक	12.73	7.19
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	17.42	9.77
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	1.51	0.22
1 से 5 वर्ष तक	2.16	0.16
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	3.67	0.38
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	3.18	1.82
1 से 5 वर्ष तक	10.57	6.08
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	13.75	7.90

3.3.3 Transactions and Balances:

₹ in crores

Particulars	Associates/ Joint Ventures	Key Management Personnel & their relatives	Total
Transactions during the year 2012-13			
Interest received \$	- (0.04)	- (-)	- (0.04)
Interest paid \$	1.06 (1.29)	- (-)	1.06 (1.29)
Income earned by way of Dividend \$	15.22 (-)	- (-)	15.22 (-)
Other Income \$	21.24 (12.15)	- (-)	21.24 (12.15)
Other Expenditure \$	231.22 (177.87)	- (-)	231.22 (177.87)
Management Contract \$	227.98 (156.04)	0.95 (0.68)	228.93 (156.72)
Outstanding as on 31st March 2013			
Payables			
Deposit#	150.03 (126.54)	- (-)	150.03 (126.54)
Other Liabilities#	13.16 (5.58)	- (-)	13.16 (5.58)
Receivables			
Investments#	41.55 (42.91)	- (-)	41.55 (42.91)
Advances #	- (-)	- (-)	- (-)
Other Assets #	0.18 (14.70)	- (-)	0.18 (14.70)

(Figures in brackets pertain to previous year)

Balances as at 31st March

\$ Transactions for the year

These are no material significant related party transactions during the year.

3.4 Leases:

Finance Leases

Assets taken on Finance Leases on or after April 01, 2001: The details of finance leases are given below:

₹ in crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Minimum lease payments outstanding		
Less than 1 year	4.69	2.58
1 to 5 years	12.73	7.19
5 years and above	-	-
Total	17.42	9.77
Interest Cost payable		
Less than 1 year	1.51	0.22
1 to 5 years	2.16	0.16
5 years and above	-	-
Total	3.67	0.38
Present value of minimum lease payments payable		
Less than 1 year	3.18	1.82
1 to 5 years	10.57	6.08
5 years and above	-	-
Total	13.75	7.90

**परिचालन पट्टा***

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	192.38	137.94
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	575.01	412.14
5 वर्ष से अधिक	171.25	104.01
कुल	938.64	654.09
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	211.24	139.16

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	67,10,44,838	63,49,98,991
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की सं.	1,29,89,133	3,60,45,847
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	68,40,33,971	67,10,44,838
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं.	67,14,72,052	63,51,96,258
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	67,14,72,052	63,51,96,258
निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	17,916.23	15,343.10
मूल आय प्रति शेयर (₹)	266.82	241.55
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	266.82	241.55
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹ 701.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 691.65 करोड़ नामे किए गए थे) लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे।

Operating Lease*

Premises taken on operating lease are given below:

₹ in crores

Particulars	Current Year	Previous Year
Not later than 1 year	192.38	137.94
Later than 1 year and not later than 5 years	575.01	412.14
Later than 5 years	171.25	104.01
Total	938.64	654.09
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	211.24	139.16

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the group entities.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

3.5 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing consolidated net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year	67,10,44,838	63,49,98,991
Number of Equity Shares issued during the year	1,29,89,133	3,60,45,847
Number of Equity Shares outstanding at the end of the year	68,40,33,971	67,10,44,838
Weighted average number of equity shares used in computing basic earning per share	67,14,72,052	63,51,96,258
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	67,14,72,052	63,51,96,258
Net profit (Other than minority) (₹ in crore)	17,916.23	15,343.10
Basic earnings per share (₹)	266.82	241.55
Diluted earnings per share (₹)	266.82	241.55
Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

3.6 Accounting for taxes on Income

i) During the year, ₹ 701.09 crore has been credited [Previous Year ₹ 691.65 crore has been debited] to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.



ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	128.03	-
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2474.34	2187.55
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16.31	36.35
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	362.78	128.01
अन्य	588.12	618.87
योग	3569.58	2970.78
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	14.01	16.12
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3257.14	2008.95
अन्य	423.23	736.62
योग	3694.38	2761.69
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	(124.80)	209.09

इसमें भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान राशि में से ₹ 922.15 करोड़ की आस्थगित कर जमा शामिल है जो एसबीआई ने चालू वर्ष में बुक की है (इसमें 31 मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित ₹ 783.62 करोड़ की राशि शामिल है।

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) कराधान के लिए प्रावधान		
- वर्तमान कर	8,258.02	7,959.87
- आस्थगित कर	(701.09)	691.65
- अनुषंगी लाभ कर	(34.06)	(20.41)
- अन्य कर	35.96	8.39
ख) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	13,443.45	14,040.08
ग) पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,463.11	169.90
घ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	1,090.71	1,304.76
ङ) विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(950.12)	875.18
च) अन्य प्रावधान	(6.85)	(145.48)
कुल	22,599.13	24,883.94

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) आस्थिर प्रावधान:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	479.22	479.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.01
ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
घ) अंतिम शेष	479.22	479.22

ii) The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

₹ in crores

Particulars	As at 31-Mar-2013	As at 31-Mar-2012
Deferred Tax Assets		
Provision for Defined Benefit Schemes on account of Wage Revision	128.03	-
Provision for long term employee Benefits #	2474.34	2187.55
Depreciation on Fixed Assets	16.31	36.35
Provision for non performing assets	362.78	128.01
Others	588.12	618.87
Total	3569.58	2970.78
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	14.01	16.12
Interest on securities	3257.14	2008.95
Others	423.23	736.62
Total	3694.38	2761.69
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	(124.80)	209.09

This includes ₹ 922.15 crore being deferred tax credit arising out of provision for leave encashment for employees of SBI (Including ₹ 783.62 crore relating to period upto March 31, 2012) which SBI has booked in the current year.

3.7 Impairment of assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

3.8 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

a) Break up of provisions

₹ in crores

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Provision for Taxation		
- Current Tax	8,258.02	7,959.87
- Deferred Tax	(701.09)	691.65
- Fringe Benefit Tax	(34.06)	(20.41)
- Other Taxes	35.96	8.39
b) Provision on Non-Performing Assets	13,443.45	14,040.08
c) Provision on Restructured Assets	1,463.11	169.90
d) Provision on Standard Assets	1,090.71	1,304.76
e) Provision for Depreciation on Investments	(950.12)	875.18
f) Other Provisions	(6.85)	(145.48)
Total	22,599.13	24,883.94

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

₹ in crores

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	479.22	479.21
b) Addition during the year	-	0.01
c) Draw down during the year	-	-
d) Closing balance	479.22	479.22



ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनियम संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनियम तथा ब्याज दर विनियम करता है। वायदा विनियम संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनियमों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनियम नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनियम की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनियम एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। अनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेरों का अधिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के मांगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा मांग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ड) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :

₹ करोड़ में

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	477.23	456.05
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	92.81	99.24
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	79.83	78.06
घ) अंतिम शेष	490.21	477.23

4 से जीवन बीमा और साधारण बीमा अनुषंगियों के विनिधान बैंकों द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार फिर से शामिल न करके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान विनियम) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2013 को कुल विनिधान का लगभग 9.33% पिछले वर्ष 9.42% रहे।

5 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हों) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

6 आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities

₹ in crores

	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	477.23	456.05
b) Additions during the year	92.81	99.24
c) Reductions during the year	79.83	78.06
d) Closing balance	490.21	477.23

4 The investments of life and general insurance subsidiaries have been accounted in accordance with the IRDA (Investment Regulations) 2000 instead of restating the same in accordance the accounting policy followed by the banks. The investments of insurance subsidiaries constitute approximate 9.33% (Previous Year 9.42%) of the total investments as on March 31, 2013.

5 In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08, redeemable preference shares (if any) are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.

6 Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.



7 वेतन करार होने तक

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से अखिल भारतीय कामगार संघों के साथ किया गया नौवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो गया। 01 नवंबर 2012 से लागू होने वाले वेतन संशोधन करार का निष्पादन होने तक भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देश में स्थित अनुषंगियों ने वर्ष के दौरान ₹ 960.53 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक ने समग्र बीमांकिक मूल्यांकनों के अलावा अधिवाषिंता योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹ 225 करोड़ का एक तदर्थ अतिरिक्त प्रावधान किया है।

8 जहां भी आवश्यक था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

7 Pending Wage Agreement

The Ninth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on October 31, 2012. Pending execution of agreement for wage revision, to be effective from November 01, 2012, SBI and its domestic banking subsidiaries have made a provision of ₹ 960.53 crore during the year.

Further, SBI has made an adhoc additional provision of ₹ 225 crore towards Superannuation Schemes and other long term employee benefits, over and above the actuarial valuations.

8 Previous year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines/Accounting Standards, previous year figures have not been mentioned.

(एस. विश्वनाथन)

(S. Vishvanathan)

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)
Managing Director & Group Executive (A&S)

(ए. कृष्ण कुमार)

(A. Krishna Kumar)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(दिवाकर गुप्ता)

(Diwakar Gupta)

प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(हेमंत जी. कान्हेक्टर)

(Hemant G. Contractor)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(प्रतीप चौधरी)

(Pratip Chaudhuri)

अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

In terms of our Report of even date)

कृते तोदी तुलसियान एंड कं.

For Todi Tulsyan & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

(सुशील कुमार तुलसियान)

(Sushil Kumar Tulsyan)

भागीदार

Partner

सदस्यता क्रमांक / M. No. 075899

फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 002180 C

स्थान : कोलकाता

Place : Kolkata

दिनांक : 23 मई, 2013

Date : 23rd May, 2013



भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) State Bank of India (Consolidated)
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
Cash flow statement for the year ended 31st March 2013

(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash flow from operating activities		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	25475,05,21	23982,59,19
समायोजन Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	1577,49,23	1371,60,74
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	40,53,82	47,01,40
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	(2861,82,55)	583,26,05
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/Loss on revaluation of Investments (Net)	(594,91,28)	1369,65,79
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Non Performing Assets	14906,55,70	14209,97,61
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision on Standard Assets	1090,70,76	1304,75,75
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation on Investments	(950,11,72)	875,18,08
अन्य प्रावधान Other Provisions	(6,83,56)	(145,47,34)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश / अर्जित आय (विनिधान कार्यकलाप) Dividend/Earnings from Associates (Investing Activity)	(244,54,53)	(146,14,16)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप) Interest on Capital Instruments (Financing Activity)	4706,74,29	4584,94,51
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च Deferred Revenue Expenditure written off during the year	78,86,98	12,85,34
उप योग / SUB TOTAL	43217,72,35	48050,22,96
समायोजन Adjustments for :		
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	212713,21,08	159126,91,68
उधारराशियों में वृद्धि / कमी Increase/(Decrease) in Borrowings	45485,85,12	13953,09,73
विनिधानों में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Investments	(53953,40,34)	(44585,14,78)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Advances	(243844,38,49)	(171478,63,02)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	24278,85,49	(16803,43,81)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	642,31,59	(7659,12,12)
उप योग / SUB TOTAL	28540,16,80	(19396,09,36)
प्रदत्त कर Taxes Paid	(4442,36,90)	(10718,04,52)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह) Net cash flow from operating activities	(क) (A) 24097,79,90	(30114,13,88)
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cash flow from investing activities		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Investments in Associates	(83,79,38)	(125,64,00)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such investments	244,54,53	146,14,16
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(3579,99,11)	(2339,75,41)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी Net Cash generated from investing activities	(ख) (B) (3419,23,96)	(2319,25,25)



(000 को छोड़ दिया गया है) (000s omitted)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 ₹	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह Cashflow from financing activities		
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि Proceeds from issue of equity share capital	3000,34,14	7891,30,87
पूंजी लिखतों का निर्गमन Issue of Capital Instruments	75,13,60	1175,15,60
पूंजी लिखत प्रतिसंदाय Repayment of Capital Instruments	(42,20,00)	-
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज Interest paid on Capital Instruments	(4706,74,29)	(4584,94,51)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends paid including tax thereon	(2645,16,40)	(2151,43,88)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश कर Dividends tax paid by subsidiaries	(104,90,81)	(121,23,54)
वित्तीय कार्यकलाप से सृजित निवल नकदी Net Cash generated from financing activities	(ग) (C) (4423, 53,76)	2208,84,54
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव Effect of exchange fluctuation on translation reserve	(घ) (D) 1381,87,57	2487,91,96
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ) Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C)+(D)	17636,89,75	(27736,62,63)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	127590,82,85	155327,45,48
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year	145227,72,60	127590,82,85

(एस. विश्वनाथन)

(S. Vishvanathan)

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)
Managing Director & Group Executive (A&S)

(ए. कृष्ण कुमार)

(A. Krishna Kumar)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (NB)

(दिवाकर गुप्ता)

(Diwakar Gupta)

प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी
Managing Director & Chief Financial Officer

(हेमंत जी. कान्हेक्टर)

(Hemant G. Contractor)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)
Managing Director & Group Executive (IB)

(प्रतीप चौधरी)

(Pratip Chaudhuri)

अध्यक्ष
Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

In terms of our Report of even date

कृते तोदी तुलसियान एंड कंपनी

For Todi Tulsyan & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

सुशील कुमार तुलसियान

(Sushil Kumar Tulsyan)

भागीदार

Partner

सदस्यता क्रमांक / M. No. 075899

फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 002180 C

कोलकाता, 23 मई, 2013

Place : Kolkata,

Date : 23rd May, 2013



स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती

निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक

- हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं :
 - हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,
 - अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 (सत्ताईस) अनुषंगियों, 24 (चौबीस) सहयोगियों और 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,
 - 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।
- हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2013 को ₹ 15,66,261 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 1,35,692 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17,657 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।
- हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2013 को ₹ 5,81,754 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 67,029 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,480 करोड़ के निवल नकदी बहिर्गमन दिखाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
- 1 (एक) अनुषंगी, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2013 को ₹ 3,427 करोड़ की कुल आस्तियाँ, ₹ 157 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के ₹ 47 करोड़ के निवल नकदी बहिर्गमन प्रदर्शित किए गए हैं, प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-“समेकित वित्तीय विवरण”, लेखा मानक-23 “समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा” और लेखा मानक-27- “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट” और भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे घोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों।
- लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**
हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Board of Directors,
State Bank of India

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of State Bank of India (“the Bank”) and its subsidiaries, associates and joint ventures (“the Group”) which comprise the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2013, and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these consolidated financial statements are the:
 - Audited accounts of the Bank audited by 14 (fourteen) Joint Auditors including us,
 - Audited accounts of 27 (twenty seven) subsidiaries, 24 (twenty four) Associates and 8 (Eight) joint ventures audited by other auditors,
 - Unaudited accounts of 1 (one) subsidiary and 1 (one) associate.
- We have jointly audited the financial statement of the Bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹ 15,66,261 crore as at March 31, 2013, and total revenue of ₹ 1,35,692 crore and net cash inflows amounting to ₹ 17,657 crore for the year then ended.
- We did not audit the financial statements of its Subsidiaries, Associates and Joint Ventures whose financial statements reflects total assets of ₹ 5,81,754 crore as at March 31, 2013, and total revenue of ₹ 67,029 crore and net cash outflows amounting to ₹ 2,480 crore for the year then ended. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.
- The unaudited financial statements of 1 (one) subsidiary and 1 (one) associate, whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,427 crore as at March 31, 2013, total revenue of ₹ 157 crore and net cash outflows amounting to ₹ 47 crore for the year then ended have been consolidated on the basis of management certified financial statements.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 – “Consolidated Financial Statements”, Accounting Standard 23 – “Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard 27 – “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in



कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

7. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जांच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। उन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके उचित प्रस्तुति के संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।
8. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

अभिमत

9. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:
 - (क) 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;
 - (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और
 - (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

10. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं :
बैंक और उसकी देशीय अनुषंगियों की ग्रेच्युटी और पेंशन दयताओं की आस्थगित राशि क्रमशः 422.43 करोड़ और ₹ 720.40 करोड़ से संबंधित टिप्पणी 3.1.5.2 और 3.1.5.1 जो लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं. डीबीओडी.बी.पी.बी.सी./80/21.04.018/2010-11 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट के कारण की गई है।

कृते तोदी तुलसियान एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002180C

(सुशील कुमार तुलसियान)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई 2013

भागीदार
सदस्यता सं. 075899

accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

7. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
8. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

9. Based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the components, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :
 - (a) in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2013;
 - (b) in the case of the consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and
 - (c) in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Matter of Emphasis

10. Without qualifying our opinion, we draw attention to :

Notes 3.1.5.1 and 3.1.5.2 regarding deferment of gratuity and pension liabilities of the Bank and its domestic subsidiaries to the extent of ₹ 422.43 crore and ₹ 720.40 crore respectively pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from of application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11.

For **TODI TULSYAN & CO.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 002180C

(**Sushil Kumar Tulsyian**)
Partner
M. No. 075899

Place : Kolkata
Dated: 23rd May, 2013



स्टेट बैंक समूह
State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
New Capital Adequacy Framework
(Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण
Pillar - III (Market Discipline)
Disclosures



भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
तालिका - डीएफ-1
लागू करने का कार्यक्षेत्र

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

1.1 मूल कंपनी : भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिसे बेसल-II रूपरेखा लागू होती है।

1.2 स्टेट बैंक समूह बनाने वाली इकाइयां

इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि करते हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/निर्देशन शामिल होते हैं। निम्नलिखित अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अनुषंगियां मिलकर स्टेट बैंक समूह बनाता है।

1.2.1 पूर्णतः समेकित इकाइयां : निम्नलिखित अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (जो अनुषंगियां भी हैं) लेखा मानक एएस-21 के अनुसार पंक्ति से पंक्ति आधार पर पूर्णतः समेकित किए गए हैं:

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	Group's Stake (%)
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	100.00
9)	एसबीआई कैप वैचर्स लि.	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	71.56
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लि.	92.60
14)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
16)	एसबीआई पैमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	100.00
17)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
18)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलिफोर्निया)	100.00
19)	एसबीआई (मारीशस) लि.	93.40
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	76.00
21)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	100.00
22)	एसबीआई काडर्स एण्ड पैमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	60.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
24)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
25)	कामर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	60.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	55.28
27)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
28)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	100.00

1.2.2 यथानुपात समेकित इकाइयां : निम्नलिखित इकाइयां जो संयुक्त उद्यम हैं और लेखा मानक-एएस-27 के अनुसार

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का अंश (%)
1)	सी एज टेक्नोलाजी लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल व्यवसाय प्रक्रिया मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	40.00
3)	एसबीआई मैक्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4)	एसबीआई मैक्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5)	मैक्वरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
6)	मैक्वरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
7)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	50.00
8)	ओमान इंडिया संयुक्त निवेश फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	50.00



STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2013

Table - DF-1

SCOPE OF APPLICATION

1 Qualitative Disclosures

1.1 Parent: State Bank of India is the parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 Entities constituting State Bank Group

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the ICAI. The following Subsidiaries / Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group:

1.2.1 **Fully Consolidated Entities:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21:

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	100.00
3)	State Bank of Mysore	92.33
4)	State Bank of Patiala	100.00
5)	State Bank of Travancore	75.01
6)	SBI Capital Markets Ltd.	100.00
7)	SBICAP Securities Ltd.	100.00
8)	SBICAP Trustee Company Ltd.	100.00
9)	SBICAPS Ventures Ltd.	100.00
10)	SBI DFHI Ltd.	71.56
11)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.	100.00
12)	SBI Global Factors Ltd.	86.18
13)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	92.60
14)	SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd.	65.00
15)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
16)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
17)	State Bank of India (Canada)	100.00
18)	State Bank of India (California)	100.00
19)	SBI (Mauritius) Ltd.	93.40
20)	PT Bank SBI Indonesia	76.00
21)	SBICAP (UK) Ltd.	100.00
22)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
23)	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
24)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
25)	Commercial Bank of India LLC, Moscow	60.00
26)	Nepal SBI Bank Ltd.	55.28
27)	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00
28)	SBICAP (Singapore) Ltd.	100.00

1.2.2 **Pro Rata Consolidated Entities:** The following entities which are Joint Ventures are consolidated pro-rata as per Accounting Standard – AS27:

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Company P Ltd	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund-Management Company P Ltd	50.00



1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंक समेकित हैं। इसलिए ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त उल्लिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अनुषंगियों को एएस-23 की शर्तों में इक्विटी लेखा के अनुसार समेकित किया गया है :

क्रम सं.	सहयोगियों (बैंकों) के नाम	समूह का अंश (%)
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4)	एलाकाई देहाती बैंक	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	35.00
7)	लंगपी डेहंगी रूरल बैंक	35.00
8)	मध्यांचल भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10)	नगालैंड रूरल बैंक	35.00
11)	परवर्तीय ग्रामीण बैंक (14 फरवरी 2013 तक)	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14 अक्टूबर 2012 तक)	35.00
14)	उत्कल ग्रामीण बैंक	35.00
15)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	35.00
16)	वनांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17)	मरुधर ग्रामीण बैंक	26.27
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (7 अक्टूबर 2012 तक)	35.00
19)	डेक्कन ग्रामीण बैंक	35.00
20)	कावेरी ग्रामीण बैंक	32.32
21)	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00
23)	दी क्लरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24)	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनेंस लि. (परिसमापन प्रक्रियाधीन)	25.05

1.3 लेखा एवं नियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में भिन्नताएं

नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित बैंक समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर निकाल सकती हैं, जो बीमा व्यवसाय और ऐसे व्यवसाय में लगी हुई हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार, समेकित विवेकीय रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु नीचे उल्लिखित इकाइयों में समूह के निवेशों को हानि, यदि कोई हो, घटाने के बाद लागत आधार पर लिया गया है।

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का अंश (%)
1)	सी एज टेक्नोलाजी लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल व्यवसाय प्रक्रिया मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	40.00
3)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
4)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

2.1 सभी अनुषंगियों की पूंजी-अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : **कोई नहीं**

2.2 बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियां (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो, तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती का उपयोग करने पर विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव को सूचित करता है :

- 1) नाम : एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई
 निगमन देश : भारत
 स्वामित्व हिस्सा : ₹ 740.00 करोड़ (74%)
- 2) नाम : एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई
 निगमन देश : भारत
 स्वामित्व हिस्सा : ₹ 111 करोड़ (74%)

विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन: लागू नहीं

कटौती पद्धति के अधीन : पूंजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूंजी निधियों में से घटाया गया है।



1.2.3 All the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following Associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23:

S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8)	Madhyanchal Gramin Bank	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank (upto 14 th February 2013)	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank (upto 14 th Oct 2012)	35.00
14)	Utkal Grameen Bank	35.00
15)	Uttarakhand Gramin Bank	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	35.00
17)	Marudhara Gramin Bank	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank(upto 7 th Oct 2012)	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	35.00
20)	Kaveri Grameena Bank	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	35.00
22)	Saurashtra Gramin Bank	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	20.00
25)	SBI Home Finance Ltd. (under liquidation process)	25.05

1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence, the Groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Life Insurance Company Ltd	74.00
4)	SBI General Insurance Company Ltd	74.00

2. Quantitative Disclosures:

2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names(s) of such subsidiaries: **Nil**

2.2 The aggregate amount (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

- 1) Name : **SBI Life Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹ 740 crore (74%)**
- 2) Name : **SBI General Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹111 crore (74%)**

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method: Not Applicable

Under deduction method: Entire investments made in the Insurance subsidiaries are reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.



**तालिका डीएफ-2
पूंजी संरचना**

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) सारांश

पूंजी का प्रकार	विशेषताएं
ईक्विटी (श्रेणी - I)	वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी पूंजी के अंतर्गत प्रति शेयर ₹ 10 और प्रति ईक्विटी शेयर ₹ 2302.78 के प्रीमियम से ₹ 3004 करोड़ के 1,29,88,697 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। बैंकिंग अनुबंधियों के लिए प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है जबकि उनमें से कुछ बैंकों, जैसे एसबीबीजे, एसबीएम और एसबीटी में जनता की शेयरधारिता भी है। गैर-बैंकिंग अनुबंधियों ने पूंजी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है और कुछ अन्य शेयरधारक एसजीएम (एसबीआई फंड 37%), जीई कैपिटल (एसबीआई काडर्स 40%), सिडबी (एसबीआई जीएफएल 6.53%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एसबीआई जीएफएल 4.39%), यूबीआई (एसबीआई जीएफएल 2.95%)। वित्त वर्ष-13 के दौरान, एसबीआई पेंशन ने ₹ 10 करोड़ की ईक्विटी पूंजी प्राप्त की है (एसबीआई कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि. से ₹ 5 करोड़ और एसबीआई फण्ड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. से ₹ 5 करोड़)।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी - I)	वित्त वर्ष-13 के दौरान, न तो देशीय और न ही विदेशी अनुबंधियों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) के रूप में पूंजी जुटाई है। 31.03.2013 को एसबी समूह के पास ₹ 6733 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत है जिन्हें श्रेणी-1 के रूप में परिकलित किया गया है।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक और उसकी अनुबंधियों ने उच्चतर एवं न्यूनतर टियर - II की पूंजी जुटाई। बाण्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य है। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणग्रस्तता समझा गया है और यह टियर - II पूंजी के लिए पात्र है। वित्त वर्ष-13 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने श्रेणी-2 के पूंजी के रूप में कोई लिखत जारी नहीं किए हैं। वर्ष के दौरान, एसबीआई काडर्स ने दीर्घावधि अप्रतिभूत एनसीडी के रूप में ₹ 50 करोड़ जुटाए हैं। विदेशी अनुबंधियों की श्रेणी-2 पूंजी में मुख्य रूप से सामान्य प्रावधान शामिल हैं। वर्ष के दौरान नेपाल एसबीआई लि. ने श्रेणी-2 के बाण्ड रूप में ₹ 25.15 करोड़ की राशि जुटाई।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से हाइब्रिड टियर - I और उच्चतर एवं न्यूनतर टियर - II के गौण ऋण जुटाए। सभी पूंजी लिखतों, विशेष रूप से नवोन्मेषी, जटिल या हाइब्रिड पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित निबंधन एवं शर्तों से संबद्ध संक्षिप्त सूचना निम्नानुसार है :

पूंजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएं					
	ईक्विटी	ईश्यू की तिथि	राशि	अवधि(माह)	कूपन (वार्षिक आधार पर देय %)	रैटिंग
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	₹ 684.03 करोड़					
		15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 2171.40 करोड़)	बेमीयादी 10 वर्ष और 3 माह, अर्थात् 15.05.17 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार बिन्दु की वृद्धि।	6.439%	बी1 मूडी की बीबी एस एण्ड पी
		26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 1221.41 करोड़)	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात् 27.06.17 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार बिन्दु की वृद्धि।	7.140%	बी1 मूडी की बीबी एस एण्ड पी
		14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात् 14.08.19 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 9.10% वार्षिक	एएए : क्रिसिल, एएए-केयर
		27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष, अर्थात् 27.01.20 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 9.05% वार्षिक	एएए : क्रिसिल, एएए-केयर
		28.09.07	₹ 165 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 माह, अर्थात् 28.09.17 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, यदि काल ऑप्शन को काम में नहीं लिया जाता है।	प्रथम 10 वर्षों के लिए 10.25% वार्षिक	एएए : क्रिसिल, एएए-केयर

* अगस्त 2009 में जुटाए गए ₹ 1000 करोड़ में से, बैंक ने केवल टियर - I पूंजी के रूप में ₹ 450 करोड़ को पकड़ा है।
भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों से कुल ₹ 1745 करोड़ की राशि जुटाई ;
एसबीबीजे ₹ 200 करोड़, एसबीएच ₹ 685 करोड़, एसबीएम ₹ 260 करोड़, एसबीपी ₹ 300 करोड़ और एसबीटी ₹ 300 करोड़। दिनांक 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नई श्रेणी श्रेणी-I और श्रेणी-II के निर्गम के मामले में स्टेपअप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है। तथापि, कम से कम लिखत के 10 वर्ष तक रहने के बाद काल ऑप्शन को जारी रखा जा सकता है।

उच्चतर श्रेणी -II के गौण ऋण	<p>लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, उच्चतर श्रेणी - II प्रतिज्ञा पत्रों की प्रकृति में गौण ऋण</p> <p>प्रमुख विशेषताएं :</p> <ol style="list-style-type: none"> निवेशकों द्वारा कोई विकल्प विकल्प नहीं। 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। स्टेप-अप ऑप्शन : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिजर्व ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नई श्रेणी - I और नई श्रेणी - II पूंजीगत तिथियों में स्टेप अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। लॉक इन क्लॉज : यदि सीएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है, तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहां तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, तो निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।
-----------------------------	--



**TABLE DF-2
CAPITAL STRUCTURE**

Qualitative Disclosures

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier-I)	<p>During the year SBI has allotted 1,29,88,697 equity shares of ₹ 10 each for cash at a premium of ₹ 2302.78 per equity share aggregating to ₹ 3004 Crore under Preferential Capital to Government of India.</p> <p>For Banking Subsidiaries, the majority shareholder is SBI, while some of them like SBBJ, SBM and SBT have public shareholding as well.</p> <p>Non Banking Subsidiaries have raised equity through Equity instruments. The majority shareholder is SBI and the others are SGAM (SBI Funds – 37%), GE Capital (SBI Cards – 40%), SIDBI (SBI GFL – 6.53%), Bank of Maharashtra (SBI GFL – 4.39%), UBI (SBI GFL – 2.95%).</p> <p>During FY13, SBI Pension Funds has received Equity capital of ₹ 10 Crore (₹ 5 Crore each from SBI Capital Markets Pvt. Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd.).</p>
Innovative Instruments (Tier-I)	<p>Neither SBI, nor Domestic & Foreign Subsidiaries have raised Capital by way of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) during FY 13.</p> <p>SBI Group has IPDIs to the tune of ₹ 6733 Crore as on 31.03.2013 reckoned as Tier I capital.</p>
Tier-II	<p>SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through private placement / retail participation are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II Capital.</p> <p>SBI did not issue any Tier II Capital instruments during FY 13.</p> <p>During the year, SBI Cards raised ₹ 50 Crore by way of Long Term Unsecured NCDs.</p> <p>Tier II capital of Foreign Subsidiaries mainly comprises of General provisions. Nepal SBI Ltd. has raised Tier II bonds of ₹ 25.15 Crore during the year.</p>

Qualitative Disclosures:

State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper & Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Markets. Summarized information on the terms and conditions of the main features of these instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital	Main features				
Equity	₹ 684.03 Crore.				
Innovative Perpetual Debt Instruments	Date of Issue	Amount	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	15.02.07	USD 400 mio ₹ 2171.40 crore	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 months i.e. on 15.05.17 and step up of 100 bps.	6.439%	B1 Moody's BB S & P
	26.06.07	USD 225 mio ₹ 1221.41crore	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.17 and step-up of 100 bps.	7.140%	B1 Moody's BB S & P
	14.08.09	₹ 1000 crore*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.19 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% p.a. for the first 10 yrs.	AAA CRISIL AAA CARE
	27.01.10	₹ 1000 crore	Perpetual with a Call Option after 10 yrs. i.e. on 27.01.20 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised.	9.05% p.a. for the first 10 yrs.	AAA CRISIL AAA CARE
	28.09.07	₹ 165 crore	Perpetual with a Call Option after 10 yrs. i.e. on 28.09.17 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised.	10.25% p.a. for the first 10 yrs.	AAA CRISIL AAA CARE

* Out of ₹ 1000 crore raised in August 2009, only ₹ 450 crore has been reckoned as Tier I Capital by the Bank.

Apart from SBI, the following Associate Banks have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1745 crore– SBBJ: ₹ 200 crore; SBH: ₹ 685 crore; SBM: ₹ 260 crore, SBP: ₹ 300 crore and SBT: ₹ 300 crore

With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. However Call option may continue to be exercised after the instrument has run for at least 10 years.

Upper Tier II Subordinated Debt	<p>Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.</p> <p>Special features:</p> <p>i) No Put Option by the Investors.</p> <p>ii) Call Option by the Bank after 10 years.</p> <p>iii) Step-up Option: With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks.</p> <p>iv) Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either period interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.</p>
---------------------------------	---



जारी करने के की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि माह	कूपन (वार्षिक आधार पर देय %)	रेटिंग
05.06.06	2,328	180	8.80%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	एएए - क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
15.09.06	1,500	180	8.98%	एएए - क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
16.10.06	1,000	180	8.88%	एएए - क्रिसिल
17.02.07	1,000	180	9.37%	एएए - क्रिसिल
07.06.07	2,523	180	10.20%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
12.09.07	3,500	180	10.10%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
19.12.08	2,500	180	8.90%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
02.03.09	2,000	180	9.15%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
06.03.09	1,000	180	9.15%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
29.12.06	100	180	8.95%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
22.03.07	200	180	10.25%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर
24.03.09	250	180	9.17%	एएए - क्रिसिल एएए-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित देशीय बैंकिंग अनुबंधियों ने उच्चतर श्रेणी-2 के रूप में ₹ 5291.60 करोड़ की पूंजी निधियां जुटाई : एसबीबीजे ₹ 450 करोड़, एसबीएच ₹ 1750 करोड़, एसबीएम ₹ 640 करोड़, एसबीपी ₹ 1452 करोड़ और एसबीटी ₹ 1000 करोड़। विदेशी स्थित अनुबंधियों में, एसबीआई नेपाल ने उच्चतर श्रेणी-2 बाण्ड के रूप में ₹ 62.86 करोड़ की निधियां जुटाई, जिसमें से ₹ 50.27 करोड़ पूंजी के रूप में परिकलित किए गए हैं।

निम्नतर श्रेणी -II के गौण ऋण

लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, उच्चतर श्रेणी - II, प्रतिज्ञा पत्रों की प्रकृति में गौण ऋण।

प्रमुख विशेषताएं :

- I) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं।
- II) स्टेप-अप ऑप्शन : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नई श्रेणी - I और नईश्रेणी - II पूंजीगत तिथियों में स्टेप अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना मोचन नहीं किया जा सकेगा।
- III) कम से कम पांच वर्ष तक लिखत (जमा) रहने के बाद कॉल ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है।

जारी करने के की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि माह	कूपन (वार्षिक आधार पर देय %)	रेटिंग
05.12.05	3,283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएए-क्रिसिल, एएए-केयर
28.03.07	1,500	111	8.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-क्रिसिल, एएए-केयर
29.12.08	1,500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1,000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.02.05	200	111	7.20%	एएए-क्रिसिल
29.09.05	140	120	7.45%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आईसीआरए
28.03.06	110	120	8.70%	एएए-क्रिसिल, एलएएए-आईसीआरए
04.11.10	133.08*	120	9.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	866.92*	180	9.50%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	559.40*	120	9.75%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	171.68*	120	9.30%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	3,937.59*	180	9.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	828.32*	180	9.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

* भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में रिटेल सहभागिता के माध्यम से जुटाए। यदि बैंक क्रमशः 5 वर्ष और 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दिनांक 04.11.10 को जारी किए गए बाण्डों के लिए उनकी परिपक्वता के आखिरी पांच वर्षों के दौरान 50 आधार बिन्दु का एक स्टेप अप ऑप्शन रहेगा। दिनांक 16.03.11 को जारी किए गए बाण्डों पर आगे स्टेप अप का विकल्प नहीं रहेगा।

भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित निम्नतर श्रेणी-II के बाण्डों के रूप में उपर्युक्त ₹ 14,655 करोड़ में से, भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 31.03.2013 को ₹ 11,565.20 करोड़ को निम्नतर श्रेणी-III की पूंजी के रूप में पकड़ा है।

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने निम्नतर श्रेणी-II के रूप में पूंजीगत निधियां जुटाई है :

- 1) देशीय सहयोगी बैंकिंग अनुबंधियों ने ₹ 4,705 करोड़ के बाण्डों से राशि जुटाई है। एसबीबीजे ₹ 1500.00 करोड़, एसबीएच ₹ 1210 करोड़, एसबीएम ₹ 425 करोड़, एसबीपी ₹ 750 करोड़ और एसबीटी ₹ 820 करोड़। (उपर्युक्त में से ₹ 2382 करोड़ को निम्नतर श्रेणी-II की पूंजी के रूप में पकड़ा गया है)।
- 2) देशीय गैर-बैंकिंग अनुबंधियों ने कुल ₹ 386.68 करोड़ के बाण्डों से राशि जुटाई है (एसबीआई ग्लोबल फैंक्टर्स लि. ₹ 161.88 करोड़ और एसबीआई कार्ड्स ₹ 224.80 करोड़ (जिसमें से ₹ 174.80 करोड़ को विनियामक पूंजी के रूप में परिकलित किया गया है)।
- 3) विदेशी अनुबंधियों में एसबीआई कनाडा के पास कुल ₹ 106.88 करोड़ के निम्न श्रेणी II के बाण्ड है।

मात्रात्मक प्रकटन

		(₹ करोड़ में)
(ख)	श्रेणी - I पूंजी	1,25,468
	• चूकता शेयर पूंजी	684
	• आरक्षित निधियां	1,20,137
	• नवोन्मेषी लिखत	6,733
	• अन्य पूंजी लिखत	0
	• श्रेणी-1 पूंजी से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	2,086
(ग)	कुल राशि श्रेणी-2 पूंजी (टियर-2 पूंजी में से कटौतियां घटाकर)	44,568
(घ)	उच्च श्रेणी-2 पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत	
	• कुल बकाया	25,371
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	25
	• पूंजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	25,358
(ङ)	निम्न श्रेणी-2 पूंजी में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कुल बकाया	19,854
	• चालू वर्ष में जुटाई गई	50
	• पूंजी निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	14,391
(च)	पूंजी में अन्य कटौतियां यदि कोई हो	0
(छ)	कुल मात्र पूंजी	1,70,036



	Date of Issue	Amount (₹ in crore)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	05.06.06	2,328	180	8.80%	AAACRISIL, AAA CARE
	06.07.06	500	180	9.00%	AAACRISIL
	12.09.06	600	180	8.96%	AAA CRISIL, AAA CARE
	13.09.06	615	180	8.97%	AAA CRISIL, AAA CARE
	15.09.06	1,500	180	8.98%	AAA CRISIL
	04.10.06	400	180	8.85%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.10.06	1,000	180	8.88%	AAA CRISIL
	17.02.07	1,000	180	9.37%	AAA CRISIL
	07.06.07	2,523	180	10.20%	AAA CRISIL, AAA CARE
	12.09.07	3,500	180	10.10%	AAA CRISIL, AAA CARE
	19.12.08	2,500	180	8.90%	AAA CRISIL, AAA CARE
	02.03.09	2,000	180	9.15%	AAA CRISIL, AAA CARE
	06.03.09	1,000	180	9.15%	AAA CRISIL, AAA CARE
	29.12.06	100	180	8.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
	22.03.07	200	180	10.25%	AAA CRISIL, AAA CARE
	24.03.09	250	180	9.17%	AAA CRISIL, AAA CARE
Apart from SBI, Domestic Banking Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Upper Tier II of ₹ 5291.60 Crore. SBBJ: ₹ 450crore; SBH: ₹ 1,750crore;SBM: ₹ 640crore; SBP: ₹ 1452crore and SBT: ₹ 1000crore Among Foreign subsidiaries, SBI Nepal has Upper Tier II bonds of ₹ 62.86 Crore, out of which ₹ 50.27 Crore is reckoned as capital.					
Lower Tier II Sub - Debt	Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Lower Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes. Special features: I) No Put Option by the investors. II) With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks Not redeemable without the consent of RBI. III) Call option can be exercised after the instrument has run for atleast 5 years.				
	Date of Issue	Amount (₹ in crore)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	05.12.05	3,283	113	7.45%	AAA CRISIL, AAA CARE
	09.03.06	200	111	8.15%	LAAA ICRA, AAA CARE
	28.03.07	1,500	111	9.85%	AAACRISIL, AAA CARE
	31.03.07	225	111	9.80%	LAAA ICRA, AAA CARE
	29.12.08	1,500	114	8.40%	AAACRISIL, AAA CARE
	06.03.09	1,000	111	8.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
	15.02.05	200	111	7.20%	AAA CRISIL
	29.09.05	140	120	7.45%	AAA CRISIL, LAAA ICRA
	28.03.06	110	120	8.70%	AAA CRISIL, LAAA ICRA
	04.11.10	133.08*	120	9.25%	AAA CRISIL, AAA CARE
	04.11.10	866.92*	180	9.50%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.03.11	559.40*	120	9.75%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.03.11	171.68*	120	9.30%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.03.11	3,937.59*	180	9.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.03.11	828.32*	180	9.45%	AAA CRISIL, AAA CARE
* Raised by SBI during Q3FY10-11 through Retail Participation. The bonds issued on 04.11.10 have a step up option of 50 basis points during the last five years of their maturity in case the Bank does not exercise the call option after 5 years and 10 years respectively. The bonds issued on 16.03.11 do not carry Step Up Option. Out of the above ₹ 14655 crore pertaining to SBI in the form of Lower Tier II Bonds, ₹ 11565.20 crore have been reckoned as Lower Tier II capital by SBI as on 31.03.2013. Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II : 1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 4,705 crore SBBJ: ₹ 1,500crore;SBH: ₹ 1,210crore; SBM: ₹ 425crore; SBP: ₹ 750 crore and SBT: ₹ 820crore (Out of the above ₹ 2,382 crore is reckoned as Lower Tier II Capital Bonds). 2) Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 386.68 crore SBI Global Factors Ltd ₹ 161.88 crore and SBI Cards ₹ 224.80crore (Out of which ₹ 174.80 crore is reckoned as regulatory capital). 3) Among the Foreign Subsidiaries, SBI Canada has Lower Tier II Bonds aggregating ₹ 106.88 crore					

Quantitative Disclosures

		(₹ in crore)
(b)	Tier-I Capital	1,25,468
	• Paid-up Share Capital	684
	• Reserves	1,20,137
	• Innovative Instruments	6,733
	• Other Capital Instruments	0
	• Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	2,086
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	44,568
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	25,371
	• Of which raised during Current Year	25
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	25,358
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	19,854
	• Of which raised during Current Year	50
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	14,391
(f)	Other Deductions from Capital if any	0
(g)	Total Eligible Capital	1,70,036



तालिका डीएफ-3
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

<p>(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधे पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम <ul style="list-style-type: none"> बाजार जोखिम परिचालन जोखिम चलनिधि जोखिम अनुपालन जोखिम पेंशन निधि दायित्व जोखिम प्रतिष्ठा जोखिम ऋण जोखिम अल्पीकरणों से अवशिष्ट जोखिम निपटान जोखिम बाजार जोखिम ऋण केन्द्रीकरण जोखिम बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम देश जोखिम नव व्यवसाय जोखिम कार्यनीतिक जोखिम समाश्रित जोखिम प्रतिभूतिकरण जोखिम अग्रिमों और भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि तथा बेसल-II आदि के लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है। 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त विकल्प हैं, जैसे गौण ऋण नवोन्मेषों बेमीयादी ऋण लिखत की ईक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं। विदेशी अनुषंगियों से संबंधित कार्यनीतिक पूंजीगत योजना में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित पूंजी का मूल्यांकन करना शामिल होता है। अलग-अलग अनुषंगियों की श्रेणी-1 और श्रेणी-2 की पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाता है जिससे पूंजी का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।
<p>मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता</p> <ul style="list-style-type: none"> मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश का प्रतिभूतिकरण 	<p>-</p> <p>₹1,03,607.70 करोड़</p> <p>शून्य</p> <p>.....</p> <p>कुल ₹1,03,607.70 करोड़</p>
<p>(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता (मानक अवधि पद्धति)</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्याज दर जोखिम (जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल हैं) विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है) ईक्विटी जोखिम 	<p>₹4,565.12 करोड़</p> <p>₹124.78 करोड़</p> <p>₹1700.23 करोड़</p> <p>.....</p> <p>कुल ₹6,390.13 करोड़</p>
<p>(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक पद्धति 	<p>-</p> <p>₹9,581.05 करोड़</p> <p>.....</p> <p>कुल ₹9,581.05 करोड़</p>

<p>(ड.) कुल और श्रेणी-1 पूंजी का अनुपात:</p> <ul style="list-style-type: none"> शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन) 	<p>दिनांक 31.03.2013 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>श्रेणी-1(%)</th> <th>योग (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एसबीआई समूह</td> <td>9.46</td> <td>12.82</td> </tr> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक</td> <td>9.49</td> <td>12.82</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर</td> <td>9.11</td> <td>12.16</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ हैदराबाद</td> <td>9.25</td> <td>12.36</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ मैसूर</td> <td>8.87</td> <td>11.79</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ पटियाला</td> <td>8.02</td> <td>11.12</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर</td> <td>8.46</td> <td>11.70</td> </tr> <tr> <td>एसबीआई (मॉरीशस) लि.</td> <td>16.09</td> <td>16.59</td> </tr> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)</td> <td>32.65</td> <td>38.65</td> </tr> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)</td> <td>15.83</td> <td>16.92</td> </tr> <tr> <td>कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को</td> <td>44.44</td> <td>44.44</td> </tr> <tr> <td>पीटी बैंक इंडो मॉनक्स, इंडोनेशिया</td> <td>10.40</td> <td>11.58</td> </tr> <tr> <td>नेपाल एसबीआई बैंक लि.</td> <td>9.53</td> <td>12.62</td> </tr> </tbody> </table>		श्रेणी-1(%)	योग (%)	एसबीआई समूह	9.46	12.82	भारतीय स्टेट बैंक	9.49	12.82	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.11	12.16	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.25	12.36	स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.87	11.79	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.02	11.12	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	8.46	11.70	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	16.09	16.59	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	32.65	38.65	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	15.83	16.92	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	44.44	44.44	पीटी बैंक इंडो मॉनक्स, इंडोनेशिया	10.40	11.58	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	9.53	12.62
	श्रेणी-1(%)	योग (%)																																									
एसबीआई समूह	9.46	12.82																																									
भारतीय स्टेट बैंक	9.49	12.82																																									
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.11	12.16																																									
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.25	12.36																																									
स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.87	11.79																																									
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.02	11.12																																									
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	8.46	11.70																																									
एसबीआई (मॉरीशस) लि.	16.09	16.59																																									
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	32.65	38.65																																									
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	15.83	16.92																																									
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	44.44	44.44																																									
पीटी बैंक इंडो मॉनक्स, इंडोनेशिया	10.40	11.58																																									
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	9.53	12.62																																									



TABLE DF-3
CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

<p>(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.</p>	<ul style="list-style-type: none"> The Bank and its Banking Subsidiaries undertake the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on an annual basis in line with the New Capital Adequacy Framework (NCAF) Guidelines of RBI. The ICAAP details the capital planning process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following Risks: <ul style="list-style-type: none"> Credit Risk Operational Risk Liquidity Risk Compliance Risk Pension Fund Obligation Risk Reputation Risk Residual Risk from Credit Risk Mitigants Settlement Risk Market Risk Credit Concentration Risk Interest Rate Risk in the Banking Book Country Risk New Businesses Risk Strategic Risk Model Risk Contagion Risk Securitization Risk Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected investment in Subsidiaries / Joint Ventures by SBI and growth in Advances by SBI and its Subsidiaries (Domestic/Foreign). This analysis is done for the SBI and SBI Group separately. CRAR of the Bank and for the Group as a whole is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Innovative Perpetual Debt Instruments, besides Equity as and when required. Strategic Capital Plan for the Foreign Subsidiaries covers an assessment of capital requirement for growth of assets and the capital required complying with various local regulatory requirements and prudential norms. The growth plan is approved by the parent bank after satisfying itself about the capacity of the individual subsidiaries to raise Tier I /Tier II Capital to support the increased level of assets and at the same time maintaining the Capital Adequacy Ratio (CAR). 																																										
<p>Quantitative Disclosures (b) Capital requirements for credit risk</p> <ul style="list-style-type: none"> Portfolios subject to standardized approach Securitization exposures 	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 1,03,607.70 crore Nil <p>..... Total ₹ 1,03,607.70 crore</p>																																										
<p>(c) Capital requirements for market risk (Standardized duration approach)</p> <ul style="list-style-type: none"> Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including gold) Equity Risk 	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 4,565.12 crore ₹ 124.78 crore ₹ 1,700.23 crore <p>..... Total ₹ 6,390.13 crore</p>																																										
<p>(d) Capital requirements for operational risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basic Indicator Approach 	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 9,581.05 crore <p>..... Total ₹ 9,581.05 crore</p>																																										
<p>(e) Total and Tier I capital ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> For the top consolidated group; and For significant bank subsidiaries (stand alone) 	<p style="text-align: center;">CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2013</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Tier I (%)</th> <th style="text-align: center;">Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBI Group</td><td style="text-align: center;">9.46</td><td style="text-align: center;">12.82</td></tr> <tr><td>State Bank of India</td><td style="text-align: center;">9.49</td><td style="text-align: center;">12.92</td></tr> <tr><td>State Bank of Bikaner & Jaipur</td><td style="text-align: center;">9.11</td><td style="text-align: center;">12.16</td></tr> <tr><td>State Bank of Hyderabad</td><td style="text-align: center;">9.25</td><td style="text-align: center;">12.36</td></tr> <tr><td>State Bank of Mysore</td><td style="text-align: center;">8.87</td><td style="text-align: center;">11.79</td></tr> <tr><td>State Bank of Patiala</td><td style="text-align: center;">8.02</td><td style="text-align: center;">11.12</td></tr> <tr><td>State Bank of Travancore</td><td style="text-align: center;">8.46</td><td style="text-align: center;">11.70</td></tr> <tr><td>SBI (Mauritius) Ltd.</td><td style="text-align: center;">16.09</td><td style="text-align: center;">16.59</td></tr> <tr><td>State Bank of India (Canada)</td><td style="text-align: center;">32.65</td><td style="text-align: center;">38.65</td></tr> <tr><td>State Bank of India (California)</td><td style="text-align: center;">15.83</td><td style="text-align: center;">16.92</td></tr> <tr><td>Commercial Bank of India LLC Moscow</td><td style="text-align: center;">44.44</td><td style="text-align: center;">44.44</td></tr> <tr><td>PT Bank SBI Indonesia</td><td style="text-align: center;">10.40</td><td style="text-align: center;">11.58</td></tr> <tr><td>Nepal SBI Bank Ltd.</td><td style="text-align: center;">9.53</td><td style="text-align: center;">12.62</td></tr> </tbody> </table>		Tier I (%)	Total (%)	SBI Group	9.46	12.82	State Bank of India	9.49	12.92	State Bank of Bikaner & Jaipur	9.11	12.16	State Bank of Hyderabad	9.25	12.36	State Bank of Mysore	8.87	11.79	State Bank of Patiala	8.02	11.12	State Bank of Travancore	8.46	11.70	SBI (Mauritius) Ltd.	16.09	16.59	State Bank of India (Canada)	32.65	38.65	State Bank of India (California)	15.83	16.92	Commercial Bank of India LLC Moscow	44.44	44.44	PT Bank SBI Indonesia	10.40	11.58	Nepal SBI Bank Ltd.	9.53	12.62
	Tier I (%)	Total (%)																																									
SBI Group	9.46	12.82																																									
State Bank of India	9.49	12.92																																									
State Bank of Bikaner & Jaipur	9.11	12.16																																									
State Bank of Hyderabad	9.25	12.36																																									
State Bank of Mysore	8.87	11.79																																									
State Bank of Patiala	8.02	11.12																																									
State Bank of Travancore	8.46	11.70																																									
SBI (Mauritius) Ltd.	16.09	16.59																																									
State Bank of India (Canada)	32.65	38.65																																									
State Bank of India (California)	15.83	16.92																																									
Commercial Bank of India LLC Moscow	44.44	44.44																																									
PT Bank SBI Indonesia	10.40	11.58																																									
Nepal SBI Bank Ltd.	9.53	12.62																																									



तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयों लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती है, जो निम्नानुसार है :

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रियों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

- किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है ;
- खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;
- अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है; और
- कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अतिदेय' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/अधिकार से कम है किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है, तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा नहीं की गई है।

(अन्य समूह इकाइयों - विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों और गैर-बैंकिंग इकाइयों अपने व्यवसाय क्षेत्रों में लागू और उनसे संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं)

ऋण जोखिम प्रबंधन

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में फैक्ट्रिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्य-विधियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहां कहीं लागू हों, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

- ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हों, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों, विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणों से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की अतिरिक्त क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।
- भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के सामान्य परिदृश्य के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।
- ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयों क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जन-सांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती है। देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, धू-संपदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियामक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रियों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों में समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृति, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास और प्रबंध करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं ;

- ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना
- एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रियों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- ऋण लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।
- ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की गहरी समीक्षा एवं निगरानी करना।
- सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की गई है जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।
- सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।



Table DF-4
Credit Risk:General Disclosures

Qualitative Disclosures

Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)

The Domestic Banking entities in the Group follow the extant RBI instructions for definitions of these categories for accounting purposes, as given below:

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A Non-Performing Asset (NPA) is an advance where:

- i. Interest and/or installment of principal remain **'overdue'** for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;
- ii. The account remains **'out of order'** for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC);
- iii. The bill remains **'overdue'** for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted;
- iv. Any amount to be received remains **'overdue'** for a period of more than 90 days in respect of other accounts;
- v. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains **'overdue'** for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains **'overdue'** for one crop season; and
- vi. An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' status

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the bank under any credit facility is **'overdue'** if it is not paid on the due date fixed by the bank.

[Other Group entities – Overseas Banking entities and the Non-banking entities - use the definitions as applicable to their lines of businesses and as defined by their respective regulators.]

Credit Risk Management

Group entities are exposed to Credit Risk mainly through their lending and investment activities. All Banking entities in the Group are exposed to Credit Risk through their loans and investment activities. Among the Non-banking entities, Credit Risk is a major risk for factoring and credit cards business. Group Banking entities have Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy/Policies in place which are an exposition of their approach to the management of Credit Risk and seek to establish a comprehensive risk management framework that allows Credit Risks to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II and RBI guidelines, wherever applicable. Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, monitoring and control of the credit exposures. In the process of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:

- i. Internal Credit Risk Assessment Models/ Scoring Models are used across the entities, wherever applicable, to assess the counterparty risk and to support the analytical elements of the credit risk management framework, particularly the quantitative risk assessment part of the credit approval process. The rating process reflects the risk involved in the facility / borrower and is an evaluation of the borrower's intrinsic strength and is reviewed periodically.
- ii. SBI conducts industry research regularly to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries/Sectors, from time to time and shares the findings amongst the Banking entities in the Group.
- iii. Non-Banking entities use their own Internal Credit Scoring Models, Internal Ratings, Demographic Analysis, etc., as applicable, for identification and assessment of Credit Risk.

The measurement of Credit Risk in the Domestic Banking entities involves computation of Credit Risk Components viz. Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD).

For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risk, regulatory / internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual borrowers, borrower groups, banks, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, etc., are in place in the Group entities. Ongoing monitoring of these exposures is conducted for measurement of Credit Risk of the Group entities individually and for consolidated Group, as specified in the Group Risk Management Policy. Credit Risk Stress Tests are conducted by the entities to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.

Each of the Banking entities in the Group have a Loan Policy in place which documents the entities' approach to sanctioning, managing and monitoring of loans and advances. The Policy establishes a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies to ensure that there is continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level. Specific norms for Appraising, Sanctioning, Documentation, Inspections and Monitoring, Renewals, Maintenance, Rehabilitation and Management of Assets have been stipulated, with sufficient leg room for innovation, deviations and flexibility under proper authority.

The internal controls and processes in place in the Group for the management of Credit Risk are:

- a) Risk Governance structures for Credit Risk Management.
- b) Delegation of financial powers for advances and allied matters with a graded authority structure.
- c) Pre-sanction and post-sanction processes are examined as part of Credit Audit conducted in Domestic Banking entities for exposures above threshold limits. Credit Audit also examines identified risks and suggests risk mitigation measures.
- d) Close review and monitoring of Stressed Assets to prevent deterioration in quality.
- e) The Policies, Procedures and Risk Limits are circulated amongst all operating functionaries and the audit functionaries to keep them updated on an ongoing basis.
- f) Various training initiatives are also undertaken for updation of knowledge on Credit Risk Management policies and practices for all functionaries.



तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम - 31.03.2013 को मात्रात्मक प्रकटीकरण आकड़े

सामान्य प्रकटीकरण		राशि - ₹ करोड़ में		
मात्रात्मक प्रकटीकरण		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
(ख)	कुल ऋण जोखिम निवेश	14,59,944.79	4,30,186.97	18,90,131.76
(ग)	निवेश का भौगोलिक संवितरण : एफबी / एनएफबी			
	विदेशी	1,78,703.84	13,552.45	1,92,256.29
	देशीय	12,81,240.95	4,16,634.52	16,97,875.47
(घ)	निवेश का औद्योगिक संवितरण-निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
(ड.)	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
(च)	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) (i से v)	63,987.43		
	i. मानक	26,175.89		
	ii. संदिग्ध 1	17,916.40		
	iii. संदिग्ध 2	12,893.77		
	iv. संदिग्ध 3	3,602.92		
	v. हानिकर	3,398.45		
(छ)	निवल अनर्जक आस्तियां	28,782.38		
(ज)	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों का सकल अनर्जक आस्तिया	4.47%		
	ii) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक आस्तियां	2.07%		
(झ)	अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव (सकल)			
	i) अथशेष	49,648.70		
	ii) जोड़	42,842.88		
	iii) कटौती	28,504.15		
	iv) इतिशेष	63,987.43		
(ञ)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
	i) अथशेष	28,553.61		
	ii) अवधि दौरान किए गए प्रावधान	17,080.58		
	iii) बट्टा खाता डालना	10,399.54		
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	29.60		
	v) इतिशेष	35,205.05		
(ट)	गैरनिष्पादन निवेशों की राशि	1,162.38		
(ठ)	गैर निष्पादन निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	1,134.19		
(ड)	निवेशों पर हास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
	i) अथशेष	2,480.09		
	ii) अवधि दौरान किए गए प्रावधान	318.89		
	iii) बट्टा खाता डालना	239.63		
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	1,353.20		
	v) इतिशेष	1,206.15		

तालिका : क दिनांक 31.03.2013 को निधि आधारित निवेश का औद्योगिक संवितरण

राशि - ₹ करोड़ में

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	2,070.29	195.17	2,265.46	1,217.82
2	खदान	10,639.60	150.66	10,790.26	2,390.47
3	लोह एवं इस्पात	96,711.56	3,834.73	100,546.29	26,246.87
4	धातु उत्पादन	24,152.41	1,083.38	25,235.79	4,683.76
5	सभी अभियांत्रिकी	38,024.26	1,535.35	39,559.61	53,774.44
51	जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	6,858.39	778.74	7,637.13	6,080.55
6	बिजली	18,085.38	6.94	18,092.32	14,705.41
7	कपडा उद्योग	34,836.33	1,766.98	36,603.31	3,133.51
8	जूट उद्योग	318.94	26.44	345.38	179.03
9	अन्य उद्योग	26,819.26	2,740.93	29,560.19	2,093.51
10	चीनी	9,070.41	212.16	9,282.57	619.47
11	चाय	1,244.29	15.69	1,259.98	40.89
12	खाद्य प्रसंसाधन	23,266.97	1,425.04	24,692.01	4,279.21
13	वनस्पती तेल एवं वनस्पती	6,947.79	923.18	7,870.97	4,151.84
14	तमाखु/ तमाखु उत्पादन	1,265.93	44.28	1,310.21	43.37
15	कागज / कागज उत्पादन	6,526.25	947.70	7,473.95	1,087.34
16	रबड़/ रबड़ उत्पादन	10,163.79	237.09	10,400.88	1,404.79
17	रसायन/ डाय/ रंगकाम आदि	75,734.50	3,112.18	78,846.68	13,337.07
17.1	जिसका उर्वरक	16,834.47	117.68	16,952.15	4,569.53
17.2	जिसका पेट्रोरसायन	33,669.77	80.37	33,750.14	2,627.73
17.3	जिसकी दवाइयां एवं औषधीय	12,090.74	2,205.75	14,296.49	2,911.98
18	सिमेंट	10,974.20	506.31	11,480.51	1,542.96
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादन	2,546.46	163.24	2,709.70	317.40
20	रत्न एवं आभूषण	20,045.00	1,020.78	21,065.78	4,655.91
21	निर्माण	2,674.52	1,154.99	3,829.51	1,534.44
22	पेट्रोलियम	29,041.43	21.03	29,062.46	33,765.62
23	आटोमोबाईल एवं ट्रक	12,901.31	122.08	13,023.39	1,124.89
24	कंप्यूटर स्वाफ्टवेयर	3,988.82	801.75	4,790.57	326.95
25	मूलभूत तत्व	165,913.28	3,217.11	169,130.39	46,058.67
25.1	जिसकी शक्ति	69,719.02	693.83	70,412.85	13,791.85
25.2	जिसका संचार	32,516.21	175.40	32,691.61	3,721.20
25.3	जिसके मार्ग एवं बंदरगाह	26,552.35	833.78	27,386.13	10,038.33
26	अन्य उद्योग	58,569.40	4,069.76	62,639.16	28,086.60
27	एनबीएफसी एवं व्यापार	87,393.53	2,882.77	90,276.30	9,277.27
28	शेष अग्रिम एवं शेष सकल अग्रिम	616,031.45	31,769.71	647,801.16	170,107.44
	कुल	1,395,957.36	63,987.43	1,459,944.79	430,186.97



Table DF-4:
Credit Risk - Quantitative Disclosures Data as on 31.03.2013

General Disclosures:		Amount - ₹ in crore		
Quantitative Disclosures		Fund Based	Non Fund Based	Total
b	Total Gross Credit Risk Exposures	14,59,944.79	4,30,186.97	18,90,131.76
c	Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB			
	Overseas	1,78,703.84	13,552.45	1,92,256.29
	Domestic	12,81,240.95	4,16,634.52	16,97,875.47
d	Industry Type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer to Table "A"		
e	Residual Contractual Maturity Break-down of Assets	Please refer to Table "B"		
f	Amount of NPAs (Gross) i.e. Sum of (i to v)	63,987.43		
	i. Substandard	26,175.89		
	ii. Doubtful 1	17,916.40		
	iii. Doubtful 2	12,893.77		
	iv. Doubtful 3	3,602.92		
	v. Loss	3,398.45		
g	Net NPAs	28,782.38		
h	NPA Ratios			
	i) Gross NPAs to gross advances	4.47%		
	ii) Net NPAs to net advances	2.07%		
i	Movement of NPAs (Gross)			
	i) Opening balance	49,648.70		
	ii) Additions	42,842.88		
	iii) Reductions	28,504.15		
	iv) Closing balance	63,987.43		
j	Movement of provisions for NPAs			
	i) Opening balance	28,553.61		
	ii) Provisions made during the period	17,080.58		
	iii) Write-off	10,399.54		
	iv) Write-back of excess provisions	29.60		
	v) Closing balance	35,205.05		
k	Amount of Non-Performing Investments	1,162.38		
l	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	1,134.19		
m	Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
	i) Opening balance	2,480.09		
	ii) Provisions made during the period	318.89		
	iii) Write-off	239.63		
	iv) Write-back of excess provisions	1,353.20		
	v) Closing balance	1,206.15		

Table - A: Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2013
Amount - ₹ in crore

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstanding-O/s]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	
1	Coal	2,070.29	195.17	2,265.46	1,217.82
2	Mining	10,639.60	150.66	10,790.26	2,390.47
3	Iron & Steel	96,711.56	3,834.73	100,546.29	26,246.87
4	Metal Products	24,152.41	1,083.38	25,235.79	4,683.76
5	All Engineering	38,024.26	1,535.35	39,559.61	53,774.44
51	Of which Electronics	6,858.39	778.74	7,637.13	6,080.55
6	Electricity	18,085.38	6.94	18,092.32	14,705.41
7	Cotton Textiles	34,836.33	1,766.98	36,603.31	3,133.51
8	Jute Textiles	318.94	26.44	345.38	179.03
9	Other Textiles	26,819.26	2,740.93	29,560.19	2,093.51
10	Sugar	9,070.41	212.16	9,282.57	619.47
11	Tea	1,244.29	15.69	1,259.98	40.89
12	Food Processing	23,266.97	1,425.04	24,692.01	4,279.21
13	Vegetable Oils & Vanaspati	6,947.79	923.18	7,870.97	4,151.84
14	Tobacco / Tobacco Products	1,265.93	44.28	1,310.21	43.37
15	Paper / Paper Products	6,526.25	947.70	7,473.95	1,087.34
16	Rubber / Rubber Products	10,163.79	237.09	10,400.88	1,404.79
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	75,734.50	3,112.18	78,846.68	13,337.07
17.1	Of which Fertilizers	16,834.47	117.68	16,952.15	4,569.53
17.2	Of which Petrochemicals	33,669.77	80.37	33,750.14	2,627.73
17.3	Of which Drugs & Pharmaceuticals	12,090.74	2,205.75	14,296.49	2,911.98
18	Cement	10,974.20	506.31	11,480.51	1,542.96
19	Leather & Leather Products	2,546.46	163.24	2,709.70	317.40
20	Gems & Jewellery	20,045.00	1,020.78	21,065.78	4,655.91
21	Construction	2,674.52	1,154.99	3,829.51	1,534.44
22	Petroleum	29,041.43	21.03	29,062.46	33,765.62
23	Automobiles & Trucks	12,901.31	122.08	13,023.39	1,124.89
24	Computer Software	3,988.82	801.75	4,790.57	326.95
25	Infrastructure	165,913.28	3,217.11	169,130.39	46,058.67
25.1	Of which Power	69,719.02	693.83	70,412.85	13,791.85
25.2	Of which Telecommunication	32,516.21	175.40	32,691.61	3,721.20
25.3	Of which Roads & Ports	26,552.35	833.78	27,386.13	10,038.33
26	Other Industries	58,569.40	4,069.76	62,639.16	28,086.60
27	NBFCs & Trading	87,393.53	2,882.77	90,276.30	9,277.27
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	616,031.45	31,769.71	647,801.16	170,107.44
	Total	1,395,957.36	63,987.43	1,459,944.79	430,186.97



तालिका - ख

डीएफ-4 (च) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

[₹ करोड़ में]

Assets	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	13,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.59
2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	14,696.76	1,184.76	2,676.20	3,416.78	8,703.29	20,382.70	10,425.74	14,518.45	76,004.68
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	46,343.63	2,037.43	3,040.97	916.05	2,739.40	2,152.94	608.69	513.86	58,352.97
4 निवेश	13,059.37	5,539.30	31,797.76	20,773.33	15,590.33	66,431.63	91,144.17	2,35,341.07	4,79,676.96
5 अग्रिम	80,040.22	22,208.00	97,263.26	70,228.15	72,449.52	666,621.00	1,43,403.17	2,42,996.67	13,95,209.99
6 अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.51	8,955.51
7 अन्य आस्तियां	30,449.03	3,061.04	8,948.30	6,163.79	7,579.53	1,828.69	155.68	5,990.93	64,176.99
कुल	1,98,027.60	34,030.53	1,43,726.49	1,01,498.10	1,07,062.07	757,416.96	2,45,737.45	5,08,316.49	20,95,815.69

* बीमा हकाहयों, गैर वित्तीय इकाइयों और विशेष प्रयोजन संस्थाओं तथा अन्तः समूह समायोजनों को शामिल नहीं किया गया है।

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम

मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटीकरण

(1) गुणात्मक प्रकटीकरण

- प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयों अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती है।

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

- एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
- देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2013 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

(ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियां के अलावा अन्य घटाई गई राशियां		राशि
	100% आरडब्ल्यू से कम	11,73,319.11
	100% आरडब्ल्यू	4,58,737.40
	100% से अधिक	2,55,720.98
	घटाई गई	2,354.28
कुल		18,90,131.76



Table- B
DF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2013#

[₹ in crore]

	Assets	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	TOTAL
1	Cash	13,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.59
2	Balances with RBI	14,696.76	1,184.76	2,676.20	3,416.78	8,703.29	20,382.70	10,425.74	14,518.45	76,004.68
3	Balances with other Banks	46,343.63	2,037.43	3,040.97	916.05	2,739.40	2,152.94	608.69	513.86	58,352.97
4	Investments	13,059.37	5,539.30	31,797.76	20,773.33	15,590.33	66,431.63	91,144.17	2,35,341.07	4,79,676.96
5	Advances	80,040.22	22,208.00	97,263.26	70,228.15	72,449.52	666,621.00	1,43,403.17	2,42,996.67	13,95,209.99
6	Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.51	8,955.51
7	Other Assets	30,449.03	3,061.04	8,948.30	6,163.79	7,579.53	1,828.69	155.68	5,990.93	64,176.99
	TOTAL	1,98,027.60	34,030.53	1,43,726.49	1,01,498.10	1,07,062.07	757,416.96	2,45,737.45	5,08,316.49	20,95,815.69

*Insurance entities, Non-financial entities and Special Purpose Vehicles & Intra-group Adjustments are excluded

Table DF-5
Credit Risk

Disclosures for Portfolios subject to Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures

• **Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA and Brickwork (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge.

• **Types of exposures for which each Agency is used**

- (i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.
- (ii) For Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book

Long-term Issue Specific Ratings (For own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases :

- If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks *pari-passu* or junior to the rated exposure in all respects.
- In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the entity/entities), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the exposure ranks *pari-passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated exposure is not later than the maturity of the rated debt.

Quantitative Disclosures as on 31.3.2013

[₹ in crore]

	Amount	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of group's outstanding (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted.	Below 100% Risk Weight	11,73,319.11
	100% Risk Weight	4,58,737.40
	More than 100% Risk Weight	2,55,720.98
	Deducted	2,354.28
	Total	18,90,131.76



तालिका डीएफ-6
ऋण जोखिम

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा निर्धारित करने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं
तुलन-पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ; जहां बैंक, जहाँ देश में स्थित बैंकिंग इकाइयों,
क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;
ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;
ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।
- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**
देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।
इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;
(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश
- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा**
बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;
• नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
• स्वर्ण
• केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
• ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है/अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3
- **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**
बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :
• सरकार, सरकारी संस्थाएं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
• अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।
- **जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी**
बैंकिंग इकाइयों का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-
• ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
• सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
• प्रतिपक्ष अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि – ₹ करोड़ में)
(ख) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,53,043.52
(ग) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है।	45,727.00



**Table DF-6
Credit Risk**

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures

- **Policies and processes for indication of the extent to which the bank makes use of, on and off-balance sheet netting**
On-balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Domestic Banking Entities have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. They calculate capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions:
Where Domestic Banking Entities,
 - a. have a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
 - b. are able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and
 - c. monitor and control the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans/advances are treated as exposure and deposits as collateral.
- **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**
The parent bank has an integrated Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy in place which is reviewed annually. Part B of this policy deals with Credit Risk Mitigation and Collateral Management, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.
The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy :
 - (i) Classification of credit risk-mitigants
 - (ii) Acceptable credit risk-mitigants
 - (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants
 - (iv) Valuation of collateral
 - (v) Margin and Haircut requirements
 - (vi) External ratings
 - (vii) Custody of collateral
 - (viii) Insurance
 - (ix) Monitoring of credit risk mitigants and
 - (x) General guidelines.
- **Description of the main types of collateral**
The following collaterals are usually recognised as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach :
 - Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.)
 - Gold
 - Securities issued by Central / State Governments
 - Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments
- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**
The Group accepts the following entities as eligible guarantors, in line with RBI guidelines :
 - Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the counterparty.
 - Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.
- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:**
The Bank has a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-
 - Eligible financial collaterals listed above
 - Guarantees by sovereigns and well-rated corporates,
 - Fixed assets and current assets of the counterparty.

Quantitative Disclosures	(Amount – ₹ in crore)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	1,53,043.52
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	45,727.00



तालिका डीएफ-7
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :	
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात् अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनियम प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता ; संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनियम अथवा करेंसी विनियम के रूप में नियामक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात् संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है; 	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है :	
	<ul style="list-style-type: none"> क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ; 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित) 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है। 	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही		
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों की बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें। 	निरंक
(ञ)	<ul style="list-style-type: none"> यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर। पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण दें)। 	निरंक
मात्रात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विक्रय		
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें। 	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण दें। 	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> टियर। पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग) 	निरंक



Table DF-7
Securitisation - Disclosure for Standardised Approach

	Qualitative Disclosures	
(a)	<i>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. 	No Exposure
	<ul style="list-style-type: none"> the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets; 	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider[@] protection provider[#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; <p>[@] A bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.</p> <p>[#] A bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.</p>	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2012). 	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures; 	Not Applicable
(b)	<i>Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> whether the transactions are treated as sales or financings; 	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased 	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; 	Not Applicable
	<ul style="list-style-type: none"> policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets. 	Not Applicable
(c)	<i>In the banking book, the names of ECALs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</i>	Not Applicable
	Quantitative Disclosures: Banking Book	
(d)	<i>The total amount of exposures securitised by the bank.</i>	Nil
(e)	<i>For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)</i>	Nil
(f)	<i>Amount of assets intended to be securitised within a year</i>	Nil
(g)	<i>Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.</i>	Not Applicable
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	Nil
(i)	Aggregate amount of:	
	<ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	Nil
(j)	<ul style="list-style-type: none"> Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	Nil
	Quantitative Disclosures: Trading Book	
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil
(l)	Aggregate amount of:	
	<ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	Nil
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	Nil
(n)	Aggregate amount of:	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. 	Nil
	<ul style="list-style-type: none"> securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	Nil



तालिका डीएफ-8
व्यापार बही में बाजार जोखिम
मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

- 1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
 - व्यापार के लिए रखी गई“ और बिक्री के लिए उपलब्ध“ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
 - व्यापार के लिए रखी गई“ और बिक्री के लिए उपलब्ध“ श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।
- 2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बाण्डों अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएसडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।
- 3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।
- 4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :
 - (क) निवेश नीति
 - (ख) सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बाण्ड्स और ईक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति
 - (ग) डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग नीति
 - (घ) फोरेक्स ट्रेडिंग नीति
 - (ङ) जोखिम मूल्य नीति
 - (च) तनाव परीक्षण नीति
 - (छ) ग्राहक यथातथ्यता एवं उपयुक्तता नीति (डेरीवेटिव्स)
 - (ज) मॉडल वैधता नीति
- 5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।
- 6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- 7) फोरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।
- 8) विभिन्न आस्ति संविभागों के आवधिक अंतरालों पर नियमित तनाव परीक्षण बैंक परीक्षण किए जा रहे हैं। इनके परिणामों के बारे में शीर्ष प्रबंधन और जोखिम समितियों को सूचित किया जाता है।
- 9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करने के लिए जवाबदार हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
- 10) देशीय बैंकिंग इकाइयां बाजार जोखिम और वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए आशय पत्र के संबंध में पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए आंतरिक मॉडल पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	4,565.12
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1,700.23
विदेशी विनिमय जोखिम	124.78
कुल	6,390.13



Table DF- 8

Market Risk in Trading Book

Disclosures for banks using the Standardised Duration Approach

Qualitative disclosures – Domestic Banking entities:

- 1) The following portfolios are covered by the Standardised Duration Approach computing capital requirement for Market Risk:
 - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
 - Derivatives entered into for hedging HFT & AFS securities and Derivatives entered into for trading.
- 2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for Risk Management.
- 3) Market Risk Department is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Risk associated with Treasury operations.
- 4) The following Board approved policies with defined Market Risk Management parameters for each asset class are in place:
 - (a) Market Risk Management Policy
 - (b) Investment Policy
 - (c) Policy for Trading in Interest Rate Securities and Equity
 - (d) Policy for Derivatives
 - (e) Forex Trading Policy
 - (f) Value- at- Risk Policy
 - (g) Stress Test Policy
 - (h) Model Validation Policy
- 5) Risk monitoring is an ongoing process and risk positions are analysed and reported to Top Management, Market Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board
- 6) Risk management and reporting is based on parameters such as Modified Duration, PV01, Option Greeks, Maximum permissible exposures, Value at Risk Limits, Concentration Risk Limits, Cut Loss Trigger, Management Action Triggers, etc in line with global best practices.
- 7) Forex Open position limits (Daylight/Overnight), Stop Loss Limits, Aggregate Gap Limit (AGL) , Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are monitored and exception reporting is regularly carried out.
- 8) Stress Testing is carried out at regular intervals as a complement to Value at Risk. Back-Testing of VaR number is carried out on daily basis. Results are reported to Top Management and Risk committees.
- 9) Respective Foreign offices are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements and RBI stipulations. Stop Loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.
- 10) Domestic Banking Entities are in the process of migrating to Internal Models Approach for calculating capital charge for market risk and SBI has submitted Letter of Intent (LOI) to RBI during the FY 2012-13.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2013 is as under:

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Interest Rate Risk (Including derivatives)	4,565.12
Equity position risk	1,700.23
Foreign exchange risk	124.78
Total	6,390.13



तालिका डीएफ-9
परिचालन जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है :
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- नुकसान हुए आंकड़ों के प्रबंधन की नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति

मैनुअल्स

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल (जोखिम एवं स्व-नियंत्रण मूल्यांकन (आसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और एमआईएस रूपरेखा दस्तावेज)
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियां लागू हैं और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियां बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का कार्यान्वयन और निरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृत अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वेब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आंकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशीय शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।
- व्यवसाय विघटन और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों ने एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।
- एवांसड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत यथा आवश्यक परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बैंक पूर्ण विकसित आंतरिक प्रणालियों के साथ बैंक पूरी तरह से तैयार है। बेसल - II के अनुसार परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम मापन प्रणाली (ओआरएमएस) के आवश्यक घटक बैंक (एसबीआई) में लागू हैं। वित्त वर्ष 2013 के दौरान बैंक ने एएमए लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। सहयोगी बैंक भी ओआरएमएफ और ओआरएमएस के अंतर्गत यथा आवश्यक पूर्व-व्यवस्था करने की प्रक्रिया में हैं और वित्त वर्ष 2014 के दौरान एएमए लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन करने वाले हैं।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी इकाइयों

प्रणालियों एवं कार्यविधियों के रूप में पर्याप्त उपाय और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- आसीएसए कार्य में पता लगायी गई महत्वपूर्ण जोखिमों और नुकसान हुए आंकड़ों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15 % के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है।



Table DF-9
Operational Risk

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as Associate Banks as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.
- The operational risk related issues in other Group entities are being dealt with as per the requirements of the business model and their regulators under the overall control of Chief Risk Officers of respective entities.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk

The following policies are in place in SBI and Associate Banks:

- Operational Risk Management policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP).
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures.
- Loss data Management Policy.
- Policy on Fraud Risk Management.
- Outsourcing Policy

Manuals

- Operational Risk Management Manual
[Risk & Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) and MIS Framework Document]
- Loss Data Manual
- Business Continuity Planning (BCP) Manual

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Policies as relevant to the business model of Non-Banking entities and as per the requirements of the overseas regulators in respect of Foreign Banking subsidiaries are in place. A few of the policies in place are – Disaster Recovery Plan/ Business Continuity Plan, Incident Reporting Mechanism, Outsourcing Policy, etc.

C. Strategies and Processes

The following measures are being used to control and mitigate Operational Risks in the Domestic Banking entities:

- “Book of Instructions” (Manual on General Instructions, Manual on Loans & Advances) which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through e-circulars. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, e-Circulars, Training Programs, etc.
- Manuals and operating instructions relating to Business Process Reengineering (BPR) units.
- Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial and non-financial transactions.
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- A web-based tool for collecting loss data, including Near Misses, from Branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programmes conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Staff Learning Centers.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the existing systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures.
- Excel based template for conducting Risk & Control Self Assessment (RCSA) exercise through workshops have been introduced since June 2012. It has improved features viz. the provision of Inherent Risk and Residual Risk, control element to arrive at and assess the effectiveness of the current control environment and heat maps to describe the Risk Levels. Top risks identified in the RCSA exercises along with their mitigation plan are being discussed at Operational Risk Management Committee (ORMC) in SBI and ABs for implementation.
- In SBI, in order to successfully embed the operational risk management system, Risk Management Committees at the Circle level (RMCC) and also at the Business/Support Group level (BORMC) has been constituted.
- In order to ensure business continuity, resumption and recovery of critical business process after a disaster, the Bank (SBI) and ABs have robust Business Continuity Management in place.
- The Bank (SBI) and ABs proposes to be ready with fully developed internal systems for quantifying and monitoring operational risk as required under Basel II defined Advanced Measurement Approach (AMA). The Bank (SBI) has already applied for migration to AMA to RBI during FY13 which is under review and ABs propose to apply in FY14.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities

Adequate measures by way of systems and procedures and reporting has been put in place.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in all the Group entities.
- A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the Group entities.
- Significant risks thrown up in RCSA exercise and loss data are reported to Top Management at regular intervals.
- Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is applied for Operational Risk, except Insurance Companies, for the year end 31st March, 2013.



तालिका डीएफ -10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

डीएफ - समूह जोखिम
समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम : ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधियन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवश्यक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन के अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. एसबीआई समूह के परिमाणत्मक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,926.23

ख. ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	6,593.29

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की कंपनियों के संबंध में *
(विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)

सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण में संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।
वित्तीय सहायता का ब्योरा#, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/ न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

* समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर "वित्तीय सहायता" माने गए हैं:

- क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;
- ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;
- ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकोती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;
- घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;
- ड) 9 प्रति चुकोती में चूक संबंधी शर्तों को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मॉरीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ़ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
		एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज प्रा. लि.



Table DF-10
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

1. Qualitative Disclosures
Interest Rate Risk: Interest rate risk refers to impact on Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, existing rates and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on whether the Balance Sheet is asset sensitive or liability sensitive.
The Asset-Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and reviews its functioning periodically and provides direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing interest risk.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared on a monthly basis. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earning at Risk (EaR) which measures the change in Net Interest Income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets & liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest rate sensitivity under Duration gap analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI on monthly basis. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity is monitored through Duration Gap analysis by recognising the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated.

1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserve)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of interest rate risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for other risks.

2. Quantitative Disclosures for SBI Group
A Earnings at Risk (EaR)

Particulars	Impact on NII (₹ in crore)
Impact of 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Net Interest Income (NII)	4,926.23

B Market Value of Equity (MVE)

Particulars	Impact on MVE (₹ in crore)
Impact on 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Market Value of Equity (MVE)	6,593.29

DF- GR
Additional Disclosures on Group Risk

Qualitative Disclosure	
In respect of Group entities * [Overseas Banking entities, Domestic Banking and Non-Banking entities]	
General Description on	
Corporate Governance Practices	All Group entities adhere to good Corporate Governance practices.
Disclosure Practices	All Group entities adhere to / follow good disclosure practices.
Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	All Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.
Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group entity.
Details of Financial Support, [#] if any	No Group entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.
Adherence to all other covenants of Group Risk Management policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously been complied with by the Group entities.

[#] Intra-group transactions which may lead to the following have been broadly treated as 'Financial Support':

- inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group;
- violation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate;
- adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group;
- evasion of capital or other regulatory requirements;
- operation of 'Cross Default Clauses' whereby a default by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on itself.

* Entities covered:

BANKING – DOMESTIC	BANKING - OVERSEAS	NON - BANKING
State Bank of India	State Bank of India (California)	SBI Capital Markets Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	State Bank of India (Canada)	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius) Ltd.	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Mysore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Patiala	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI General Insurance Company Ltd.
State Bank of Travancore	PT Bank SBI Indonesia	SBI Global Factors Ltd.
		SBI Life Insurance Co. Ltd.
		SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
		SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd.

भारतीय स्टेट बैंक प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र.: _____

डी.पी./ग्राहक आई.डी.क्र. _____

मैं/हम, _____

_____ निवासी _____

बैंक के कारपोरेट केन्द्र में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक है और एतद्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

दिनांकित _____ के _____ दिवस को

15 पैसे
रसीदी
टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी करणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक/स्थानीय बोर्ड का सदस्य/ भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्थापित न हो और उसे मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, कारपोरेट केन्द्र में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बाण्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No.: _____


DP/Client-ID No. _____

I/We _____

resident of _____ being(a) shareholder(s) of the State Bank of India holding (No.) _____ shares on the Register of shareholders at the Corporate Centre of the Bank do hereby appoint _____

resident of _____ (or failing him/her _____ resident of _____) as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at a meeting of the shareholders of the State Bank of India to be held at _____ on the _____ day of _____ and at any adjournment thereof.

Dated this _____ day of _____



No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Corporate Centre or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

State Bank of India, Shares & Bonds Dept., Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021 is authorised to accept the proxy form, power of attorney or other authority.

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा

उपस्थिति पर्ची

दिनांक:

फोलियो क्र:

डी.पी. / ग्राहक आई. डी. क्र:

शेयरधारक का पूरा नाम: _____
(शेयर प्रमाणपत्र पर लिखे / डी.पी. के रिकार्ड के अनुसार)

पंजीकृत पता: _____
पिन

कुल धारित शेयरों की संख्या:

शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा

मतदान के मामले में: से तक

क्या विनियम 31* के अनुसार मत देने का अधिकार है: हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधिकृत है (मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में):

शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से							
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

सील / मोहर:

नोट:

- भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।
- शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

STATE BANK OF INDIA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTENDANCE SLIP

Date :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Folio No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DP/Client-ID No.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Full Name of the Shareholder : _____
(as appearing on share certificate/recorded with DP)

Registered address : _____
_____ PIN

--	--	--	--	--	--

Total number of Shares held :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Share Certificate Nos.,
(in case of physical holding) From

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 To

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Whether having voting rights in terms of Regulation 31* Yes / No
If yes number of votes to which he/she is entitled, in case of Poll by ballot.

In person as a shareholder									
As a proxy									
As a duly authorised representative									
TOTAL									

Signature Attested _____ (Signature of Shareholder)

Name:
Designation:
Seal/Stamp:

- Note:
- i) The Branch Managers/Managers of Divisions of the branches of the State Bank of India (whose signatures are circulated) are authorised to attest the signature of the shareholders, on production of suitable evidence of his/her shareholding to the branch where the shareholders may be maintaining account.
 - ii) If the shareholder maintains account with a bank other than State Bank of India, the signature may be attested by the Branch Manager of that Bank, affixing the branch seal/stamp to evidence the attestation.
 - iii) Alternatively, the shareholder may have his/her signature attested by a Notary or a first class Magistrate.
 - iv) The signature of shareholders can also be got attested at the venue of the Meeting by the designated officers of the State Bank of India, on production of satisfactory evidence of his/her identification such as Passport/ Driving Licence with photograph, Voters Identity Card or such other similar acceptable evidence.



Shri Pratip Chaudhuri, Chairman, State Bank of India receiving National Award 2012 for the Bank's outstanding performance at National Level for Implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) in the country, from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India.



Annual General Meeting of Shareholders on 22nd June 2012 at Mumbai

From Heritage...



Bank of Bengal (1806)



Bank of Bombay (1840)



Bank of Madras (1843)

...to Modernity







ATM, Changi Airport Singapore



Full Commercial Banking Unit (FCBU), Bahrain

FORM 'A'

1.	Name of the Company	STATE BANK OF INDIA
2.	Annual financial statements for the year ended	March 31, 2013
3.	Type of Audit observation	Un-qualified / Matter of Emphasis: <ol style="list-style-type: none"> 1. On deferment of gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 200 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no.DBOD.BP.BC/80/21.04.01.018/2010-11 dated February 9, 2011. 2. The Bank has made specific provisions of ₹ 706.26 crores for certain Non-performing domestic advances to provide for estimated actual loss in collectible amounts.
4.	Frequency of observation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deferment of Gratuity Liabilities since March 31, 2011 2. Specific Provision for NPAs since March 31, 2012
5.	Pratip Chaudhuri Chairman	
	Diwakar Gupta Managing Director & CFO	
	Sushil Kumar Tulsyan M/s Todi Tulsyan & Co., Patna (Consolidating Auditors)	
	S Venkatachalam Chairman, Audit Committee of the Board	

Place : Kolkata
Date : 23rd May 2013

